

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

राजनीतिक-निबन्ध (POLITICAL ESSAYS)

संस्था, ज

डॉ० प्रभुदत्त शर्मा

एम० ए० एम० ए० ए० ए० ए० ए० (पु० एच० ए०)

राजनीति विभाग

राजस्थान विश्वविद्यालय

जयपुर

नवीन सशोधित संस्करण

1966

प्रकाशक

पद्म बुक कम्पनी, जयपुर

प्रकाशक

पदम बुक कम्पनी

जयपुर

•

©

पूर्णतया समोद्धित संस्करण १९६६

सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन सुरक्षित

मूल्य : दस रुपये मात्र

•

मुद्रक

नवल प्रेस, जिनवाणी प्रिन्टर्स एव
हिन्दुस्तान ग्राटि कलेज, जयपुर मे मुद्रित

सम्पादकीय

प्रस्तुत पुस्तक में ये कुछ निबन्ध एकत्रित हैं जो मेरे नए और पुराने विद्यार्थियों ने मेरे निवेदन में संपादक किये हैं। एक सम्पादक के नाते मेरा यह प्रयास रहा है कि ये सभी युवक प्रतिभायें जैसी भी हैं उसी स्वरूप में प्रस्तुत हो सकें और बृहत्तर विद्यार्थी तथा शिक्षक-जगत उन्हें उसी रूप में देख सके, जैसी ये सचमुच हैं।

इन निबन्धों में—प्रणयन, सम्पादन तथा सफलता-तभी में एक उपयोगितावादी, परीक्षानुरूपी दृष्टिकोण को धरना का प्रयास किया गया है, घत इनके अथवा पाण्डित्यपूर्ण होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी अपनी सीमाओं को स्पष्टतः पहिचानते हुए, अपनी योग्यता, निष्ठा, अध्ययन तथा लगन से कुछ विद्यार्थियों ने ईमानदारी से यह गम्भीर परिश्रम किया है उसे देखते हुए उनका यह प्रयास स्वागत्य है और मैं सम्मत्ता ही सराहनीय भी।

छात्र-जगत को छात्र-जगत मात्र सचे तथा अपने व्यक्तिगत परिधम से मिल-जुल कर वे सामूहिक रूप से लाभायित हो सकें इसी विचार से यह रचना सफल की गई है। राजनीति-दर्शन, पचासती-राज, विद्यतनाम-विवाद, पाकिस्तानी दुरासाधों का केन्द्र-कडमोर, पाक आक्रमण के परिवर्तित सदभं में भारत की विदेश नीति, अफ्रीकी राजनीति के नये क्षितिज तथा भारत को राज्यकीय राजनीति के महत्वपूर्ण पहलुओं पर अङ्गरेजी में उपलब्ध पाठ्य-सामग्री को निःशरारों में ढग से हिन्दी माध्यम द्वारा विवेचन एवं प्रस्तुत किया है। कोई भी निबन्ध यद्यपि में पूर्ण नहीं है पर उनके सम्पादन में मेरी अपनी यह चेष्टा रही है कि उन्हें बनाया जा सके कि उन्हें छाया-केन्द्र मानकर कोई भी परीक्षार्थी अपने समुचित सामग्री, अध्ययन-प्रणाली तथा शैली पा सके।

यह जानते हुए भी कि आज के विद्यविद्यार्थियों के बुद्धि-जीवियों की दृष्टि में प्रकार के प्रयास सरते माने जाते हैं, मैंने अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए नया क्षेत्र दिया है। शोध के आकर्षण और चक्रावीय में जहाँ गिण्टल और गिण्टल बनते जा रहे हों तथा अङ्गरेजी के जगसना भरे मोह को जहाँ तथाकथित स्तरों के नाम पर उभरती प्रतिभाओं पर बोया जा रहा हो, जिन्हें अङ्गरेजी के हर अक्षर के लिए शब्द-कोष देखना पड़ता हो। धागा है, मेरा यह प्रयास नये विद्यार्थियों होना-परिचान से मुक्त कर कुछ स्वाभिमान की भावना दे सकेगा। प्रयास के पीछे न ही प्रेरणा है, न कोई लोभ और न ही प्रत्यक्ष धन परीक्ष सहयोग। घत धन्यवाद की औपचारिकता को धारःयक न समझते हुए उन सभी युवा-निबन्धकारों को बधाई धागा तिनका यह धरना परिधम है।

विषय-सूची

1.	प्लेटो और उनका दार्शनिक अधिनायकवाद	प्लेटो का भावद्वय	1
2.	अरस्तु के राजदर्शन में व्यावहारिकता एवं वैज्ञानिकता	अरस्तु का दर्शन	12
3.	मध्ययुगीन विचारकों के मुख्य विचार	निर्गम तर्कशास्त्र	24
4.	धर्मसुधार आन्दोलन और आधुनिक राजदर्शन	जर्मनी का दर्शन	32
5.	टाग्नर हाग्नर के दर्शन में ईश्वर-नैतिकवाद	मुन्दर का दर्शन	42
6.	शॉन लॉक के दर्शन में धार्मिकवाद	शॉन लॉक	54
7.	ह्यूमो का राजदर्शन और मानव-इच्छा-सिद्धांत	ह्यूमो का दर्शन	67
8.	शॉन-एक-इच्छा-आदर्शवादी	गान्धारी का दर्शन	80
9.	मार्क्सवाद के कुछ पहलू	ह्यूमो का दर्शन	89
10.	मार्क्सवाद के ह्यूमो और चीनी सम्बन्ध	मुन्दर का दर्शन	110
11.	राजनीतिक बहुलवाद	गोविन्दगन	120
12.	गांधीजी के राजनीतिक और आर्थिक विचार	ह्यूमो का दर्शन	132
13.	नेहरू का विचार	विज्ञानकार दर्शन	137
14.	शक्ति-संयुक्त	नेहरू का दर्शन	156
15.	भारत की विदेश नीति : परिवर्तन संदर्भ में	ह्यूमो का दर्शन	169
16.	अधो-राजनीति के नए सिद्धांत	मोहम्मद का दर्शन	187
17.	चीनी-सांख्यिकी दुरागाधों का केन्द्र-कर्म	प्रकाश का दर्शन	200 F
18.	विद्यमान	मुन्दर का दर्शन	200
19.	सविधानवाद-शास्त्री एवं अधो-राजनीति	राजगनी ऐर	209
20.	राजनीतिक इल-एक विचार	गोविन्दगन का दर्शन	223
21.	संघर्षी राज-एक आलोचनात्मक अध्ययन	अन्तराजनीति दर्शन	235
22.	द्वितीय मदन-एक अध्ययन	गोविन्दगन	249
23.	आधुनिक सरकारें और आर्थिक पुनर्विचार	शुभकरकाश का दर्शन	263
24.	भारत में आर्थिक पुनर्विचार	राजगनी ऐर	274
25.	दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय एकीकरण	मुन्दर का दर्शन	293
26.	कर्मोंर समन्वय-एक परिचय	अन्तराजनीति	307
27.	भारत में गणतन्त्र-राजनीति	गोविन्दगन	317
28.	भारत-युद्ध-संघर्ष और संयुक्त राष्ट्र	विश्व गोविन्दगन	331
29.			

प्लेटो और उसका दार्शनिक अधिनायकवाद (PLATO AND HIS PHILOSOPHICAL DICTATORSHIP)

—प्रेमलता महेश्वरी

पादचार्य राजनीतिक चिंतन के इतिहास में प्लेटो, बड़े पैदा विचारक या जिनका प्रभाव आज चौबीस सौ वर्षों बीत जाने के बाद भी पुग्गु है। बड़े राज्य-व्यवस्था दर्शन, सुधार और चिन्तन की सभी प्राणिकारी यात्राओं का उत्प्रेरक माना जाता है। वर्तमान साम्यवाद, फासीवाद और धार्मिकवाद उसके दर्शन में प्रेरित हुए हैं। प्लेटो की "रिपब्लिक (Republic)" के नमूने पर धार्मिक राज्य स्थापित करने की प्रेरणा योजनार्थे राजनीति दर्शन के इतिहास में प्रस्तुत की गई है। शिक्षा और सुव्यवस्था के कार्यक्षमता द्वारा समाज को उत्तम बनाने की दिशा में उसके विचार दर्शन के प्रेरणा-स्रोत रहे हैं। मध्य युग में उसने प्रेरणा पाकर मर थॉमस मूर ने अपना "यूटोपिया" लिखा। अठारहवीं शताब्दी में 'कॉमो और उसका दर्शन' प्लेटोवाद से अनुप्राणित है। अठारहवीं शताब्दी में अगुस्ट कोम्टे (August Comte) ने प्लेटो से प्रभावित होकर इस बात पर बल दिया कि समाज का सामन वैज्ञानिक ज्ञान के द्वारा ही होना चाहिये। फ्रेड रिचर्ड के धार्मिकवादी विचारक ग्रीन तथा बोसाक्वे (Bosanquet) भी प्लेटो के अनुयायी तथा उनके दार्शनिक सिद्धियों की गणना में आते हैं।

आधुनिक साम्यवाद तथा फासीवाद आदि की विचारधाराओं पर प्लेटो के विचारों की गहरी छाप देखी जा सकती है। राजनीतिक चिन्तन के कुछ शास्त्र प्रदत्तों की सुन्दर मौलिकता करने के कारण बड़े मात्र तक राजदर्शन के इतिहास में अदर समर और जब तक मानव समाज में राज्य की सत्ता रहेगी, सम्भवतः उसका यही स्थान होगा। पिछले चौबीस सौ वर्षों के इतिहास में विज्ञान राज्यों को बनाने वाले प्रजापीताओं, शक्तिशाली सम्राटों तथा बुद्धि राजनीतिज्ञों की सभी कमी नहीं रही किन्तु उनके से किसी का भी राजनीतिक विचारों पर इतना समिष्ट प्रभाव नहीं पड़ सका जितना कि प्लेटो का। उसके रचनाएं, चौबीस शताब्दियां बीत जाने के कुछ घण्टा भी बाद और उत्तुङ्गता के साथ पढ़ी जाती हैं, उनमें प्रेरणा ग्रहण की जाती है और उनके आधार पर आज भी समूहवादी मठों की पुष्टि की जाती है। प्लेटो की मार्क्सवादी प्रमाण उसकी शिक्षा-व्यवस्था, धनियता की सममानता, बौद्धिक वर्ग के सामन के लिये किये जाने वाले माहल, राज्य दण्ड विधि (Criminal Law) तथा व्यवहार विधि (Civil Law) के बीच किये जाने वाले अन्तर आदि के विचारों से स्पष्ट है। आज के

यूनान के विचार न माने जाकर अधिक मानवता के विचार माने जाने हैं। गिस्ता पर ग्राब भी राज्य का नियन्त्रण अधिकधिक बढ़ता जा रहा है। रूस और अमेरिका तक ही यह बात सीमित नहीं है, संसार का प्रत्येक प्रगतिशील देश गिस्ता को राष्ट्रीय आधार पर नियोजित कर उस दिशा में धरगु दशा रहा है। नियो को घर की बहारदीवारी में मुक्त कराके उन्हें सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक प्रशिक्षणों में भाग लेने के लिये राज्यों द्वारा प्रोत्साहन दिया जाने लगा है।

रिपब्लिक के मूल सिद्धान्त

विचारों की यह सार्वभौमिकता हमें प्लेटो की प्रमुख पुस्तक "रिपब्लिक" में देखने को मिलती है। "रिपब्लिक" का मूल विचार है मुकसत का वह सिद्धान्त कि "वदुष्ट हो जान है (Virtue is knowledge)।" इसके अनुसार श्रेष्ठता का ज्ञान ताकिक आवेपणों द्वारा हो सकता है और उसकी गिस्ता भी दी जा सकती है। अतः "रिपब्लिक" की प्रमुख देन यह है कि दार्शनिक अर्थात् वह पुन्य जो कि ज्ञाता है, शानक भी होना चाहिये। उनका ज्ञान ही उसे शानन का अधिकारी बनाता है। प्लेटो का विचार है कि समाज पारस्परिक आवश्यकताओं तथा सेवाओं के आदान प्रदान पर आधारित है। प्लेटो के सिद्धान्त के प्रमुख नियम दो हैं—प्रथम शानन एक वना है जिसके लिये विगिष्ट एवं वदार्थ ज्ञान की आवश्यकता है और दूसरे समाज की स्थापना पारस्परिक आवश्यकताओं की मनुष्टि के निमित्त हुई है और यह केवल तभी संभव है जबकि प्रत्येक मदन्य को वह स्थान प्रदान किया जाये जिससे लए वह सभसे अधिक उपयुक्त है।

अयोग्यता की उपासना—जनतंत्र

प्लेटो की राजनीतिक प्रकृता और मनुष्टि का दिदर्शन इसी लय द्वारा हो जाता है कि उसने यूनान के नगर राज्यों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्रीय कार्यप्रणाली के आत्मनिरीक्षण द्वारा यह अनुभव किया और निष्कर्ष निकाला कि प्रजातंत्र अयोग्यता की उपासना है और प्रत्येक राज्य की अधिकान्त बुरादमा राजनीतियों की अयोग्यता के कारण हैं। अतः उसके राजनीतिक सिद्धांत का प्रमुख निर्देश है कि राजनीतियों को शाननकता में प्रशिक्षित किया जाये। उसने अनुसार राज्य वैज्ञानिक अवश्य होने चाहिए और शान ही उन्हें बनने कर्तव्यों की प्रकृति एवं मोमाओं का वदार्थ ज्ञान भी रखना चाहिए। आदर्श राज्य की स्थापना तभी संभव होगी जबकि उनका शानन राज्य-वैज्ञानिकों द्वारा संभालित होगा। प्लेटो का कदन है "जब तक राजा दार्शनिक न हो अथवा दार्शनिक राजा न हो, आदर्श राज्य की स्थापना कल्पन ही रहेगी।" प्रो० वार्कर

1. "Until philosophers become kings or the kings of the world have the spirit of philosophy, the city will never rest from ruin."

के राज्य में—'विनिश्चीकरण का मार्ग प्लेटो के लिए एकीकरण का मार्ग भी था। यदि सरकार के कार्यों के लिये एक पृथक्-वर्ग की नियुक्ति हो तो सरकार को निष्पक्ष मराने के लिये शायद ही मघर्ष के लिये कोई स्थान रहे। यदि प्रत्येक वर्ग अपनी ही सीमाओं में बद्ध रहे और अपने ही कार्यों में एकाग्रित हो तो वर्गों में संघर्ष नहीं होगा। विनिश्चय के पभाव के ही कारण नागरिकों में मतभेद समझ होजा है। विनिश्चय के साथ साथ यह एक सत्तेगा और प्रत्येक वर्ग प्रगतिपूर्वक अपने लिये नियुक्त हुए कार्यों को करने लगेगा। स्वार्थ-परता घटितमान हो जायेगी और राज्य में एकता का साम्राज्य होगा।¹

त्रिकोणात्मक व्यवस्था

प्लेटो आदर्श राज्य की समस्त जनसंख्या को तीन वर्गों में विभक्त करता है। उनमें सबसे पहले संरक्षक है द्विजको पुन सैनिकों और शायक में विभक्त किया गया है। दूसरे मजदूर हैं जो कि जनसंख्या का अधिकतम भाग है। उनका मुख्य कार्य उत्पादन करता है। इनमें से प्रत्येक वर्ग के अपने विशिष्ट गुण हैं जिनके द्वारा उन्हें अन्य वर्गों से भिन्न किया जा सकता है। इस प्रकार दार्शनिक चामका में बुद्धि (reason), सैनिक संरक्षक में साहस (spirit) एवं उन्माह तथा मजदूरों में धुरा (appetite) अधिष्ठान में होना ही उनके इन भेदों के प्रमुख लक्षण हैं।

न्याय और उसके स्वरूप

राज्य के नागरिकों के इस त्रिमुखी वर्गीकरण को तथा कार्यविभाजन को स्थिर करने के लिए प्लेटो ने न्याय सिद्धांत दिया है। प्रत्येक को उसका भौतिक प्रदान करना ही प्लेटो के सामाजिक न्याय के सिद्धांत की परिभाषा है। शिक्षा प्रत्येक के सामर्थ्यानुसार होगी और पारम्परिक समाज को यह भासा रहेगी कि व्यक्ति अपने सामर्थ्य और जीवन में अपने पद के अनुरूप ही ईमानदारी से सामाजिक दायित्वों का अनुष्ठान करेगा। प्रो० बार्कर के शब्दों में "सब सामाजिक न्याय को उस समाज का सिद्धांत कह सकते हैं जो कि भिन्न भिन्न प्रकार से मनुष्यों द्वारा निर्मित हुआ हो और जो एक दूसरे के प्रति अपनी आवश्यकताओं की प्रवृत्ति में मशुक्त हुए हैं—इस प्रकार एक समाज में सशुक्त और अपने पृथक् कर्तव्यों में एकाग्रित होकर एक संपूर्ण का निर्माण किया हो जो कि

1. "The way of specialisation was also to Plato the way of unification. If a separate class were appointed to the work of government, there would hardly be any room for the old struggle to capture the room. Civil dissension had been rendered possible by the want of specialisation. With specialisation these things would cease. Each class would work at its appointed function in contentment. Selfishness would disappear. The unity would pervade the state".

—Barker

पूर्व है क्योंकि यह सम्पूर्ण मानव मन्दिष्ठ का प्रतिफल और प्रतिबिम्ब है।¹ अतः सामाजिक न्याय का अर्थ यह है कि समाज का कृपण निर्देशन सभी संभव हो सकता है जब कि प्रत्येक के लिए वह न्याय निर्धारित हो जिसके लिए वह अपने अधिक उपभुक्त है और व्यक्ति अपने निर्वाचित न्याय पर कामों को पूरा कर सके।

साम्यवाद जैटो के आदर्श राज्य का आधार स्तंभ है। जैटो के साम्यवाद का मुख्य उद्देश्य राज्य में अनिश्चित एकता सुनिश्चित करना और उन सब कार्यों को संपन्न कराना या जो कि समाज में संघर्ष उत्पन्न करते हैं। जैटो सब प्रकार की बल व प्रबल किसी संगठित का विरोध करता है। वह पारिवारिक सम्पत्ति का भी विरोध करता है। वे दोनों विरोध केवल संरक्षक वर्ग के विरोध हैं। संगति एवं सरकार की साम्यवादी व्यवस्थाएँ एक दूसरे की पूरक हैं। जैटो के साम्यवाद का उद्देश्य न तो धार्मिक विषमताओं का अन्त करना या और न ही समस्त समाज में साम्यवादी व्यवस्था उत्पन्न करना। वह तो राज्य में एकता स्थापित करना चाहता है जिसके विरोध करनेवाले हैं कि संरक्षक वर्ग को अपने अन्यायवादी नैतिकता के विरोध में सभी संघर्षों का अन्त दिया जाये।

आदर्श राज्य के निर्माण में जैटो शिक्षा के सिद्धांत को अत्यधिक महत्व देता है। महात्मा किस्को ने उसकी दृष्टिक रिशक्ति करने के कारण उसे शिक्षा पर सबसे महान इति (The Best Treatise on Education) की संज्ञा दी थी। जैटो राज्य द्वारा निर्धारित शिक्षा के पक्ष में है। उसकी शिक्षा-प्रणाली की हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, प्रथम प्राथमिक शिक्षा जो बीस वर्ष तक के लड़कों और लड़कियों के विरोध की और दूसरी उच्चतर शिक्षा जो केवल आसक्त वर्ग के विरोध करने वाले विविध व्यक्तियों के विरोध की। व्यक्ति के धार्मिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के विरोध आवश्यक सहयोग के आधार पर जैटो के आदर्श राज्य का निर्माण कार्य प्रारंभ होता है जो तीनों वर्गों के विकास के साथ संभव होता है। न्याय उसकी सामाजिक शिक्षा है तथा शिक्षा-सौख्या और साम्यवाद उसके दो प्रमुख आधार स्तंभ हैं।

सामाजिक शासक

जैटो के विचारानुसार सैद्धि वर्ग के लोगों में सामान्यतया उपाहृत तथा विवेक दोनों ही पाये जाते हैं, किन्तु इनमें कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें उपाहृत की प्रतीति

1. *Social Justice may be defined as the principle of a society consisting of different types of men (the producing type, the military type, the ruling type) who have combined under the impulse of their need for one another and by their combination in one society and their concentration on their separate functions have made a whole which is perfect because it is the product and the image of the whole of the human mind.*

विवेक अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऐसे लोग को प्लेटो ने राज्य के दार्शनिक शासक माना है। बाकी के मनुष्यों में "संरक्षक वर्ग को दो भागों में विभाजित किया गया है प्रथम सैनिक संरक्षक हैं जिनकी विशेषता साहस है और जिन्हें 'माथ्रोलरीज' का नाम दिया गया है दूसरे दार्शनिक संरक्षक हैं जिनकी विशेषता विवेक अथवा बुद्धि है और जो अपनी श्रेष्ठता के कारण प्लेटो के राज्य के संरक्षक हैं।"¹ विवेक के प्लेटो ने दो गुण माने हैं प्रथम विवेक में व्यक्ति को ज्ञान (knowledge) हाता है तथा विवेक ही व्यक्ति को प्रेम (love) करना सिखाता है। अतः प्लेटो के विचारानुसार शासक विवेक-शील होना चाहिये एक अपने पर्याप्त मात्रा में महत्त्वज्ञान होना चाहिए। राज्य का निर्माण करने वाले तीन वर्गों में दार्शनिक-शासक का स्थान सर्वोच्च है क्योंकि वह राज्य के लोग को एकता के सूत्र में धामे रख सकता है तथा उन्हें परस्पर स्नेह करना सिखा सकता है। राज्य के प्रथम दो वर्गों की भांति शासक वर्ग भी विशुद्ध क्षत्रिय-सम्पन्न वर्ग होना चाहिए। जिनकी अधिक मात्रा में कार्य-विशेषीकरण (Functional Specialisation) की इस वर्ग के लिए है उतनी अन्य दो वर्गों के लिए नहीं। प्लेटो के विचारानुसार ही दार्शनिक ही सही वर्गों में राज्य का शासन होना चाहिए। बाकी के मनुष्यों में "सभी व्यक्ति दार्शनिक वर्ग के नहीं हो सकते।"² अतः संख्या की दृष्टि में राज्य का एक प्रथम सूक्ष्म भाग ही इस वर्ग की महत्त्वता प्राप्त कर लेगा।

"रिपब्लिक" में वर्णित आदर्श राज्य में सरकार नियमों द्वारा न होकर व्यक्तियों द्वारा होगी। प्लेटो के राज्य में सर्वाधिक महत्त्व तथा शक्ति का स्थान दार्शनिक शासक को प्राप्त हुआ है। उसके ऊपर किसी प्रकार के कानून आदि का बंधन नहीं है। राज्य की धारणा में पाये जाने वाले गुणों में दार्शनिक शासक विवेक (reason) गुण का प्रतिनिधि है। अतः अन्य नागरिकों की प्रशंसा उसका विवेक प्रति है। यह शासक जहाँ विवेकशील है वहाँ अपने राज्य को पत्यापित करने वाला भी। विवेक के दो उत्कृष्ट-ज्ञान तथा प्रेम से वह परिपूर्ण है। राज्य के प्रति उसकी उत्कृष्ट श्रद्धा एक मूढ़ प्रेम है। प्लेटो उसे "विवेक का प्रेमी" और नगर का मन्त्रा तथा मन्त्रा संरक्षक मानता है।³ दार्शनिक शासक उसे समस्त गुणों का धारण प्रतीत होता है। उसने

1. "The class of guardians bifurcated into two—the military guardians whose characteristic is spirit and who are now termed auxiliaries and the philosophic guardians whose characteristic is reason and who are the guardians par excellence of the Platonic state"

—Ibid

2. "A whole people can not be a people of philosophers"

—Ibid

3. "A lover of wisdom a good and true guardian of the city"—*Republic, Book II.*

अनुसार दार्शनिक शासक सर्वकाल तथा सर्वमना का द्रष्टा है (Spectator of all time and all existence)। प्रकृति की श्रेष्ठतम दन से वह युक्त है एक इमका सर्वश्रेष्ठ ढंग से वह प्रयोग करता है। उसमें आत्मा क किना भी सुन्दर गुण का प्रभाव नहीं है।

महाशक्ति मानव और कानूनहीन राज्य

इस प्रकार के सर्वज्ञ, विवक्षीय, सर्वदृष्टा तथा समवशील दार्शनिक शासक को प्लेटो आदर्श राज्य की बागडोर दिना किना दाया व सौंप दना चाहता है। इस श्रेष्ठ और निरुण माँझों व नृत्व म आदर्श राज्य की नौका, आर्षी और नृपान के कर्मावाता से दबती हुई अपनी मजिल तक अवदय ही पहुँच जायेगी। प्लेटो का यह विन्तुन स्वीकार नहीं था कि इस दार्शनिक शासक के कार्य म किञ्चित् मात्र भी स्कावट या दाया उपस्थित की जाये। इसलिये इस महाशक्ति मानव द्वारा शासित आदर्श राज्य म प्लेटो ने कानून का कोई स्थान नहीं दिया है। आदर्श राज्य के त्रिए कानून आनाम-दयक ही नहीं अपितु हानिकारक भी हैं। उनकी यह मान्यता उनके दृष्टिकोण के अनु-मार सर्वश्रेष्ठ भी प्रतीत होती है। शासन-मन्चालन म विगण याग्यता रखन वाले तथा अन्य सभी प्रकार के ज्ञान से युक्त शासक के हाथ पैर कानून की बढिया से जकड देने के आदर्श राज्य के नागरिका का अहित ही होगा। प्लेटो यह तर्क प्रस्तुत करता है कि जैसे किसी अच्छे चिकित्सक की चिकित्साशास्त्र की पुस्तका म से अपना उपचार पथ (Prescription) बनान का बाध्य करना उचित नहीं है, उसी प्रकार दार्शनिक शासक का भी कानून की सीमा खगाभा में बाध कर रखना उचित नहीं होगा। कानून को दार्शनिक शासक पर बापना वह इसलिये भी उचित नहीं मानता, क्योंकि कानून प्राकृ-तिक न हानर रुद्विगत (Conventional) हैं। रुद्विजन्य कानून का एक सर्वज्ञाता एवं शासन मन्चालन विगण पर बापना उचित नहीं कहा जा सकता। किसी श्रेष्ठ वन्तु का अनुशासन निरूप्य वन्तु के अनुशासन म रखना प्रथम श्रेणी का भून ही कही जा सकती है। प्लेटो का आदर्श राज्य एक कानूनी दधन नहीं है किन्तु सुख दुःख का मिल-जुलकर समान रूप से अनुभव करने के लिये मनावैज्ञानिक आधार पर निर्मित एक सुती ममुदाय है। अतः उसके दार्शनिक राज्य न कानून का स्थान न हानर दार्शनिक शासन है।

उन्मुक्त विवेक का रोमान्स

प्लेटो न विवक (reason) का इतना अधिक मन्त्र मानता है कि वह विवेक ही दार्शनिक शासक मान बैठा है। प्लेटो ने कभी इस मनावता पर विचार ही नहीं किया कि उसका दार्शनिक शासक का भी पठन हो सकता है अथवा सना उमे भी अष्ट कर सकती है। उसका त्रिए किसी भी प्रकार की विधि व नियमा की आवश्यकता प्लेटो न नहीं मानी। प्लेटो के अनुसार वे ऐसे ही स्थितप्रज्ञ और बुद्धिमान होंगे कि उन्हें न ता सुद बताने के आवश्यकता रहीं और न उसके आवश्यक का नियमित करने

की। ऐसे उत्तम पुरुष चुन लेने पर बिना किसी डर के राज्यमूर्त उनके हाथ में दिया जा सकता है। उनके हाथ से राज्य को केवल भलाई ही होगी, राज्य में भगड़े होने का नाम का भी डर नहीं रहेगा। दार्शनिक शासक की इतनी अधिक स्वतन्त्रता देकर प्रो० जॉर्जेट कहते हैं, "रिपब्लिक की रोमान्चकारी कल्पना उन्मुक्त ज्ञान का वह रोमान्स है, जिस पर न रीति रिवाज के दग्धन हैं और न मानवीय मूर्खता और स्वार्थ का हस्तक्षेप।"¹

एक आदर्श की कितना ही बुद्धिमान बनाया जाये लेकिन वह स्वयं विवेक (reason) नहीं बन सकता। मनुष्य ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है, ज्ञान प्राप्त करना है और रखता है लेकिन वह संपूर्ण ज्ञान नहीं बन सकता। विवेक गतना नहीं हो सकता लेकिन दार्शनिक शासक सामारिक जीव है और सामारिक जीव होने के कारण यह गमती कर सकता है। प्लेटो न गमती करने वाले विवेक को गमती करने वाले व्यक्ति से मिला देता है। उसकी (प्लेटो की) इस तुलना के विषय में प्रो० बार्डर ने कहा है "प्लेटो की गमती मस्तिष्क के प्रमथकरण करने में तथा विवेक के निरंकुश मिश्रण में है।"²

फासीवादी-निरंकुशता

बुद्धि के नाम पर "रिपब्लिक" एक निरंकुश राज्य (Autocratic State) बन गया है। यदि प्लेटो की "रिपब्लिक" का अध्ययन गंभीरतापूर्वक किया जाये और उसमें कोई निरर्थक निगाहा जाये तो वह केवल सर्वाधिकारवाद (Totalitarianism) निकलेगा। प्लेटो द्वारा स्थापित किया हुआ आदर्श राज्य "प्रथम फासीवादी राज्य" कहलाता है। प्लेटो ने दार्शनिक रीति से और तार्किक रीति से स्वयं वहाँ निरर्थक निगाहा है कि जो दार्शनिक शासक हमें वे ही सब पर शासन करेंगे। उनके ऊपर कोई दायद फाजल नहीं हावे, उन्हें पूर्ण स्वतन्त्रता होगी। वे जैसा भाग चाहे वैसा शासन करेंगे। यही बातें आगे जाकर मुसलिनी ने दृष्ट स्पष्ट रूप से कही थी।

फासीवाद है उत्कर्ष एक ऐसे राज्य से है जहाँ शानाशाही हो और प्रथम व्यक्ति को कोई स्थान न हो। फासीवाद में एक फासिस्ट दल के निरंकुश प्रथम द्विती दल का मस्तिष्क स्वीकार नहीं किया जाता। डा० फ्रांसोसिडम ने किया है "सर्वाधिकार का मतलब व्यक्ति के जीवन के सीमित होने से होता है। इसमें मनुष्य के व्यक्तित्व की शान व योग्यता को पूर्ण रूप से इन्कार किया जाता है। राज्य स्वयं पहिले की मसीन

1. "The true romance of the Republic is the romance of free intelligence, unbounded by custom and untrammelled by human stupidity of self will."—Prof. J. O. U.

2. "The error of Plato lies in the separatist conception of mind and autocratic conception of reason."—Barker:

—Plato and his Predecessors.

मुसोलिनी का आध्यात्मिक पुर्यंज

प्लेटो के दार्शनिक शासन मन्त्रणों विचारों तथा फासीवादी राज्य के इन वर्णन में कई समानताएँ हैं। एक महत्वपूर्ण समानता प्लेटोवाद तथा फासीवाद में अपने देश को सुन्दर बनाने की है। प्रो जी. सी. बर्टलिन लिखते हैं—“प्लेटो नवयुवकों का यह पाठ पढ़ाना है कि उनके देश से सुन्दरतर देश दूसरा नहीं है। महा प्लेटो ऐसी विचार-धाराका वाक्ता कि इन्होंने सुन्दर है और मुसोलिनी मर्देव ठोक है, कम की कई समानता नहीं है और स्टातिन मही है, क्रिस्टेन सट्टा पर शासन करता है—पूर्णरूपण ममर्यक तथा अनुमोदक प्रतीत होता है।”¹ फामिन्टा के अनुसार राज्य स्वयं में एक सत्य है, नागरिकों के खिलाफ इसे अधिकार प्राप्त है। इसके अनिश्चित नेता का उद्देश्य सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमान तथा सबसे अधिक बुद्धिमान माना है। नेता की धारा का अन्त-राशर पालन उनके लिए परम धर्म है। प्लेटो ने भी राज्य की व्यक्ति से सर्वोपरि माना है एव राज्य के हितों के लिए व्यक्ति के हितों की प्राकृति देने की उमने भी उचित ठहराया है। इसी प्रकार राज्य के शासन संवातन में दार्शनिक शासन के नेतृत्व का उसने निश्चिन्ता एव निरंकुश रूप में स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है।

प्लेटोवाद तथा फासीवाद दोनों में समानता की उपेक्षा की गई है। मन्वा-गत समानता को दोनों ने स्वीकार कर लिया है। यदि प्लेटो ने प्रजातन्त्र के आधारभूत सिद्धान्त समानता को पूरा की दृष्टि से देखा है तो फामिन्टा की भी इस सिद्धान्त के प्रति पूर्ण उमने लेनमात्र भी कम नहीं है। इसी प्रकार दोनों में प्रजातन्त्र के प्रति भी उन्मशा का भाव पाया जाता है और व्यवसाय पर आधारित बुद्धिमानता के दावा ममर्यक है। प्लेटोवाद तथा फासीवाद दोनों में समानता की उन्मशा के माय-माय स्वरूपता की भी कोई स्थान नहीं है। प्लेटो के आदर्श राज्य में नागरिकों के छोटे, बड़े, व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, व्यवसायिक आदि सभी प्रकार के कामों पर पूर्ण एव कठोर नियन्त्रण है। उसे क्या करना है, क्या नहीं। इसका निर्धारण शासन द्वारा किया जाता है। लगभग इसी प्रकार की स्थिति फामिन्टावादी व्यवस्था में व्यक्ति की होती है।

प्लेटोवाद तथा फासीवाद दोनों का बुद्धिमानता में विश्वास है। प्लेटो बुद्धि का शासन (Rule of intellect) स्थापित करने के लिए बोटे से मलाका को ही मसूचा शासन गौतना चाहता है। फासीवाद फामिन्टा दल को ही शासन बनाने का दम्पु है। प्लेटोवाद तथा फासीवाद में इन्ही समानताओं के कारण प्लेटो को प्रथम फामिन्टा बजाया जाता है। बार्बर ने प्लेटो के शासन की योग्य व्यक्ति की निर्दुन्ता (Enlightened despotism) बजाया है। बर्टेड रीव ने भी प्लेटो के शासन की मान्यता करने दूये

1. "Plato would have the young men at home taught that no country was finer than their country. Here Plato was the complete moral jingo—as were Italia finest and Mussolini right, Russia unexcelled and Stalin right, Britannia ruling the waves."—G. C. Collins.

कहा है कि वह एक तानाशाही मनवा सर्वाधिकारवादी शासक बन गया है।

बौद्धिक फासीवाद

उपरोक्त मूल समानताओं के दावदूद भी प्लेटो को मुनासिबों का पूर्वज कहना मनासपूर्व होगा। फासीवाद जहाँ सर्ववाद तथा बुद्धिवाद के प्रति एक विशाह है वहाँ प्लेटो के बुद्धिवाद का फासिस्टों के प्रज्ञावाद (Intuitionism) से सीधा विरोध है। फासिस्टा के अनुसार बुद्धि (Reason) कभी सामाजिक एवं राजनीतिगत जीवन की समस्याओं को नहीं मुक्त करती जबकि प्लेटो के लिए यही एकमात्र मार्ग-प्रदर्शक है जो मनुष्य को सामाजिक बुध्दय से दूर हटा सकती है। फासीवाद नावनाओं तथा प्रवृत्तियों को बुद्धि से ऊँचा स्थान देता है जबकि प्लेटो में नावनाओं भी बुद्धि का रूप ग्रहण करती प्रतीत होती हैं। यह धारणा कि फासिस्ट अपने खून से सोचते हैं (Fascists think with their blood) प्लेटो के दर्शन के विरुद्ध सर्वाथा महत्वहीन वहाँ जा सकती है।

इनके मनावा फासीवाद की सत्य एवं नैतिकता की धारणा व्यावहारिक है। नैतिक मापदंड तथा सत्य केवल सापेक्षिक सिद्धांत (Relative concepts) है और कार्य करने हुये मनुमान (Working hypothesis) के रूप में ही इनका मूल्य है परमांतु जब तक वे मनुष्य के उद्देश्यों व कार्यों को प्राप्त करने में सहायता दे। उनकी माथायें निरन्तर हैं और वे स्थान से स्थान तथा पीढ़ी से पीढ़ी बदलते रहते हैं, दूसरे मनुष्यों में वे कुछ समय के (Arbitrary) मापदंड हैं। परन्तु प्लेटो ने इन विचारधारा का मनासी पुस्तक "रिपब्लिक" में खडन किया है। प्लेटो का कहना है सत्य व न्याय न ही सापेक्ष है और न ही कुछ समय के निर्ये। वे अनन्तरिण हैं तथा बुद्धि पर आधारित हैं। वे दाहुरे धन कष्ट न होकर मनुष्य के बौद्धिक स्वर (Rational faculty) के मान्यरित लक्षण के रूप में मानने माने हैं। शक्ति कभी भी ठीक नहीं होती, मुन या मतलब ही आनन्द नहीं होता (Might is never the right, pleasure is not necessarily happiness)। यह मत है कि न्याय, नैतिकता तथा सत्य अनन्तरिण रूप से लामदायक होते हैं लेकिन यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक चीज को लामदायक होना है वह न्यायसंगत भी हो। इन प्रकार सत्य, नैतिकता तथा न्याय के बारे में प्लेटो का सिद्धांत फासीवाद की व्यावहारिकता के विरुद्ध सीधा धारण्य है।

फासीवाद के नैतिक राष्ट्रीयवाद के सिद्धान्त (Theory of Militant Nationalism) का प्लेटो के विचारों में कोई स्थान नहीं है। फासिस्ट लोगों के लिये साम्राज्यवादी विस्तार जीवन का स्मिर तथा सनातन नियम है। उनके लिये मुद्ध तथा राष्ट्रीय ऋडे उदारता तथा माहुर के परिचायक हैं, लेकिन प्लेटो के लिये मुद्ध तथा साम्राज्यवाद राज्य (Polity) के लिये दीनारिणी है। उनके धारण्य-धन्य में धारण्य के धारणा कभी मुद्ध नहं हीता। प्लेटो ने विस्तारवाद की धारण्यता राज्य में धारण्य-रित पृष्ठ के संकेत के रूप में की है तथा कि माहुर (Spain) के राज्य का दण्ड नैतिक

विकाम हो गया हो। दूसरे शब्दा में प्लेटो के विषे युद्ध एक शक्ति उदारता तथा साहस का साधन न होकर राजनीतिक बीमारी का एक चिन्ह तथा राज्य के मानविक कुप्रवृत्त के विषे उत्तरदायी है। युद्ध के स्थान पर एकता प्लेटो के विषे मनुष्य तथा राज्य का भाग्य है। इसने प्रतिरिक्त प्लेटो नगर-राज्य की पूर्णता में विरवाम करता है जबकि मुमानिनी का ध्यान राष्ट्रीय राज्य है।

अन्य में यह कहा जा सकता है कि यह सब है कि फासिस्टा की तरह प्लेटो ने यह धारणा की थी कि राज्य एक नैतिक मता है जिसके प्रति व्यक्ति का धानापालन व सेवा का प्रयत्न कर्तव्य है लेकिन प्लेटो की एकता की सामाजिक नैतिकता युद्ध की फासिस्ट नैतिकता से पूर्णतया भिन्न थी। यह भी मत्व है कि फासिस्टा की तरह प्लेटो ने यह भी कहा था कि शासन करने का विनियामित बुद्ध विषय बुद्धिमान व्यक्तिया का हों है लेकिन जबकि प्लेटो के बुद्ध बुद्धिमान व्यक्ति कठोर नैतिक तथा वैदिक परीक्षाओं परवान् सत्ता प्राप्त कर पहुँचने हैं। फासिवाद में बुद्ध व्यक्ति छत्र, कपट तथा झूठ आदि के सरोका से सत्ता हड़बने में विरवाम करते हैं। यह भी सब है कि न तो प्लेटो ने और न ही फासिवादियों ने सम्मति या इच्छा (Consent) के दर्शन का उल्लेख किया। लेकिन जबकि फासिस्ट लोग ने शक्ति के दर्शन को जन्म दिया तो प्लेटो ने बुद्धि के दर्शन को। प्लेटो का राज्य एक ऐसा राज्य है जो अपने आप में योग्य है तथा त्रिने एकता है लेकिन फासिवादी राज्य त्रिने हुए समाज (Disintegrated Society) का प्रतिनिधत्व करता है। सब स्पष्ट होता है कि प्लेटो काद व फासिवाद में समानता प्रभावशालक, तुच्छ व बाहरी है लेकिन इन दोनों का अंतर न मन वाणी खाई (Unbridgeable Gulf) की तरह है। प्लेटो को प्रयत्न फासिस्ट बनाना कठिन, मुमानिनी, मानाजार व फौको तथा साथ ही प्लेटो के दर्शन-विश राजा को भी कुर्मों से हटाना है जो भयानक भी है और उपरानवीय भी। प्लेटो के दर्शन से फासिस्टा का दर्शन नहीं बनाया जा सकता लेकिन फासिस्टा व दर्शन से प्लेटो का दर्शन बनाया जा सकता है (It is not like making a Fascist out of Plato, but a Plato out of Fascist)।

BIBLIOGRAPHY

- (1) BARKER Plato and his Predecessors.
- (2) NETTLESHIP Lectures on Plato's Republic
- (3) KARL POPPER Open Societies and its Enemies
- (4) TAYLOR Plato the Man and his Work
- (5) FOESTER Masters of political Thought

अरस्तू के राजदर्शन में व्यावहारिकता एवं वैज्ञानिकता

THE PRACTICAL AND SCIENTIFIC CHARACTER OF
ARISTOTELIAN POLITICAL PHILOSOPHY

—प्रेम अरोड़ा

मुकरात, प्लेटा तथा अरस्तू के रूप में यूनान में विद्वानों को तीन बहुमूल्य रत्न प्रदान किये हैं। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में मानव समाज को इन मनीषियों की दान कल्पना से परे की चीज है। किन्तु इनमें से भी प्लेटो का यथार्थवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाला शिष्य अरस्तू अनाखी प्रतिभा का धनी था। कहा जा सकता है कि मानव जीवन का शायद ही ऐसा कोई पहलू अछूना रहा हो जिस पर अरस्तू की दृष्टि नहीं गई। अरस्तू ने न केवल विभिन्न विषयों पर ही विचार व्यक्त किये हैं अपितु ऐसे मत भी प्रकट किये हैं जिन पर गहन मनन किये जाने की आवश्यकता है। इसमें सन्देह नहीं कि कल्पित व्यक्तियों में ही इनने अपिहार के माय, इतने विविध विषयों पर विचार व्यक्त किये हैं, जितने कि अरस्तू ने।

अरस्तू ने न केवल विभिन्न विषयों पर विचार करके अपने बहुमूल्य विचार प्रकट किये बल्कि सामाजिक विज्ञान (Social Science) के कुछ नवीन विषयों को भी जन्म दिया। मैन्सों ने उसे प्रथम राजनैतिक वैज्ञानिक (First Political Scientist) की संज्ञा दी है। उसके अनुसार राजनैतिक चिंतन के इतिहास में अरस्तू का महत्व इस बात में है कि उसने राजनीति को एक स्वतन्त्र विज्ञान का रूप प्रदान किया। अरस्तू के महान् कार्य 'पॉलिटिक्स' को यदि राजनैतिक शास्त्र का प्रथम एवं प्राभाषिक ग्रन्थ माना जाय तो प्रतिद्वन्द्विता नहीं होगी। डॉ० जैलर तो इसकी प्रशंसा में यहाँ तक कह जाते हैं कि हमारे पास यह सबसे बड़ा प्राचीन सजाना है और आज तक के राजनैतिक दर्शन के लिए सबसे बड़ी देन है।¹ प्रो० वाइले का मत भी कुछ अल्प भिन्न नहीं, जब कि वे कहते हैं कि अपने विषय पर 'पॉलिटिक्स' सबसे अधिक प्रभावक और सबसे अधिक

1 'The Politics of Aristotle, is the richest treasure that has come down to us from antiquity, and the greatest contribution to the field of Political Science that we possess'—E. Zeller, *Aristotle and the Earlier Peripatetics, English Translation Vol. II, P. 288*

गहरा ग्रन्थ है। प्रो० डॉनिंग भी राजनीतिक दर्शन के इतिहास में अरस्तू का महत्त्व इस तथ्य से मानते हैं कि उसने राजनीति को एक स्वतन्त्र विज्ञान का रूप प्रदान किया।¹

विज्ञान और वैज्ञानिकता

अरस्तू को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के रूप में देखने से पूर्व यह जानना स्वाभाविक ही है कि विज्ञान से क्या अर्थिप्राय है ? विज्ञान शब्द का धार्मिक अर्थ है समबद्ध ज्ञान (Systematic Knowledge)। किन्तु विज्ञान शब्द साधारणतया गणित, रसायन शास्त्र (Chemistry), भौतिक शास्त्र (Physics) जैसे अनेक भौतिक विज्ञानों से जुड़ा हुआ है। परन्तु इसका अर्थ उपर्युक्त ज्ञान से लगाया जाता है जो प्रत्येक विद्या में सत्य एवं ठीक प्रमाणित हो। विज्ञान निरीक्षण (Observation), प्रयोग (Experiment) तथा अनुभवा के द्वारा अपने नियम बनाता है और फिर उनके आधार पर भविष्य वाणियों की जा सकती हैं। विज्ञान के नियम, जब भी निश्चित दशाएँ वर्तमान हों, सामान्य रूप से सभी जगह तथा प्रत्येक समय लागू होने हैं। विज्ञान के अध्ययन में जो रीति अपनाई जाती है वह है अनुसंधान (Investigation), निरीक्षण, प्रयोग, वर्गीकरण (Classification) तथा सहसंबन्ध (Correlation) इत्यादि। इस प्रकार यथार्थता अथवा पूर्णतः ठीक होना, समान रूप से लागू करने के लिए नियमों का वर्तमान होना तथा भविष्यवाणियाँ करना अथवा निष्कर्ष निकालना ही विज्ञान के लक्षण हैं। सारांश में, यह कहा जा सकता है कि विज्ञान कल्पना पर आधारित न होकर तथ्यों पर आधारित होता है।

एक राजनीतिक विद्वान के रूप में अरस्तू को मौलिक विचारण होने का श्रेय पाठ्य प्राप्त हो अथवा न हो, किन्तु उसे इस बात में भौतिक होने का गौरव अत्यन्त प्राप्त है कि उसने एक नवीन एवं वैज्ञानिक अध्ययन विधि (Scientific method) का विकास किया। प्लेटो के प्रभाव में आने से पूर्व ही, अरस्तू को एक भौतिक शास्त्री के समान शिक्षा प्राप्त थी और उसने अपने ग्रन्थ भौतिकशास्त्रियों की भाँति ही घटनाओं के बार-बार विवेचन करने निरीक्षणों पर अपने निष्कर्षों की आधारित करने की सामान्य प्रवृत्ति ही बना ली थी। यही कारण है कि अरस्तू की धारणाओंनुसार अस्तुओं का सावधानीपूर्वक अन्वेषण और तुलना करने पर ही, उनके भीतर दिग्दीर्घ दार्शनिकताओं का पता लगाया जा सकता है एवं उपयुक्त तथ्यों से सामान्य निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं।

Inductive Method

अरस्तू ने निगमनात्मक अध्ययन विधि की प्रवर्धन किया है। प्रो० डार्लर

1. "The capital significance of Aristotle, in the history of political theories, lies in the fact that he gave to politics the character of an independent science."

के शब्दों में—'इन अध्ययन विधि का चार या निरीक्षण करना तथा सम्बन्धित प्राक्के एकत्रित करना, और इनका स्वरूप या प्रदेक विचारित विषय का कोई सामान्य सिद्धान्त खोज निकालना।' अरस्तू की यह अध्ययन विधि प्लेटो की अध्ययन विधि के प्रतिष्ठित पहली है। प्लेटो के अनुसार सत्य और आदर्श पूर्ण वस्तुओं में नहीं, अस्तित्व, सामान्य विचारों में पाये जाते हैं। इनके शब्दों में वास्तविकता में नहीं बल्कि आदर्श में। यही कारण था कि वह समस्त सौन्दर्यपूर्ण वस्तुओं के परे एक पूर्ण सौन्दर्य की, सम्पूर्ण शक्तों वस्तुओं के परे एक पूर्ण शक्ति की खोज कर रहा था। प्लेटो ने चरम सत्य (Absolute Truth) के सम्बन्ध में एक पूर्ण धारणा बना ली थी। इसके प्रतिष्ठित अरस्तू की मान्यता है कि वास्तविकता पूर्ण विचारों में द्रष्टव्य नहीं है। इसके अनुसार हम जो कुछ भी देखने या अनुभव करने हैं, वह द्रव्यवैज्ञानिक है। वास्तविकता को निरीक्षण की वैज्ञानिक पद्धति (Scientific Method), तुलना एवं निष्कर्ष के द्वारा ही जानी जा सकती है। आदर्श राज्य (Ideal State) की खोज करने में प्लेटो ने व्यवस्था-प्रधान-पद्धति का आश्रय लिया। यही कारण है कि शासन संरचनाएँ तैयार करने समय वह मात्र स्वभाव तथा प्रवृत्तियों में पाई जाने वाली मर्यादों पर अधिक ध्यान नहीं दे सका। अरस्तू ने इसके विपरीत वैज्ञानिक पद्धति के लिए आवश्यक तथ्य संरक्षक के स्तर पर ही दख नहीं दिया बल्कि तथ्यों का सूझावन करने की चेष्टा भी की। अपने लगभग 158 ग्रीक संविधानों का अध्ययन कर, सामग्री एकत्रित की—इस विद्वान्त के आधार पर कि पूर्ण राजनैतिक अनुभव के तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा महान दिग्दर्शियों पर ध्यान सम्भव होगा। इनमें यह स्पष्ट होता है कि अरस्तू ने मर्यादों का अध्ययन इनके इतिहास तथा उनकी तत्कालीन बार्द-शक्तियों के धर्म में किया। यह विधि निश्चय ही वैज्ञानिक एवं वस्तुगत (Objective) थी।

प्र० दण्डिन यह मानकर चलते हैं कि अरस्तू ठीक विचारों में प्लेटो के दृष्टान्त निम्न नहीं मिलता कि विधि और स्वभाव में। इनके विचार जो देखने में अरस्तू के ही प्रतीत होते हैं वास्तव में प्लेटो में भी देखने की बातें जाते हैं।¹ प्लेटो के मन, विस्तृत फिर भी बहुत बड़े परिमाण तक अरस्तू अपने दर्शन की सङ्केतों के लिए इन विचारों पर निर्भर करता है जो मनशास्त्रीय ग्रीक विन्टन की विन्पताएँ थीं। वह प्रचार सम्बन्धी अवधारणाओं (Ethical Concepts) को राजनैतिक अवधारणाओं (Political Concepts) में घुस करके राजनीति की स्वतन्त्र विन्पन का रूप प्रदान करता है। राजनीति विज्ञान ही केवल मात्र ऐसा विज्ञान है जो सर्वोच्च सृष्ट (Supreme good) की प्राप्ति कपता है। इसका धर्म है उनमें पाई जाने वाली सम्पूर्ण

1. "He differs from his master. Plato, much more in the form and method than in the Substance of his thought. Most of the ideas which seem characteristically Aristotelean are to be found in Plato."

शक्तियों का विकास व्यक्ति के लिए ऐसा होना तब तक असम्भव है जब तक वह अपने साधियों के साथ न रहे। इस प्रकार व्यक्ति का गुण राज्य के गुण में मिला गया है। इसीलिए राज्य का विज्ञान राजनीति विज्ञान ही Architectonic है।

आदर्शवाद बनाम सामेक्षवाद

प्लेटो ने 'रिपब्लिक' में आदर्श राज्य का जो विषय उपस्थित किया है वह यथार्थ से कोमा दूर है। वास्तविकता से इसका कोई सम्बन्ध नहीं। अरस्तू ने भी सर्व प्रथम आदर्श राज्य की खोजने का प्रयास किया किन्तु अन्त में उसने ऐसे राज्य की खोज की जो कि विशेष परिस्थितियों में सर्वोत्तम हो। दूसरे शब्दों में, अरस्तू के अनुसार यह निश्चित करने में कि कौन सा अधिधान सर्वश्रेष्ठ है, हमें न केवल यह देखना है कि कौन सा स्वरूप सर्वश्रेष्ठ है, बल्कि देखना तो यह है कि कौन सा प्रकार की हुई परिस्थितियों में सर्वश्रेष्ठ है।¹ अपने राज्य में कानून की सर्वोच्चता की घोषणा करके एक अन्य आदर्श तत्त्व को अरस्तू ने अपने राजनीतिक चिन्तन में स्थान दिया है। वह इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगा कि विवेकशील व्यक्ति के हाथ में राजनैतिक जीवन की वागडोर सौंप दी जाय एक अन्य सब लोग मूक होकर उसके आदेशों का पालन करें। प्लेटो की इस मान्यता के विरुद्ध अरस्तू ने यह घोषणा की कि सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का मनमाना शासन किसी भी प्रकार कानून के शासन से श्रेष्ठ नहीं हो सकता। मैग्निट के शब्दों में कानून की निरालिप्त शक्ति मजिस्ट्रेट का स्थान तो नहीं लेती किन्तु वह मजिस्ट्रेट के अधिकार को एक नैतिक गुण अवश्य प्रदान करती है जो उसने अन्वया नहीं हो सकता।² वास्तव में विवेक सम्पन्न व्यक्ति का शासन भी शक्ति के शक्ति में नहीं हो सकता क्योंकि यह शक्तियों में हीनता की भावना का विकास करता है। सांस्कृतिक शासन की तुलना में कानून का शासन सर्वोत्तम है।

राज्य

अरस्तू एक सच्चे राजनैतिक वैज्ञानिक के रूप में यह दिखाने का प्रयास करता है कि राज्य समुदाय का ही निरन्तर रूप नहीं है। इसने पूर्ण सम्भव और कोई विचार एक समस्या पर विचार नहीं कर सकता। इस भिन्नता को स्पष्ट करने के लिए वह राज्य का विरोध इस प्रकार के रूप में एवं उसके प्रारम्भिक स्तर से करता है। मुख्य रूप से दो प्रवृत्तियाँ मनुष्य की एक दूसरे से जोड़ती हैं। प्रथम तो पुत्र्य एवं नारी को एक दूसरे के

1. "We must consider, Aristotle declares, not only what forms is the best absolutely, but what is the best under given conditions"

—Quoted from *Dunning's, A History of Political Theories*

2. "The passionless authority of law does not take the place of a magistrate, but it gives to the magistrate's authority a moral quality which it could not otherwise have"

—Stobin, *History of Political Theory, P, 94-95.*

मर्माप लाती है तथा दूसरी भौतिक एवं दास की पारस्परिक लाभ के लिए एक दूसरे के निकट लाती है। इस प्रकार तीन व्यक्तियों का एक सबसे छोटा समाज बनता है। समाज जो कि प्रतिदिन की मांग को पूर्ण करने के लिए प्रकृति के द्वारा स्थापित की हुई एक सभ्या है। प्रगती स्थिति एक गात्र की है जो कि प्रतिदिन की मांगों से कुछ अधिक की पूर्ति के लिए, कुछ परिवारों द्वारा किया हुआ एक समूह है। तीसरी अवस्था है कुछ गात्रों का एक पूर्ण समुदाय या समाज, जो कि आत्मनिर्भरता के लिए पर्याप्त बड़ा है तथा जो जीवन के लिए अस्तित्व में आया किन्तु अच्छे जीवन का बनाये रखने के लिए विद्यमान है। यही पर राज्य का अन्य समुदायों से भेद स्पष्ट हो जाता है। राज्य भी उसी कारण से अस्तित्व में आया जिम कारण से गात्र अर्थात् जीवन को बनाये रखने के लिए किन्तु राज्य की एक अन्य इच्छा की भी पूर्ति करनी है वह है अच्छे जीवन की इच्छा। राज्य अपने पूर्वगामियों की अपेक्षा नैतिक कार्यों के लिए अधिक पर्याप्त धन प्रदान करता है। राज्य का उद्देश्य विकास दिशाकर अस्तू ने उसकी प्रकृति (Nature) पर अच्छा प्रकाश डाला है। राज्य की प्रकृति, उत्पत्ति (Origin) एवं कार्यों के विषय में विचार प्रकट कर अस्तू ने राजनीति शास्त्र के कुछ ऐसे अटल सत्यों पर प्रकाश डाला है जिन पर प्राचीन काल से लेकर अब तक राजनीति शास्त्र के विद्वान् बराबर चिन्तन करने प्रारंभ हैं।

प्लेटोनिक साम्यवाद का विरोध

प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में साम्यवाद (Communism) की जिम व्यवस्था का समर्थन किया है, अस्तू उसमें सहमत नहीं। वह तथ्यों में मुँह नहीं मोड़ता और यह मानकर चलता है कि साम्यवाद की ऐसी व्यवस्था समाज का एक अंग बनकर नहीं रह सकती। अस्तू के अनुसार बहुसंख्यता (Plurality) तो राज्य की प्रकृति में ही है और यह है असमानता की बहुसंख्यता (Plurality of Unequals)। इसके विपरीत प्लेटो की धारणा तो यह है कि राज्य में जितनी अधिक एकता होगी उतना ही अच्छा है। अस्तू के अनुसार एक राज्य में कार्यों की भिन्नता होती है जिसे इस प्रकार कहा जा सकता है कि कुछ का कार्य शासन चलाना है एवं कुछ लोगों का कार्य शासित होना। अगर एकता का आदर्श ठीक भी हो तो भी अस्तू के अनुसार इसे प्लेटो के कार्यक्रमों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। ममान वस्तुओं के लिए मेरी या मेरी नहीं कहने मात्र में ही एकता को प्राप्त नहीं किया जा सकता जैसा कि प्लेटो मानकर चलता है। अस्तू के अनुसार यद्यपि प्लेटो के राज्य में एक दानक मनो का ही दानक है वह इस अर्थ में कि उसे एक निश्चित उम्र के मंत्रालयों द्वारा अपना लिया जाता है पर वह सभी का दया नहीं हो सकता और वह इस अर्थ में कि वह हरेक का ही अच्छा है। किसी भी व्यक्ति में उस दानक के प्रति वै भावनायें नहीं होंगी, अथवा उनकी तरफ वैसा ही ध्यान नहीं देगा जो कि वह स्वयं के अपने अच्छे पर दे सकता। हर नागरिक के हज़ारों लड़के एवं हर लड़के के हज़ारों पिता होंगे। ऐसी परिस्थितियों में पनपने वाली भिन्नता

वाणिक होगी। मरम्बू शायद यह मानेगा कि "It is better to be a cousin than a Platonic son".

इसी प्रकार मरम्बू यह भी कभी स्वीकार नहीं करेगा कि व्यक्तिगत सम्पत्ति (Private property) की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाय और इसके लिए वह जिन कारणों की खोज करता है उनमें वास्तव में सच्चाई है भी। इसमें मन्देह नहीं है कि धार्मिक साधना का राजनीतिक जीवन के मगडन पर समुचित रूप से प्रभाव पड़ता है। कोई भी व्यक्ति चाहे वह मानव जीवन के चित्तों ही श्रेष्ठ गुणों का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं करता है, सम्पत्ति के अभाव में अपने जीवन का समुचित विकास नहीं कर सकता है। समान सम्पत्ति के दोषों पर दृष्टिपात करते हुए मरम्बू की धारणा है कि इस व्यवस्था में जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करने हैं तथा थोड़ा पात है उनके प्रति वे लोग अवश्य कटुता का अनुभव करेंगे जो थोड़ा परिश्रम करने ही अधिक प्राप्त कर लेते हैं। इससे प्रतिरिक्त सम्पत्ति का समान स्वामित्व (Common ownership property) भगवें की जड़ है। फिर सम्पत्ति का विचार ही आनन्द का श्रोत है। व्यक्ति सब धार्मिक कार्य कुशल होने हैं, जब वे उस कार्य को सम्पन्न करते हैं जो उनका अपना ही होता है। श्रेष्ठ राजनीतिक जीवन की स्थापना तभी सम्भव हो सकती है जब कि राज्य के नागरिकों की धार्मिक विषमता का कम से कम किया जाय एवं व्यक्तिगत सम्पत्ति की व्यवस्था स्वीकृत की जाय। नागरिकों के एक भाग का अपनी सम्पत्ति का विकास करने वाले जाना तथा दूसरे भाग का अभावग्रस्त रहना राज्य के अस्तित्व के लिए अत्यन्त घातक सिद्ध होगा। इसमें मन्देह नहीं है कि इस प्रश्न पर मरम्बू ने अत्यन्त व्यावहारिक विचार व्यक्त किये हैं। दर्शना को भी मही मान्यता है जब यह कहते हैं— "बहु एकता नहीं है, जो व्यक्तियों की समस्त विभिन्नताओं को ही समाप्त कर दे। राज्य की एकता तो उन व्यक्तियों के अन्तर्गत सम्बन्धों से विकसित होती है जो शासक एवं शासितों के रूप में एक दूसरे से भिन्न होते हैं।"¹

परिवार और दास

प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में राज्य को एक विस्तृत परिवार एवं राज्य के शासकों को परिवार के प्रमुख के रूप में प्रस्तुत किया है जिसकी मरम्बू ने तीव्र धारावद्ध की है। अपने विचारों का समर्थन यह सर्व की समीचीन करता है। राज्य और परिवार एक दूसरे से भिन्न हैं—मात्रा में ही नहीं बल्कि प्रकार में भी। परिवार उन व्यक्तियों से मिलकर बना होता है जो अपनी पत्नी, बच्चों, धन एवं माप ही दासों पर स्वामित्व रखता है। किन्तु मातृत्व का इन तीनों के माप सम्बन्ध एव ही प्रकार का नहीं है। यह अपनी

1. "It is not a unity which consists in the obliteration of all diversities in individuals. The unity of the state is that which arises out of the proper organisation of relations among individuals who differ from one another as rulers and ruled."

पत्नी पर एक पूर्ण निरंकुश के रूप में शासन नहीं करता बल्कि एक मवेधानिक सनाह-कार के रूप में शासन करता है। अपने बच्चों पर भी वह एक निरंकुश (Despot) के रूप में नहीं, बल्कि एक राजा के रूप में शासन करता है जो कि अपने हित की तरफ न देखकर, उनके हित की परवाह करता है। दाना के साथ उसका व्यवहार एक पूर्ण निरंकुश शासक जैसा होता है। जबकि अरस्तू के अनुसार राज्य में शासक का प्रत्येक नागरिक के साथ सम्बन्ध एक ही प्रकार का होता है। टल्ब्यू ७ डी० रोस के शब्दों में कहा जा सकता है कि "परिवार जीवन की भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये विद्यमान है जबकि राज्य का अस्तित्व नैतिक एवं बौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बना हुआ है।"¹ अरस्तू ही प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक है जिन्होंने राज्य एवं परिवार के बीच एक स्पष्ट विभाजक रेखा खींचकर भ्रम का निवारण किया। अरस्तू इन बातों को कभी स्वीकार नहीं करेगा कि राज्य व्यक्ति पर पूर्ण नियंत्रण रखे। यद्यपि निजी अधिकारों के विषय में उनके कोई दृष्ट ही उच्च विचार नहीं हैं क्योंकि यह विचार तो ग्रीक चिन्तन के लिए ही विदेशी था। पर वह यह तो स्वीकार करता है कि व्यक्ति उस समय सर्वश्रेष्ठ जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, जब कि उसका व्यक्तित्व राज्य में ही समाहित कर दिया जाय। इनके साथ ही नाय अरस्तू लिंगों (Sex) की असमानता में भी विद्वान् करता है। वह यह मानकर चलता है कि "पुरुष आदेश देने में, स्वाभाविक रूप में ही नारी की आदेश अधिक उपयुक्त होते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे बड़े एवं पठित, छोटे एवं अपरिपक्व की अपेक्षा अधिक उच्च होते हैं।"²

सरकार और जनमत

अरस्तू ही प्रथम राजनीतिक विचारक था जिन्होंने जनमत की उत्पत्ति एवं उसके महत्व पर दल दिया। इनके पूर्व सुक़्रात एवं प्लेटो ने तो बौद्धिक निरंकुशता (Intellectual Despotism) का समर्थन किया। राज्य की सर्वोच्च शक्ति का निवाम एक व्यक्ति के हाथों में हो अथवा जनसमुदाय के हाथों में, इस प्रश्न पर विचार प्रकट करते हुए उनमें कहा कि कुल मिलाकर जनसमुदाय का विवेक किसी व्यक्ति विवेक के विवेक से अधिक श्रेष्ठ होता है। जनसाधारण में चाहे एक विवेक की भांति राजनीतिक प्रश्नों का समाधान ढूँढ़ने की क्षमता बने ही न हो किन्तु जिस प्रकार कारीगरों की अपेक्षा मकान के गुरु शोधों का अधिक अच्छा ज्ञान मकान में निवाम करने वालों को हो सकता है उसी प्रकार राजनीतिक प्रश्नों का अच्छा ज्ञान जनसाधारण को ही हो सकता है जो कि जो राजनीतिक व्यवस्था में निवाम करने हैं। जनसाधारण के हाथ में

1 "The household exists for the sake of the physical needs of life, the state for the moral and intellectual needs"

—W. D. Ross, Aristotle.

2 "The male is by nature better fitted to command than the female, just as the elder and full-grown is superior to the younger and more immature."

—Aristotle's Politics, P. 22.

सर्वोच्च सत्ता का निवास होना राज्य के लिए हितकर ही सिद्ध होगा। आज किसी भी राजनैतिक समुदाय में सर्वोच्च राजनैतिक शक्ति (Supreme Political Power) एवं सर्वोच्च राजनैतिक विषय (Supreme Political Wisdom) की उपस्थिति हम जन-मायारण में ही स्वीकार करके चलते हैं व्यक्ति विषय में नहीं। जनमत ही आज के प्रजातन्त्र का आधार है।

राज्य और व्यक्ति

व्यक्ति तथा समाज के पारस्परिक सम्बन्धों का स्वरूप किस प्रकार का हो इस पर जो विचार प्रकट किये गये हैं उनमें सर्वाधिक महत्व भररू का ही है। सोफिस्ट विचारकों ने पूर्ण व्यक्तिवाद (Absolute Individualism) का पक्ष लिया। यहाँ राज्य का व्यक्ति के हितों का पूर्णता का एक माध्यम मात्र बना दिया गया है। धरुटा ने राज्य की प्राकृतिक एकता (Organic unity) का वर्णन यहाँ तक बढ़ा बढ़ा कर किया है कि 'व्यक्ति अपने आपका राज्य में पूरी तरह समा जाता है। भररू यह मानकर ठा चलता है कि राज्य ही अन्तिम और पूर्ण सभ्यता है एक जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए इसका जन्म हुआ किन्तु यह जीवन को पूर्ण बनाने के लिए बना हुआ है'¹ लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएँ हैं। जहाँ भररू राज्य का व्यक्ति के लिए एक अनिवार्य प्राकृतिक एवं सर्वोच्च समुदाय के रूप में दर्शना है वहाँ उगने व्यक्तिवाद विचारक (Individualistic Thinker) की भाँति यह धोखला भी की है कि राज्य के प्रतिरिक्त भी व्यक्ति की प्राकृतिक एवं अनिवार्य सभ्यताएँ हैं। राज्य की भररू ने अपने प्राय में एक तन्त्र नहीं माना कि राज्य का वह एक बर्ण माना में साधन मानता है जिसका साध्य है व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति। व्यक्ति एवं राज्य के पारस्परिक सम्बन्ध क्या हो इन विषय पर भररू अन्य विचारकों की अपेक्षा अधिक सतर्क है।

स्वतन्त्रता और शक्ति

भररू ने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता (Individual Liberty) एवं राजनैतिक शक्ति का भी समुचित रूप से अनुबन्धन बैठाने का प्रयास किया है। वान्द्र में राजनैतिक जीवन की पहले बड़ी समस्या ही यही है कि इनमें तालमेल किस प्रकार बैठेगा। प्रदेश राज्य में शासक एवं शासित दो वर्ग होते हैं। इन दोनों वर्गों के प्रतिष्ठा के समान में राजनैतिक-जीवन की आवश्यकता दुम्बर है। राजनैतिक शासन के विन्तर्गत के सामने यह समस्या अनेक ही रहती है। भररू यह मानकर चलता है कि पूर्ण स्वतन्त्रता एवं पूर्ण समानता एक अत्यन्त व्यावहारिक वस्तु है, इसकी उपस्थिति भी किसी दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं जहाँ जा सकती। इसके साथ ही वैधानिक जीवन का निर्वाह करना एवं वैधानिक नियमों का पालन करना व्यक्ति की स्वतन्त्रता एवं समानता के विषये अत्यन्त

1 'It is the last and the perfect association. Originating in the bare needs of living it exists for the sake of complete life'

नहीं होगा। अरस्तू तो यहाँ तक कहता है किमी विधान के अन्तर्गत व्यतीत किया जाने वाला जीवन समता का नहीं, अपितु सर्वोच्च कल्याणकारी जीवन समता जाना चाहिये।¹ व्यक्ति की स्वतन्त्रता एवं राजकीय शक्ति में अनुसूतन कायम करके उसने एक विवादप्रस्त समस्या को वैज्ञानिक ढंग से सुलभाने का प्रयास किया है।

अरस्तू हमारे सम्मुख एक मयार्थवादी विचारक के रूप में आता है। अतः उसने प्लेटो की भाँति एक ऐसे आदर्श राज्य का चित्र अङ्कित नहीं किया जो केवल मृगशृङ्गा की भाँति है। यह निश्चित करने में कि कौनसा संविधान श्रेष्ठ है, सर्वप्रथम यह देखना आवश्यक है कि कौनसा प्रकार व्यावहारिक है या दूसरे शब्दों में किसे सर्वश्रेष्ठ ढंग में प्राप्त किया जा सकता है। परिस्थितियों के अनुसार ही संविधान का स्वरूप निश्चित करना उचित होगा। अरस्तू यह मानकर चलता है कि मानव समाज में अमीरी और गरीबी की अति ही दुर्गुणों को जन्म देती है। प्रथम तो आशापालन की क्षमता का अभाव उत्पन्न करती है तथा द्वितीय आदेश देने की क्षमता में बाँधित कर देती है। जिस राज्य की जनता अमीरी और गरीबी इन दो वर्गों में विभक्त हो जाती है वहाँ कोई वास्तविक राज्य नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ इन दो वर्गों में मन्वी मित्रता नहीं होगी जो सभी समुदायों का आधार है।² अतः वह राज्य सर्वश्रेष्ठ है जिसमें मध्यम वर्ग प्रत्येक में या दोनो छोरों में अधिक शक्तिशाली है। ऐसे राज्य में शान्ति और व्यवस्था को बनाये रखने वाले कारण प्रमाणपूर्ण मात्रा में होंगे तथा स्थिरता राज्य का लक्षण होगी। वह संविधान, जिसमें मध्यम मार्ग का सिद्धान्त निहित रहता है, निश्चित ही 'पॉलिटी' (Polity) है किन्तु इससे भी यह अनिश्चय लेना गलत होगा कि पॉलिटी ही प्रत्येक प्रकार की दशाओं में आवश्यक रूप से सर्वश्रेष्ठ है। अरस्तू की धारणादृष्टार परिस्थितियाँ संविधान के किसी भी प्रकार की सर्वश्रेष्ठ बना सकती हैं। यही सामान्य सिद्धान्त यह है कि वे तत्व जो कि वर्तमान संविधान को बनाये रखने में प्रमुख होने हैं उन तत्वों की अनेका अधिक शक्तिशाली होने हैं जो कि किसी प्रकार का परिवर्तन लाना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में स्थिरता ही मापदण्ड है। वही संविधान सर्वश्रेष्ठ है जो परिस्थितियों में सबसे अधिक समय तक टिका रहता है। अरस्तू ने उन दशाओं का भी वर्णन किया है जिन्हें अपनाकर ही कोई संविधान श्रेष्ठता की पंक्ति में सदा हो सकता है। यहाँ उनका दृष्टिकोण निश्चय ही उम डॉक्टर की भाँति है जो रोग के कारणों के साथ ऐसे उपचार भी बताता है जिसमें स्वास्थ्य बनाया रखा जा सके। अरस्तू स्वयं कहता है कि व्यक्ति की ही भाँति राज्य के लिये सर्वश्रेष्ठ जीवन मद्दुर्गुणों

1. "For life in Subjection to the Constitution is not to be regarded as slavery, but as the highest welfare." —Aristotle, Politics.

2. "Where a population is divided into the two classes of very rich and very poor, there can be no real State; for there can be no real friendship between the classes and friendship is the essential principle of all association." —Aristotle's Politics.

की प्राप्ति में होता है, सम्पत्ति की शक्ति की प्राप्ति करने में नहीं।¹ जिस प्रकार एक व्यक्ति के द्वारा दासों पर शासन करना कोई उच्च वस्तु नहीं है उसी प्रकार एक राज्य के द्वारा निकृष्ट साम्राज्य (Despotic Empire) को बनाये रखना कोई सम्मानजनक वस्तु नहीं है। एक आक्रमण युद्ध के द्वारा विजय प्राप्त करना ही राज्य का उद्देश्य नहीं हो सकता। राजनैतिक और सामाजिक संगठन के सम्मत् तत्वा की क्रियाप्राप्ति में समरसता और पूर्णता प्राप्त करना ही सच्चा ध्येय है तथा उसमें ही व्यक्ति और राज्य का पूर्ण सुख निहित है। यह ध्येय युद्ध से न तब तो बाहरी दशाघात पर निर्भर करता है किन्तु बड़ी मात्रा में लोगों के चरित्र और सभ्यता पर निर्भर करता है।

सविधान

सविधानों का वर्णन एवं वर्गीकरण करने में भारत ने जिस विद्वता का परिचय दिया है, इसमें भी सामग्री की गहनता स्पष्ट होती है। सविधानों का वर्गीकरण प्रथम तो वह उस सभ्यता के आधार पर करता है जिसमें सार्वभौमिक शक्ति निहित है तथा द्वितीय उम उद्देश्य के आधार पर जिसकी तरफ सरकार का आवरण निर्देशित है। बाद का सा सिद्धान्त विद्युत् प्रसार की भ्रष्ट प्रकारों से पृथक् करता है, क्योंकि राज्य का सच्चा उद्देश्य अपने सदस्यों का पूर्णता प्राप्त कराना है। जब इस उद्देश्य को मानने रखकर सरकार घोषित होती है तो वह प्रकार विद्युत् है किन्तु इसके विपरीत जब प्रशासन भी नागरिकों के हित की तरफ नहीं बल्कि केवल शासकीय सभ्यता के हित की तरफ केन्द्रित होता है तो राज्य भ्रष्ट (Corrupt) होता है। भारत ने राजतन्त्र (Monarchy), कुर्वीन तन्त्र (Aristocracy) एवं पॉलिटी (Polity) को विद्युत् प्रकार एवं भ्रष्टाचार तन्त्र (Tyranny), पतन्त्र (Oligarchy) तथा प्रजातन्त्र (Democracy) का इनके भ्रष्ट प्रकार माना है। इस वर्गीकरण में जो मुख्य बात है वह यह कि विद्युत् प्रकार एक ध्येय पर आधारित होने हैं जब कि इनके भ्रष्ट प्रकार (Corrupt forms) इन ध्येयों पर आधारित न होकर उसमें दूर दृष्ट होने हैं। इन दो प्रकारों में से प्रत्येक के अन्तर्गत सरकारी एक के द्वारा, युद्ध के द्वारा अथवा बहुता के द्वारा बनाई जाती हैं। किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि भारत ने सविधानों का वर्गीकरण करने में केवल सभ्यता को ही ध्यान रखा है। धनी बहुमत (Rich majority) प्रजातन्त्र नहीं है, इसी प्रकार गरीब अल्पमत (Poor minority) को पतन्त्र नहीं कहा जा सकता। सभ्यता के मातृत्व में महत्वहीन हैं। पतन्त्र आवश्यक रूप से पतन के द्वारा बनाई जाने वाली सरकार है। इसी प्रकार प्रजातन्त्र गरीबों के द्वारा बनाई जाने वाली सरकार है। इस दृष्टिकोण से पानिटी आवश्यक रूप से मध्यम वर्ग की सरकार है। एक स्थान पर भारत प्रजातन्त्र के सम्मत् की कुछ विशेषताओं को इस प्रकार से बताता है—उच्च जन्म, सम्पत्ति एवं शिक्षा। इसी प्रकार प्रजातन्त्र के लक्षणों की कुछ विशेषताओं नीचा जन्म, गरीबी, अनिच्छा आदि

1. "For the State, as for the individual the best life lies in the pursuit of virtue, rather than of power or wealth" - Aristotle's Politics.

हैं। संविधानों में भेद करने का एक और मार्ग है। हम यह पूछ सकते हैं कि वह कौनसा सिद्धान्त है जिसके आधार पर सरकारी कार्यालय वितरित किये जाने हैं। धनतन्त्र के सम्बन्ध में इसका उत्तर है सम्पत्ति। किन्तु गरीबी का प्रजातन्त्र में सरकारी कार्यालय सौंपने का आधार नहीं माना जा सकता। माय ही वह आधार जिसके अनुसार राजतन्त्रों एवं कुलीनतन्त्रों में शक्ति निहित की जाती है। कब राजा का अकेला होना अथवा कुछ शासकों का होना ही नहीं है, अतः राजा का सर्वोच्च सद्गुण (Supreme virtue) अथवा शासकीय वर्ग का तुलनात्मक सद्गुण है।

संविधानों के वर्गीकरण में इन विविध दृष्टिकोणों को ध्यान में फलस्वरूप यद्यपि हमें समझ पाना कुछ कठिन प्रबन्ध हो गया है किन्तु हम संविधानों का विभाजन के किसी एक सिद्धान्त के आधार पर ही वर्गीकृत करने के विरुद्ध अस्मू की चेतावनी को ध्यान में रख सकते हैं। हम अब भी राजतन्त्र, कुलीनतन्त्र, धनतन्त्र एवं प्रजातन्त्र के बीच वही भेद स्थापित कर रहे हैं जैसा अस्मू ने स्वयं ही किया। अस्मू के अनुसार वे सिद्धान्त जो हर समुदाय में सर्वाधिकारिता को शामिल करने के लिए भगड़े का कारण बन जाते हैं, स्वतन्त्रता, सम्पत्ति, सद्गुण तथा जन्म आदि हैं। जहाँ स्वतन्त्रता के आधार पर सरकार के अधिकारों में भाग प्रदान किया जाता है वहाँ का संविधान प्रजातन्त्रात्मक है। जहाँ सम्पत्ति का मुख्य आधार बनाया जाता है वहाँ की सरकार धनतन्त्रात्मक है। कुलीनतंत्र में सद्गुण ही मुख्य आधार है जिसके आधार पर अधिकार वितरित किये जाते हैं। किन्तु पार्लियामेन्टरी वह संविधान है जहाँ स्वतन्त्रता और सम्पत्ति दोनों ही सिद्धान्तों का समावेश होता है। संविधानों का वर्गीकरण इतने वैज्ञानिक ढंग से अस्मू के पूर्व सम्भवतः कोई भी नहीं कर सका।

सरकार का संगठन

अस्मू ने सरकार को तीन आवश्यक अंगों में विभक्त किया है। प्रथम तो विचार-विमर्शपूर्ण अंग, द्वितीय मजिस्ट्रेटों का एक व्यवस्था तथा तृतीय एक न्यायिक अंग। इन तीन तत्वों के स्वरूप और कार्य की भिन्नता पर विविध संविधानों की प्रकृति निर्भर करती है। अतः को पहुँचे हुए प्रजातन्त्र में विचार-विमर्श करने वाला अंग समस्त व्यक्तियों का एक सभा होगी जो सभी प्रश्नों पर प्रत्यक्ष रूप में विचार करेगी। अतः को पहुँचे हुए धनतंत्र में विचार विमर्श करने वाला अंग अत्यन्त धनी नागरिकों का एक समूह होगा जिनके पास अयोग्यता शक्तियाँ रहेंगी। पार्लियामेन्ट में इन दोनों का मिश्रण होगा क्योंकि यहाँ विचार विमर्शपूर्ण अंग नागरिकों का वह समूह होगा जिनकी संपत्ति सम्बन्धी योग्यतायें मध्यम प्रकार की होंगी जो विषयों के एक भाग पर ही अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करेगा।

क्रांतियाँ और उनके उपचार

अन्तर्गत परिपक्व, राजनीतिक बुद्धि के द्वारा अस्मू ने उन कारणों को जानने का भी प्रयास किया है जो एक संविधान को विह्वल कर देते हैं। अस्मू ने न केवल कारणों

पर ही प्रकाश डाला है कि उपचार बनान में भी अपनी राजनीतिक बुद्धि एवं विवेक का परिचय दिया है। सरस्वतू व अनुसार क्रांति का एक मुख्य कारण व्यक्तियों के एक-पक्षीय तथा न्याय की दूषित धारणाएँ हैं। प्रजातन्त्रवादी सोचने हैं कि क्याकि व्यक्ति सम्पत्ति में सममान ज्ञान हैं, अतः उन्हें पूर्ण रूप से सममान होना चाहिए। वे कारण, जो क्रांतिकारी के मन की दशा को इस ओर ले जाने हैं वे हैं दूसरा के द्वारा लाभ या सम्मान हड़प सेना, क्रोध एवं प्रतिक्रोध की भावना, राज्य के किसी भाग में अनुपात रहित वृद्धि (Disproportionate increase in any part of the State), चुनाव थकान (Election fatigue) छोटे परिवर्तना पर आवस्यक ध्यान न देना आदि। ऐतिहासिक ज्ञान के आधार मण्डार के कारण सरस्वतू ने क्रांति व इन कारणों के विभिन्न उदाहरण भी प्रस्तुत किये हैं एवं उनके उपचार भी बताये हैं किन्हें अपनाकर सविधानो की स्थिरता निर्दिष्ट की जा सकती है।

सरस्वतू के विमलन में हम उन सत्ता की उपस्थिति का आभास मिलता है जिनके आधार पर आगे आने वाले चिन्तक ने राज्य का सार्वभौमिकता (Sovereignty) सम्बन्धी दर्शन प्रस्तुत किया है। वह इस बात को मानकर चलता है कि प्रत्येक राज्य के लिये एक सर्वोच्च शक्ति की उपस्थिति अनिवार्य है। किन्तु यह चिन्तन पूर्ण नहीं बना जा सकता। उदाहरण स्वरूप सरस्वतू ने इस सर्वोच्च शक्ति को भी कानून व उपर नहीं मानकर उसके अधीन ही माना है। इस प्रकार सार्वभौमिकता सम्बन्धी अत्यन्त वैज्ञानिक विचारों का प्रतिपादन वह भन्ने ही नहीं कर पाया हो किन्तु जो कुछ भी उसने विचार प्रकृत किये उन्ही पर आगे चलकर सार्वभौमिकता सम्बन्धी विचारों का प्रतिपादन किया गया।

अतः स्पष्ट है कि सरस्वतू के पूर्व के राजनीतिक विचारकान राज्य व सम्बन्ध में जो विचार प्रकृत किये वे वैज्ञानिक नहीं थे। मुकरान न तो राज्य के सम्बन्ध में विचार ध्यान नहीं दिया। सत्य की खोज करना ही उसका परम ध्येय था। प्लेटो ने निराला सत्य के आधार पर जिन राजनीतिक विचारों को प्रस्तुत किया है वे व्यावहारिक अधिक हैं। सरस्वतू ही प्रथम राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने विचारों को वैज्ञानिक रंग में प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जा सकता है। उसका आदर्श राज्य प्लेटो के आदर्श राज्य की भाँति वास्तविक न होकर व्यावहारिक है। दोनों के कथन में वही कोई भ्रम नहीं कि सरस्वतू ही प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक का ओर राजनीतिक विमलन व इतिहास में उनका महत्व निश्चय ही निरप्रतिष्ठित है।

BIBLIOGRAPHY

- | | |
|--------------|---------------------------|
| (1) ROSS W D | Aristotle |
| (2) BARKER | Plato and Aristotle |
| (3) JOWETT | The Politics of Aristotle |
| (4) MAXEY | Political Philosophies. |
| (5) GOWPERZ | Greek Political Thinkers |

मध्ययुगीन विचारकों के मुख्य विचार

(POLITICAL IDEAS OF MEDIAEVAL THINKERS)

—निर्मल पूटिया

राजनैतिक दर्शन व इतिहास में मध्ययुग वह प्रारम्भ होता है इसके बारे में इतिहास एकामत नहीं है। मैकगवर्न जैसे कुछ लेखक पूर्वमध्यकाल और उत्तरमध्य काल में भेद करते हैं और अन्य एन्ड्राय, मन्ट आग्ल्यान्ट, पात्र प्रोगरों तथा कुछ अन्य वर्ष फ़र्दर्स का पढ़ने मात्र में स्थान देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे लेखकों के मतानुसार मध्यकाल शमाड वर्ष की स्थापना के प्रारम्भ होता है। कुछ अन्य विचारकों के अनुसार मध्ययुग का प्रारम्भ 11वीं शताब्दी से हुआ। स्विडेनबेर्ग के इन इस मध्ययुग का प्रारम्भ मान सकते हैं। 11वां से 13 वीं शताब्दी तक का युग वर्ष का स्वर्णयुग कहा जाता है। इसमें पात्र और वर्ष क्षत्रीय उत्तरी की चरम सीमा पर पहुँच गये थे।

प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक प्लेटो और अरस्तु का विद्वान था कि सामाजिक संगठन का सबसे उत्कृष्ट रूप नगर राज्य है। नगर राज्या में ही नृव्य श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। उनकी दृष्टि में नगर राज्य का उद्देश्य केवल अपने नागरिकों की नैतिक भावमदकताओं की पूर्ति करना मात्र नहीं है बल्कि व्यक्ति के प्राथमिक और वैदिक विचारों का उत्तरदायित्व अपने भी दबकर है। इन दोनों दार्शनिकों ने व्यक्ति को राज्य में इतना मान-भात कर दिया था कि उसका स्वयं में कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया था। अरस्तु प्लेटो और अरस्तु के बाद आने वाले दार्शनिकों ने राज्य की महत्त्वता का धुन जीवन व निरु दिव्य भावमदक नहीं माना। धुन जीवन की प्राप्ति के निरु नृव्य का राज्य में बाध रहना चाहिए। यदि राज्य का पूर्ण बहिष्कार न कर सके तो राज्य से कम से कम संतुष्ट रहे। प्राचीन यूनानी दार्शनिकों के और उनके बाद आने वाले राजनैतिक विचार के चलकर अब हम रामन्स के विचार पर आते हैं तो हमें एक निम्न मानसिक वातावरण का अनुभव होता है। रोमन दार्शनिकों की मन्वर्ग्य दन काटन तथा न्यायज्ञान है। उनके अनुसार काटन धर्मनिर्देश है जिसका अर्थ शासक की इच्छा के द्वारा निरती है। यूनानी दार्शनिकों के विचारों के विपरीत रोमन विचारधारा के अनुसार व्यक्ति का अस्तित्व सुपरिष्ठ है, उसका राज्य में वित्त नहीं दिया जा सकता। रोमन विचारों में व्यक्ति ही काटनी विचार का केन्द्र बन गया। व्यक्ति व परिवारों को एका करना राज्य का प्रमुख कर्तव्य हो गया था। रोमन्स के

मनुष्य जनता मानव के आदशा का पालन यह भोचकर करती है कि नामक उनकी दी हुई शक्ति का उपयोग करना है। इस प्रकार यह विचार उपभ्रं हुआ कि राज्य की अन्तिम शक्ति पर जनता का अधिकार है किन्तु वह इसे एक व्यक्ति या व्यक्तियों के मजूद का शोष दती है। सामन्तवाद भी प्रारम्भिक मध्ययुग की ही देन है। इसका जन्म उस समय होता है जिस समय प्राचीन विचारपारा धीरे धीरे समाप्त हो रही थी और एक नवोन सामन्तवादी विचारपारा सामने आ रही थी। यह सामन्तवाद मध्ययुग पर पूरी तरह से छाया रहा।

सत अगस्तोिन और सहअस्तित्व सिद्धान्त

मध्ययुग के प्रारम्भिक चरणों में मन्त आगस्टाइन का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसे रोमन चर्च फादर्म में महानतम सम्मान जाता है। आगे आने वाले विचारका पर मन्त आगस्टाइन का काफी प्रभाव पड़ा।¹ उनका प्रादुर्भाव मगार के इतिहास में एक अचानक नाजुक समय में हुआ। ईसाई धर्म विरोधियों का मुड़तोड़ उत्तर देने के लिए उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "दो गिरी आफ मोड" की रचना की। यह ग्रन्थ अत्यन्त महत्वपूर्ण और विख्यात है। इसमें उन्होंने मनुष्य को दो राज्या का नागरिक माना है। शरीर की दृष्टि से यह सौखिक राज्य का सदस्य है और आत्मा की दृष्टि से वह ईश्वरीय राज्य का सदस्य है। इस सौखिक नगर राज्य पर रीतान का शासन होता है जबकि ईश्वरीय नगर पर ईश्वर का शासन होता है। किन्तु जिनको ईश्वर की कृपा प्राप्त हो ती है उनकी दो दुग ईश्वरीय राज्य की सदस्यता मिलती है। ईश्वर और उनके नागरिका म बड़े मजबूत बन्धन होते हैं। अन्य सौखिक राज्या की भांति ईश्वरीय नगर राज्य म अराजकता नहीं होती। धर्म और शानि ईश्वरीय राज्य की विशेषतायें हैं। आगस्टाइन अपनी पुस्तक म सौखिक राज्य को एक सर्वोच्च मर्या नहीं मानता। यूनानी दार्शनिका की भांति मन्त आगस्टाइन ने दाम प्रया का भी स्वीकार किया है। उनके अनुसार दायता मनुष्य के पापा का फल है जा मनुष्या को ईश्वर द्वारा दिया जाता है। आगस्टाइन राज्य की स्वतन्त्रता को भी स्वीकार नहीं करता। वह उसे ईश्वर की उच्चतर शक्ति के आधीन मानता है। राज्य के कानून का पालन करना तथा उनकी शक्ति का सम्मान करना केवल नहीं। तब उचित है जदा तब वह ईश्वर के प्रति उमक बर्नध्या का उन्वधन न हा। दुग धारणा मे स्पष्ट है कि उनने राज्य को चर्च के अधीन कर दिया था। पर वह आगे वाले वाले विचारकों की तरह धर्मतन्त्र की रक्षाना नहीं करता। वह राज्य को चर्च का एक पग नहीं बनाता। उनके अनुसार राज्य यदि आध्यात्मिक शोत्र म हस्तक्षेप करता है तो उन्क

1. 'His writings (St Augustine's) were a mine of ideas from which the later writers Catholics and Protestants have dug'

प्रति भक्ति का परित्याग कर देना चाहिए। प्रागस्टाइन इस बात पर भी जोर देता है कि लौकिक शक्ति आध्यात्मिक शक्ति व बिना मृत्यु प्राय है।

पौपवाद और उसके समयक

परन्तु मध्य युग व अनरकान म ध्यान वाले विचारका ने राज्य और धर्म के बीच एक स्पष्ट रखा खाव दो। टामम एक्वीनास, पाप ग्रेगरा मत्तम तथा बनीफोम अष्टम जैसे विचारका ने राज्य का चर्च के अधीन करके चर्च की सर्वोच्चता का स्वाकार किया। चर्च की प्रभुता व समर्थका म पाप ग्रेगरो मत्तम मद्रमे पहला दार्शनिक था। वह चर्च के उद्देश्य को राज्य व उद्देश्य से श्रेष्ठ मानता था। इसी कारण राज्य का उमम हस्तक्षेप करने का काइ अधिकार नग था। इसा प्रकार जान ग्राफ सेल्सवरी ने चर्च का सर्वोच्चता का स्वीकार किया। उमने राजा का राज्य म वही स्थान दिया जा शरीर म सिर का स्थान हाता है। उमने चर्च की तुलना आत्मा से की है। जिस प्रकार आत्मा सिर और शरीर पर शासन करती है उसी प्रकार राजा भी ईश्वर और उसके प्रतिनिधिया के अधीन है।

सन्त टामम एक्वीनास 13वां शताब्दी का महानतम व्यक्ति ही नहा वरन् उमे मध्ययुग के ममन्त विचारका म भी महानतम माना जाता है। एक्वीनास ने चर्च का राज्य से श्रेष्ठ बताया पर भिन्न तरीके से। यद्यपि वह यह स्वाकार करता है कि राज्य एक प्राकृतिक सभ्या है। लेकिन दूसरी ओर वह यह भी स्वीकार करता है कि राज्य का शक्ति ईश्वर से भिन्न है। उमका मानना था कि मनुष्य का दा प्रकार की आवश्यकताएँ हाता हैं—एक भौतिक आवश्यकता जिसका सम्बन्ध शरीर से हाता है और दूसरी आध्यात्मिक आवश्यकता जिसका सम्बन्ध आत्मा से हाता है। इन शारीरिक वा भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य द्वारा की जाती है पर आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये दूसरी सभ्या चर्च की जरूरत हाती है। उसके अनुसार राज्य और चर्च म काइ विरोध नहीं है। व दाना एक दूसरे के पूरक हैं।¹ यद्यपि एक्वीनास राज्य और चर्च का एक दूसरे का पूरक मानता है पर साथ ही वह यह भी स्वीकार करता है कि जिस प्रकार आत्मा शरीर पर शासन करती है उसी प्रकार राज्य भी चर्च के नियन्त्रण म है।

राज्यवाद बनाम पौपवाद

दूसरी ओर कुछ ऐसे भी विचारक हुये जिन्होंने चर्च की प्रभुता को नहीं वरन्

1 "His (St Thomas's) Philosophy sought to construct a rational scheme of God, nature and man with in which Society, and Civil authority find their due place In the sense Thomas's Philosophy expresses most maturely the convictions, moral and religious upon which mediaeval civilization was founded."

राज्य की प्रभुता को स्वीकार किया। इसमें दांते, मार्सिलियो, विलियम ऑफ साकस आदि के नाम लिये जा सकते हैं। दांते के विचार धर्म पूर्व विचारका से भिन्न हैं। उसके पूर्व विचारको ने चर्च का समर्पण किया पर उसने राज्य का समर्पण किया। परन्तु वह राष्ट्र राज्य की बात नहीं करता है, वह राज्य का चर्च व धर्म में विन्तुल मुक्त कर देता है। उसका मानना था कि मानव कयालु के लिये राजन्य शाब्दिक है। मनुष्य की यह विवेकता है कि यह विवेकी है। पर इस विवेकी जीवन को वह तभी प्राप्त कर सकता है जब समाज में शांति हो। पर दांति तभी सन्न हो सकते हैं जबकि सारे समाज पर विश्व व्यापी सम्राट का शासन हो। दांते मार्क्समैक राजतन्त्र का जोरदार समर्थक है। दांते ने सम्राट की प्रभुता को ईश्वर से प्राप्त बतला कर दांति और व्यवस्था की स्थापना के लिये सम्राट के ऊपर से चर्च के प्रभुत्व को हटा दिया। दूसरी ओर मार्सिलियो भी चर्च का कट्टर विरोधी था और राज्य का प्रबन्ध समर्थक था।¹ वह इटली की फूट तथा पराजय के लिये पाप का ही उत्तरदायी समझता था। मार्सिलियो पामिक् सत्ता को अधिप में अधिक सीमित करने के पक्ष में था। पों की प्रभुता को तो वह एकदम स्वीकार करता है। उसके अनुसार पाप चर्च का सर्वप्रभुत्व प्रधान नहीं बल्कि केवल उसका मुख्य प्रशासकीय अधिकारी है। मार्सिलियो पादरियो को किसी भी प्रकार की विवाहारी शक्ति प्रदान नहीं करता। उसके अनुसार पादरी वहिष्कार करने का निर्णय तो द मक्ता है पर उसे मनवा नहीं सकता क्योंकि उसके पास किसी तरह की विवाहारी शक्ति नहीं है। दांते की भांति इसमें भी राजा के महत्त्व का समर्थन किया है क्योंकि राजा उन घनानि और प्रजाजना का दूर करता है जो मनुष्या के दुःख का कारण है। वह शांति और गुल्था के द्वारा मानव जीवन को सुधी बनाता है। मार्सिलियो राज्य को चर्च में घनग ही नहीं करता वरन् वह राज्य को चर्च से थोड़ा भी मानता है।

साइविल-पॉलिटिक्स और रोमन कानून

मध्ययुगीन दर्शन के तीन मुख्य प्रेरणा स्रोत रहे—'बाइबिल, धर्मनु की पॉलिटिक्स और रोमन कानून।' इन तीनों की ही मध्ययुग के अर्थकों ने घनग प्रयोग डग से व्याख्या की है।² पर इनकी व्याख्या करते समय मध्ययुग के अर्थकों स्वयं भी नूतन-

1. "Few theorists in any age and now in the middle ages, cared to go as far as Marsiglio in whittling down the spiritual freedom which formed the permanently important claim fostered by Christianity"
—Sabini, P 263.

2. "The mediæval writers seem like students writing essays on Political theory from text books and they are confused by multiplicity and diversity of three texts they use—the bible, the Roman law and the Politics."
—Barker.

सुनैया म पड कर किमी निश्चित निष्कष पर नही पहुँच सक । मध्ययुग के चिन्तन में वास्तविकता और प्रवास्तविकता दाना व ही दर्शन होते हैं । राजनैतिक सिद्धान्त की दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण कार्य मध्ययुग म नष्ट हुआ लेकिन राजनैतिक विचारों व दृष्टिकोण से मध्ययुग के विचारों का महत्व है ।

राज्य

लगभग सभी मध्ययुगीन विचारकों ने राज्य व मन्वन्ध म अपने विचार व्यक्त किये । कुछ विचारकों ने राज्य का एक प्राकृतिक मन्वा माना ता कुछ दार्शनिकों ने इसे मनुष्य के पाप का परिणाम स्वीकार किया । मन्त आगम्यादन इस परम्परागत ईसाई विचार का स्वीकार करन है कि राज्य मनुष्या व पाप का परिणाम है । ईश्वर न राज्य का मनुष्या के पाप व उपचार व रूप म म्वापिन किया है । इसीलिये उसकी आज्ञा का पालन होना चाहिये । चर्च आगम्यादन ने अत्यन्त रूप से राजा का चर्च के अधीन कर दिया पर उल्टान दाना व बीच किमी प्रकार की स्पष्ट रेखा नहीं खींची । पर मन्त एकत्रोनास इस परम्परागत विचार का स्वीकार नहा करता कि राज्य मनुष्य के पाप का परिणाम है । वह राज्य का मनुष्य के सामाजिक म्बन्ध का परिणाम ममनता है । वह अरस्तु की इस बात में सझमत है कि राज्य सामाजिक मन्वाण का एक विधेयात्मक म ग है और उसका उद्देश्य नागरिकों के लिये शुभ जीवन की व्यवस्था करना है । मानिनिदा जा कि राष्ट्र राज्य का मर्मर्यक था उसका मानता था कि राज्य का जन्म मनुष्य की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये हुआ है । राज्य एक जैविक ईकाई है और सामाज्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन विभिन्न समूहों तथा वर्गों में परस्पर सहयोग होता है । राज्य का उद्देश्य शुभ जीवन की प्राप्ति है ।

राज्य के विरोध का अतिकार

राज्य का विराय होना चाहिये म्बवा नहीं इसके बारे म मध्यकाल के विचारकों व अनुसार राज्य का विराय होना चाहिये और कुछ विचारकों के अनुसार राजा का विराय नहा होना चाहिये । मन्त आगम्यादन का विचार था कि राज्य शांति और व्यवस्था बनाये रखता है, नागरिकों की म्मति की रक्षा करता है । अतः उसकी आज्ञाओं का पालन होना चाहिये, उसका विराय नहीं किया जाना चाहिये । वेम मन्त आगम्यादन ने राज्य का ईश्वर की उच्च शक्ति के अधीन माना है और राज्य की आज्ञा का पालन करना केवल तब तक उचित बताया है जहाँ तक वह ईश्वर के प्रति म्पन कर्तव्य का उल्लंघन न करे । आगम्यादन ने लौकिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रों में एक विभाजन की रखा खीच दी है । व् आध्यात्मिक विषयों पर म्मट को कोई अधिकार नहीं देता । यदि वह पार्थिक क्षेत्र म हम्त्रभेप करता है ता नागरिकों का उसके प्रति श्रद्धा का त्याग होना चाहिये । वह इस बात पर भी जार देता है कि आध्यात्मिक और मौलिक दोनों ही शक्तियों का परस्पर सहयोग से कार्य करना चाहिये । इस प्रकार एकत्रोनास का मानना है कि राज्य का उद्देश्य मनुष्य जीवन के मन्व लक्ष्य की प्राप्ति

करता है। यदि साम्राज्य मान लें कि सबहेतुता करता है तो उसका विरोध किया जा सकता है। वह राज्य को भौतिक लक्ष्य और उच्च सत्य की प्राप्ति के विषये जल्दी मानता है। एक्कीनास मनुष्य की दैतमूलक प्रवृत्ति व कारण दोनों के महत्व को स्वीकार करता है और यह मानता है कि चर्च और राज्य दोनों में कोई विरोध नहीं है। वे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं किन्तु फिर भी वह प्राध्यात्मिक भावदयकताया को भौतिक भावदयकताया से श्रेष्ठ मानता है और यह स्वीकार कर सता है कि राज्य चर्च के अधीन है।

दान्ते चर्च का समर्थक नहीं बरन् राज्य का समर्थक था। पर वह स्पष्ट रूप से राष्ट्र राज्य की बात नहीं करता। दान्त का मानना था कि राज्य का विरोध नहीं होना चाहिए क्योंकि वह मानव जीवन व कल्याण के लिए कार्य करता है।¹ दान्ते राज्य और चर्च दोनों के क्षेत्र को अलग अलग मानता है। उनका मानना है कि भौतिक साम्राज्य में दोलने का पाप का कोई अधिकार नहीं है। वह यह भी मानता है कि राजा की शक्ति पाप से नहीं बरन् सीधे ईश्वर से मिली है। इसलिए पाप का राजा पर कोई अधिकार नहीं है। राज्य अपने भौतिक विषयों में चर्च से विन्तुल स्वतन्त्र है। दान्त सम्राट की चर्च के पृथक करके लगती सर्वोच्चता का विचार करने का प्रयत्न करता है। मानिनियो जो राष्ट्र राज्य का समर्थक था उनके अनुसार व्यक्ति को राज्य का विरोध नहीं करना चाहिए। वह चर्च का राज्य से कोई पृथक अस्तित्व स्वीकार नहीं करता। यह चर्च को राज्य का एक विभाग मान मानता है। उसने चर्च का राज्य के अधीन दृष्टि लिए किया क्योंकि उसका विचार था कि दो समान शक्तियाँ का साथ साथ रहना अगम्य है। वह स्पष्ट रूप से चर्च को राज्य के अधीन बना कर राज्य की सर्वोच्चता का स्वीकार करता है।

सरकार

मध्ययुगीन विचारका सरकार के बारे में कोई महत्वपूर्ण विचार व्यक्त नहीं करते। वे सरकार को एक ऐजेन्सी मानते हैं। प्रारम्भिक मध्ययुग के विचारकों ने सरकार के विषय में कोई विचार ही व्यक्त नहीं किये। किन्तु उत्तर मध्ययुग के विचारका ने स्वतन्त्रता का ही समर्थन किया क्योंकि वे राजा को ईश्वर का अवतार मानते थे। वे प्रतिनिधित्व सरकार में कोई विश्वास नहीं करते थे। वह सरकार का सर्वोच्चतावादी नहीं मानने बरन् उसे सर्वोच्चता मानते थे। यह विचारका दो तन्त्रों का

1 "Dante's monarch is not a Universal despot but a Governor of a higher order, set over the princes for keeping peace. He is to have the jurisdiction in modern language of an international tribunal."

सिद्धान्त में विश्वास करते थे¹ जिनके अनुसार राजा को पूर्व शक्ति प्राप्त नहीं थी यह शक्ति पाप और राजा में विभाजित थी। मन्त यामम और मार्मिलियो ने कानूनी ढंग से सरकार को दखने का प्रयास किया है पर एक्वीनास ने सिविल कानून को लागू करने वाली शक्ति को सरकार माना है। इन सब से अधिक स्पष्ट विचार दान्ते प्रकट करता है। यह सार्वभौमिक राजतन्त्र की कल्पना करता है। वास्तव में मध्ययुग में सरकार के विषय में कोई महत्वपूर्ण विचार व्यक्त नहीं किये गये। अगर कुछ विचारकों ने विचार किया भी तो उन्होंने राजतन्त्र का समर्थन किया और जनतन्त्र का विरोध किया।

सम्पत्ति

सम्पत्ति के विषय में भी मध्यकाल के विचारकों ने कोई महत्वपूर्ण विचार व्यक्त नहीं किये। मन्त आगस्टाइन ने व्यक्तिगत सम्पत्ति के अधिकार को स्वीकार किया क्योंकि सम्पत्ति एक सुखी जीवन के लिये प्रति आवश्यक है। पर मन्त आगस्टाइन ने सम्पत्ति का एक सीमित अधिकार दिया है। मन्त एक्वीनास ने भी सुखी लौकिक जीवन का आधार आर्थिक माना है। एक्वीनास का मानना है कि लौकिक जीवन को सुखी बनाने के लिए राज्य आर्थिक क्षेत्र में प्रवेश करता है। निर्धनों की उचित देखभाल करना राज्य का कर्तव्य है। इस प्रकार मन्त एक्वीनास व्यक्तिगत सम्पत्ति पर जोर न देकर सम्पत्ति को राज्य के अधीन करने का समर्थक है। मार्मिलियो ने सम्पत्ति के विषय में कोई स्पष्ट विचार व्यक्त नहीं किये। पर उनके विचारों से प्रकट होता है कि वह सम्पत्ति को लोग के चरित्र को विगड़ने का कारण समझता था। इस कारण वह व्यक्ति का सीमित सम्पत्ति का अधिकार भी नहीं देता।

कानून

प्रारम्भिक मध्ययुग के विचारवा न कानून के विषय में भी अपने कोई विचार व्यक्त नहीं किये पर उत्तर मध्ययुग के विचारकों ने विशेष रूप से मन्त एक्वीनास और बुद्ध मोसा तक मार्मिलियो ने कानून के विषय में अपने विचार व्यक्त किये हैं। मार्मिलियो कानून के विषय में एक्वीनास से भिन्न विचार प्रकट करता है। उसके अनुसार दैविक कानून ईश्वर के आदेश हैं। वहीं यह निश्चित करने हैं कि परलोक में सर्वोत्तम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य को क्या कार्य करने चाहिए और किन किन कार्यों से बचना चाहिए। इसके त्रिपरीत मानवीय कानून मममन नागरिक समूह का आदेश है जिसे प्रत्यक्ष रूप में वे लोग बनाने हैं जिन्हें कानून बनाने की शक्ति मिली हुई है। इस प्रकार दोनों कानूनों के म्रोत अलग अलग हैं। दाना में केवल इतनी ही साम्यता है कि दोनों का उल्लंघन करने पर दण्ड भागना पड़ता है। एक्वीनास जहां कानून का मूल रूप में तर्क और बुद्धि का आदेश समझता है वहां मार्मिलियो के लिए वह मानव

1. इस सिद्धान्त की मान्यता थी कि "Render unto Caesar that is Caesar's and render unto Peter that is Peter's"

घोर दैविक इच्छा का अभिव्यञ्जना है। मामिलिया कानून की विवशकारी शक्ति पर जार दता है। कानून का उसक अनुसार दण्ड क भय से लागू किया जाता है घोर जिनको कानून क भय से लागू नहा किया जाता वह कानून ही नहा हाने।

कन्सोलियर ग्रान्दोलन और मध्ययुग

15वीं शताब्दी क दार्शनिका न मध्यकालीन विचारधारा को एक नया माड दिया। इसी समय चर्च का सुधारन क निये कन्सोलियर ग्रान्दोलन हुआ। भव पोप प्रकता ही धार्मिक शक्ति का स्वामी नही समझा जाता था। भव सम्पूर्ण शक्ति का निवास स्थान साधारण परिपद् म समझा जान लगा था। इस माधारण परिपद् म पोप स्वयं भी सम्मिलित था पर प्रागे चलकर पोप 23वें क धर्म विमुक्त हो जान पर परिपद् ने यह घोषणा की कि प्रभुता पोप सहित सम्पूर्ण परिपद् म नहा दिक बबल उनक सदस्या म है। आवश्यकता पढने पर पोप को प्रतीक्षा निये बिना राजा उभे बुला सकता है। इस विचार का जॉन गार्सन ने विशय समर्थन किया। यद्यपि यह कन्सोलियर ग्रान्दोलन, जो धर्म मे सुधार लान क निष् चर्च क विरुद्ध हुआ था, सकल नहा हो सका किन्तु फिर भी इस चर्च के विरुद्ध प्रतिप्रिया क दो परिणाम निकल— पहला चर्च का जनतन्त्रीकरण किया गया अयाद् घोष जनता द्वारा चुना जान लगा। दूसरा यह कि चर्च का जनतन्त्रीकरण होने के राजा की शक्ति बढन लगे। इन सब का परिणाम यह हुआ कि मध्यकाल की सावभौमिक समाज की धारणा का क्षाप हा गया। 16 वीं शताब्दी म राष्ट्र राज्या का उदय हुआ। राष्ट्र राज्या क उदय क माप-साप धर्म सुधार ग्रान्दोलन भी घाये। धर्म सुधार ग्रान्दोलन न मध्ययुगीन विचार का पूरे तरह से समाप्त कर दिया घोर राष्ट्र राज्या तथा राष्ट्र चर्चों क विचार का दृढ किया। 16 वीं शताब्दी ने मध्यकालीन विचारका के विचार का पूरे तरह से समाप्त कर उभे एक माधुनिक रूप प्रदान किया।

BIBLIOGRAPHY

- (1) SABINE • A History of Political Theory
- (2) MACLWAIN *Growth of Political Thought in the West*
- (3) GIERKIE AND MAITLAND *Political Ideas of the Middle Ages*
- (4) HEARNshaw *Social and Political Ideas of Great Mediæval Thinkers.*

धर्मसुधार आन्दोलन और आधुनिक राजदर्शन (REFORMATION AND MODERN POLITICAL THOUGHT)

उर्मिला गुप्ता

उम महान् बौद्धिक उद्यम-गुप्तल ने, जा कि रेनसा क नाम से विख्यात है और जिमका फल मैकियावनी था, मध्यकाल का जीवन क प्राय समस्त क्षेत्रा में समाप्त कर दिया। 16वीं शताब्दी के आरम्भ मे आर्थिक, राजनैतिक तथा बौद्धिक क्षेत्रा मे नवीन शक्तिया कार्य करने लगीं या और नवीन पद्धतियां प्रयाग की जा रही थी परन्तु रोमन चर्च एक ऐसी सस्था थी जिम पर इन वाता का कोई प्रभाव नहा पडा था। मध्यकालीन यूरोप का आधुनिकरण तब तक पूर्ण नहा हा सकता था जब तक कि रोमन चर्च मध्यकालीन था। "शामन मे, मिद्धान्ता मे तथा जीवन मे यह श्रव भी सबसे अधिक जोर उही परम्पराया पर दता था, जिहें कि प्रारम्भिक ईसा-इसत के आचार पर मध्यकाल का विगप स्थितिया न बनाया था और वह अपरिवर्तित के निए ही बन्विद्ध था।" रोमन चर्च मे परिवर्तन लाकर सम्पूर्ण यूरोप के ईसाई समाज मिद्धान्त का चुनौती दना और पोप की सर्वोपरि प्रधानता को नष्ट करना रिफार्मेशन का एक महान् कार्य था।

क्रान्ति अथवा प्रक्रिया

सुधार आन्दानन किमी एक विषय तक सीमित नहा था। इमने चाराप की सम्पूर्ण सभृति को प्रभावित किया पर यहाँ भी खिासा की तरह प्रदन है कि क्या इमका प्रभाव ऐसा था कि इमे स्वय मे एक क्रांति माना जाए या निरन्तर प्रक्रिया का एक भाग। इमक विषय मे विचारका मे मतभेद है। कुछ रिफार्मेशन को एक क्रांति मानत हैं और कुछ एक प्रक्रिया।¹

एन्ग और वाग्न इन दृष्टिकोणा को प्रस्तुत करत हैं और दना हीं अपने अपने दृष्टिकोणा मे सगीं हैं। एन्ग वग्न तज महा है जब तक वह यह कहता है कि रिफार्मेशन केवल चर्च की बुराईया क प्रति निद्रा हो नही था बल्कि इमन धर्म का एक नया दर्शन दिया। जहाँ तक बुराईया के विद्राह का सम्बन्ध है उमका आरम्भ एन्ग हीं हो चुका था, पर इसाई धर्म दर्शन पर पुनर्विचार नही हुआ था। वह रिफार्मेशन

1. G R Elton के अनुसार धर्म के क्षेत्र मे यह एक क्रांति थी किन्तु आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रा मे प्रक्रिया की निरन्तरता। Kohler के अनुसार धर्म के क्षेत्र में भी यह एक प्रक्रिया ही थी।

हाथ सर्वप्रथम हुआ ईश्वर का सिद्धांत मानव को आवश्यकताओं के माधुन हो गया था पर लुथर ने इसे निरस्त किया। उसने कहा कि ईश्वर विश्व धर्म का केन्द्र है। यहीं के मानव आवश्यकताएँ ईश्वर की कल्पना के चारों ओर घूमने लगती हैं। इन्टन के अनुसार रिकार्मेशन के बाद एवं आन्तरिक पक्ष से। पहले का सम्बन्ध चर्च की बुराईया से था जिसके विरुद्ध विद्रोह किया गया और यह मध्ययुग में ही शुरू हो गई थी। आन्तरिक पक्ष में सर्वप्रथम रिकार्मेशन के बाद ईसाई दर्शन पर पुनर्विचार किया गया। ईश्वर की मनुष्य की जरूरत की पूर्ति का साधन माना गया जबकि पहले व्यक्ति की आवश्यकताओं को केन्द्र माना जाता था जिसे चारों ओर ईश्वर की कल्पना घूमती थी। इस प्रकार इन्टन ने इसे धार्मिक क्षेत्र में क्रान्ति का रूप प्रदान किया।

Kobler भी अपने दृष्टिकोण में सही है। वह बेनल रिकार्मेशन के सत्पापक पहलु के बारे में बताता है। उसने इस सिद्धांत पर आक्रमण किया कि रोम का पोप चर्च का सर्वोच्च अध्येक्षक होना चाहिए और चर्च का संगठन परमोपान आधार पर होना चाहिए। इसके विरोध में पहले ही आवाजें उठने लगी थी। राष्ट्रीय स्वायत्त चर्च का विचार उत्तर मध्ययुग में शुरू हो चुका था जो परमोपान संगठन के विरुद्ध था। अतः रिकार्मेशन ने उस प्रक्रिया को ही मागे बढ़ाया जो उत्तर मध्य युग में शुरू हो गई थी। अतः रिकार्मेशन के आन्तरिक पक्ष में एल्टन की विचारधारा और संस्थागत रूप में बोहमर की विचारधारा उचित प्रतीत होती है।

धर्म सुधार की प्रकृति

आन्दोलन के रूप में इसकी कई विशेषताएँ हैं। यह केवल धार्मिक आन्दोलन न होकर इसमें कहीं अधिक था। वास्तव में यह एक मासूतिर पटना थी। इन इसके समान मस्तर के सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक पहलु हैं। कुछ आलाचनों के अनुसार रिकार्मेशन एक धार्मिक आन्दोलन के रूप में उतना महत्वपूर्ण न था, जितना राजनीतिक आन्दोलन के रूप में। अतः यह बहुमूर्तीय पटना थी। इसीलिए कुछ लोगों ने इसे "Age of Reformation" कहा है।

धर्म सुधार अपनी उत्पत्ति में Inter-religious था। यह सब को आन्तरिक रूप में सुधारने का प्रयत्न था। चर्च क्षेत्र द्वारा चर्च के भीतर में सुधारने का प्रयत्न था जिसमें राज्यों ने राजनीतिक उद्देश्य से बाहरी ओर से इन सुधारों में मद्दत की।

यह किसी एक देश तक सीमित न था। वास्तव में इसका सम्बन्ध दोहरों के सारे महादेशों से था जैसे जर्मनी, इंग्लैंड, नीदरलैंड एवं स्कैंडिनेविया आदि। जर्मनी व इंग्लैंड की देन इस क्षेत्र में अल्प देनों में अधिक थी।

विभिन्न विचारकों ने विभिन्न देनों में रिकार्मेशन के बारे में करने करने बंभ में करने २ देश की पृष्ठभूमि में सोचा। अतः रिकार्मेशन का अर्थ एक समान विचारों का

मनुह नहीं है। मुख्यतः रिफॉर्मेशन स्कूल के दो भाग हैं—(1) Luther School and (2) Non-Luther School.

सुधार आन्दोलन को विकसित करने में वही उन्वों ने अपना महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। ऐतिहासिक तत्व के कारण रिफॉर्मेशन एक प्रक्रिया की निरन्तरता थी। Anti papal Supremacy tradition इसका मूल थी जो उत्तर मध्ययुग में शुरू हो गई थी। पोप सब चर्चों पर सर्वोच्च नहीं होना चाहिए, यहाँ हेनरी द्वितीय और नूई ऑफ़ बवेरिया का समय लिया जा सकता है। इस समय पोप के विरुद्ध आन्दोलन था। राजा अपने राज्य में सर्वोच्च होना चाहिए—राजनैतिक मामलों में ही नहीं बल्कि धार्मिक मामलों में भी।

धर्म सुधार आन्दोलन में चर्च के आन्तरिक स्वरूप को सुधारने का भी प्रयत्न पाया जाता है। यह भी मध्ययुग के उत्तर भाग में कासीनियर आन्दोलन के रूप में शुरू हो गया था। यह आन्दोलन चर्च को परिपक्व की महायत्ना में सुधारने का आन्दोलन था जिसकी भाग थी कि पोप को असीमित शक्ति के प्रयोग की स्वतन्त्रता नहीं होनी चाहिए।

ऐतिहासिक दृष्टि में राष्ट्रवाद का तब बड़ा नैतिक तब था जो स्वायत्त राष्ट्रीय चर्च की मांग कर रहा था। पोप ने स्वयं विभिन्न राज्यों के राजाओं की सहायता दी थी कि वे चर्चों को अपने राज्यों में नौतरी और नै नियंत्रण में रखें। इसमें पॉरे-पॉरे राष्ट्रीय स्वायत्त चर्च का विकास हुआ। पहले तो राजा पोप की अधीनता में चर्च पर नियंत्रण रखता था, पर बाद वह पोप व चर्च दोनों को अधीन रखने लगा। यह इंग्लैंड में हेनरी VIII के समय में शुरू हुआ।

ऐतिहासिक के साथ-साथ राजनीतिक धार्मिक व नैतिक तद्व भी सुधार में महायत्ना कर रहे थे। साधारण जनता का जीवन पवित्र था। लोग ईसाई धर्म के उपदेशों का सामर्थ्यानुसार पालन कर रहे थे। दूसरे और पोप और चर्च के अधिकारों के दो अष्टाचरण तथा धर्म की लालसा के कारण घैतान दिखाई देने थे। दोनों के बीच खाई थी जिसको पाटने के लिये सुधार आन्दोलन का होना आवश्यक था। इन खाई के प्रति चेष्टना तो उत्तरमध्ययुग में ही आ चुकी थी। धर्म सुधार ने केवल इसे एक संश्लिष्ट आन्दोलन का स्वरूप दिया।

सुधार के लिए पहले मुख्य लक्ष्य प्रभावक पहलू रिनामा था। इसने सुधार के लिए बौद्धिक दृष्टिकोण बनाई। रिनामा के द्वारा ही सुधार आन्दोलन शुरू हुआ। सुधार ने सामान्य व्यक्ति को चर्च की शक्ति को सुनौती देने का अधिकार दिया। सुधार सुधार का सिद्ध था। रिनामा में बौद्धिक खोज हुई जिसने दास्यता को दूर ध्यात्मिक संभव बनाई। New Testament का अनुवाद किया गया। इस अनुवाद में सुधार ने प्रेरणा

लौ। यह अनुवाद सुधार की ओर प्रथम प्रयास समझा जाता है। रिनासा ने ही मानव को वैज्ञानिक दृष्टिकाण दिया। इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से धर्म में प्रजासत्तव का विचार आया।

रिनासा ने आरम्भिक पूजावाद के प्राविभाव की सहायता दी, इनसे प्रायिक क्षेत्र में गति प्रागर्द। अत्र लोग भौतिकवादी अधिक हो गये थे। उन्होंने धीरे-धीरे धर्म को व्यक्तितगत वस्तु माना। धर्म अब सार्वजनिक वस्तु नहीं था। चर्च तभी रह सकता था जब वह प्रायिक परिवर्तन के अनुसार अपने में सुधार करे।

लूथर का नेतृत्व भी सुधार आन्दोलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सुधार आन्दोलन को मार्ग दर्शन के लिए एक प्रभावशाली नेता की आवश्यकता थी। लूथर ने इस कार्य को पूर्ण किया, इसे तर्कपूर्ण बनाया। उसे सुधार आन्दोलन का पिता कहा जा सकता है।

धर्म सुधार का प्रभाव

सुधार आन्दोलन एक धार्मिक आन्दोलन न होकर कहीं अधिक वास्तव में एक सांस्कृतिक घटना थी। अतः इसके समान महत्त्व के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पहलू हैं। अतः यह एक बहुआयीय घटना थी।

राजनीतिक क्षेत्र में सुधार आन्दोलन का महत्वपूर्ण प्रभाव पडा है। कुछ प्रावि-चकों के अनुसार रिफॉर्मेशन एवं धार्मिक आन्दोलन के रूप में उठना महत्वपूर्ण नहीं था जिनका राजनीतिक आन्दोलन के रूप में। आरम्भ में अपने जेद्दस्य और दृष्टिकोण में रिफॉर्मेशन विमुक्त रूप से एक धार्मिक आन्दोलन था। उमका राजनीति में कोई सम्बन्ध नहीं था। परन्तु शीघ्र ही उमका एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिणाम निकला। उमका तत्काल प्रभाव हुआ राज्य की शक्ति का बढ़ना और निरकुन राजतन्त्र का पुराण में एक सामान्य सामन रूप बनाना। यदि सुधार ने पाप का धर्मो गद्दो में हटाया गया तो स्विति से हटाया पर इनने लीजित शक्ति या राजा को पद से नहीं हटाया। लीजिक शक्ति के सम्मान पर जोर दिया क्योंकि वे दा माना धर्मान् पोप व राजा से नहीं लड सकते थे। सुधार का मुग हो राष्ट्रवाद के आरम्भ का मुग था।

लूथर का आन्दोलन अपने प्रचार का सर्वप्रथम आन्दोलन नहीं था। चर्च की सुधारने के प्रथम पहिले भी हुए थे परन्तु वह सब विरत हो गये। लूथर ने अनुभव किया कि अपने आन्दोलन में सफल होने के लिए रोम के विरुद्ध संघर्ष में राज्य का समर्थन करना आवश्यक है। राजाओं ने इन प्रस्तावनाओं में सहरी दिनदर्शी दिखाई कि पोप का अधिकार केवल रोम के चर्च की निम्नो सम्पत्ति तक ही सीमित रहे और ईसाई जगत के अन्य चर्चों की समीप सम्पत्ति पर उनका कोई अधिकार न रहे। अपने अपने राज्यों में चर्चों की सम्पत्ति के एक बडे भाग पर धारण हो जाने की सम्भावना राजा के लिए असाधारण रूप में ही प्रावर्गीय निम्न हृदं क्योंकि इस तरह वह अपने राज्य की अधिक सम्पत्ति बना सकते थे। ईसाई तथा जर्मनी के समस्त प्रोटेस्टेंट

सुधारकों के पक्ष में हो गये। इन देशों में राष्ट्रीय प्रोटेस्टेंट चर्चों को स्थापना हुई और नवीन धर्म प्रणाली का प्रधान मस्यवा मरलक कहा जा सामक बना। इन गति-विधियों का स्वामाधिक परिणाम हुआ राज्य की शक्ति का बढ़ना।¹

धर्म सुधार और राज्य विरोध

गिफोर्मेसन ने एक बहुत बड़ा प्रश्न यह पेश किया कि क्या नागरिकों का अपने शासकों की अवहेलना करने का अधिकार है? इसके दो विभिन्न उत्तर दिये गये। एक विचार तो यह था कि नागरिकों को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें चुन-चाप राज्य की आज्ञा का पालन करना चाहिए। स्वयं लूथर इनो का उपदेश देता था। आगे चलकर यही बात राजाओं के देवी अधिकार के सिद्धान्त में विकसित हो उठी। दूसरी धारणा यह थी कि नागरिक राजा की शक्ति का विरोध कर सकते थे क्योंकि राजा अपने अधिकार जनता से प्राप्त करता था। इसलिए उचित कारणों के लिए समझे जवाब उनसे किया जा सकता था। यह 17 वीं सताब्दी में सविदा सिद्धान्त का पूर्व-सूचक बन गया। यद्यपि स्वयं काल्विन का जो, कि एक महान् प्रोटेस्टेंट सुधारक था, यह विचार था कि विधिवत् निर्मित राजकीय शक्ति को अवज्ञा करना गलत है किन्तु फ्रान्स तथा स्काटलैंड में उसके अनुयायियों ने इनके विपरीत इस सिद्धान्त को प्रति-पादित किया कि धार्मिक सुधार के हित में राज्य की अवज्ञा की जा सकती है। स्काट-लैंड के जान नासन ने कैथोलिक शासकों के विरुद्ध विद्रोह किया। दैविक अधिकारों के सिद्धान्तों को प्रतिपादित किया गया।

लौकिक राज्य के अधिकारों को विनियमित तथा नियंत्रित करने वालों का उच्चतर अन्तराष्ट्रीय शक्ति न रही। इस उच्चतर शक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए एक प्राकृतिक कानून, जिसे पों भी नहीं बदल सकता था, की धारणा को पुनर्जी-वित्त किया गया जिसका मध्यकाल में बहुत प्रचार था। यह प्राकृतिक कानून एक विश्व-व्यापक आदर्श मस्यवा मानदण्ड था जिसके द्वारा मानव सम्बन्ध विनियमित होते थे। प्राकृतिक कानून के इस मध्यकालीन विचार को आधुनिक संसार में जाने वाला स्विट्जरलैंड करेगा।

लूथर के राजनीतिक विचार

मार्टिन लूथर के राजनीतिक विचारों में बहुत अधिक विरोधानाम पाया जाता है। उनके बारे में गतिबद्ध राजनीतिक दर्शन नहीं है। जो कुछ भी राजनीतिक विचार

1. लूथर के अनुयायियों को कुछ रखने तथा उनके अर्थों को कायम रखने का कार्य ईश्वर ने राजाओं को सौंपा है। उनसे प्रशासन के ऊपर राजाओं के अधिकार को धार भी अधिक बढ़ सकता है। यह हमें यह था किने कि रिफॉर्मेशन ने राज्यतन्त्र को मजबूत करने का।

हम उसकी कृतियों में मिनने हैं, उन सबकी उद्भावना उन उन बाद-विवाद में हुई जिसमें कि वह जीवनपर्यन्त उलभा रहा। यदि हम यह मान भी लें कि उसका कोई राजनीतिक दर्शन भी था, तो वह एक विलक्षण विरोधाभास ही था।

उसकी आरम्भिक शिक्षा यह थी कि यदि धार्मिक अधिकारी मर्यादापारोपण्य दुराचार की चट्टानों से रोकेँ तो उसका सुधार करना व्यक्ति का कर्तव्य ही जाता है। किन्तु जब जर्मनी के कृषको ने सामाजिक न्याय के नाम पर साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया तो उस समय लूथर ने शासक का पक्ष ग्रहण किया और 'कृषक युद्ध' को निन्दा करने लगा। उसने सामन्तता को यह भी सलाह दी कि विद्रोह को कुशलतापूर्वक दबाने के लिए उन्हें निर्दयतापूर्वक विद्रोहियों को हत्या करनी चाहिए।

एक ओर तो लूथर इस बात के ऊपर बल देता है कि व्यक्ति का साम्राज्य की आज्ञा का पालन चुपचाप करना चाहिए और सक्रिय विरोध की निन्दा करता है क्योंकि उसके विचार से ईश्वर ने मनुष्य को यह आदेश दिया है कि उसे साम्राज्य की आज्ञा का पालन करना चाहिए। दूसरी ओर वह इस बात का मानता है कि वे राजा-गण या सम्राट के अधीन थे, सम्राट की अवहेलना कर सकते थे यदि सम्राट अपने अधिकार का दुरुपयोग करे। इस मंगलहीन परामर्श का कारण यह है कि लूथर सम्राट को शक्ति को कम करने के लिए और राजाओं को अपने पक्ष में करने के लिए विवशित था।

लूथर राजाओं को साधारणतया धर्मों पर सबसे बड़े मूर्ख और निहृदयतम धूर्त समझता था। ऐसे मूर्खों और धूर्तों की आज्ञा पालन के सर्वसाधारण के प्रयत्न कर्तव्य पर बल देना जहाँ तक संभव है? दूसरी ओर वह कहता है कि यदि कोई राजा किसी व्यक्ति से अपना धर्म छोड़ने के लिए कहे तो उसे राजा की आज्ञा का पालन करने से इन्कार कर देना चाहिए। लूथर की विचारधारा में राज्य के प्रति भक्ति ईश्वर के प्रति निष्ठा से मीमित है।

एक ओर लूथर ने मानव समानता के सिद्धांत का प्रचार किया और उसे सर्व-संगठन तथा पादरियों के विनेय अधिकारों तथा विमुक्तताओं के ऊपर आक्रमण का आधार बनाया तो दूसरी ओर उसका जनसाधारण में कोई विश्वास न था। उन्हें वह संतान कह कर पुकारता था। उसने अनुसार "जनता के नहीं काम करने की घोषणा मुझे राजा से मान काम करना भी अच्छा लगता है।"

लूथर ने राज्य के ऊपर चर्च के प्रयत्न को भंग किया और लौकिक साम्राज्य को समस्त उन्वत्तर सनातनोद्दीय नियन्त्रण से मुक्त कर दिया। चर्च लौकिक साम्राज्य को न धर्म-दृष्टिगत कर सकता है, न परन्तु पादरोपण्य जा कि सब तरफ से अधीन थे, सब राज्य के अधिकार-क्षेत्र में जाने जाने थे क्योंकि लूथर उनका तथा साधारण नागरिकों में कोई प्रभुत्व न देगा था। उसने यह भी कहा कि राज्य का हस्त चर्च पर नियन्त्रण करता चाहिए। उसका उर्ब यह था कि धार्मिक पुरोहित-

साही के लुप्त हो जाने पर—दृश्य चर्च के दाह्य नया भौतिक स्वरूप को विनियमित तथा नियन्त्रित करने के लिए एक शक्ति की आवश्यकता थी। वह जनतन्त्रवादी नहीं था और जनसाधारण में उसे कोई विश्वास न था। इस प्रकार प्रत्येक राज्य का शासक अपने क्षेत्र में ममस्त लूबरवादिया का प्रधान विषय बन गया। “आध्यात्मिक तथा लौकिक का वह अन्तर जा कि मध्यकालवादिया के लिए इतना महत्वपूर्ण था, लूबर में धु धला पड़ गया।”¹

राज्यवाद का सदेशवाहक

इस सिद्धान्त में कि पादरीगण साधारण नागरिक हैं और इसलिए राज्य के कानून तथा न्यायालय के अधीन हैं, 16वीं शताब्दी के राजतन्त्र को काफी सम्बल पहुँचाया। आधुनिक यूरोपीय विचार में लूबर उदारवाद का प्रवर्तक नहीं, बल्कि राज्यवाद का सदेशवाहक सिद्ध हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि लूबरवाद पुनर्जागरण की उदारवादी शक्तियाँ को उसके मानववाद तथा लाजतन्त्र की सम्भावना से दूर से जाने वाला एक बड़ा प्रतिगामी कदम था।

कान्विन के विचार

रिफॉर्मेशन के राजनैतिक विचारों के अधिक संगतिबद्ध, अधिक क्रमबद्ध तथा अधिक गतिशील विवेचन का श्रेय जान कान्विन को है जिसे कभी-कभी रिफॉर्मेशन का सिद्धान्त-वेत्ता (Law-giver) कहा जाता है। कान्विन के अनुसार राज्य और चर्च भिन्न-भिन्न हाँके हुए भी एक दूसरे से घृण्यक नहीं हैं। दोनों की स्थापना ईश्वरीय कानून की पूर्ति के लिए हुई है। कान्विन ने कहा है—“लौकिक शासन का उद्देश्य है कि जब तक हम समाज में रहते हैं वह हम में ईश्वर की माह्य उपामना की भावना प्रेरित करे, विमुक्त मिद्वान्त नया चर्च की सत्ता की रक्षा कर, हमारे जीवन का मानव समाज के अनुरूप बनाये। राजकीय न्याय के अनुसार हमारे जीवन को दाले और सामान्य शक्ति कायम रखें।”¹ इस प्रकार कान्विन के अनुसार राज्य का प्रथम कार्य भक्ति तथा धर्म का परिष्कार है, नास्तिक और व्यवस्था की रक्षा नहीं। राज्य की मूर्तिपूजा, नास्तिकता तथा मूर्ख धर्म की निन्दा का दमन करना चाहिए। इसका अर्थ है मैदान्तिक रूप से राज्य की धर्मतन्त्र बनाना।

वास्तव में जहाँ-जहाँ भी कान्विनवाद का स्वतन्त्र हाथ रहा, वहाँ-वहाँ साम्प्रदायिक राज्य स्थापित हुये जिनमें पादरीगण तथा नामन्त्री वर्गों में गठ-बन्धन हुआ और जिनमें सर्वसाधारण की विमुक्त अन्तग रखा गया। उनका परिष्कार हुआ एक ऐसे वर्गतन्त्र की स्थापना जो कि ‘अनुदार, दमनकारी तथा प्रतिश्रियावादी’ था।

कान्विन के अनुसार राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। उसकी अवज्ञा करना ईश्वर

¹ Allen—A History of Political Thought in the Sixteenth Century.

को अकृता करना है। कान्तिन ने यह भी कहा है कि राजा की शक्ति का समय रखना छोटे २ न्याय रक्षा का कर्तव्य है। यदि वे राजा की शक्तियों प्रवृत्तियों को न रोक सकें और उनके विरुद्ध जनता की रक्षा न कर सकें तो वे कर्तव्यहीनता के दोष का भागी हैं।

कान्तिन यह भी कहता है कि सामन्तगण कोई ऐसा कार्य करना चाहें जो नि ईश्वर के आदेश के विरुद्ध हो तो जनता का उभय ऊपर तनिक भी ध्यान नहीं देना चाहिए।

जहां तक राज्य धर्मतन्त्र की आज्ञा का पालन करने को तैयार था, कान्तिन उसके पक्ष में था, किन्तु जहां २ सरकार उसकी विरोधी थी, कान्तिन उसके ऊपर आक्रमण करने लगता है। फ्रांस के राजतन्त्र के विघ्नगण को उखाड़ फेंकने तथा स्वतंत्रता में क्रांतिक और कुलीनतन्त्रीय अल्पमतों की शक्ति को भंग करने में उसने मध्यवर्ग के प्रयास को सम्भव पहुँचाया।

रिफॉर्मेशन और राजनीति

धार्मिक क्षेत्र में रिफॉर्मेशन का बहुत अधिक प्रभाव है। सुधार आन्दोलन मुस्लिम धर्म के उत्पन्न हुई बुद्धियों को दूर करने के लिए ही हुआ था। रिफॉर्मेशन का जन्मदाता मार्टिन लूथर थे जिन्होंने इसे ईसाई धर्म-ग्रन्थों की पुनर्व्याख्या तथा सुधार के रूप में आरम्भ किया था। जहां-तक कि इसका उद्देश्य चर्च के शगुन का सुधार करना चर्च में पोप की निर्पेक्षा शक्ति के दावे को टुकड़ाना तथा चर्च के अधिकार के लिए एक व्यापकतर आधार की मांग करना था, इसे कांसीलियर आन्दोलन की ही प्रत्यावृत्ति कहा जा सकता है। यदि कांसीलियर आन्दोलन सफल हो जाता तो रिफॉर्मेशन का जन्म ही न होता। लूथर ने पहिले भी चर्च के सुधार के लिए आन्दोलन लगे थे परन्तु उनका प्रभाव सीमित था और वे सफल नहीं हुए। रिफॉर्मेशन ने धार्मिक क्षेत्र पर जो प्रभाव डाला उसके दो पहलू थे।¹

नकारात्मक और सकारात्मक

नकारात्मक रूप में यह मध्ययुगीन रोमांच पोप के पदसोपान व्यवस्था पर एक आक्रमण था। यहाँ सुधार के नेताओं ने एक पोप के गारे योरोप की चर्चों पर सर्वोच्च होने का विरोध किया और साथ ही चर्च के शगुन में पदसोपान का भी विरोध किया। यहाँ राष्ट्रीय स्वायत्त चर्च का विचार पैदा हुआ।

दूसरे पोप के प्रति जो कि अन्धकार और भ्रष्टाचार कावसा में हुआ हुआ था, कायात्त किया। सुधार नेताओं के अनुसार पोप रोम में सबसे अन्ध धर्मिष्ठ था, जो करने को ईसा का प्रतिनिधि कहता था। अन्ध पोप ईसायत के लिए धर्मनाश बात थी।

1 I bid

2 I bid

इसके प्रतिरिक्त पीप पर ईसाइयों से एकत्र किये धन को स्वयं पर खर्च करने का भी आरोप लगाया गया ।

पीप ही अष्ट नहीं था, अन्य खर्च के पादरी भी अपने २ क्षेत्रों में उन्हीं बुराईयों में युक्त थे ।

तीसरे पीप ने ईश्वर को मानव को आनन्दकताओं के प्रापीन कर दिया था । ईश्वर को केन्द्रीय स्थान नहीं दिया गया परन्तु सुधार आन्दोलन ने ईश्वर को केन्द्रीय स्थान दिया । अब मनुष्य की आनन्दकताएँ व व्यक्तित्व की कल्पना ईश्वर की कल्पना के चारों ओर घूमने लगी ।

नकारात्मक तत्व से ही नकारात्मक तत्व निकलता प्रतीत होता है । सुधार नेताओं ने पुरानी मान्यताओं पर ही आक्रमण नहीं किया बल्कि एक नया वातावरण भी बनाया । इसी में सुधार का स्थायी प्रभाव निहित है । सुधार रिनासा से प्रभावित था । कई सुधार नेताओं ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किया और कहा कि धर्म में विभिन्न दृष्टिकोण रखना पाप नहीं है, इस तरह धर्म में प्रजातन्त्र आया । यह सकारात्मक पहलू आधुनिकता और उदारवाद की ओर था । इसने धर्म निरपेक्ष प्रजातांत्रिक विचार के लिए पथ-प्रदर्शन किया ।

सुधार नेताओं ने मानवीय सत्ता के विरुद्ध मानवीय चेतना के विकास पर जोर दिया । मनुष्य बाइबिल की व्याख्या स्वयं करने लिए कर सकता था, अपने अन्त-करण के अनुसार । क्रूर के अनुसार ईसाईयों को ईश्वर व विन्व के लिए बाइबिल के अनुसार विश्वास करना चाहिए पर उन्हें अपने अन्त करण के अनुसार ग्यास करना चाहिए । यहाँ पर पीप की व्याख्या करने का एकाधिकार की सीमाएँ मरने महत्वपूर्ण निष्कर्ष था । हर व्यक्ति को अन्त करण की स्वतन्त्रता कान्तिकारी बन्नी थी ।

क्रूर के अनुसार हर ईसाई एक पादरी है, अतः उसे धार्मिक संस्कार करने, दार्शनिक की प्रश्न करण के अनुसार व्याख्या करने व अनुसरण करने का अधिकार था । पादरियों को कोई विशेष अधिकारपूर्ण स्थिति ईसाई समाज के अन्तर्गत नहीं दी जानी चाहिए । ईसाई खर्च का पदसोपानोय संगठन समाप्त हो जाना चाहिए, और हर ईसाई अपने में एक उपदेशक बन जाना चाहिए । सुधार आन्दोलन ने सामान्य व्यक्ति व ईश्वर के बीच के माध्यमों, पीप व पादरी को समाप्त करके व्यक्ति व ईश्वर में सीधा सम्बन्ध स्थापित किया । सब ईसाई ईश्वर के पास पहुँचने में समान रूप में समर्थ हैं ।

माध्यमोन्त धार्मिक शक्ति के केन्द्रीकरण की परम्परा छूट गई व शक्ति को ईसाई समिति में बाँट दिया गया । अब खर्च के प्रदग्धक स्वेच्छा के कार्य नहीं कर सकते थे । संवैधानिक दृष्टि में उन्हें आचरण करना था । इस तरह संवैधानिक ढाँच खर्च में जाने से राज्य में भी आया ।

धार्मिक क्षेत्र में भी सुधार आन्दोलन का प्रभाव पड़ा है । सुधार नेताओं ने परिश्रम पर दृष्ट अक्षि जोर दिया । हर प्रकार का कार्य अपने में महत्वपूर्ण है । स्व-

स्वतन्त्र व्यापार नीति को विकसित किया जिसने अतः प्रारम्भिक पूँजीवाद का पथ प्रदर्शन किया। नर्वे का धन मध्यवर्ग व राज्य के पदाधिकारियों के बीच बाँटा गया और व्यापार पर जो मध्ययुगीन प्रतिबन्ध थे वे हटा दिये गये और भ्रम पर बहुत अधिक महत्व दिया गया।

इस प्रकार धर्म सुधार मान्दालन आर्थिक दृष्टि में भी क्रान्तिकारी था यद्यपि उसका धार्मिक पहलू सदैव प्रमुख था।

BIBLIOGRAPHY

- 1 ALLEN A History of Political Thought in the 16th Century
 2. FIGGS - *Studies in Political Thought from Gerson to Grotius*
 - 3 HEARNshaw Social and Political Ideas of Great Thinkers of Renaissance and Reformation
 - 4 CARLYLE A History of Mediaeval Political Theory in the West
-

टामस हाब्स के दर्शन में वैज्ञानिक भौतिकवाद

SCIENTIFIC MATERIALISM IN THE POLITICAL PHILOSOPHY OF THOMAS HOBBS

सुन्दर मायूर

राजनीतिक चिन्तन के इतिहास को मुख्यतः तीन युगों (प्राचीन, मध्य-कालीन और आधुनिक) में विभाजित किया जाता है। प्राचीन या यूनानी राजनीतिक विचारों पर नगर राज्य के स्वरूप तथा उस तर्क प्रधान मूल्य का प्रभाव पड़ा था, जिसके कारण यूनान लिवानी तर्क (Reason) को मंदार को समझने तथा उसमें मानव का स्थान निर्धारित करने की कुंजी समझने में। दूसरे शब्दों में उनका राजनीतिक चिन्तन तर्क और नैतिकता में घनिष्ठ रूप में मेल रहा था। मध्ययुगीन चिन्तन पर यह विद्वान् छाया हुआ था कि विश्व में मानव का स्थान निर्धारित करने वाली अन्तिम तथा सर्वोपरि शक्ति धर्म में है। आस्था तथा ईश्वर द्वारा प्रेषित ज्ञान तर्क से श्रेष्ठतर है और मनुष्य के लौकिक हित प्राध्यात्मिक लक्ष्य के आधीन है। फलस्वरूप मध्य युग में सामाजिक या राजनीतिक शक्ति का धार्मिक शक्ति के आधीन समझा गया। शासक पर धर्म का यह अधिकार मध्यकालीन राजनीतिक चिन्तन की एक प्रमुख विशेषता थी। राजनीतिक चिन्तन के प्रति एक धर्म-निरपेक्ष और वैज्ञानिक दृष्टिकोण आधुनिक युग में ही पैदा हुआ है। धर्म और राजनीति का स्पष्ट सम्बन्ध विच्छेद मैकवावरी (1469-1527) ने किया। परन्तु 16वीं शताब्दी तक किसी भी विचारक ने अपने राजनीतिक परिग्रामों को वैज्ञानिक आधार प्रदान नहीं किया था। हॉब्स वह पहला राजनीतिक विचारक था जिसने राजदर्शन में निरंकुशतावाद तथा धर्म-निरपेक्षतावाद के लिए एक वैज्ञानिक आधार बनाया तथा नैतिक विद्वानों में प्रचलित होने वाली पद्धति को दर्शन तथा राजनीतिक चिन्तन का आधार दे कर राजनीति को विज्ञान का स्वम्प दिया। यही कारण है कि उसे आधुनिक युग का प्रणेता कहा जाता है।

हॉब्स के विचारों और पद्धति को उसकी ऐतिहासिक दृष्टिकोण ने काफी सीमा तक प्रभावित किया था। उसके समय में ब्रिटिश राजपट्टी पर जेम्स प्रथम था जो कि राजाओं के दैविक अधिकार विद्वान्त का प्रतिपादक था और इसी कारण से ब्रिटिश

नगद उससे रुष्ट थी। उसका पुत्र चार्ल्स प्रथम भी उसी की तरह अनुमत्त था। इसी बीच इंग्लैंड में क्रामवेल की प्रभोन्ता में मरुतन्त्र स्थापित हुआ पर वह भी अधिक नहीं टिक सका। ऐसी स्थिति में गृहयुद्ध भी चल रहा था। राजा और संसद के समर्थकों के बीच इस गृहयुद्ध में क्रामवेल की विजय हुई थी। इन्होंने परिस्थितियाँ में अपना दर्शन निरूपित हुए हासनिरक्षुरा राजात्न और राज्याधिकार के प्रति समर्थन की भावना का हृदयमर्षन किया।

विज्ञान के चरण

हाइस के समय में विज्ञान जगत में एक भारी क्रांति आ रही थी। यांत्रिक विज्ञान (Mechanical Science) को कैपनर, गैलिलियो व डेकार्ट जैसे विद्वान सुप्रतिष्ठित कर चुके थे। प्रकृति का प्रयोगात्मक अनुसंधान करने के लिए रॉयल सोसाइटी की स्थापना एक पीढ़ी पहले ही हो चुकी थी। डेकार्ट विद्वत्प्रणाली में ज्यामिति की तथा लीवानेज और न्यूटन कैलकुलस की सृष्टि कर चुके थे। न्यूटन की गुरु के घाठ वर्ष बाद उनके ग्रन्थ प्रिन्सिपिया (Principia) ने ब्रह्मांड की एक नवीन यांत्रिक धारणा का प्रतिपादन किया था। ऐसे समय में हॉन्स जैसे दार्शनिक के लिये समस्त ज्ञान को यांत्रिक भौतिकवाद के सिद्धान्त पर आधारित करने का प्रयत्न करना स्वाभाविक ही नहीं बल्कि ग्राह्यपूर्ण भी था।

यूक्लिड (Euclid) की श्रुतियाँ और ज्यामिति का हॉन्स पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि उसने उसकी पद्धति को न केवल प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करने बल्कि मनोविज्ञान और राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में भी प्रयोग करने का इरादा किया। हॉन्स का मुख्य गणित शास्त्र की पद्धति के प्रयोग द्वारा गति के आधार पर प्रकृति की व्याख्या करना था। दर्शन के प्रति जब उसको हवि जागृत हुई तो उसने राजनीति तथा मनोविज्ञान को मुनिदिशत भौतिक विज्ञानों में सदिष्ट करने का निश्चय किया। इस प्रकार वह माने हुए के उस महान विचार प्रवाह में परार्पण करता है जिसके साथ डेकार्ट तथा गैलिलियो जैसे महान् व्यक्तियों का नाम संबद्ध है।

वैज्ञानिक जागृति और मान्यतावाद

मध्ययुगीन ध्यवस्थाओं की समाप्ति के बाद 17 वां शताब्दी में वैज्ञानिक मान्यतावाद विचार जगत का केन्द्र बिन्दु बना। वैज्ञानिक मान्यतावाद का अर्थ है एक अनुभववादी दृष्टिकोण (Empirical Outlook) जिसकी मूल भाषायाँ थी—धर्म से पृथक् मनुष्य के सामान्य ज्ञान (Common sense) पर विश्वास, भौतिक प्रगति के लिए मानवीय बुद्धिमत्ता की स्वोद्दिष्ट, सम्पत्ता की प्रगति के लिए धार्मिक प्रगति को न मानना, भौतिक प्रगति के लिए मनुष्य को प्रकृति का दास न बनना, वह उसे विवेक के रूप में देवता और तर्क की शक्ति में विश्वास रखना। वैज्ञानिक मान्यतावाद के राजनीतिक विचारों पर जो महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े वे कान्ति मान्यता में हीन में दम या सत्ते हैं। सर्वप्रथम परिष्कार था कि यदि मानव प्रकृति का विवेकपूर्ण विचार जाय तो

भौतिक नियमों की भाँति मानवीय व्यवहार के बारे में भी नियम बनाये जा सकते हैं। यह प्रमाण हॉब्स में स्पष्ट है। दूसरे, मनुष्य बुद्धिमान है और उसमें स्वयं के हित के लिए कार्य करने की क्षमता है। हाँस, मनुष्य को यहाँ स्वार्थी मानता है फिर भी उसका कहना है कि मनुष्यों ने आपस में स्वयं मनमौता कर अपनी भलाई के लिए राज्य का निर्माण किया है। जोसरे, मनमौता करने की मनुष्यों में क्षमता है और वे राजाण पालन अपनी इच्छा से करते हैं। वैज्ञानिक मानवतावाद ने व्यक्ति को स्व-मनता देकर राजनीतिक विचार का केन्द्र बनाया था। हाँस में यही व्यक्तिवाद काफी सीमा तक प्रतिबिम्बित पाया है।

हॉब्स और डेकार्ट की वैज्ञानिक पद्धति

हॉब्स पर डेकार्ट का बहुत प्रभाव पड़ा था। वह भी वैज्ञानिक पद्धति का प्रयुक्त माना जाता है जिसमें हॉब्स ने लेकर भावनाएँ तब कोई भी विचारक प्रभावित नहीं रहा। उसकी पुस्तक "Discourse on Method" का प्रभाव राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र की विभिन्न शाखाओं पर पड़ा। अनुभववाद (Empiricism) उसके इस ग्रन्थ का केन्द्र-दिन्दु है। उसका मत था कि भौतिक विज्ञानों की भाँति सामाजिक विज्ञानों की भी एक निश्चित पद्धति होनी चाहिए। उसकी वैज्ञानिक पद्धति के आधारभूत सिद्धान्त प्रकाश दे—निर्णय देने में शीघ्रता, पक्षपात को न माने देना, तथ्यों को देखते हुए प्राप्ति इन दृष्टि दूनी व्याख्या की आवश्यकता, किसी भी वस्तु को छोटे-छोटे भागों में बाँटकर व्याख्या से सम्पूर्ण रूप निकालना, सरलता से जटिलता की ओर बढ़ना, तथ्य एकत्रित कर फिर परीक्षण और तत्पश्चात् निष्कर्ष निकालना आदि। इस पद्धतिके परिणामस्वरूप राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में एक नई स्पष्टता, बुद्धिमत्ता, निष्पक्षता और एक उन्मोक्तिवादी पहलू आया। राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्रमें इस पद्धति का प्रयोग में आने के प्रभाव स्वरूप हॉब्स के राजदर्शन में मुख्य दार्शनिक दृष्टिकोण (A priori Approach) का परित्याग हुआ। राज्य के प्रति वैदिक दृष्टिकोण और उसके प्रौक्त्य के प्रति नैतिक दृष्टिकोण का परित्याग कर मानव को स्वार्थी बनाते हुए उसने राज्य की पूर्ण गतिमानता की प्रतिष्ठा की है।

इस प्रकार हॉब्स का सम्बन्ध नवीन विचारधारा के उन पदचरणों से हुआ जिसका उद्देश्य वास्तविक जगत् पर विज्ञान की क्षमताएँ को मुक्तिदिव्य करना था। भौतिक वैज्ञानिकों की भाँति हॉब्स भी संसार को एक वास्तविक पद्धति मानता है जिसमें समस्त घटनाएँ परमाणुओं की गतिशीलता के ही विभिन्न रूप हैं। उसकी यह पद्धति वैज्ञानिक भाँतिवाद के रूप में विकसित हुई है।

प्राकृतिक विचार संकल्पना और मानव व्यवहार

हॉब्स के राजनीतिक विज्ञान में राजद्वन्द्ववाद निरंकुशता का समर्थन को

विशेष महत्त्व की बात नहीं है। उसके विन्दन का मृत्युद्वय प्रेरणा प्रदत्त दो थी लेकिन उसके विन्दन के महत्त्व का कारण मृत्युद्वय नहीं है।¹

हॉल्म की परन्तु उसके निश्चयों का परिणाम के विचार में भी नष्ट की जानी चाहिये। वैज्ञानिक पद्धति के बारे में उसके विचार अपने समय के विचार होने हुए भी काफी पुराने पद चुन घ पर उसके पास राजनीति विज्ञान जैसी एक निश्चित वस्तु थी और प्राकृतिक विचार सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जमी का एक प्रश्न था जिस पर समाधारण स्पष्टता के साथ विचार किया गया है। इस कारण उसने उन विचारों को भी लाभ पहुँचाया जिन्होंने उसका प्रतिवाद करने की कोशिश की। इस स्पष्टता और सैली के कारण ही हमें यह समझने की भाँपी जगता का सबसे बड़ा राजनीतिक दार्शनिक माना जाता है।

राजनीति का गैलिलियो हॉल्म

वास्तव में हॉल्म अपने वैज्ञानिक विज्ञानता के आधार पर एक समग्र दर्शन का निर्माण करना चाहता था। उसका राजनीतिक दर्शन उसका इस समय दर्शन का एक प्रश्न मान है। हॉल्म का यही समय दर्शन भौतिकवाद है। यद्यपि हॉल्म ने गैलिलियो और भौतिक विज्ञान का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया था पर उसने उन माध्यमों के प्रयोग समग्र विचारों का जिसकी धार प्राकृतिक विज्ञान बढ़ रहा था। गैलिलियो का मत हॉल्म ने "पुराने विषय में मैं एक नये विज्ञान का जन्म दिया। यह नया विज्ञान गति का था जिसके अनुसार भौतिक जगत् पूर्ण रूप से एक यान्त्रिक व्यवस्था है। हॉल्म ने इसी विज्ञान को अपने दर्शन का केन्द्र-बिन्दु बनाया।" हॉल्म का विचार था कि मूल में प्रत्येक घटना एक गति के रूप में होती है। प्राकृतिक प्रक्रियाओं के अन्तर्गत के घटने के घटित होती हैं। इन घटने के मूल में भी कुछ गतियाँ ही रहती हैं। प्राकृतिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए इन मूल गतियों का समझना आवश्यक है। हॉल्म के विचारों में प्राकृतिक आधारों को समझने का सन्तोषजनक उपाय यही है। प्रत्येक घटना के मूल में पिछा की सरलतम गति रहती है जो बाद में जटिलतर होती जाती है। इस प्रकार अपने दर्शन के तीन भाग माने हैं—पहला भाग, पिछे के सम्बन्ध एतत्ता है और उसमें व्यापक तथा यान्त्रिकी का समावेश होता है। दूसरा भाग, मानव प्राणियों के शरीर या मनोविज्ञान में सम्बन्ध रखता है। तीसरा भाग जो, सबसे अधिक बलिष्ठ होता है, समाज या राज्य के नाम से प्रथम कृत्रिम पिछे के सम्बन्ध रखता है।

1. मेकडन के अनुसार, "वास्तव में हॉल्म प्रथम आधुनिक दार्शनिक या जिसने राजनीतिक विज्ञान का आधुनिक विचारधारा के साथ पूरा सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया। उसने अपने राजनीतिक दर्शन का निर्माण करते समय प्रकृति के समस्त तथ्यों पर जिसने मानव व्यवहार के व्यक्तियों के सामाजिक दाना का सामर्थ्य था, विचार किया था। इस प्रकार की परियोजना ने उसके विन्दन का सामर्थ्य और विश्वासार्थता बढ़ाने की श्रेणी में परे रखा।"

हॉम के दर्शन में सारी वस्तुओं का मूल आधार ज्योमिति और यांत्रिकी है ।

ज्योमिति प्रणाली और मनोविज्ञान

हॉम के दर्शन का उद्देश्य यह था कि मनोविज्ञान तथा राजनीति को विज्ञान प्राकृतिक विज्ञानों के घटक पर प्रतिष्ठित किया जाये । उनमें मनोविज्ञान तथा राजनीति में इसी पद्धति का प्रयोग किया है । 17वीं शताब्दी के सम्पूर्ण विज्ञान पर ज्योमिति का जादू छाया हुआ था । हाब्स भी इसका अनुयायी नहीं था । उसके विचार में श्रेष्ठ पद्धति वह थी जिसमें वह अपने विचारों को दूसरे विषयों में भी ले जा सके । ज्योमिति के क्षेत्र में यह बात विशेष रूप से सत्य थी । इस दृष्टि में हाब्स के विचार प्रथम और डेकार्ट के दृष्टि निकट हैं । ज्यामिति, सर्वप्रथम सरलतम वस्तुओं की होती है और जब वह आगे चल कर जटिल समस्याओं में उभरती है तब उन्हीं चीजों का प्रयोग करती है जिन्हें वह पहले प्रमाणित कर चुकी होती है । इस प्रकार ज्योमिति का आधार बड़ा मजबूत होता है । किसी वस्तु को इसमें स्वयं स्वीकृत नहीं माना जाता । एक वस्तु को प्रमाणित करने के बाद ही आगे बढ़ा जाता है । इस प्रकार ज्यामिति में गलतों की कोई सम्भावना नहीं रह जाती । हाब्स ने भी अपने दर्शन का इसी प्रकार निर्माण किया है । उसका दर्शन परिमिद के समान है । शासन बना मनुष्य के सामाजिक व्यवहार पर निर्भर करता है । सामाजिक व्यवहार मानव व्यवहार का वह पक्ष है जिसमें मनुष्य एक दूसरे से व्यवहार करते हैं । अतः राजनीति विज्ञान मनोविज्ञान पर आधारित है और उसकी प्रक्रिया विधि निगमनात्मक (Inductive) है । हाब्स का लक्ष्य यह प्रकट करना नहीं था कि शासन वास्तव में क्या होता है । उसका लक्ष्य तो यह था कि शासन को कैसा होना चाहिए जिसमें कि वह उन परिस्थितियों पर सहजतापूर्वक नियन्त्रण कर सके जिनकी अनिपेक्षता मानव यंत्र की भाँति ही होती है ।

मनोविज्ञान को नैतिक शास्त्र के घटक पर प्रतिष्ठित किया जा सकता है या नहीं, यह एक निम्न प्रश्न है, लेकिन हाब्स ने गति के नियमों में संवेदन भावनाओं और मानवीय आचरणों को पहचानने की कोशिश प्रदर्शित की है । उसने सामान्य रूप में मानवीय व्यवहार के लिए एक मिश्रित निकाय और यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया कि विभिन्न परिस्थितियों में यह मिश्रित किस प्रकार क्रियाविधित होता है । इन पद्धतियों के द्वारा वह मनोविज्ञान में राजनीति में प्रवेश करता है ।

वैज्ञानिक नैतिकवाद

वैज्ञानिक नैतिकवाद का शाब्दिक अर्थ दो पद्धतियों का सम्मिश्रण है । वैज्ञानिक शब्द का अर्थ है व्याख्या । कार्य-कारण सम्बन्ध (Cause and Effect Relationship), व्यवस्था और निष्कर्ष निकालने की प्रवृत्ति—हाब्स ने इन सब मद्दत पाये हैं । वह इनकी आधारों पर अपने राजदर्शन का निर्माण करता है जैसे वह सर्वप्रथम मानव स्वभाव और उसके चरित्र का अध्ययन करता है । उसकी भाव, इच्छा, विचार का विश्लेषण

करता है और तभी वह इस परिणाम पर आता है कि इस प्रकार के प्राणी के माय व्यवहार करने तथा उनके कार्यों को नियंत्रित करने के लिए राज्य को बना होना चाहिए। वह समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति बनता है पर इसके पूर्व एक प्राकृतिक अवस्था का चित्रण भी करता है जिसे पश्चात् नागरिक समाज का निर्माण आवश्यक हुआ था। इस प्रकार हॉय्म, व्यवस्थित और क्रमागत आधार पर सर्वप्रथम मानव स्वभाव का विश्लेषण, फिर प्राकृतिक कानून, पश्चात् प्राकृतिक अवस्था और अन्त में समझौते द्वारा राज्य का निर्माण करता है। कारण एक प्रभाव उनके सम्पूर्ण दर्शन में दबे जा सकते हैं। वह राज्य से आरम्भ करके उन विधायक तत्वों को पृथक् कर उनके स्वरूप को व्याख्या कर सकता था लेकिन ऐसा न करके वह राज्य के निर्णायक घटा अर्थात् व्यक्तिगत मानव प्राणियों से अपना दर्शन आरम्भ करके बनता है कि किस प्रकार मानव स्वभाव मनुष्य के लिए राज्य की सृष्टि आवश्यक बना देता है और उसका स्वरूप भी क्या होना चाहिए।

भौतिकवाद शब्द का अर्थ है कि धार्मिक अंधविश्वास, नैतिकता और ईश्वर विश्वास, इन सब में पृथक् वास्तविकता वस्तु जगत है। वह वातावरण में विश्वास करता है और उनके दर्शन में व्यक्ति को वातावरण से अधिक महत्व देता है। भौतिक-वादिशा के अनुसार दना हॉय्म इन अर्थों में पूर्णतया भौतिकवादी है। वह व्यक्ति को अधिक महत्व देता है। उसने मनोविज्ञान के कारण ही समझौते और शक्तिशाली राजतन्त्र की स्थापना होती है। हॉय्म का विश्वास था कि संसार में पदार्थ के अनिश्चित और कुछ भी सत्य नहीं है और जो कुछ 'प्रकृति अथवा पदार्थ' नहीं है वह विश्व का सग नहीं है। मेदाइन के अनुसार, "हॉय्म पूर्णतः भौतिकवादी था और उनके लिए आध्यात्मिक सत्ता केवल एक काल्पनिक वस्तु मात्र थी। वह यह नहीं कहता कि अनुभूति नहीं होती या आध्यात्मिक सत्य नहीं होने। लेकिन उनका स्पष्ट मत है कि उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।"¹

अतः हॉय्म की सम्पूर्ण प्रणाली संसार के तीन भाग-प्रकृति, पदार्थ और मनुष्य, तथा राज्य की व्याख्या, भौतिक सिद्धान्त व आधार पर हुई है। वह भौतिक वातावरण को बड़ा महत्व देता है। उनके अनुसार यही मानव मनोविज्ञान का आधार व आरम्भ बिन्दु है। वैज्ञानिक भौतिकवाद से वह यह सिद्ध करता है कि वातावरण मानव मनावृत्तियों का निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है। यहाँ यह मायैश्वर्य का पद-प्रदर्शन है। वास्तविक वातावरण व प्रभाव से ही मानव की आन्तरिक शारीरिक व्यवस्था प्रभावित होती है और फिर उनमें भावना, इच्छा, प्रेम तथा पृष्ठा आदि का उद्गम होता है।

1. हॉय्म का विचार था कि, "समझौता वस्तुओं में विश्वास करता एक ऐसी मन्त्रो है जिसे हमने अस्मृत से ग्रहण किया है और जिसका प्रकार धर्मार्थों में सब करने नाम के लिए करने पाये हैं।"

भौतिकवाद तथा प्राकृतिक कानून

सैदाहन ने इसके लिए "भौतिकवाद तथा प्राकृतिक विधि" शब्द का प्रयोग भी किया है। भौतिकवाद हॉम द्वारा दिये गए प्राकृतिक कानून के सिद्धान्त का मूल है। वह प्राकृतिक कानून का यत्रवादी दृष्टिकोण देता है जो प्राकृतिक कानून को दैविक या अति भौतिक रूप में पुष्कट है और मनुष्य की व्याख्या और समझ में पर की वस्तु नहीं है। "यद्यपि यह प्रक्रिया विधि वैसी ही थी जिसके द्वारा आशम ने न्यायशास्त्र का प्राथमिक रूप दिया था, लेकिन हास के परिणाम प्रोगम में भिन्न थे। आशम ने प्राकृतिक विधि को धर्मशास्त्र के अन्तर्गत में प्रयोग किया था पर उसने प्रकृति को यात्रिक रूप देने की कभी कल्पना तक नहीं की थी। हॉम के दर्शन में न्याय के किमी आवश्यक नियम को मान्यता नहीं दी। उसके विचार प्रकृति और मानव प्रकृति के कार्य कारण का व्यापार मात्र थे। आशे का कर स्पिनोसा ने यह प्रयत्न किया कि वह नीतिशास्त्र तथा धर्म को गणितीय प्राकृतिक विज्ञान के अनुकूल बना दे।" हॉम के अनुसार प्राकृतिक कानून, विधि और परिणाम की मरुटित व्यवस्था का ही दूसरा नाम है। इस ममार की गति की प्रक्रिया जिन कारणों व परिणामों से मिलकर बनी है वही प्राकृतिक कानून है।

मानव स्वभाव तथा मानव मनोविज्ञान

मानव स्वभाव व मानव मनोविज्ञान के विषय में हॉम के विचार उसके समस्त राजनीतिक दर्शन की आधार शिखा है। वह ममार का एक अन्तर्गत रूप में और मनुष्य एक व्यक्ति के रूप में अध्ययन और विश्लेषण करता है। मानव स्वभाव तथा मानव मनोविज्ञान का यह विश्लेषण भी हॉम वैज्ञानिक भौतिकवाद के आधार पर ही करता है। उसने अनुसार मनुष्य उत्कृष्ट शरीर है, एक ऐसा यन्त्र है जो कि पीछों और पशुओं के महत्त्व गतिमान प्रशुभा का सम्मिश्रण है, जिसे मृत्यु, पर्यन्त क्रियाशील रहना है। मनुष्य जिस वस्तु को इच्छा करता है उसे अर्थात् कहता है, जिसे वह प्राप्त करना चाहता है उसे वह बुझ करता है। हॉम मनुष्य को अनेक भावनाओं की एक अधिकारपूर्ण विवेचना करता है और अन्त में उन्हें दो भौतिक तथा प्रारंभिक भावनाओं—इच्छा व अनिच्छा तक समित्त कर देता है। इच्छा वह भावना है जो किमी वास्तव वस्तु द्वारा उत्पन्न गति में शरीर में वचन होने प्राण प्रक्रियाओं का एकट बनाना है और उत्पन्न करती है। इसके विपरीत अनिच्छा वृत्त भावना है जो इन प्रक्रियाओं का शुद्ध करती है। इच्छा एक वस्तु को प्राप्त करने का प्रयत्न है जबकि अनिच्छा उनमें अन्तर्गत पातक प्रयत्न। जिस वस्तु की प्राप्ति में हर्ष होता है और उसके या जाने पर दुःख होता है। इसी तरह हॉम वैभव, ईर्ष्या, दया, नम्रता आदि भावनाओं का आधार भी इच्छा व अनिच्छा दो मूल प्रवृत्तियाँ—इच्छा और अनिच्छा को मानता है। उनका समस्त भावनाओं का केन्द्र मनुष्य का निरन्तर चलता है। ये मनुष्य के अहंकार और स्वार्थपरता के विभिन्न रूप हैं। हॉमकी धारणा थी कि मनुष्य पूर्ण रूप में स्वार्थी है। समस्त मानव व्यवहार की प्रकृति पर आधारित करने के इस प्रयत्न ने ही

हॉम्य की प्रणाली को एक निश्चित वैज्ञानिक रूप दिया है जो उसे मैक्यावेली के ध्येष्ठ-
तर बनाता है ।

प्राकृतिक अवस्था और अनुबन्ध

मानव प्रकृति के विषय के स्वामाविक परिणामस्वरूप हॉम्य प्राकृतिक अवस्था, सामाजिक समझौता और नागरिक समाज पर माना है । हॉम्य के अनुसार प्रकृति की अवस्था पूर्व सामाजिक और पूर्व राजनीतिक थी । इसमें हर व्यक्ति का सब व्यक्तियों के विरुद्ध संघर्ष था, मनुष्य किसी प्रकार की भी सम्मति में डूब था और साथ ही सही और गलत के ज्ञान से भी परे था । ऐसी स्थिति में मनुष्य मरम्भ और शान्तिपूर्वक जीवन व्यतीत करने की इच्छा से (हॉम्य के अनुसार मनुष्य में मरम्भ बुराईयों के साथ-साथ विवेक का तत्व भी है) आपस में समझौता करने हैं जिससे एक संग्रभु का जन्म होता है और वह पूर्ण शक्तिशाली है, मृत्यु देव (Mortal God) है । इसे सब व्यक्ति अपने को दामित करने का अधिकार सौंप देने हैं, मानों प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक दूसरे व्यक्ति से कहा हो, कि ' मैं अपना स्वशासन का अधिकार इस व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह को सौंपता हूँ बसते तुम भी इसी प्रकार अपने अधिकार सौंप दो' । इस प्रकार हॉम्य के अनुसार समझौते द्वारा नागरिक समाज की स्थापना होती है । शान्ति व्यवस्था रखना और मनुष्य के अस्तित्व की अधिक अच्छी तरह रक्षा करना इस संग्रभु का उद्देश्य है । यद्यपि यह पूर्ण राजतन्त्र है और संग्रभु इसमें किसी प्रकार में बाध्य नहीं है, परन्तु सराजशाही की प्राकृतिक अवस्था का एकमात्र सही विरुद्ध है ।

उपरोक्त वर्णन में स्पष्ट है कि जिस बात ने हॉम्य की महान् राजनीतिक विचार-
रत्न बनाया वह उनका निरंकुशवाद का समर्थन नहीं है, वह तो उनके प्रभावक राजनीतिक
विचार का एक ऊपरी भाग है, न ही उनमें राजनीति और धर्म का पूर्ण विच्छेद है ।
यह तो मैक्यावेली और बोदा उनके पक्ष में बुरे थे । हॉम्य ने अनुभव किया कि
राजशाही ने दैविक अधिकार के आधार पर निरंकुश राजतन्त्र को उचित ठहराया ऐसा ही
है जैसा कि रोम पर महत्त्व बनाया । उनके उनका आधार मानव प्रकृति के सम्बन्ध
में उन मानव स्वभाव सम्बन्धी सिद्धांत पर रखा जिसे वह निश्चिन्त समझता था । उनके
धर्मको राज्य की प्राथमिकता में रखने का एक वैज्ञानिक तथा सर्वसम्मत आधार प्रस्तुत
किया । मैक्यावेली की भांति उनमें स्वार्थी और प्रतिस्पर्धा सम्बन्ध मानव स्वभाव को पूर्णतः
धर्म-निरस्त राजनीति शक्ति का आधार बनाया और मानव स्वभाव की वैज्ञानिक
व्याख्या सर्वप्रथम की ।

वैज्ञानिक भौतिकवाद की दृष्टि से हॉम्य का राजनीतिक विचारों की शीर्षक
में स्थान निश्चिन्त है । जब विचार्यपन प्रकृतित्त हुई तब सभी ने उनके
नागरिकवाद एवं वैज्ञानिक भौतिकवाद की ओर निरुद्ध की थी । हेनरी मोर
नवा कठोर एवं सार्थक, बंकरवैट जैसे धर्मशास्त्रियों तथा रिचर्ड जैसे राज-

नैतिक दार्शनिकों ने उसके नास्तिकवाद तथा भौतिकवाद के सिद्धान्तों की तीव्र आलोचना की थी।

यद्यपि हॉब्स ने अपने दर्शन के लिए वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया परन्तु इस दृष्टि में भी उसका लिखावटया प्रभावहीन ग्रन्थ रहा। सत्रहवीं शताब्दी में वैज्ञानिक पद्धति को ज्योमिति की पद्धति या निगमन पद्धति (Deductive) के अनुसृत्य समझा जाता था। हॉब्स के बाद यह सिद्ध हो गया कि ज्योमिति के नमूने पर एक राजनैतिक विज्ञान या मानवविज्ञान के निर्माण का प्रयास केवल एक भ्रम है। राजनैतिक कल्प-विकल्प के क्षेत्र में इस पद्धति का अनुकरण सिद्धांत के द्रष्टिक्रम और किसी विचारक ने नहीं किया था। परन्तु हॉब्स को पद्धति की दृष्टि में इस कमीटी पर नहीं कसता चाहिए कि उसके परिणाम कहा तक सही या गलत निकले या वह मानव तथा राजनैतिक विज्ञान के बीच सम्पर्क स्थापन में सफल रहा अथवा विफल। उसकी विमर्शना यह है कि उसका चिन्तन क्रमबद्ध तथा समन्वित है और उसने संगतिबद्ध युक्तियां प्रस्तुत की हैं और अपने निष्कर्ष पर वह दृढ़ता से कायम है। यदि हम उसके आरम्भ बिन्दु को स्वीकार करें तो उसके क्रमबद्ध परिणाम को टुकड़ाना असंभव होगा।

अनुभववाद

मेदाइन का कहना है कि "यह पद्धति मूलतः निगमनात्मक (Deductive) थी।" उसमें अनुभव प्रमाणता का अभाव है, और वास्तविकता का पुट नहीं आ पाया है। "हॉब्स का राजनैतिक दर्शन अर्थपरक राजनैतिक निरीक्षण पर आधारित नहीं है। मनुष्य के नागरिक जीवन में प्रेरक तब बौद्ध-बौद्ध रहते हैं इसमें हॉब्स पूरी तरह परिचित नहीं था। उसका मनोविज्ञान भी निरीक्षण पर आधारित नहीं है। वह इस बात का विवरण नहीं कहा जा सकता कि मनुष्य वास्तव में क्या है, प्रत्युत वह इस बात का विवरण था कि सामान्य सिद्धान्तों की ध्यान में रखते हुये मनुष्य को कैसा होना चाहिये।" प्रायः अनुभववाद (Pragmatism) वैज्ञानिक पद्धति का महत्वपूर्ण तत्व है जिसका तात्पर्य है जीवन के निरीक्षण एवं अनुभव के आधार पर विस्लेषणात्मक ढंग में निष्कर्ष निकालना। परन्तु हॉब्स अपने मन्त्रिक द्वारा पूर्व निर्धारित उपकल्पनाओं (Hypothesis) में आरम्भ कर निष्कर्ष निकालता है, जीवन की व्यावहारिकताओं में नहीं। वे स्वयं एक सिद्ध मय में आरम्भ होती है और उन में परिणाम निकाले जाते हैं। परन्तु इस आलोचना के बावजूद भी यह स्पष्टता है कि सत्रहवीं शताब्दी की वैज्ञानिक पद्धति में जो उस समय विकसित हो रही थी, अनुभववाद पर उतना दब नहीं दिया जाता था जितना आज दिया जाता है। इसके विपरीत वैज्ञानिक पद्धति गणितीय और भौतिक विज्ञानों की भाँति अधिक थी। अतः यहाँ हॉब्स की यह युक्ति ठीक होगी कि वह वैज्ञानिक पद्धति की शुरुआत में अपने समय की सीमाओं में आगे नहीं बढ़ सका। इस सम्बन्ध में वह सत्रहवीं शताब्दी का शिरोधार्य है।

सेवाइन का मत

सेवाइन ने एक ग्रन्थ 'मालोवना' करते हुए लिखा है कि हॉल्म स्वयं अपनी की व्यवहार में लाने में प्रयत्न रहा। उमने अपनी पद्धति कुछ ऐसी माय्यतापो से धारम्भ की जो तर्क की दृष्टि से लो सही थी, किन्तु व्यावहारिक जीवन की दृष्टि से स्वयं में गलत थी। वह गणितीय पद्धति में इनका अधिक विश्वास करता है कि गणितीय ज्ञान और ज्योमिति पद्धति तथा अनुभव और व्यावहारिक ज्ञान के सम्बन्ध में भ्रम में पड़ जाता है और फलस्वरूप यह मान बैठता है कि जिन निष्कर्षों पर वह अपने गणितीय ज्ञान और ज्योमिति पद्धति से पहुंचा है वे व्यावहारिक जीवन में भी सही होंगे। दूसरे हॉल्म मानव जगत और भौतिक जगत के अन्तर को भी मुझा बैठता है और दोनों में एक ही पद्धति से व्यवहार करने का असफल प्रयाग करता है। उसकी धारणा है कि जिन प्रकार ज्यामिति की सहायता से हम जटिल से जटिल वस्तु का अध्ययन कर सकते हैं वैसे ही मानव के जटिल व्यवहार के सम्बन्ध में भी किया जा सकता है। हॉल्म ज्योमिति की सहायता से केवल मानव मनोविज्ञान का अध्ययन ही नहीं कर रहा था बल्कि उसका विचार था कि भौतिक विज्ञानों के नियमों (Laws of Physics) की भांति 'मानवीय व्यवहार के नियम' (Laws of Human Behaviour) भी बनाये जा सकते हैं जबकि मानव व्यवहार के बारे में ऐसा करना निषेध ही बठिन है।

"सेवाइन ने हॉल्म के दर्शन पर केवल उपयोगितावादी होने का आरोप लगाया है।" हॉल्म के लिये विज्ञान का यही अभिप्राय था कि सरल-सरल वस्तुओं के मापार पर बटिल वस्तुओं का निर्माण किया जाय। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ज्योमिति है। इस दृष्टिकोण का परिणाम यह हुआ कि हॉल्म ने शासन को पूरी तरह से लौकिक और उपयोगितावादी माना। उसके लिए शासन का महत्व केवल इस बाब पर निर्भर करना है कि वह क्या कार्य करता है। चूंकि शासन का विकल्प अराजकता है अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि एक उपयोगितावादी को क्या चुनना चाहिए। इस चुनाव में भावना का कोई स्थान नहीं है। शासन के साथ विन्तुल ठोस हैं और ये व्यक्तियों को ठोस तरीके से ही प्राप्त होने चाहिये—शांति, सुविधा, सुरक्षा और सम्पत्ति के रूप में। यही एकमात्र ऐसा मापार है जिस पर शासन या उसका मौलिक्य निर्भर है। सार्वजनिक इच्छा की भांति ही सामान्य या सार्वजनिक हित केवल कल्पना की वस्तु है। केवल व्यक्ति ही अपने जीवन साधनों के लिये रहना और संरक्षण का उपयोग करता चाहता है।" इस प्रकार हॉल्म के अनु-सार राज्य के अस्तित्व अनुभव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये तथा व्यक्ति की सुरक्षा की कल्पना के लिये है। उसका एकमात्र मौलिक्य अपनी उपयोगिता है। उसके भौतिक जीवनार्थे का श्रेष्ठ परिणाम की अनुभूति है। हॉल्म कोई अन्तःकरणवादी नहीं था और उमने लिये जनता की सामान्य इच्छा (General Will) जैसी किसी चीज का अस्तित्व भी नहीं है। अस्तित्व केवल व्यक्तियों का है उनकी रक्षा करना उनका अपना कर्तव्य है। उनके निजी हितों का ध्यान ही सामाजिक हित है। हॉल्म के विद्वान्त

के इन पहलू को बेधन तथा उनके क्रतुयाँदियों ने विकसित किया। राज्य को व्यक्तियों के परस्पर विरोधी हितों का सम्बन्ध बना कर वह समसामयिकवादियों का पूर्व सूचक बन गया।¹

इन सब आलोचनाओं के बावजूद भी यह बड़ा सम्बन्ध है कि होल्स ने सामाजिक विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति के विकास में महान् योगदान दिया है। अब तक के इतिहास में राजनीतिक पद्धति की आदर्शरचना के प्रति कोई चेतना नहीं थी। होल्स ने यह अनुभव किया कि एक विकसित पद्धति के बिना राजनीति विज्ञान, विज्ञान नहीं बन सकता। हमारे होल्स इस दिशा में निर्देशन देने वाला वह सर्वप्रथम विचारक या विन्हीं मान्यता थी कि राजनीतिक पद्धति में नैतिक विज्ञानों की पद्धतियों से दृढ़ दृष्टि दिया सम्बन्ध है। अपने राजनीति के विवेक मतावैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रारम्भ किया। हमारे, यहाँ में होल्स की महानता इस बात में है कि अपने अपने राजनीतिक परिणामों का आधार उस पद्धति पर रखा जिसे उन युग में पूर्ण वैज्ञानिक सम्बन्ध जन्म लगा था। इन पद्धति का मार यह है कि सम्बन्ध दार्शनिक लोड ज्योनिनि की पद्धति पर ऐसी चाहिये और नैतिक बात को एक विमुक्त साविक प्रजातों के समान समझना चाहिये, बिन्ने प्रत्येक घटना की व्याख्या उसकी पूर्ववर्ती घटना अथवा घटनाओं के प्रकाश में की जा सके। वह राजनीति विज्ञान का मूल मतावैज्ञानिक की नीति पर कल्पना चाहता है। उनकी पद्धति में अधिकार पूर्ण व्यक्तियों के उत्तर देने के विवेक, या इतिहास को सिद्धांतों के विवेक या धर्म प्रयोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। यही कारण है कि होल्स को प्रागुक्त माना जाता है वृत्ति अपने दूर से करना पूर्ण सम्बन्ध विन्ने कर दिया है।

आज 20वीं शताब्दी में बड़ी सरलता से हम अपनी उस पद्धति में दोगू निम्न सम्बन्ध है जिसका प्रयोग अपने मूल्य तथा समय के सम्बन्ध के लिए किया और यह कह सकते हैं कि अब भी यहाँ में सामाजिक विज्ञानों के विकास में यदि कोई बात निम्न की है तो वह यह कि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में नैतिक विज्ञानों की पद्धति का प्रयोग एक नैतिक पैमाने पर ही किया जा सकता है। प्रागुक्त विज्ञानों के मूल्य पर एक मानव विज्ञान की रचना करने का प्रयास होल्स का एक और योगदान था। पर यदि होल्स के प्रति हम न्याय से काम लें तो हम यह मान सकते हैं कि स्वतंत्र शताब्दी में सम्बन्ध विज्ञान पर व्यक्तियों की एक शक्ति प्राप्त थी। इन पद्धति को प्रयोग कर ही ज्योनिनि को मजबूत मान्यता हुई थी और उसे सामाजिक सम्बन्ध के क्षेत्र में प्रयोग के रूप में उस समय के उदाहरण, निम्नोक्त, निम्नोक्त जैसे महान् विचारकों की शोभा थी। पर अब

1. इस प्रयोग में मेरा मत है कि "यह कोई प्रागुक्तिक घटना नहीं है कि बेधन बर्तों में होल्स का उदय ही शक्ति है जिसका कि उसके मूल्य विषयक विचारों का। अपने बर्तों में नैतिक का नाम अपने सम्बन्ध रहा है परन्तु यह बर्तों का प्रागुक्तिक न होना कि अपने एक ऐसी बात निम्न है जिसका मूल्य नैतिक के विवेक से सम्बन्ध है क्योंकि अपने में सम्बन्ध प्राप्त निम्नोक्त है।"

कि लॉक भी जिसे सामान्यतः अनुभव प्रधान प्रणाली का जनक माना जाता है, राजनीति की ज्योमिति की भांति एक प्रदर्शनात्मक विज्ञान बनाना चाहता था। फिर हॉब्स ने यदि ऐसा प्रयास किया तो इसमें आश्चर्य क्या ?

हॉब्स ने अपने परवर्ती अनेक राजनीतिक विन्मूक्तों और राजनीतिक विचार-धाराओं को प्रभावित किया है। उनके भौतिकवाद की छाप मारटेम्ब्यु और कार्लो मार्क्स पर देखी जा सकती है। उसमें उपयोगितावाद का भी आरम्भ मिलता है और बावजूद इस सब के कि समझौता नागरिक का स्वतन्त्रता पर न होकर दामता का बन्धन है, हॉब्स को उदारवाद का दार्शनिक और वेगमम तथा मिल का पूर्वज समझा जाता है। वह एक ऐसी राजनीति तथा शासन शास्त्र का प्रतिपादन करता है जिसका आधार मनुष्य है और जहाँ से व्यक्तिवादी विचार पद्धति प्रजाजन का अपने शासकों को तोलने के लिए आधार प्रस्तुत करने की है। "यदि मनुष्यों को एक प्रायः राजनीतिक (Pre political) अधिकार प्राप्त है (जिसे सुरक्षा रखना राज्य का कार्य है) तो उसका परिणाम स्पष्ट है (वाहे उसे कोई कितनी ही अनिच्छा से स्वीकार क्यों न करे) और वह यह है कि वह राज्य जो प्रायः उस अधिकार की पूर्ति करने में विफल रहता है उसकी अवहेलना की जा सकती है।" हॉब्स के दर्शन को उमरे युग का सबसे आन्तिकारी विद्वान्त बनाने वाला तरब उसका व्यक्तिवाद है। उमरे शैक्षेज फयर (Laiscky Faire) की उस भावना को पकड़ लिया था जिमने सामाजिक विन्तन को दो धारादियो तक अनुशासित रखा। अतः यह कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक भौतिकवाद पर अपने दर्शन की छापा रित कर हॉब्स ने राजनीतिक इतिहास के विकास में महान योग दिया है।

BIBLIOGRAPHY

- (1) SABINE A History of Political Theory
- (2) LEO STRAUSS The Political Philosophy of Hobbes
- (3) ZAGORIN Political Thought in the English Revolution
- (4) STEPHEN Hobbes.
- (5) WARENDER Thomas Hobbes

जॉन लॉक के राजदर्शन में व्यक्तिवाद

(INDIVIDUALISM IN THE POLITICAL PHILOSOPHY OF
J. LOCKE)

—शशि रिलो

जॉन लॉक सबसे बड़े अंग्रेजों में से एक महान विचारक था। अनुभववादी होने के बावजूद भी इसके राजनीतिक विचार हॉब्स से बहुत कुछ भिन्न हैं। यद्यपि लॉक के ग्रंथ में इनकी समझ नहीं है बिलंब कि हॉब्स के लेवियाथन (Leviathan) में पाई जाती है किन्तु फिर भी व्यावहारिक सिद्धांत के रूप में वह हॉब्स के लेवियाथन दर्शन से अधिक श्रेष्ठ है। लॉक का ट्रीटिस (Treatise) उनके युग की मान्यता की प्रतिबिम्बित करता है। अपने सन् 1668 की गौरवपूर्ण क्रांति के लिए एक वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया था। वोग (Vaughan) ने अपनी पुस्तक स्टेट्समैन इन दो हिस्सों में लॉक के ट्रीटिस के लिए लिखा है कि "वह अपने प्रमाण के रूप में केवल दो चीजों का एक इंग्लैंड और फ्रांस में स्वतन्त्रता की स्थापना करने के लिए।" अपने अमेरिका के क्रांतिकारियों के लिए भी प्रेरणा प्रस्तुत किया। केवल राजनीतिक विचार क्षेत्र में ही नहीं बल्कि दर्शनशास्त्र, धर्मशास्त्र तथा धर्मशास्त्र के क्षेत्रों में भी लॉक की रचनाओं ने कुछ ऐसी विचार रेखाएँ निर्धारित की हैं जिनका अनुसरण आधुनिक और भविष्यक प्रायः एक ही धारा है।

लॉक का राजनीतिक दर्शन

राजनीतिक दर्शन की जो परिभाषा लॉक ने दी, वह उनके राजनीतिक दर्शन का सर्वोपम आरम्भ बिन्दु है। उसका कहना था कि "सम्पत्ति की निर्यात तथा सुरक्षा रखने, कानूनों का विधान करने, राज्य की सत्ता प्राप्तियों में रखा करने तथा समाज की शक्ति के प्रयोग के लिए कानून बनाने और उन्हें लागू करने पर दंड देने के अधिकार को राजनीतिक शक्ति कहते हैं।" कानूनों को विधान करने के लिए राज्य द्वारा दत्त प्रमाण केवल तभी आवश्यक हो सकता है, जबकि उसे सम्पूर्ण समाज का समर्थन प्राप्त हो और उसका प्रयोग अनिष्ट के लिए किया जाय। लॉक एक ऐसा आधुनिक है जो अपने राजनीतिक दर्शन में व्यक्ति और अनुभव दोनों को समान महत्व प्रदान करने की चेष्टा करता है।

हारस और लॉक

लॉक के अनुसार शासन विशेष रूप से राजा के प्रति तथा राजा के साथ-साथ संसद और अन्य राजनीतिक प्रतिष्ठानों जैसे जनता सभा समुदायों के प्रति उत्तरदायी होता है। उसकी शक्ति कुछ तो नैतिक विधि द्वारा निदिबद्ध होती है और कुछ देश के इतिहास में लिखित संवैधानिक परम्पराओं और अभिमतों द्वारा जन्म होती है। शासन के बिना कार्य नहीं चल सकता, इसीलिए शासन का अधिकार आवश्यक है। लेकिन, यह अधिकार इस धर्म में जनता से लिया गया है कि यह राष्ट्र के कल्याण के हित में है। यह धर्म समुदायों को एक सामाजिक धर्मार्थता के रूप में ग्रहण करता है। लॉक के युग में यह सिद्धांत पूर्णतः स्वभाविक भी था कि समाज लोकतंत्र द्वारा नियंत्रित होता था। हॉग्स के विद्वेषण का उद्देश्य यह प्रकट करना था कि वास्तविक समुदाय एक कल्पना है। उसका अस्तित्व केवल उसके सदस्यों के सहयोग पर निर्भर है। यह सहयोग केवल इस कारण है कि उसके सदस्यों को कुछ लाभ होता है। यह समुदाय का रूप उन्नीसवीं शताब्दी में धारण करता है जबकि कोई व्यक्ति प्रभुशक्ति का प्रयोग कर सकता हो। इस विद्वेषण के माध्यम पर ही हॉग्स ने यह निष्कर्ष निकाला था कि शासन चाहे कैसा भी क्या न हो उसमें प्राथमिकता आवश्यक है। उसके अनुसार अविद्या, प्रतिनिधित्व और उत्तरदायित्व जैसे विचार राज्य के अन्तर्गत ही बंधे हैं, राज्य के लिए नहीं।

इन दोनों दृष्टिकोणों में आधारभूत अन्तर है। पहले दृष्टिकोण में शायों पर बल दिया गया है। इसमें व्यक्तियों तथा संस्थाओं दोनों के बारे में यह कल्पना की गई है कि ये दोनों सामाजिक दृष्टि से उपयोगी कार्य करते हैं। शासन सब की अलाई के विचार से उनका नियमन करता है। दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार समाज स्वार्थी व्यक्तियों का एक संगठन है। ये व्यक्ति अपने समान ही अन्य स्वार्थी व्यक्तियों में अपनी रक्षा के लिए विधि तथा शासन का धारण चाहते हैं। यदि लॉक इनमें से किसी एक दृष्टिकोण को पूरी तरह अपना लेता और दूसरे को अस्वीकार कर देता तो उसने दर्शन में अधिक संगति रहती।

लॉक ने जिन परिस्थितियों में चिन्ता था, उनमें दोनों ही दृष्टिकोणों को अपनाते ही आवश्यकता थी। लॉक ने अपने सामाजिक दर्शन में हॉग्स द्वारा दी गई बहुत सी स्थापनाओं को भी स्थान दिया। वह प्राकृतिक विधि की धारणा इस रूप में करता है कि वह व्यक्ति में निहित कुछ अन्तर्गत और अभेद अधिकारों का दावा है। इन अधिकारों में व्यक्तिगत सम्पत्ति का अधिकार एक आदर्श अधिकार है। शासन और समाज दोनों का उद्देश्य व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना है। इन अधिकारों की अभावता दोनों की मत्ता के ऊपर एक नीमा है। लॉक बार-बार यह स्पष्ट करता है कि शासन का उद्देश्य समाज का हित है। राज्य एक ऐसा धर्म है जिसे मनुष्य ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये बनाया है। हॉग्स और किन्कर दोनों के लिए यह एक अन्तर्गत अन्तर था। लॉक के एक भाग में व्यक्ति और उसके अधिकारों की अभावता दी है तो दूसरे भाग

में समाज की। इसीलिए कहा जाता है कि लोक व्यक्तिवादी था। उनकी दर्शन प्रणाली का केन्द्र है व्यक्ति तथा उसके अधिकार।

सम्पत्ति और प्राकृतिक अधिकार

लोक ने हॉब्स द्वारा चित्रित प्राकृतिक अवस्था की विन्ध्य रूप से आलोचना की है। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से लड़ता रहता था। इसके विपरीत लोक का विचार है कि "प्राकृतिक अवस्था शान्ति मद्भावना पारस्परिक रक्षा और महायत्ना की अवस्था थी।" प्राकृतिक विधि मानवी अधिकारों और कर्तव्यों की पूरी तरह से व्यवस्था करती है। प्राकृतिक अवस्था का एकमात्र दोष यह था कि उसमें मजिस्ट्रेटों, लिखित विधि और निर्दिष्ट दण्डों की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे कि अधिकार सम्बन्धी नियमों को मान्यता मिल सकती। प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक मनुष्य अपने स्वतन्त्रता की जिम प्रकार भी हो सकता था, रक्षा करता था। इस अवस्था में उसे अधिकार था कि वह अपनी वस्तु की रक्षा करे, और उसका यह कर्तव्य भी था कि वह दूसरों की वस्तु का सम्मान करे। उसका यह अधिकार और कर्तव्य उतना ही पूर्ण होता था जितना कि किसी शान्त के अन्दरगत सम्भव है।

लोक का विचार था कि प्राकृतिक अवस्था में सम्पत्ति इन अर्थ में एक थी कि प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति में अपने जीवन निर्वाह की सामग्री प्राप्त करता था। यहाँ लोक आधुनिक विचारों को ना रहा है। मध्य युग में यह विचार अज्ञान्य नहीं था कि 'ममान स्वामिन्व, व्यक्तिगत-स्वामिन्व की अनेका अधिक पूर्ण होता है और इसीलिए अधिक स्वभाविक भी। व्यक्तिगत सम्पत्ति मध्ययुग में मनुष्य के पतन तथा उसके पापों का चिन्ह मानी गई थी। रोम की विधि में इससे दिव्य निन्दित सिद्धांत पाया जाता था। वह सिद्धांत था कि व्यक्तिगत सम्पत्ति का जन्म उसी समय हुआ जबकि लोगों ने वस्तुओं पर अनाधिकार कब्जा आरम्भ कर दिया। इसमें पूर्व सब लोग मनी चीजों का भिन्न-भेद कर प्रयोग करने थे, यद्यपि उन समय भी सामुदायिक स्वामिन्व नहीं था। लोक ने इन दोनो सिद्धांतों में निन्दित अना सिद्धांत रखा है।

उसने कहा कि त्रिम चीज को मनुष्य ने अपने शारीरिक श्रम से प्राप्त किया है उन पर उसका प्राकृतिक अधिकार है। उदाहरण के लिये, यदि वह किसी जमीन के बाग और दीवार बनाता है या उसे जोतता है तो वह उसका ही जाता है। उस समय समुदाय जैसे नए उपनिवेशों में नहीं हो रहा था। लोक पर कहा के उदाहरण का प्रभाव पड़ा। इसके साथ ही लोक यह भी मानता था कि व्यक्तिगत कृषि अर्थ-व्यवस्था में प्रादिन कान की सामूहिक क्षेत्रों की अनेका अधिक उत्पादन होता है। लोक का विचार था कि अधिक उत्पादन होने से सम्पूर्ण समुदाय का जीवन-स्तर ऊँचा बनता है। लोक के सिद्धांत का मूल बाह्य गुण भी रहा ही, उसका दर्श यह था कि व्यक्तिगत सम्पत्ति का अधिकार अनिवार्य उत्पन्न होता है, जब व्यक्ति परिश्रम

करता है तब वह अपने परिश्रम से सृजित पदार्थ में अपने व्यक्तित्व का आरागण कर देता है। अपनी आन्तरिक शक्ति पर विभवाग करके वह उन्हें अपने व्यक्तित्व का धन बना लेता है। सामान्यतः अपनी उपयोगिता इन बातों पर निर्भर करती है कि उनके सम्बन्ध में कितना परिश्रम किया गया। इस प्रकार लॉक के सिद्धांत ने समाजवादी धर्म व्यवस्था के धर्म सम्बन्धी मूल्य सिद्धान्तों (Labour Theories of Value) का पथ प्रशस्त किया।

लॉक ने व्यक्तिगत सम्पत्ति का जो सिद्धान्त दिया है उसमें यह स्पष्ट है कि मनुष्य का सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार प्रादिम समाज से पहले का है। लॉक ने इस प्रादिम समाज को प्राकृतिक अवस्था का नाम दिया है। उसने यह भी कहा है कि "सम्पत्ति समस्त साधारण जना के स्पष्ट सम्झने के विना भी रहती है।" यह एक ऐसा अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के अलग भाग के रूप में लेकर समाज में लाता है। इस प्रकार समाज अधिकार की मूर्ति नहीं करता, समाज और सामन्यता का उद्देश्य सम्पत्ति के अधिकार की रक्षा करना है। यद्यपि लॉक ने सम्पत्ति विरुद्ध विरुद्ध प्रस्तावना ही दिया है तथापि इसका उमके मूल्य सामाजिक दर्शन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। "सम्पत्ति" शब्द का अर्थ लॉक बहुत व्यापक अर्थों में करता है। उसने निम्न सम्पत्ति में जीवन, स्वतन्त्रता तथा मनुष्य का धन सम्मिलित है। लॉक जहां जहां किसी अधिकार के सम्बन्ध में कहना चाहता है, वह सम्पत्ति शब्द का प्रयोग करता है। पूरा सम्पत्ति ही एकमात्र ऐसा अधिकार है जिसकी उमने विस्तार से परीक्षा की है। अतः स्पष्ट है कि उमने इस अधिकार को बहुत महत्वपूर्ण माना है। वाहे कुछ भी स्थिति है, उमने समस्त प्राकृतिक अधिकारों को व्यक्ति का मूल्यपूर्ण अधिकार माना है। अतः ये अधिकार समाज तथा सामन्य के प्रति व्यक्ति के अनुरूपीय दावे हैं। समाज का उद्देश्य इन दावों की रक्षा करना है अतः समाज उन पर अपना ही नियंत्रण रख सकता है जिसका उमने रक्षा के लिए आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, एक व्यक्ति के जीवन, स्वतन्त्रता और सम्पदा पर उमने सीमा तक नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है, जिस सीमा तक कि उम कार्य में दूसरे व्यक्तिों का अर्थ ही परिष्कार की रक्षा करने में सहायता प्राप्त होती है। वर्तमान स्थिति में इसका महत्व यह है कि यह सरकार की शक्तियों के ऊपर एक सीमा है। सरकार जन-संख्या के विना सम्पत्ति का हस्त नहीं कर सकती क्योंकि कानून सम्पत्ति की रक्षा के लिए ही बनाया जाते हैं। इस प्रकार लॉक की सरकार नागरिकों के कुछ अत्याचार अधिकारों के कारण मंत्रित्व में जाती है। इन सब विचारों से स्पष्ट है कि सरकार को जनता के प्रति अनुरूपीय होना चाहिए। सरकार अक्षरी है या नहीं, इन बातों को अनुरूपीय निर्णय करना है।

सामाजिक सचिदा

लॉक ने अपने दर्शन में सबसे पहले प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है। इस अवस्था को उमने शक्ति और पारम्परिक सहायता की अवस्था बताया है। उमने

प्राकृतिक अधिकारों को भी सम्पत्ति के आधार पर समाज से पहले विद्यमान माना है। इसके पदवाचक वह नागरिक समाज के उद्भव का वर्णन करता है। यह समाज अपने सदस्यों की सहमति पर आधारित है। उसके मिश्रांत के इस पक्ष में अनेक दुर्बलताएँ थी।¹

नागरिक शक्ति का अधिकार प्रत्येक-व्यक्ति को अपनी और अपनी सम्पत्ति की रक्षा करने का अधिकार है। शासन सम्पत्ति की रक्षा करने के लिए जिसे विधायी और कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करता है, यह वही शक्ति है जिसे व्यक्ति ने समुदाय की प्रथम जनता को सौंप दिया है। इस शक्ति को हस्तांतरित करने का कारण यह है कि यह प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने का अधिक अच्छा उपाय है। इसके द्वारा मनुष्य समुदाय का या राजनीतिक समाज का निर्माण करते हैं। यह समझौता सब का सबके साथ होता है। इसका स्वरूप सामाजिक है। इसने अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति सम्पूर्ण समाज को अपने वेचल के अधिकार देने को तैयार होता है जिनके प्रयोग में प्राकृतिक अवस्था में कुछ गड़बड़ पैदा होती थी और शांति क्षेत्र में पड़ती थी। ये अधिकार थे : अपने लिए प्राकृतिक कानून की व्याख्या करना, उसे क्रियान्वित करना और उसे भंग करने वालों को दण्ड देना। शासन के दोष अधिकार, व्यक्तियों के पाम सुरक्षित रहते हैं और राजनीतिक नियंत्रण को भयाहित करते हैं।

लॉक के अनुसार समझौता करके कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतन्त्रता पर कोई ऐसा बंधन स्वीकार नहीं करता जो दूसरों के आक्रमण में उसे सुरक्षित रखने के लिए तैयार न हो। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक कानून की व्याख्या करने तथा उसे लागू करने वाला राज्य स्वयं भी उसमें उतना ही बाधित है, जितना कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति।²

इस प्रकार सरकार के ऊपर दोहरा नियंत्रण लग जाता है। उसे जीवन, स्वतन्त्रता तथा सम्पत्ति के उन प्राकृतिक अधिकारों का सम्मान करना पड़ता है जिनका उपयोग मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में करते थे और उसे स्वयं भी प्राकृतिक कानून का पालन करना पड़ता है। मारश यह है कि हॉब्स के सामाजिक समझौते के विपरीत, जो कि शासन को अपरिमित तथा निरंकुश शक्तियाँ प्रदान करता है, लॉक का मौलिक

1. लॉक ने नागरिक सत्ता की परिभाषा इस प्रकार की थी, "यह सम्पत्ति की रक्षा और उसका नियमन करने के लिए दण्ड सहित कानूनों को बनाने का और इन कानूनों के निष्पादन में मार्कजनिह हित के लिए समुदाय की शक्ति के प्रयोग करने का अधिकार है।" इस प्रकार की शक्ति केवल महमति के द्वारा ही उत्पन्न होती है। यह शक्ति सीमित रूप में ही दी जा सकती है लेकिन इसे प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए ही दे सकता है।

2. लॉक स्वयं कहता है कि "प्राकृतिक कानून की सीमाएँ समाज में समाप्त नहीं हो जाती।"

समझौता शासक को केवल सीमित शक्तियाँ ही प्रदान करता है। लॉक का समझौता शासन की तरह से शासक का पट्टा नहीं बरत स्वतन्त्रता का पत्र है। लॉक के हाथ में पड कर सविदा सिद्धांत उमर। उद्देश्य की पूर्ति करना है, जिसके लिए मूल रूप से उसका प्रतिपादन किया गया अर्थात् शासक की निरपेक्ष शक्ति व दावे के विपरीत व्यक्ति की स्वतन्त्रता की रक्षा करना। लॉक इस सविदा का प्रयोग व्यक्ति की प्राकृतिक स्वतन्त्रता को अधिकारिक सुरक्षित रखने के लिए करता है।

लॉक की सविदा की दूसरी मुख्य विशेषता यह है कि यह सर्वसम्मति से की जाती है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वतन्त्र और स्वाधीन है इसीलिए क्रिया को भी किसी की इच्छा के विरुद्ध राज्य का सक्षम बनने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। जो लोग बाहर रहना चाहें वे प्राकृतिक अवस्था में रह सकते हैं। अभिप्राय यह है कि लॉक के अनुसार राजा जन इच्छा के अनुकूल होना चाहिए। यह सविदा न केवल सर्वसम्मति से होती है बल्कि लॉक के अनुसार यह झटल भी है। क्योंकि एक बार समझौता कर लेने पर लोग इसके विपरीत नहीं जा सकते। हा, यदि किसी सङ्घर्ष उनके द्वारा बनाई गई सरकार ही विफल हो जाए तो दूसरी बात है। लॉक अपनी सविदा में यह मानता है कि यद्यपि राज्य का निर्माण करने वाले मूल समझौता व लिए सर्वसम्मति आवश्यक है किन्तु राज्य के लिए यह निपारित करने में कि अक्षर्य क्या है, और उसका क्या दण्ड होना चाहिए, सर्वसम्मति आवश्यक नहीं है। राज्य द्वारा बनाए जाने वाले कानून में बहुमत शासन का नियमन कार्य करता है। सामाजिक समझौते में बहुमत शासन का सिद्धांत अतिवाच्य रूप से निहित है। इस सिद्धांत को स्वीकार किए बिना कोई भी सामूहिक कार्य असम्भव हो जाता है और सविदा का साथ महत्व ही जाना रहता है।¹

लॉक की यह धारणा सही है कि एक जीवित समाज के निर्णयों का सर्वसम्मति के माध्यम नहीं किया जा सकता। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग किसी कारणवश कार्यवाही में भाग न लें और कुछ लोग मत की विभिन्नता के कारण उसे स्वीकार न करें। अल्पमत के लिए बहुमत के निर्णय को स्वीकार कर लेना प्रति आवश्यक है। परन्तु लॉक ने इस बात का स्पष्ट नहीं किया कि अल्पमत के विषय में, जिसे महमत न होने हुए भी बहुमत के निर्णय को मानना पड़ता है, यह कैसे कहा जा सकता है कि

1. लॉक के अपने शब्दों में—“प्रत्येक व्यक्ति द्वारा वे साथ एक सरकार का प्राधान्यता में एक राज्य के निर्माण करने की अनुमति देता है। इस प्रकार वह अपने प्राचीन अधिकार के निर्णय के समझे मुझने मगर उन्हीं मर्यादित होने के लिए बाधित करता है। अतएव यह मूल सविदा, जिसके द्वारा उनका दूसरा वे साथ निरंतर कर समाज की रचना की है, निरर्थक हो जाएगी और वह सविदा ही नहीं रहेगी।”

एक स्वतन्त्र और समान है और उसकी सहमती से ही उस पर शासन होता है। यदि व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार अनद्वेषणीय हैं तो दण्ड का भी हमने बर्तन करने का अधिकार हमने अधिक नहीं है किना कि किसी एक व्यक्ति का है। इस बात का भी कोई उचित कारण नहीं कि कोई व्यक्ति अपने निजी निर्गुण या केवल शरीरार्थ परिवर्तन कर दे क्योंकि दण्ड से तो हमने सम्मत् नहीं है। चाहे न इन समस्याओं का कोई सुक्रियुक्त समाधान प्रस्तुत नहीं किया है। बल्कि यह कह देना कि दण्ड शासन ही सविद्या में ही निहित है ना इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं माना जा सकता।¹ दण्ड का शासन विनाश इतना मान्य नहीं है किना कि चाहे हमें सम्मत्ता या।

लॉक के इन सविद्या सिद्धान्त में कुछ अस्पष्टताएँ और अनिश्चितताएँ भी पाई जाती हैं। परन्तु बात यह है कि लॉक बार-बार ही मूल सविद्या (Original contract) की बात करता है, जिसके द्वारा मूल्य एक राजनीतिक समाज में संगठित होने के लिए सम्मत् होना है। इस भाषा में प्रतीत होता है कि लॉक केवल एक ही सविद्या की कल्पना करता है। और हमने ही सविद्या द्वारा राजनीतिक समाज अर्थात् राज्य की स्थापना ही नहीं है इसके अलावा नहीं जानता कि वह सरकार तथा उसके संस्थानों की भी मूलि करता है। क्योंकि राज्य और सरकार दो भिन्न वस्तुयें हैं और लॉक इन दोनों का सम्मत् होने परसे विचारकों में से एक था। परन्तु लॉक ने यह बात स्पष्ट नहीं की कि सरकार का निर्माण कैसे हुआ और कब हुआ ?²

इन सविद्या का एक सैदाशन जैसे विद्वान यह कह कर कहना चाहते हैं कि "लॉक की स्थिति अद्वेषणीय तथा निरन्तर के समान थी जिन्होंने कि दो सविद्याओं की कल्पना की थी—एक व्यक्तिगतों के बीच में, जिसके द्वारा समाज की रचना हुई और, दूसरी समाज और सरकार के बीच में।" परन्तु इन दोनों सविद्याओं का अन्तर्गत लॉक ने नहीं किया। हालाँकि यह उनके शब्दों में लिखित अर्थमय भावना होता है।

कुछ दूसरे सिद्धांतों की धारणा यह है कि यद्यपि लॉक राज्य और सरकार में भेद नहीं देना तथा समाज और सरकार के लिए दोनों समन्वय का बटु रूप द्वारा भी नहीं करता। उनमें केवल एक ही समन्वयता पाया जाता है जिसके द्वारा राजनीतिक समाज की रचना होती है। कोई भी राजनीतिक समाज सरकार के बिना न हो सकता है और न ही कार्य कर सकता है। इसीलिए हमें प्रथम कार्य करना है सरकार की स्थापना करना, जिसका कार्य है समाज में जीवन, शरीर तथा सन्धि की रक्षा करना।

1. "It is plain the world never was and nor ever will be without numbers of men in that state".—Locke

2. "I affirm that all men are naturally in that state and remain so till by their own consent they make themselves members of some Political Society".—Locke.

लोक स्वयं कृता है—'कई भी राजनीतिक समाज बना सकते हैं मद्रस्य के अन्तर्गत ही दण्डित करने की शक्ति व बिना न हो सकता है और न बाधक रह सकता है। इंग्लैंड राजनीतिक समाज बना और वेचन वहीं हो गया है जहाँ कि प्रत्येक मद्रस्य ने अपनी प्राकृतिक शक्ति का परिष्कार करते उसे सम्पूर्ण समाज के हाथ में सौंप दिया हो। जो लोक एक समाज में स्थापित होत है और एक सामान्य वाक्य तथा व्यापकव्यक्ति की स्थापना करते हैं, जिसे उनके अगुआ का निर्णय करने तथा अन्तर्गतियों को दण्ड देने का अधिकार होता है, एक राजनीतिक समाज में एक दूसरे के साथ एक-एक हो जाते हैं।' (ग्रेट्ट ट्रीटाइज गैगन 87)

लोक के उपयुक्त विचारों के परिष्कार में विद्यमान है कि राजनीतिक समाज का निर्माण सब तक पूर्ण नहीं सम्भवा जा सकता जब तक कि वह सरकार की स्थापना न करे। जिसे उद्देश्य के लिए समाज की स्थापना हुई, उसकी पूर्ति व निष्कारण का निर्माण करना उसका प्रथम कर्तव्य होता है। यह सब कर्तव्य जा सकता है कि समाज तथा सरकार का जन्म साथ-साथ होता है।

एक प्रथम प्रश्न यह भी उठता है कि क्या वह सम्भव है कि लोक राज्य की स्थापना होना माना जा एक ऐतिहासिक तथ्य है प्रथम तीन एन दार्शनिक विचार ? लोक व विचारों से प्रभाव होता है कि वह एक सम्भवता का दार्शनिक एवं ऐतिहासिक होता ही मानना चाहता है। अपने अपनी ट्रीटाइज व 14वें भाग में वह लिखते हैं कि अविद्या एक ऐतिहासिक तथ्य है। दूसरे विपरीत भाग 15 का प्रतिबन्ध वाक्य यह जाहिर करता है कि वह अविद्या का एक ऐसा कारण सम्भवता है जिससे द्वारा एक राज्य का वेचन सम्भव पर आधारित कर सकते हैं।

समाज और शासन

सब विचारों लोक ने शासन की स्थापना का नागरिक समाज का निर्माण करने वालों को सविद्या से कम महत्व की घटना माना है। जहाँ एक बार बहुमत शासन का निर्माण करने व निष्कारण हुआ जाता है, बहुमत का सम्पूर्ण शक्ति सम्भवता बहुमत के साथ ही जाती है। शासन का स्वरूप इस बात पर निर्भर करता है कि बहुमत अपनी शक्ति का किस प्रकार प्रयोग करना चाहता है। बहुमत इस बात की अपने पास रख सकता है प्रथम वह उसे किसी विधायी शक्ति को भी सौंप सकता है ? दूसरे लोक की शक्ति के अनुभव के आधार पर लोक ने यह बात निश्चय की कि शासन में विधायी शक्ति सम्भवे ऊँची है। तथापि यह यह भी मानना चाहिए कि शक्तिशाली विधायी शक्ति सम्भवता से सम्भव है। शक्ति शासन की शक्तियों में शक्ति है। विधायी शक्ति शक्तिशाली नहीं हो सकती। शक्तिशाली शक्ति ता उस शक्ति का साथ भी नहीं हो सकता न विधानसभ के निर्माण किया था। यह अपनी शासन का शासन के द्वारा शासन नहीं कर सकती। यह सम्भवता के बिना सम्भव भी नहीं हो सकती। लोक के अनुभव सम्भवता

का अर्थ बहुमत का निर्णय है। वह अपनी विधायी शक्ति किसी दूसरे को भी नहीं सौंप सकती। यह शक्ति तो वहीं रहती है जहाँ समाज ने उसे प्रतिष्ठित किया है। सर्वोच्च शक्ति जनता के पास रहती है। जब विधान मण्डल जनता की इच्छा के प्रतिबल चलाता है तब जनता उस की शक्ति को वापस ले सकती है। कार्यपालिका की शक्ति तो और भी सीमित होती है—वह कुछ तो विधान मण्डल के ऊपर निर्भर करता है और कुछ उसके ऊपर विधि का नियंत्रण रहता है। स्वतन्त्रता की दृष्टि से यह आवश्यक है कि विधायी और कार्यकारी शक्ति एक ही हाथों में केन्द्रित न रहें। लोक ने विधानमण्डल और कार्यपालिका के सम्बन्धों का जो विवरण दिया है, वह राजा और सम्राट के किसी न किसी दाद विवाद के पहलू का प्रकट करता है।

लॉक के दर्शन की असंगतियाँ

लॉक ने शासन के ऊपर जनता की शक्ति रहनी पूर्ण रूप में स्थापित नहीं की है जैसा कि दाद के अधिक लातंत्रशासन सिद्धांत में पाया जाता है। यद्यपि उसने विधानमण्डल की शक्ति को एक अमानत (Trust) बताया है और यह कहा है कि समुदाय के नाम पर कार्य करने वाला बहुमत यह शक्ति विधानमण्डल को सौंपता है, लेकिन उसने यह भी स्वीकार किया है कि जब तक शासन अपने कर्तव्यों का पालन करता रहता है उस समय तक जनता अपने अधिकारों में बचित रहती है। इस दृष्टि से लॉक द्वारा प्रतिपादित शासन जैसा कि दाद में सम्राट ने भी कहा था, बहुत कुछ स्वैच्छावारी था। यदि शासन जनता का दुश्मन है, तो यह समझ में नहीं आता कि लॉक ने इस दृष्टि को पूरी तरह से क्रियान्वित करने का प्रयत्न क्यों नहीं किया? जनता की विधायी शक्ति में केवल एक ही कार्य आता है और वह है सर्वोच्च विधानमण्डल की स्थापना। यदि समुदाय अपनी शक्ति को हमेशा के लिए वापस लेना चाहे तो वह उस समय तक ऐसा नहीं कर सकता जब तक कि शासन का विघटन न हो जाए। सम्राट जैसा लातंत्रशासकी भी इसे जनता की अपनी शासन आप करने की शक्ति पर अनुचित प्रबन्ध मानता था। लॉक के इस विचार के अनेक कारण थे। वह दश भावधान और सम्भार ध्यक्षि था। यद्यपि उसे एक क्रांति का समर्थन करना था, लेकिन वह उच्च स्वतन्त्रता का दिव्य प्रोत्साहन नहीं देना चाहता। इसके अतिरिक्त वह लातंत्रशासन शासन का, कम से कम इंग्लैंड में एक बौद्धिक प्रदत्त मानता था। इस प्रकार इंग्लैंड की क्रांति ने इंग्लैंड की शासन परम्परा का नहीं तोड़ा था, उन्हीं प्रकार उसका दार्शनिक साक्षात् लॉक भी क्रांतिकारियों में सबसे अधिक अनुदार था।

लॉक का उद्देश्य 1688 की क्रांति की नैतिक वैधता का समर्थन करना था। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने हुकर के सिद्धांत का स्वीकार किया, जो इस प्रकार था कि "इंग्लैंड का समाज और इंग्लैंड का शासन दो भिन्न वस्तुएँ हैं। शासन समाज की बनाई के लिए है और जो शासन समाज का मुकामल पट्ट चलाता है, उसे बदला जा सकता है।" इस युक्ति की पुष्टि में लॉक ने क्रांति के आधार का दिव्य

विवेचन किया है। लॉक का कहना है कि यह अधिकार विजय के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। लॉक ने यहाँ उचित और अनुचित युद्ध में भेद माना है। आक्रामक को कोई अधिकार नहीं मिलता। न्यायपूर्ण युद्ध में कोई विजेता अपने ऐसे अधिकारों की स्थापना नहीं कर सकता जो विजित लोगों की सम्पत्ति व और स्वाधीनता के विरुद्ध हो। यह तर्क शासन के ऐसे प्रत्येक मिष्ठान के विरुद्ध है, जिसके अनुसार शासन, वन व मयन प्रयोग के द्वारा अपनी न्यायपूर्ण शक्ति प्राप्त करता है। लॉक व तर्क का आधार प्रायः वही है जिसका बाद में हमने विचार किया था। यह आधार नैतिक औचित्य और वन को दो भिन्न वस्तु मानता है। वन व आधार पर नैतिक औचित्य नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो शासन वन में प्रारम्भ होता है, वह उसी समय तक न्यायपूर्ण माना जा सकता है जब तक कि वह व्यक्तियों और समुदायों के प्रतिनिहित अधिकारों को मान्यता दे। हमारे शब्दों में नैतिक व्यवस्था स्थायी और शाश्वत है और शासन नैतिक व्यवस्था में वन व तत्त्वमात्र। लॉक के लिए प्राकृतिक विधि का प्रायः वही अभिप्राय था, जो उमका मिलरो, मिलेनो और मण्डूरी मध्य युग के लिए था।

समाज के पृथक शासन का उसी समय विघटन हो सकता है, जबकि या तो विधायी शक्ति के क्षेत्र में परिवर्तन हो, या शासन उस विश्वास का उल्लंघन करे जो लोगों ने उगम किया हो। लॉक के मामले में घटनाएँ यों और दोनों ही इंग्लैण्ड के पिछले पचास वर्षों के इतिहास पर आधारित थीं। लॉक यह सिद्ध करना चाहता है कि क्रांति हान या न होने का वास्तविक कारण राजा है। राजा ने अपने परमाधिकार को बचाने की ओर समूह के बिना शासन करने की घोषणा की थी। यह उग सर्वोच्च शक्ति का विस्थापन था जो समाज ने अपने प्रतिनिधियों में प्रतिष्ठित की थी। उसे उस समय की पार्लियामेंट व मण्डूरी व्यवहार का भी स्मरण था, इसीलिए वह विधानमण्डल का भी प्रतिनिधित्व नहीं छोड़ना चाहता। प्रजासत्ता के जीवन, स्वतंत्रता और सम्पत्ति पर आक्रमण करना स्वतः अपेक्षित है और जो विधान मण्डल ऐसा सम्पाद्य करता है वह अपनी शक्ति में हाथ धाँसेठा है। इस व्यवस्था में शक्ति जनता के पास वपन धाँ जाती है और जनता नए विधान द्वारा नए विधानमण्डल की स्थापना करती है।

लॉक के "विधिगत" शब्द ने कई बार घनाग्दम भ्रम उत्पन्न किया है। वह कार्दालिना समवा व्यवस्थापिका के अपेक्षित कानों की बार बार खर्चा करता है, जबकि वह यह शब्दों की तरह जानता है कि यह कोई सुधारामक उपाय नहीं है। इसी प्रकार यह व्यवस्थापिका शासन के विधिगत प्रतिरोध की खर्चा निरंतर करता है जब कि उसका वास्तविक अभिप्राय विधि शब्द उपाय का भाव्य लेना है। लॉक ने नैतिक दृष्टि से उचित, और वैधानिक दृष्टि से स्थापना के बीच में कोई भेद नहीं माना है। यह विचार हम परम्परा व आधार पर विकसित हुआ था कि प्राकृतिक और नैतिक विधियों का ही वस्तु है और इसीलिए कुछ ऐसी मूल विधियों भी हैं जिनकी रचना

उच्चतम विधानमण्डल तक नहीं कर सकते। इंग्लैंड में इस प्रकार के नियमों की वैधता उस क्रांति के साथ ही समाप्त हो गई थी, जिसका लोकोपकार करने का प्रयास कर रहा था। तथापि यह विद्वानों द्वारा देना रहा कि संसद के ऊपर कुछ नैतिक प्रतिबन्ध लगे हुए हैं।

तात्त्विक गुणधिया

लोक के राजनीतिक दर्शन का सरल शब्दावली में व्यक्त करना कठिन है। इसका कारण यह है कि जब हमका विस्फरण किया जाता है तो हममें अनेक तात्त्विक कठिनाइयाँ दिखाई देती हैं। ऊपर में देखने पर यह दर्शन काफी आसान मान्य पट्टा है और अपनी इस सरलता के कारण काफी लोकप्रिय भी रहा है, लेकिन वास्तव में इसमें अनेक गुणधियाँ हैं। इन गुणधियाँ का प्रधान कारण यह है कि सभहको सत्ताहीनता में लोक ने बहुत से प्रश्नों को देखा और इन सबका एक साथ समाधान करने का प्रयास किया। लेकिन हमका मिथ्या इतना तर्क सम्पन्न नहीं था कि एक ऐसी कठिनाई और विषय वस्तु को सम्मान्य मकता। यद्यपि परिस्थितियाँ ने उसे क्रांति का समर्थक बना दिया था लेकिन वह किसी प्रकार में आसूत परिवर्तनवादी नहीं था। बौद्धिक मनोवृत्ति में वह मिथ्यावादी दार्शनिक भी नहीं था। उसने अपने मिथ्याता को अधिकतर उत्तराधिकार में प्राप्त किया था और उनको पूरी परीक्षा भी कभी नहीं की थी। लेकिन वह वास्तविक आशा के प्रति भवेदनाशील था और उसने उनका बुद्धिमतापूर्वक समाधान करने का प्रयास किया है। सभहको सत्ताहीनता के मध्यम में इंग्लैंड की राजनीति और इंग्लैंड की विचारधारा विस्तृत देख गई थी। लोक ने अपने दर्शन में भूतकाल और वर्तमान का नया मिथ्या की वाग्दश की है। उसने एक ऐसी आधारभूमि ढूँढने की चेष्टा की कि जहाँ सभी देशों के बुद्धिमान व्यक्ति आकर मिल सकें। लेकिन हमने जो कुछ ज्ञान, वह हमका विस्फरण नहीं कर सका। इस प्रकार हमने भूतकाल के विभिन्न तर्कों का अपने दर्शन में जोड़ा था, उसी प्रकार आसामी सत्ताहीनता में हमके राजनीतिक दर्शन के आधार पर अनेक मिथ्या भी निकले हैं।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता

लोक के दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण अंश यह है, जिसमें उसने राजनीतिक दमन के स्थान पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सुझाव दिया है। लोक के दर्शन में मनुष्य समुदाय के सदस्य है। उसने समाज का व्यक्तित्व की महत्ता पर आधारी माना है, जिसके व्यक्तित्व में अभिजात्य दमन है। तथापि उसने समुदाय को एक निश्चिन्त शक्ति और व्यक्तियों के अधिकारों का दृष्टी बना है। कुछ इसी तरह में समुदाय व्यक्ति का दृष्टी है। हमने, शासन के अन्तर्गत कार्यपालिका विधानमण्डल की शक्ति कम महत्वपूर्ण और कम मान्यता दी है। स्वतंत्रता द्वारा सभ्यता की रक्षा में हमका विधानमण्डल कार्यपालिका पर नियंत्रण रखता है और समुदाय शासन पर स्वतंत्रता की रक्षा का उत्तरदायित्व व्यक्ति के अपने ऊपर उसी समय माना है जबकि समाज का विघटन होता है। लेकिन समाज

का विघटन होना जरा दूर की बात है। लॉक ने इस सम्भावना की सम्भरीरता से कभी कल्पना नहीं की थी। लॉक के मत से गमाज, राजा, विधान मण्डल इन सबके कुछ निश्चित अधिकार होते हैं, अथवा उनके पास स्वार्थी सत्ता होती है और इस सत्ता का अतिक्रमण केवल कुछ विशिष्ट लक्ष्यों के लिए ही किया जा सकता है। लेकिन लॉक के मत में स्वतन्त्रता और व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार ऐसे हैं जिनका किसी भी दशा में अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। लॉक ने यह कहीं नहीं बताया कि संस्थानों की व्यक्तियों के समान और अविच्छेद्य अधिकारों से किस प्रकार शक्ति प्राप्त है। इस कारण लॉक के सिद्धान्त में कल्पना का तरव बंद गया है।

प्रभाव

लॉक का विस्तृत उपर से देखने से तो बड़ा स्पष्ट लगता है परन्तु उसके अन्दर अनेक जटिलताएँ छिपी हैं। इस जटिलता के कारण यह समझना बड़ा कठिन है कि उनका बाद के सिद्धान्तों से क्या सम्बन्ध है। विचारकों ने उसके दर्शन के जिन तरकों की सुरत प्रहण किया, वे उसके सबसे स्पष्ट, लेकिन माप ही सबसे कम महत्वपूर्ण तरव थे। अठारहवीं शताब्दी के आरम्भिक भाग में लॉक का दर्शन काफी लोकप्रिय हुआ। इसके दो कारण थे। पहला तो यह कि वह बहुत सरल लगता था, जबकि वह इतना सरल था नहीं। उनका दूसरा कारण यह था कि वह ध्यावहारिक बुद्धि से सम्बन्ध रखता था। क्रांति के बाद जो उदारवादी दर्शन जारी रहा था, वह लॉक के दर्शन की अन्तर्दशा को लेकर लागे बढ़ता रहा। इस दर्शन में धार्मिक सहिष्णुता के तरव की प्रधानता थी। अठारहवीं शताब्दी के इंग्लैण्ड में इसका बहुत महत्व था।

लॉक के दर्शन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान यह था कि उसने अमरीका और फ्रांस की तत्कालीन व्यवस्थाओं पर प्रभाव डाला। इसकी अरुण परिणति अमरीका तथा फ्रांस में अठारहवीं शताब्दी के अन्त में होने वाली महान क्रांतियाँ थी। लॉक ने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, सहमति तथा संपत्ति के अर्जन और उपयोग के अविच्छेद्य अधिकारों का प्रतिपादन किया था। लॉक का कहना था कि इन अधिकारों के नाम पर शासन शक्ति का विरोध भी किया जा सकता है। लॉक के इस मत का मुद्ररूपवादी प्रभाव पड़ा। ये विचार बीज रूप में लॉक से काफी पुराने थे। यह सोलहवीं शताब्दी के बाद ही से योरोप के समस्त राष्ट्रों का अग्रमिद्ध अधिकार रहा था। इसीलिए यह तो नहीं कहा जा सकता कि अमरीका और फ्रांस में क्रांति अर्थात् लॉक के भाष्य से ही पहुँचे लेकिन उनका महत्व राजनीतिक दर्शन की ओर ध्यान देने वाले प्रदेश व्यक्तियों को जान था। ईमानदारी, नैतिक विद्वानों में हड़ता, स्वतन्त्रता, मानव अधिकार और मानव प्रकृति को गरिमा में विद्वानों, सोम्यता, और सद्भावना उनके कुछ ऐसे दृष्टि से जिन्होंने उसे अन्वयार्थ की क्रांति का आधार प्रकृत बना दिया। लॉक उदारवादी विचारों का प्रबल समर्थक था। इस दृष्टि से उसकी सिद्धि बेजोर है। अतिशुद्धतन्त्र

और बहुमत के निर्णयों में आस्था जैसे उसके अधिक संदेहास्पद विचार भी लोक-तन्त्रात्मक सिद्धान्त के अंग बन गये। लॉक ने व्यक्तिगत अधिकारों को आदर्शरूप दिया, उपयोगितावाद को समस्त राजनीतिक बुराइयों का उपचार माना, सम्पत्ति के अधिकारों के प्रति आदर-भावना को कायम रखा और इस बात पर बार बार जोर दिया कि सार्वजनिक हितों पर व्यक्तिगत कल्याण के संदर्भ में विचार करना चाहिए।

BIBLIOGRAPHY

1. SABINE A History of Political Theory
2. VAUGHAN : Studies in Political Theories
3. MACGOVERN : *From Luther to Hitler*,
4. MAXEY : Political Philosophies

रूसो का राजदर्शन और सामान्य इच्छा सिद्धान्त

(POLITICAL PHILOSOPHY OF ROUSSEAU

AND HIS DOCTRINE OF GENERAL WILL)

—प्रोफ़ेसर अमृत

रूसो का दर्शन तथा राजनीति सम्बन्धी समस्त साहित्य अपने जटिल और मान्य-विहीन व्यक्तित्व का परिणाम था। अपने कल्पनाशक्त से उसके विभक्त व्यक्तित्व का स्पष्ट दर्शन होता है। अपने इस विभक्त व्यक्तित्व में जीवन तथा धर्म-विषयक अनेक धर्तंगनियाँ थी। अपने कह भी है कि—“मेरी रचियाँ और विचार सदैव ही—उच्च तथा अधम के बीच भूलते हुए रहे।”²

रूसो ने अपने सामाजिक सम्झौते को हॉग्स और लॉक से भिन्न रूप में प्रस्तुत किया है। हॉग्सके अनुसार राजकीय स्थापना का केवल एक ही ढंग है और वह है समस्त व्यक्तियों की अपनी समस्त शक्ति को एक व्यक्ति या व्यक्ति-समूह को प्रदान करना। समझौता केवल जनता में होता है। हॉग्स अपने सामाजिक सम्झौते द्वारा निरंकुश राजतन्त्र को स्थापना करता है। अपने कहा है कि समझौता सरकार और जनता के बीच नहीं है। हॉग्स यह नहीं दिताना चाहता कि सरकार और जनता में समझौता है। इसीलिए वह सरकार का निरंकुश और शक्तिशाली बना देता है। लॉक का तर्क इसके विपरीत है। वह कहता है जनता सरकार से अधिक शक्तिशाली है। सरकार के जनता के प्रति कर्तव्य हैं। सरकार जनता की एजेंट ही होती है, भागीदार नहीं। यदि हम सरकार को भागीदार बनें तो वह जनता के बराबर बन जाती है। इसलिए सरकार एक दुर्घटा के रूप में है। जनता के जीवन, शान्ति तथा स्वतन्त्रता के अधिष्ठा के कारण लॉक की सरकार संवैधानिक मानी जाती है। सरकार अच्छी है या नहीं, इस बात की सर्वोत्तम निर्णयिता जनता है। लॉक, हॉग्स की तरह सारी शक्ति राजा का नहीं देता, बल्कि कुछ ही शक्तियाँ राजा को प्रदान की जाती हैं। जनता सरकार को हटा भी सकती है। इस प्रकार लॉक ने हॉग्स की निरंकुशता के स्थान पर अपने सम्झौते में उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया है। परन्तु रूसो को सामाजिक संविदा के इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध ही नहीं है कि प्रथम राज्य की स्थापना किस प्रकार हुई। सम्झौते में वह भूत का इतिहास नहीं निगला बल्कि केवल राज्य के मूल स्वरूप की समीक्षा प्रस्तुत करता है और

इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास कर रहा है कि एक आदर्श मनाज को किस प्रकार संगठित किया जाये कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और राज्याधिकार में संगति स्थापित की जा सके। इस प्रकार के मनाज की स्थापना को पद्धति की सामाजिक संविदा। उसका यह सामाजिक समन्वयता "एक ऐसी चीज नहीं है, जैसा कि आगराएतया माना जाता है। यह वह समन्वयता नहीं है जिस पर हम सब ने बहुत पहिले, प्रथम मनाज की स्थापना करने के लिए अपने हस्ताक्षर किये थे। यह एक ऐसी चीज है जिसे हमें आदर्श मनाज की स्थापना के लिए स्वीकार करना होगा। यह इतिहास नहीं है, पर किसी दिन इतिहास हो सकता है।"¹

1749 में रूसो ने डॉक्टरों की प्रकाशनी द्वारा घोषित इस त्रिपय पर कि "विज्ञान तथा कला की प्रगति ने नैतिकता को भ्रष्ट करने में योग दिया है अथवा इसके विगुड़िकरण में" निबन्ध लिखा। उसके निबंध का मार यह था कि मनुष्य स्वभावतः अच्छा होता है किन्तु अस्वभाविक सन्धता द्वारा लपट किये गये भ्रष्ट मंथानों द्वारा वह दुरा बन जाता है। मनुष्य यदि अपना प्रादिकालिक मानन्द तथा निरलक्ष्यता प्राप्त करना चाहता है तो उसे प्राकृतिक जीवन की ओर लौट जाना चाहिये। इस निबन्ध ने न केवल पुरस्कार जैसा बल्कि 'विवेक युग के कृत्रिम मनाज में एक बड़ी हलचल मचायी। रूसो के अनुसार जब तक राज्य कायम है, शान्ति अममन है। उसे प्राप्त करने का एकमात्र मानव प्राकृतिक अवस्था की ओर लौट जाना है। रूसो का यह विचार प्रायः के कृत्रिम जीवन पर एक बराबर प्रहार था। इस आक्रमण का एक निशाना प्रायः का निर्दुःख राजतन्त्र भी था।

मानव प्रकृति का अर्थ

रूसो के अनुसार—"मनुष्य स्वतन्त्र लपट होता है किन्तु सर्वत्र वह जंजीरों में जकटा हुआ है। बहुत से व्यक्ति अपने आसक्तों द्वारा या स्वामी समन्वये हैं, तथापि वे दूसरों की प्रतीक्षा नहीं प्रतिक परधान हैं।"² संविधानेता तथा डॉक्टर जैसे विचारकों की यह धारणा रही थी कि मनुष्य स्वभाव से ही इतना बुरा है कि मर्जी कला का उद्देश्य उसे उसकी दुष्ट प्रकृति में मृत्ति दिवाना है। इसके विपरीत प्येटो और रूसो की यह धारणा है कि मनुष्य स्वभावतः अच्छा होता है, इसलिए मर्जी कला का उद्देश्य उसकी स्वाभाविक अच्छाई का विकास

1. *His Social Pact*—"It is not as commonly supposed, a thing that we all signed long ago to start the first Society. It is what we must sign now, if we are to have the right one. It is not history, but may some day become history."—*Wright, Meaning of Rousseau*, p. 71.

2. "Man is born free and everywhere he is in chains. Many a one believes himself the master of others, and yet he is a greater slave than they."—*Rousseau*.

कता है। रूसा का विश्वास था कि समस्त म पाया जाने वाला पाप, भ्रष्टाचार तथा दुष्टता मनुष्य की जन्मजात दुष्टता का परिणाम नहीं है, बल्कि व पूर्ण रूप से गलत एवं भ्रष्ट सामाजिक संस्थाओं की उत्पत्ति है। एक गलत कथा तथा मनुष्यति ने उसे पप भ्रष्ट कर दिया है। रूसा मानव स्वभाव की दो मौलिक नियामक प्रवृत्तियाँ बताता है, जिन्हें कला का उपहार नहीं कहा जा सकता। पहली प्रवृत्ति है—आत्म प्रतिरक्षण की भावना अर्थात् "मनुष्य का प्रथम कानून स्वयं अपना प्रतिरक्षण करना है, उसे मरने वहिमें स्वयं अपनी जिता रहती है।"¹ दूसरी प्रवृत्ति है सहानुभूति अथवा परस्पर महामया की भावना या मभी मनुष्य" म पार्ई जाती है, और मनुष्य ओषपारी सृष्टि का सामाज्य ष्टण है। क्योंकि ये भावनाएँ शुभ हैं इसलिए स्वभावतया मनुष्य का धन्या ही माना जाना चाहिये। परन्तु पतिवारित शिष्ट की दृष्ट्या कभी-कभी ऐसे ऋषों की भाग करती है या कि समाज के हिता से तालमेव नहा जाता। दोनों भावनाएँ पूर्ण रूप से मनुष्य नहीं की जा सकतीं। इसीलिए शक्ति इनम समभोजता करने के लिए विकसत होता है। इस प्रकार के निरन्तर समभोजता से एक नवीन भावना उत्पन्न होती है जिसे अन्तःकरण(Conscience) कहा जाता है। अन्तःकरण बुद्धि तथा जिज्ञा दाता से प्राचीन है। यह प्रवृत्ति का उपहार है। अन्तःकरण केवल एक नैतिक शक्ति है, नैतिक मार्गदर्शन नहीं। मार्ग-दर्शन के लिए मनुष्य का एक दूसरी शक्ति पर निर्भर करना पड़ता है या कि उगम विकसित होती है और वह शक्ति है विवेक। विवेक शक्ति को यह सिखाता है कि उसे क्या करना चाहिए, किन्तु उगमे वह उस काय का कर महीं लकता। मर्यादों की ओर प्रवृत्त करने वाला एकमात्र अन्तःकरण है। रूसा ने विवेक की अन्तःकरण का अधिक महत्त्व दिया ता उसका कारण यही था कि उसके समय म अन्तःकरण की बहुत उलंघना की जा रही थी।

रूसा का विवेक और विज्ञान के विरुद्ध विद्रोह

रूसा ने विवेक पर आशेष जिय है। उगमे बुद्धि, ज्ञान और विज्ञान का विरोध किया और इनने स्वान पर मनुभावना और श्रद्धा का प्रतिष्ठित किया है। रूसा के अनुसार बुद्धि अमानव है, क्योंकि वह श्रद्धा का कम करती है, विज्ञान विनाशक है क्योंकि यह विश्वास को नष्ट करना है, विवेक युक्त है क्योंकि वह नैतिक महत्त्व ज्ञान के विरोध म तर्क-वितर्क को प्रधानता देता है। विज्ञान को केवल प्राकृतिक कार्य आधार से ही सम्बन्ध रखना चाहिए जिनमे कि वह हृदय की प्रेरणादा, धर्म तथा नैतिक विधिमा को सुदृश्यन म पहुँचा मके।

1. "His first law is to attend to his own preservation, his first cares are those which he owes to himself."

रूसो के राजनीतिक दर्शन का आरम्भ विवेक के विरोध में नैतिक भावों की प्रतिष्ठा के साथ हुआ था। रूसो का विश्वास था कि नैतिक मनुष्य अपने गुणवत्तम रूप में सामान्य लोगों के बीच ही पाये जाते हैं। इस सम्बन्ध में उचते एनीस में कहा है कि—
 “सामान्य लोग ही मानव जाति का निर्माण करते हैं। जो बीच लोगों में सम्बन्ध नहीं रखती उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मनुष्य वर्गों श्रेणियों में एक ना रहता है। अतः जिस श्रेणी के मनुष्य सबसे अधिक हों, ह्ये उसी श्रेणी का सबसे अधिक आदर करना चाहिए।”¹

प्रकृति और सरल जीवन

रूसो के अनुसार विद्वानों की बर्बाद करने वाला सर्वथापूर्ण ग्रहम्वादी मनुष्य प्रकृति में नहीं पाया जाता। वह केवल विद्वान् समाज में ही पाया जाता है। शार्मिक इस बात को अचर्या तट् जानते हैं कि—“तन्दन अथवा पेरिस का नागरिक क्या है ऐकिन वे यह नहीं जानते कि मनुष्य क्या है?”² वास्तव में प्राकृतिक मनुष्य बर्तन है, इस प्रश्न का उत्तर दृष्टिगत में प्राप्त नहीं किया जासकता। रूसो के विचार में प्राकृतिक मनुष्य केवल स्वभाव की वस्तु है क्योंकि स्वार्थ रति, दूसरे के विचारों के प्रति आदर, कता, गुण, दासता, अथर्म, सामान्य तथा पैतृक स्नेह ये सारी बातें केवल मनुष्यों में ही पाई जाती हैं, क्योंकि वह एक सामाजिक प्राणी है जो छोटे-बड़े मनुष्यों में निरन्तर रहते हैं। कोई भी समाज पूर्णरूप में सहृदयता पर आधारित नहीं होता। रूसो ने यह एक ठक पैना दिया है जो मुक्ति की दृष्टि में विलुप्त अस्तित्व था। उसकी रचनाओं में सामाजिक संविदा की अज्ञेता निष्ठावाद अधिक पाया जाता है। उनका यह विश्वास हो गया था कि टाजनीन ठीक समाज औरतु का एक मान्य भाग है—इस वर्ग दृष्टि है ता दूसरा अमोर। आधिक शोषण का परिणाम अनिर्वास्य। राजनीतिक निरंकुशता होता है। रूसो ने इस विद्वान् समाज के विरोध में एक आदर्श रूप में सरल समाज की स्थापना का स्वप्न प्रस्तुत किया।

रूसो के चिन्तन में राज्य का महत्व

“राजनीतिक समाज अपनी दृष्टा में समस्त एक नैतिक दृष्टा भी है और यह सामान्य-दृष्टा जो सर्व ही मनुष्यों तथा प्रत्येक भाग की रक्षा तथा सम्पन्न के लिए प्रेरित होता है और विधियों का स्रोत होती है, राज्य के समस्त सदस्यों के लिए न्याय और अन्वय क्या है, इस विषय का निर्माण करती है।”³ रूसो के अनुसार मनुष्य स्वतन्त्रता होने केवल राज्य की मददता में ही प्राप्त हो सकती है। राज्य में अन्वय रहकर हम ‘दूर’ तथा परिमित वस्तु’ ही बने रहते हैं और हमारे

1. Quoted by Morley, "Rousseau" (1865) Vol. II, PP.

2. 226 f. L'etat de guerre, Vaughan Vol. I P. 30.

3. Vaughan Vol. I, P. 241.

कार्यों को कोई नैतिक शुण्य प्राप्त नहीं होता। राज्य की सदस्यता के कारण ही धार्मिक प्रवृत्तियाँ के स्थान पर कर्तव्यशीलता प्रतिष्ठित होती है और मनुष्य अपनी प्रवृत्तियाँ के सामने मुक्तने से पूर्व अपनी बुद्धि की बाएँ मुनने लगता है।

रूसो डिम्बोर्मेजम इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता था कि मनुष्य ने अपने प्रथम समाज का निर्माण किस प्रकार किया? उनसे लिए अपने यह कल्प-तथ्य (Hypothesis) प्रस्तुत किया कि राज्य का जन्म सम्भवतः इसीलिए हुआ कि कुछ वानाक व्यक्ति ने जो कि धनाढय बन गये थे और जो गरीबों के ऊपर अपने प्रभुत्व की माँग तथा धमक बनाना चाहते थे अपनी युक्तियाँ द्वारा गरीबों को राज्य की स्थापना में उनके साथ सहाय्य करने के लिए बहका लिया। प्रकट रूप से राज्य का उद्देश्य महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को सपत रखना तथा गरीबों की रक्षा करना बताया गया है। इस प्रकार के समाज की स्थापना के परिणाम अधिकतर बुरे निकलते हैं। इसीलिए रूसो मनुष्य की प्रकृति के सरल जीवन की ओर लौट जाने का परामर्श देता है।

सामाजिक समझौता (Social Contract)

रूसो के सामाजिक समझौते का इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है कि प्रथम राज्य की स्थापना किस प्रकार हुई। यह राज्य के मूल स्वरूप की समझना कर रहा है और उसमें इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करना है कि एक धार्मिक समाज की किस प्रकार संगठित किया जाये, जिससे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और राज्याधिकार में सगति स्थापित की जा सके। इस प्रकार के समाज की रचना की पद्धति थी—'सामाजिक गणित'। रूसो की युक्ति यह है कि केवल वही समाज, जो अपनी कल्पना की सामाजिक संविदा पर आधारित हो, अपने सदस्यों को वह नैतिक स्वतन्त्रता और सुरक्षा प्रदान कर सकता है जो कि बुद्धि के अनुसार प्राप्तरण करने से प्राप्त होती है। राजकीय विधि व्यवस्था का पत्र है। समाज पर संविदा का प्रभाव इसीलिए पदा कथोक्ति उनके समय के बौद्धिक वातावरण का सामाजिक गणित सिद्धान्त एक प्रसिद्ध महत्वपूर्ण भंग था।

हॉब्स, लॉक, मॉन्टेस्पियन तथा फेनेटोर्न गरीबों के विचारों ने इस संविदा सिद्धान्त को पहिले ही जनप्रिय बना दिया था। परन्तु रूसो जिन परिणामों पर पहुँचा उनमें इसकी संगति नहीं बैठती। वह इसे समाज के सिद्ध व्यक्तियों के अधिकारों तथा स्वतन्त्रता का आधार नहीं मानता। वह सर्वोच्च शासन की संविदा पर आधारित नहीं करता जैसा कि लॉक ने किया था। रूसो के हाथों में संविदा सिद्धान्त राज्य की व्यक्तिवादों के कारणों का पोषण नहीं करता। निम्न-देह यह बात प्राथमिकता है कि रूसो संविदा सिद्धान्त द्वारा इस परिणाम पर पहुँचा कि राज्य एक मात्रविक्रय दगर्ह है तथा उनका अपना एक नैतिक एवं सामूहिक व्यक्तित्व है। इस स्थिति में देशांत का एक कथन कि रूसो का संविदा सिद्ध का प्रयोग प्रसारण है, बहुत कुछ मार्थक सा लगता है।

स्वामी के अनुसार सामाजिक सविदा की शर्तें क्या होनी चाहियें, यह उन बातों पर निर्भर करता है जिसकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति राज्य का निर्माण करते हैं। इस उद्देश्य के दो अंग हैं, प्रथम, मृत्यु मनुष्य इतनी देता है कि अपने धन-धन की रक्षा में उन्हें मनुष्यों के साथ ही सहानुभूति प्राप्त हो सके। दूसरे, वे अधिकतम स्वतन्त्रता चाहते हैं। ये दोनों मध्य विषय-मात्र ही हैं, इसीलिए उनकी पूर्ति करने वाले मनुष्यों की शर्तें भी उतनी ही विषय-मात्र ही हानी चाहियें। मनुष्य देश काप के लिये केवल एक ही मनुष्य-मनुष्य हो सकता है। मनुष्यों की शर्तें विभिन्न कारणों में और विभिन्न समाजों में अलग-अलग नहीं हो सकती। इसका अर्थ यह है कि हाँस, लॉक तथा अन्य विचारकों द्वारा वर्णित मनुष्यों की शर्तें स्वामी की मनुष्य नहीं हो सकती और यह उन्हें आदर्श राज्य के संगठन का आधार नहीं बना सकता।

मनुष्यों की शर्तों का वर्णन स्वामी इन शब्दों में करता है—“हमने मैं प्रत्येक अपने शरीर तथा धन की मनुष्यों की शक्ति को सब के साथ सामान्य रूप में ‘सामान्य प्रत्येक’ के सर्वोच्च नियंत्रण में रख देता है और अपने सामूहिक स्वतन्त्र में हम प्रत्येक मनुष्य की मनुष्यों के एक अविभाज्य अंग के रूप में स्वीकार करते हैं। मनुष्य व्यक्तियों के संगठन में बने हुए इन अविभाज्य व्यक्तियों को पहिले स्वर कहते हैं। अब उसे गणराज्य करते हैं। अब यह निष्क्रिय रहता है तो इसे राज्य कहते हैं और अब यह सक्रिय हो जाता है तो संसद। ऐसे ही अन्य विचारकों ने इसकी तुलना करते पर इसे शक्ति कहा जाता है।”

उपरोक्त सामाजिक सविदा के क्रियाशील एवं केन्द्रीय भाग का अर्थ यह है कि समाज का प्रत्येक मनुष्य अपने मनुष्य अधिकार मनुष्यों के समन्वित कर देता है। उसके इस समन्वय में प्रत्येक को स्थान होता है और हानि किसी को नहीं होती। हानि इसीलिए नहीं होती कि अपने धनकी सब के प्रति समन्वित करने में व्यक्ति किसी एक के प्रति समन्वय नहीं करता और जो कुछ भी वह सब को देना है, उसे वह मनुष्यों का एक अविभाज्य अङ्ग होने के लिये वापिस पा लेता है। किसी भी मनुष्य को विन्या-पिकार प्राप्त नहीं होता और सब का स्थान समान होता है। इस प्रकार स्वामी के राज्य में नागरिक की स्वतन्त्रता तथा समानता प्राप्त होती है।

स्वामी के अनुसार सविदा व्यक्ति के दो स्वतन्त्रों के मध्य होती है। मृत्यु एक ही साथ निष्क्रिय प्रदायन भी है और क्रियाशील संसद भी। एक संसदवादी मध्य का मनुष्य होने के लिये प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वतन्त्र नहीं रहता है जिससे कि वह पहिले या, दलित हमारी स्वतन्त्रता और भी अधिक सब शर्तों है तथा सुरक्षित बन जाती है। स्वामी के मनुष्यों में सम्पन्न होने वाले समाज का स्वतन्त्र सावयविक (Organic) है, हाँस या लॉक को धारणा के समाज के मनुष्य व्यक्तिवादी नहीं। मनुष्यों के एक वैश्विक तथा सामूहिक प्राप्ति का निर्माण करता है जिसका अर्थ निम्न जीवन है,

अपनी निजी इच्छा तथा अपना निजी अस्तित्व है। रूसो इसे नार्थजनिक व्यक्ति (Public Person) कह कर पुकारता है।

संविदा के महत्व को बतलाते हुए रूसो कहता है कि जो चीज मनुष्य को पशुप्राय के स्तर से ऊपर उठाती है और उसे सवसुत्र मानव बनाती है, वह है उसकी राज्य की सदस्यता। इसके द्वारा ही मनुष्य में भावनाओं में स्थान पर कर्तव्य की प्रतिष्ठा होती है और यही इसके कर्तव्यों का नैतिक गुण प्रदान करती है, जो कि उसमें पहिले नहीं थे। सामाजिक संविदा से पूर्व 'उसके पास उन क्षमताओं पर जिन्हें कि वे अपनी कहने का साहस करते थे, एक अस्थिर आधारित था। संविदा के उपरान्त उन्हें अपनी सम्पत्ति पर स्वामित्व का अधिकार प्राप्त हो जाता है।

प्राकृतिक अवस्था (State of Nature)

रूसो के विचार में मानव में दो तरह की सममानता होती है, पहली नारीतिक या प्राकृतिक और दूसरी नैतिक तथा राजनीतिक। प्राकृतिक सममानता प्राकृतिक राज्य में पाई जाती है। वही नैतिक और राजनीतिक सममानता नहीं थी। प्राकृतिक राज्य में मनुष्य अवैला रहता था। उसका जीवन स्वतन्त्रतापूर्ण था। उस समय न संघर्ष था न प्रतियोगिता। प्राकृतिक व्यक्ति न तो नीतिवादी ही था और न दुष्ट ही। वह दुखी नहीं था, लेकिन वह सुखी भी नहीं था। स्पष्ट है कि उसमें पाम सम्पत्ति भी नहीं थी। उसमें इतना साहस भी नहीं था कि वह दूसरों से लड़ता। प्राकृतिक अवस्था में रूसो ने मानव में दो मूल प्रवृत्तियों को पाया। प्रथम यह कि मानव स्वयं को प्यार करना है और इसलिए वह शांति बनाये रखता है। दूसरे उसमें महयोग की भावना होती है इसलिए वह अपने साधिका से नहीं लड़ता। रूसो का मानव हान्य की संघर्षमय प्राकृतिक अवस्था में नहीं रहता। उस का प्राकृतिक राज्य एक शांतिपूर्ण राज्य था। परन्तु यह मानव विकास की स्थिति नहीं थी, क्योंकि उस अवस्था में मानव एक दूसरे से अलग रहते थे और जब तक वह दूसरों से मिलकर नहीं रहते तब तक उसका विकास नहीं हो सकता।

समाज (Civil Society)

रूसो यह मानता है कि प्राकृतिक राज्य और नागरिक समाज के बीच एक अन्तरिम समय था। इस अवस्था में मानव साम मिलकर कार्य करने लगे थे। परन्तु इस अवस्था में संगठित समाज नहीं था। यह सम्पर्क की स्थिति थी। परन्तु इस समय में तीन प्रक्रियायें आरम्भ हो चुकी थी। पहली तुलना की प्रक्रिया, दूसरी प्रतिभागिता की और तीसरी मनोवैज्ञानिक स्तर पर सममानता की। इस अन्तरिम अवस्था में मानव ने एक दूसरे पर निर्भर होना सीखा। यह समाज स्वार्थी, मानवी और दुर्गा पर आधारित था। यही है नागरिक समाज (Civil Society) का आरम्भ होता है। नागरिक समाज में सम्पत्ति की समस्या सामने आई। इस समय मानव सम्पत्ति को प्यार करने लगा। इतिहास का विकास हुआ और इस कारण मनुष्यों ने सम्पत्ति की ओर ध्वि

मान दिया। कुछ व्यक्तियों ने नृमि पर अधिकार कर लिया और कुछ व्यक्तियों ने उनके नृमि-वाचिक को स्वीकार किया। यही है वास्तव में नगरिक समाज का आरम्भ होता है। इस समाज में दो वर्ग उत्पन्न हुए; धनी और गरीब। परन्तु धनी व्यक्तियों को यह विन्दा मगाने लगी कि जिस नृमि पर उन्होंने अधिकार किया है वह उनकी नहीं है। आद वे शक्तिशाली हैं परन्तु कुछ समय बाद निर्धन एकत्रित होकर शक्तिशाली बन सकते हैं। धनी सम्पत्ति की रक्षा के लिए उन्होंने राज्य और सरकार की स्थापना करनी चाही। इसलिए, कसों के अनुसार राज्य का जन्म कुछ व्यक्तियों ने (जो कि धनाढ्य बन गये थे और जो गरीबों के ऊपर अपने प्रभुत्व की मान्य तथा धनर दवाना चाहते थे), धनी शक्तियों द्वारा गरीबों को राज्य की स्थापना में उनके साथ सहयोग करने के लिए बहका कर किया।

कसों की सामान्य इच्छा (General Will)

कसों के विचार में सबसे महत्वपूर्ण दो बातें थीं—सामान्य इच्छा का विचार और प्राकृतिक अधिकारों की स्थापना। कसों का विश्वास था कि नगर-राज्य ऐसा एक छोटा सा मनुष्य सामान्य इच्छा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। कसों के सामान्य-इच्छा विचार का सबसे लोचनीय संश्लेषण की धारणा में परिष्कृत सम्बन्ध है।

व्यक्तियुक्त इच्छा और वास्तविक इच्छा (Actual Will and Real Will)

वैतन्य व्यक्ति होने के नाते हम निम्न समसों पर विभिन्न पक्षों की धारणा करते हैं। एक व्यक्ति की शक्तिशाली शक्तियों का परस्पर सामंजस्य तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उनकी निश्चित करने वाला उनके जीवन का एक वैश्वीय मध्य न हो और जिसकी शक्ति द्वारा मनुष्य की पूर्ण संतोष प्राप्त हो सके। उसे हम उनकी वास्तविक इच्छा कह सकते हैं। प्राकृतिक शक्तियों को, जिन्हें कि मनुष्य समय समय पर धारण सामने रखता है, व्यक्तियुक्त इच्छा कहा जा सकता है। ये इच्छायें स्याई रूप में मानव व्यक्तित्व में उत्पन्न-उत्पन्न में उत्पन्न हैं। इन व्यक्तियुक्त इच्छा की एक विशेषता यह होती है कि वह वास्तविक इच्छा की पूर्ण मात्र को पूरा नहीं कर सकती और केवल उनकी शक्ति मात्र में व्यक्ति को पूर्ण संतोष प्राप्त नहीं होता। व्यक्तियुक्त इच्छा शक्ति ही वास्तविक इच्छा के समान होती है अपनी ही शक्ति मात्र में अपने शक्ति प्राप्त होती है।

कसों इन बातों को जानता था कि एक मनुष्य होने के नाते एक व्यक्ति की इच्छा विशेष उनकी व्यक्ति की एक नगरिक होने के नाते सामान्य इच्छा के विरुद्ध हो सकती है। कसों के शब्दों में—“सामान्य इच्छा में यह बात निहित है कि जो कोई भी सामान्य इच्छा की धारणा करना करने में इंकार करता है उसे सम्पूर्ण समाज द्वारा ऐसा करने के लिए विवश किया जा सकता है।

सामान्य इच्छा तथा ‘वास्तविक इच्छा’ में विवेक करने के लिए कसों का ही परिचय करता है। उम्मा कहना है कि समाज के सम्बन्ध सम्बन्धों की इच्छायों का कुछ योग सामान्य इच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि सम्बन्ध सम्बन्धों की इच्छायों में

मदम्या के व्यक्तिगत हिता का मिश्रण होता है जबकि सामान्य इच्छा का सम्बन्ध केवल सही सामान्य हिता से ही होता है।

सामान्य इच्छा की विशेषतायें

सामान्य इच्छा निर्याम हीना है। रूसो की धारणा है कि यह निर्याम तब सामान्य इच्छा से दो प्रकार से होता है—प्रथम इसका व्येय सदैव सामान्य हिता होता है और दूसरे यह सदैव जन सेवा भाव से ही प्रकट होती है। सामान्य इच्छा एकात्मक होती है क्योंकि इसे प्रतिबन्धित करने वाला सम्प्रभुतापारी निर्याम एक नैतिक तथा सामूहिक निर्याम होता है। सामान्य इच्छा को उत्पन्न करने के लिए किसी समाज के समस्त सदस्यों का सर्वसम्मत होना आवश्यक नहीं है। सामान्य इच्छा सदा एक एक प्रयुक्त होती है क्योंकि वह जन हित के लिए ही होती है और केवल जनमत प्रपवा बहुमत उसे जन्म नहीं देते।

सामान्य इच्छा और सम्प्रभुता

रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धान्त का उमका लोकप्रिय सम्प्रभुता की धारणा से घनिष्ठ सम्बन्ध है। लोकप्रिय सम्प्रभुता सिद्धान्त का प्रतिपादन वह केवल सामान्य इच्छा सिद्धान्त से ही करता है। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा सम्प्रभुतापारी है अतः इस सम्प्रभुता को सभी विषयों में भी होनी चाहिए। सम्प्रभुता निर्याम होती है और इसलिए वह इसे भी निर्याम मानता है। सम्प्रभुता प्रतिभाग्य तथा सदैव है अतः सामान्य इच्छा भी सदैव और प्रतिभाग्य है। सम्प्रभुता की प्रतिभाग्य कहने से रूसो का प्रतिश्राय यह है कि वह सम्पूर्ण समाज में ही रह सकती है। उसे छोड़-छोड़ करके उसे विभक्त नहीं किया जा सकता जैसा कि प्राधुनिक बहुतादी (Pluralists) उसे करना चाहते हैं। सरकार के विभिन्न अंग जैसे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से उसे विभक्त नहीं किया जा सकता। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका सम्प्रभुता सम्पन्न नहीं हो सकती। वे तो सामान्य इच्छा के प्रत्यादेशों का पालन करने वाले प्रतिश्राय मान हैं। सामान्य इच्छा का कार्य कानून बनाना है उन्हें लागू करना नहीं। इस प्रकार रूसो सम्प्रभुता सम्पन्न जनता तथा उसके अधीनस्थ और उनमें प्रति उत्तरदायी सरकार में विभेद करता है। उसके अनुसार जब तक सामान्य इच्छा सम्प्रभुता सम्पन्न रहती है तब तक इस बात से कोई अन्तर नहीं पड़ता कि सरकार लोकतन्त्री है या कुलीनान्त्री प्रपवा राजतन्त्री।

क्या सामान्य इच्छा सम्भव है ?

सामान्य इच्छा कितनी भी वांछित क्या न हो वह पान्य नहीं हो सकती। उमका यह निराधार स्वरूप उसे विरहेषण का सम्पन्न कठिन बना देता है। रूसो का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को सुरक्षा देना था, तबनि उमका सिद्धान्त बहुतापारी का पोषण बन गया। बहुमत से बहुमत न होने वाला व्यक्ति का वह बहुमत के सामने मुकने के लिए विवश पड़ता है। रूसो के सिद्धान्त में व्यक्ति अपने

सम्पूर्ण प्रतिभाओं तथा शक्तियों को सामान्य इच्छा के नाम से सम्मिलित कर देता है, जो कि सर्वोच्च शक्ति के रूप में शासन करती है। निम्नलिखित कक्षा व्यक्ति के विरुद्ध किसी सं-
 कल्प की व्यवस्था नहीं करता। सामान्य इच्छा के निवास-स्थान के विषय में उनकी
 प्रतिनिधित्वता निम्नलिखित एक सम्बन्धिता है। कर्मों के विधान न मुख्य कक्षाएँ यह है
 कि सामान्य इच्छा का उद्देश्य सम्पूर्ण है और स्वयं कर्मों की इन विषय में पूर्ण रूप से
 निरिक्त नहीं है।

कक्षाएँ पूर्णतः 'संश्लेष कक्षाएँ' में कर्मों विभिन्न तथा परस्पर विरोधी करते करता
 है। कक्षाएँ वहीं एकत्र आसक्त यह विचारों परतता है कि सामान्य इच्छा वृत्त की इच्छा
 है, किन्तु वृत्त में ही वह सामान्य इच्छा के सम्पूर्ण वृत्त नहीं मानता। वृत्त स्वयं
 पर वह यह नसिक्त करता है कि परिणत में एकत्रित वृत्तों में वृत्त की विभिन्नताएँ
 अब एक दूसरे के विरोधी नहीं की बात देती है और उनके सम्बन्ध को स्पष्ट रहता है वह
 सामान्य इच्छा है। और वे सामान्य इच्छा की आसक्ति करते हुए विचार है कि हमें
 बताया जाता है कि सामान्य इच्छा में विन स्वतन्त्रता की सहायता होती है वह सम्पूर्ण
 उद्योग की स्वतन्त्रता होती है। एक स्वतन्त्र उद्योग ही सम्भवता ही सकता है।
 इनके विरोध एक निरंकुश शासक कर्मों प्रजा की सम्पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान कर
 सकता है। इस बात की क्या गारण्टी है कि उद्योग स्वयं करने की स्वतन्त्र बनाने में
 करने कर्मों की दास नहीं बना करेगा।¹ कर्मों की सामान्य इच्छा निम्नलिखित
 एक सम्बन्धिता धारण है। उनकी सम्पूर्ण शक्ति "एक हृदय वृत्त है, वह
 एक ऐसा वृत्त है जो कर्मों की वृत्त में वे वे तथा परिणतों की विद्या के ऊपर उद्योग
 में उद्योग नती है। कर्मों के सामान्य इच्छा के सिद्धांत का वास्तविक रूप यह है कि
 कक्षा वास्तविक रूप वृत्त संमित है। कक्षा धारण वृत्त-वृत्त पर उद्योगों में ही
 पूरी हो सकती है। मात्र के उद्योग उद्योगों में वृत्त कि प्रवृत्त-वृत्त सम्बन्धों का स्पष्ट
 प्रतिनिधि धारणकर्ता के वे विद्या है, इस वृत्त का निरंकुश रूप ही सकता है। कर्मों के
 सम्पूर्ण वृत्त प्रतिनिधि सम्पूर्ण सामान्य इच्छा को प्राप्त करते ही वह प्रतिनिधि
 कर्मों की सामान्य इच्छा होती, सम्पूर्ण मानव की वृत्त।

प्रतिनिधि के सिद्धांत का कर्मों द्वारा विचारण मात्र वृत्तों उद्योगों में
 कक्षा विचारण करना है। प्रतिनिधि रूप से ही कक्षा वृत्त स्वयं संवृत्त का
 विचारण करना है। सामान्य इच्छा का सिद्धांत सरकार के सहायकी इन
 करता है। कर्मों का करता है कि वृत्त, वृत्त वृत्त, उद्योग-विकास इन वृत्तों के सम्पूर्ण
 मानव की सामान्य इच्छा के विचारों में एक सम्पूर्ण वृत्त धारण है। वास्तविक रूप
 में वृत्त सम्पूर्ण के वृत्त में स्वतन्त्र वृत्त सम्पूर्ण वृत्त सम्पूर्ण रूप से ही है,
 इन सिद्धांत के मुख्य और ही इन ही करता है।

रूसो की परस्पर विरोधी व्याख्याएं

रूसो प्रेच क्रांति का सबसे प्रप्रगण्य तथा महानतम बौद्धिक संदेशवाहक था। अपनी सबल एवं मौलिक प्रतिभा की छाप उमने राजनीति, शिक्षा, धर्म, साहित्य सभी पर छोड़ी है। लैक्सन के अनुसार प्राधुनिक युग को लाने वाले सभी मार्गों के द्वार पर हम उसे खड़ा हुआ पाते हैं।¹ परन्तु किननी विलक्षण बात है कि समाजवादी में जितनी मत-विनिमयता रूसो के विषय में है उतनी बनावित् ही अन्य किसी दार्शनिक के विषय में रही हो। मालें का तो यहां तक कहना है कि सोचना तो उमने सभी सीखा ही नहीं था। यदि बर्क को रूसो का कल्प विकल्प मूल्यहीन दिखाई पड़ा तो वाग्ट को उमने 'बुद्धि के अनुपम गाम्भीर्य' के दर्शन हुए। रूसो एक अत्यधिक विरोधाभासी चिन्तक है। प्रकृति की ओर लौट चलने के उसने आवाहन का अर्थ यह लगाया जाता है कि उन समस्त सुखों को त्याग दिया जाय जिन्हें सम्पत्ता ने सपरिश्रम प्राप्त किया है। इसके विपरीत कुछ विचारकों की धारणा यह है कि रूसो एक उच्चतर सभृति को प्राप्त करने के लिए उत्सुक था। सातवीं मानता है कि रूसो का प्रकृति में उत्कट विश्वास था। कुछ व्यक्तियों के मतानुसार रूसो एक पूर्ण व्यक्तिवादी था क्योंकि वह व्यक्ति के लिए अधिकतम स्वतन्त्रता चाहता था। दूसरी ओर कुछ के अनुसार वह व्यक्ति को पूर्ण रूप से राज्य के आधीन बना देना चाहता था। एक अन्य धेनक कास्टेपेट का उमने विषय में कहना है कि वह प्रत्येक प्रकार के निरंकुशवाद का सबसे भयंकर मित्र था। वोगां (Vaughan) के अनुसार रूसो एक ओर तो राज्य का घोर समर्थक था किन्तु दूसरी ओर व्यक्ति का तीव्र पोषक, घोर इनमें से किसी भी आदर्श का परिवर्तन करने को वह तैयार नहीं था। 'इस्कोमैज' में रूसो सम्पत्ति की मारे संकट का मूल कारण मानता है, किन्तु महाजोप में दिये हुए अपने एक निबन्ध में उमने वह एक पवित्र संस्थान बतमाता है। समस्त मनुष्यों के लिए वह सहिष्णुता का उपदेश देता है, किन्तु नास्तिकता का राज्य से बहिष्कार करता है। उमने विवात्सीन व्यक्ति को पवित्र प्राणी तक कह कर पुकारा है। एक ओर तो वह प्रजातन्त्र का समर्थक है पर दूसरी जगह सोश-तन्त्र का अनाम्यविह कह कर वह उमका समर्थन भी करता है। रूसो का यह मत है कि जब तक सामान्य इच्छा सम्प्रभुता-सम्पन्न रहती है तब तक हम बात में कोई अन्तर नहीं पहचानें कि सरकार सोशलिस्टी है, हुत्सीनलिस्टी अथवा राजतन्त्री। वह एक ओर अर्बिष्टावाद का पक्षी विचारक कहा जा सकता है तो दूसरी ओर उमने 'नूयर ट्रु हिटनर' नामक पुस्तक में पामिगम ओर नात्रिगम का जन्मदाता कहा गया है। एक ओर उमने विवेक की आलोचना की है किन्तु दूसरी ओर विवेक को एक पवित्र स्थान भी उमों के दर्शन में मिला है।

रूसो एक अत्यन्त राजनीतिक विचारक नहीं है। उमने अपने विचारों का विरमेषण करने में काफी स्थान रिक्त छोड़ा है। यह आलोचना

की जाती है कि जिस विश्व में वह रहता या उसके बड़े राष्ट्रीय राज्यों के लिए उनसे विचार नहीं किया। उसके आदर्श छोटे-छोटे नगर राज्यों पर ही लागू हो सकते थे।

हॉब्स और हांस्

हॉब्स और हॉम्स दोनों ही सामाजिक सभ्यता विज्ञान के मुख्य विचारक हैं पर दोनों में आधारभूत अंतर पाये जाते हैं। हांस् ने प्राकृतिक प्रतिकारों का और समझने का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है, जिसका हॉम्स के लेखों में पर्याप्त अभाव है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि हॉम्स के मनुष्य के संविदा सिद्धान्त का अभाव केवल गौण है। हांस् के मतानुसार व्यक्ति अपनी शक्तियाँ का समर्पण एक व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्ति समूह को करता है, जिससे संविदा में कोई भाग नहीं लिया बल्कि वह उसे बाहर है। किन्तु हॉम्स के अनुसार व्यक्ति अपने अर्थ की सम्पूर्ण समाज को समर्पित करता है। ऐसा करने से व्यक्ति जो कुछ देता है वह उस संप्रभुता अन्तर्गत समाज का घटक होने के नाते पुनः प्राप्त कर लेता है। दूसरे राज्य में भी वह उतना ही स्वतन्त्र रहता है, जितना कि वह प्राकृतिक अवस्था में था। हांस् में वह समर्पण एक बाहर के व्यक्ति को होता है जो प्रजापति का स्वामी बन जाता है और जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं रहता। हांस् यह दावा नहीं कर सकता कि संविदा के अन्तर्गत भी व्यक्ति उतना ही स्वतन्त्र रह जाता है जितना कि वह पहले था। फिर हांस् की प्राकृतिक अवस्था संघर्षमय है। अपने व्यक्ति को स्वार्थी, नालची और अज्ञान दृष्टि वाला है। परन्तु हॉम्स की प्राकृतिक अवस्था शान्तिमय है। अपने नैतिक तथा राजनीतिक मान्यताओं नहीं पाते जाते। उनके अनुसार मानव की शक्ति प्रकृति प्राकृतिक अवस्था में ही—स्वयं की अविच्छिन्न रहने की इच्छा और दूसरों के साथ सहयोग और सहानुभूति की भावना। हॉम्स प्रजापति का समर्पण दिनांक देता है परन्तु वास्तव में वह भी हांस् की तरह निरंकुशता का परभावशील बन जाता है। हॉम्स का नदर-देव (Leviathan) सम्पूर्ण समाज है, जब कि हांस् का केवल एक व्यक्ति। हॉम्स में संप्रभुता अन्तर्गत राज्य तथा सरकार में भेद है जब कि हांस् में वे शक्ति एक ही होते हैं।

हॉब्स और लॉक

हॉम्स और लॉक के विचार में भी इनमें कुछ के महत्वपूर्ण अंतर पाये जाते हैं। लॉक की हॉम्स की तरह सामाजिक सभ्यता का विस्तार पूर्वक वर्णन करता है। अपने समझने की शक्तियों में माना है। सरकार समझने में भाग नहीं लेती इसलिए वह जनता की भागीदार न मानकर उनके लिए एक दृष्टि के रूप में है। हॉम्स के अनुसार समझने का सामाजिक वस्तु है। वह समझने के अनुसार राज्य की स्थापना के विषय में चिन्तित नहीं दिखाई देता। लॉक का विचार सम्पूर्ण है। लॉक के अनुसार—“व्यक्तिवाद अपने दर्शन का आधार है। परन्तु हॉम्स के दर्शन में व्यक्तिवाद दिखाया मान है। लॉक का दर्शन

व्यावहारिक और उपयोगी है परन्तु रूसो का दर्शन सम्भवतःपत और विरोधाभासी है। लॉक ने सरकार को ट्रस्ट कहा है, जिसकी शक्तियाँ परोहर के रूप में हैं। रूसो सर्वप्रथम-सम्पन्न जनता की अपनी व्यवस्थापिक सम्बन्धी शक्तियों को किंगी प्रतिनिधि निषाय के पक्ष में हस्तांतरित करने का निषेध करता है। लॉक के अनुसार व्यवस्थापिका की शक्तियों का प्रयोग साधारणतया जनता के प्रतिनिधियों द्वारा ही होना चाहिए जबकि रूसो संसदात्मक संस्थाओं का विरोध करता है और उन प्रत्यक्ष जनतन्त्र का समर्थन करता है, जिन्हें न प्रतिनिधि है और न दल। उसका यह सिद्धान्त प्राचीन नगर राज्यो पर ही लागू हो सकता है। आधुनिक प्रजातन्त्र के लिए लॉक को विचार ही अधिक उपयोगी लगते हैं। लॉक नैतिक राजतन्त्र का पक्षपाती था। वह निरंकुश राजतन्त्र में विद्वान नहीं बरता। दूसरी ओर रूसो सामाज्य इच्छा सिद्धान्त के द्वारा लोकतन्त्र प्रभुसत्ता का समर्थन करता है परन्तु अन्ततः उगका सामाज्य इच्छा सिद्धान्त निरंकुश राजतन्त्र का पक्ष बन जाता है।

BIBLIOGRAPHY

1. VAUGHAN : *Studies in the History of Political Theory*
2. ROUSSEAU : *Social Contract*.
3. COLE : *Rousseau*

‘ग्रीन-एक उदार आदर्शवादी’

(GREEN—A SOBER IDEALIST)

—रामलाल बस्वा

ग्रीन के आदर्शवाद को दलीलवाती गठालों के हीगनवादी दार्शनिक उपवाद के विरुद्ध एक स्वानाविक प्रतिक्रिया कहा जाता है। ग्रीन ने पूर्व की अनिपन्धित उदारवाद (Laissez faire Policy) के विरुद्ध उदारवादी विचारधारा का उदय हो चुका था किन्तु यह केवल आर्थिक क्षेत्र तक ही सीमित था। अपने राजनीतिक दृष्टिकोण में यह विचारधारा उदार नहीं थी, अतः इतनी लोकप्रिय नहीं हो पाई। ग्रीन का महत्व इस बात में है कि हमने उस उदारवादी प्रवृत्ति को दो प्रकार में परिवर्तित कर अधिक शक्ति बनाया—एक ओर हमने राजनीतिक क्षेत्र में हीगन के समावादी तत्व (Authoritarian element) का विरोध किया, दूसरी ओर हमने उसे इंग्लैंड की संवैधानिक परम्पराओं में डाला। हमने हीगन की उस आलोचना का कि हमने एक वर्ग के हितों की ही प्रशंसा है और हीगन की स्वतन्त्रता विषयक धारणा ऐसी है जो मानविक मिस्रता एवं सुरक्षा की ओर विस्तृत ध्यान नहीं देती। हमने उदारवादी होने का भी पूर्ण निपन्धण एवं अनिपन्धित स्थिति की सम्भवती विचारधारा बनाई। ग्रीन द्वारा दिये गये उदारवाद के इस संशोधन को ही उदार आदर्शवाद (Sober Idealism) कहा जाता है। इसे नव हीगनवाद (Neo Hegalism) भी कहा जाता है।

उत्पन्न का आदर्शवादी सिद्धान्त राज्य का एक प्रकार का विषय प्रस्तुत करता है। वे इसे Ideal का आर्थिक अर्थ विचार सम्बन्धी होता है—दरन्तु प्लेटो ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि पूर्णतः विचार में ही सम्भव है और राज्य अस्त की सभी वस्तुओं प्रस्तुत होती है। इसीमिसे Idealism का सम्बन्ध राज्य के आर्थिक स्वभाव से न होकर सर्वोत्कृष्ट अथवा आदर्श राज्य से है। यही कारण है कि इस दर्शन में राज्य का स्वयं देविक नटना तक पूरा गया है। विचार-धारा अथवा दार्शनिक दृष्टिकोण की प्रशंसा होने के कारण ही बोलान्के ने इसे ‘राज्य का दार्शनिक सिद्धान्त’, होब-हार्टन ने ‘आध्यात्मिक सिद्धान्त’, वाट ने ‘निष्पक्षतावादी सिद्धान्त’ तथा मैकफार्लर ने ‘रूढ़िवादी सिद्धान्त’ कह कर पुकारा है। हीगन तथा उनके कुछ अनेक अनुयायियों के लेखों में इस सिद्धान्त ने जो रूप प्रस्तुत किया है उसे देखने का आदर्शवाद के उदये

नाम उचित ठहराये जा सकते हैं। क्योंकि उन्होंने राज्य को पूर्ण विवेक (Perfect reason) का प्रयोगीकरण एवं एक ऐतिहासिक समस्या मान कर व्यक्ति को पूर्णतया उनका शायीन बना दिया है। परन्तु उक्तोक्त मतार्थे घोस के उदारवादी आदर्शवाद के विषे उचित नहीं ठहरती। यद्यपि आदर्शवाद का उदारवादी एवं व्यावहारिक मध्यमार्गी स्वरूप एक अन्तर्विरोध (Contradiction) का प्रतीक होता है किन्तु घोस ने धर्म दर्शन में इन दो प्रवृत्तियों का सुन्दर सामंजस्य कर आदर्शवाद को व्यावहारिक एवं प्राक्क बनाया। यहाँ घोस अपनी राजनीतिक परिस्थितियाँ एवं राजकीय विनियन्त्रणों से प्रभावित लगता है।

जर्मन आदर्शवादियों के विचार एक ऊँचे धरातल पर चल कर दुर्बोध एवं शोभित इमलिये बन जाते हैं कि उन समय जर्मनी के विभाजित होने के कारण मुख्य समस्या एकीकरण थी। बाँट तथा हीनत आदि ने राज्य का एक चरमवादी मिश्रण (Absolute theory) प्रस्तुत किया। जर्मन साम्राज्य को सयुक्त एवं सुदृढ़ बनाने के लिये जर्मन आदर्शवादियों ने राज्य की सर्वोच्चता एवं सर्व गुण सम्पन्नता का पक्ष लिया और उसे सभी क्षेत्रों में निरवुक्त बना कर व्यक्ति को बड़ा ही महत्वहीन बना दिया। परन्तु इंग्लैंड की सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों किन्तुत भिन्न थी। उस समय तक इंग्लैंड एक सुदृढ़ साम्राज्य स्थापित कर चला था तथा दीर्घपूर्व क्रान्ति द्वारा वहाँ उदारवादी सबल बन चुके थे। अतः ऐसी परिस्थितियों में घोस जैसे अग्रज आदर्शवादी के लिये यह सम्भव नहीं था कि वह जर्मन निरवुक्ततावादी प्रवृत्तियों को गया का ल्यों स्वीकार कर लेता। अतः उनमें अपनी राष्ट्रीय परम्पराओं के अनुकूल आदर्शवाद को एक उदारवादी स्वरूप दिया। इनके अतिरिक्त घोस के समय प्रचलित उपयोगितावादी विवासावादी एवं व्यक्तिवादी विचारधाराएँ जहाँ चरम भौतिकवादी दर्शन (Materialistic Rationalism) बन चुकी थी वहाँ दूसरी ओर हीमन का दर्शन चरम आदर्शवादी दर्शन (Extreme Idealism) था। स्वभावतः घोस ने व्यावहारिक एवं मध्यमार्गी दर्शन की अन्वेषणता प्रतिपादित की।

घोस एक औद्योगिक आर्थिकवादी दर्शनिक था। उनमें इन परिस्थितियों में हीमन के इन मिश्रणों को पूर्णतया दीर्घपूर्व था कि व्यक्ति की परिपूर्णता राज्य में ही सम्भव है। घोस ने अपनी दूर निरीक्षण शक्ति के आधार पर यह पाया कि राज्य कारणात्तों व वैकल्पिकों में अन्तर्भूत व शोषण को दूर करने में अक्षम है। वह उन्हें सामंजस्य की परिस्थितियों में प्रदान नहीं करता था। अतः उनमें समाज में व्यक्ति के सामंजस्य विकास में कोई योगदान नहीं था। एक स्थान पर घोस ने कहा है—
 "रदन के किसी भूत नागरिक का इंग्लैंड की सम्पत्ति में उतनी अधिक कोई भाग नहीं है किन्तु कि ऐसे व्यक्ति की सम्पत्ति में एक काम का था। इसी राज्य की प्रतिनिधिता

स्वल्प हीन ने राज्य के स्वयंसाध्य (An end in itself) स्वरूप को प्रतीकार कर दिया और व्यक्ति की स्वतन्त्रता की रक्षा-हेतु राज्य की सर्वशक्तिमत्ता पर बुद्धि सीमाओं लगाई हैं।

इस प्रकार हीन जनन आदर्शवादियों की नाति आन्ध्रादहारिक एवं अनुभव पुन्य दार्शनिक मात्र (Armchair Philosopher) नहीं था जो केवल कल्पना ही उठाने भरता, इसके विपरीत उसने अपने दर्शन को ठोस यथार्थ में मन्दित किया है। इस प्रसंग में ब्लोल्फ मेर ने कहा है "हीन ने आदर्शवाद की दार्शनिक पत्रदार को एक विच्छिन्न नवीन दिशा की ओर घुमाया और यह दिशा थी समझी यथापेन्द्रुषी आदर्शवादी दिशा (Sober Idealism)।" यदि हीन की पुस्तक—"Lecture on the Principles of Political Obligation" में वर्णित राज्य, स्वतन्त्रता, अधिकार, पुत्र, दण्ड आदि में मन्दित उनके विचारों पर दृष्टिगत किया जाये तो उसका यह यथापेन्द्रुषी उदार आदर्शवादी स्वरूप स्पष्ट परिलक्षित होता है—

राज्य एवं उसके कार्य

हीन राज्य की मानव चेतना (Human conscience) की उपर मानता है। बार्कर के शब्दों में वह अपनी इस मान्यता के पल में इस प्रकार तर्क देता है— "मानव चेतना स्वतन्त्रता की प्रेरणा रखती है, स्वतन्त्रता के विषये अधिकार आवश्यक हैं और अधिकार राज्य की भांग करते हैं।" 1 अर्थात् हीन मानव चेतना के विकास के विषये स्वतन्त्रता को आवश्यक स्थिति समझता है, परन्तु हीन का स्वतन्त्रता में तात्पर्य केवल बुद्धि इच्छित एवं करने योग्य कार्यों को करने की शक्ति में है न कि प्रत्येक कार्य को करने की शक्ति में। यद्यपि क्रांति का भी यही मत था कि मनुष्य के साम्य रूप में देने रहने के लिए उत्तम स्वतन्त्र रहना आवश्यक है, परन्तु क्रांति की धारणा यह थी कि मनुष्य स्वतन्त्र तब होता है तब उसकी इच्छा कर्तव्य के निरपेक्ष आदेश (Categorical Imperative) द्वारा निर्धारित हो। हीन का मत है कि मनुष्य केवल तब स्वतन्त्र कहा जा सकता है जबकि उसकी इच्छा आदेशों को यथेष्ट रूप में मन्दित हो और यह निर्धारित करने में राज्य उसकी सहायता करता है। यह ऐसी इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यक्तियों को अधिकार प्रदान करता है। इस प्रकार क्रांति क्रांति-स्वतन्त्रता की धारणा रखता है स्वतन्त्र एक नापसपान (Abstract) धारणा है वहीं हीन के हाथों में यह विवेकानन्द एवं बन्धुप्रधान स्वप्न में सेती है। यह उसकी

1. "Human consciousness postulates liberty, liberty involves rights, and rights demand the state".

यथार्थानुष्ठी प्रकृति का ही परिणाम है। हीगन भी यद्यपि स्वतन्त्रता की पूर्ण अभिव्यक्ति राज्य में ही सम्भव मानता है, हीगन के अनुसार व्यक्ति स्वतन्त्र नहीं कहा जा सकता है जब वह यह अनुभव करे कि राज्य के द्वारा निर्धारित इच्छा ऐसी ही है जैसी कि स्वयं उसके द्वारा निर्धारित होती। परन्तु हीगन अपने इस मन की वरम सीमा तक लेजाता है और व्यक्ति को पूर्णतया राज्य के अधीन बना देता है। ग्रीन राज्य को मनुष्य की उच्चतम इच्छाया की पूर्ति में सहायक मानना है। वह राज्य को स्वयं मानव इच्छा का प्रतिबिम्ब नहीं कहना। इसीलिए उसे उदार प्रादर्शवादी कहा जा सकता है।

ग्रीन यह भी स्वीकार करता है कि व्यक्ति में अपनी स्वातन्त्र्य भावना की शक्ति के साथ ही साथ इस बात की भी शक्ति होती है कि अन्य व्यक्तियों का भी समान स्वभाव होने के कारण उन्हें भी उसी की भांति मुविधाया की आवश्यकता होती है। इसका प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए मुविधाया की मांग करता है और दूसरों की उसी प्रकार की मांग के प्रतिफल को भी स्वीकार करना है। इस प्रकार व्यक्तिगत मांगों के पीछे समाज की स्वीकृति का संरक्षण तैयार हो जाता है। इन्हें ही दूसरे शब्दों में अधिकार कहा जाता है। ग्रीन के शब्दों में "अधिकार अपने प्राकृतिक विकास के लिए व्यक्ति द्वारा बाह्य परिस्थितियों की मांग है जिन्हें समाज द्वारा संरक्षण मिलना है।"¹

ये अधिकार जिन्हें ग्रीन व्यक्ति के स्वाभाविक विकास में सहायक होने के कारण प्राकृतिक अधिकार कहा है, यदि राज्य द्वारा क्रियान्वित न किये जायें तो नैतिक दावे मात्र रह जायेंगे। अतः अधिकारों को क्रियान्वित करने के लिये मार्श-भोमिक्लरयुक्त राज्य का जन्म होता है। यद्यपि व्यक्ति सामान्यतया सभी अधिकारों की सुरक्षा चाहते हैं किन्तु धृष्टता, भ्रष्टाचार, स्वार्थ प्रादि के आवेग में वे अन्य व्यक्तियों के इन अधिकारों के उपयोग में बाधा डाल सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में राज्य उनके शिष्ट मन का प्रयोग कर सकता है। परन्तु स्पष्ट है कि इसके मूल में हमारे इच्छा विद्यमान है और इस प्रकार "राज्य का वास्तविक आधार वन न होकर हमारी मानी इच्छा है।"² ग्रीन ने स्पष्टतया कहा है— "समस्त अधिकार एक कर्तव्य, समाज के समस्त संस्थान, यहाँ तक कि राज्य का उद्भव एक सामान्य हित की पैदा में होता है।"³

1 "Rights are the outer conditions for the inner development of man, protected by the state"

—Green's Lectures on the Principles of Political Obligation

2 "Will, not force is the basis of state."

—Green's Lectures on the Principles of Political Obligation

इसी सामान्य हित को चेतना को गीत 'सामान्य इच्छा' कहता है। यद्यपि ग्रीन राज्य के उद्भव के सम्बन्ध में न्याया का समन्वयता सिद्धान्त स्वीकार नहीं करता परन्तु वह उनका 'सामान्य इच्छा' सिद्धान्त इस रूप में स्वीकार करता है कि राज्य मनुष्यों के सामान्य हित की सिद्धि की इच्छा का फल है। यहाँ भी ग्रीन का यह सिद्धान्त राज्य की उस सामान्य इच्छा का सिद्धांत नहीं है जिसके नाम पर फासिस्टों ने इतने घोर अत्याचार किये, और उनकी एक विवृत व्याख्या कर प्रत्यक्ष बातों को झुचाना। यहाँ भी ग्रीन का उदार आदर्शवादी स्वरूप दृष्टिगत होता है। वह सामान्य इच्छा का सम्पूर्ण राज्य के हित के लिये राज्य को निर्देशित करने वाली इच्छा के रूप में प्रस्तुत करता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि ग्रीन राज्य को न तो हीगल की नाति दैविक इच्छा की धर्मनिरपेक्ष एवं आत्मचेतनायुक्त नैतिक तत्त्व मानकर अत्याचार करने की स्वीकृति देता है और न ही उसे सामान्य इच्छा की श्रेष्ठ में अत्याचार करने की स्वीकृति प्रदान करता है।

राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में ग्रीन का मत है कि राज्य का प्रमुख कर्तव्य व्यक्ति द्वारा अपने व्यक्तित्व का विकास करवाना है। वह क्रांति की नाति यह मानता है कि नैतिकता का व्यक्ति के अन्तःकरण से सम्बन्ध होने के कारण राज्य नैतिकता को लागू नहीं कर सकता। परन्तु ग्रीन के आदर्शवादी राज्य का कर्तव्य है कि वह व्यक्ति की नैतिकता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करे (To hinder the hinderances) तथा ऐसी परिस्थितियों का सृजन करे जिनमें नैतिकता का विकास हो सके। इस प्रकार वह राज्य को निष्पात्मक एवं विधेयात्मक दोनों ही प्रकार के कार्य प्रदान करता है। निष्पात्मक कार्यों में अज्ञानता, अराजकता आदि को दूर करना जैसे कार्य सम्मिलित हैं और विधेयात्मक कार्यों में शिक्षा की व्यवस्था आदि आते हैं। अतः ग्रीन राज्य को साम्य न मानकर बल्कि व्यक्ति की नैतिकता के विकास का साधन समझता है। उसकी राज्य की कल्पना अराजकवादी न होकर बाल्य एवं आन्तरिक शान्ति दाना दृष्टियों से संश्लेषित है।

राज्य के विरोध का अधिकार (Right to Resistance)

ग्रीन राज्य को केवल सीमित अधिकार शीत देने के प्रतिष्ठित उच्च विद्वत् विज्ञान के अधिकार का कुछ परिस्थितियों में उचित बनाकर भी उसे सीमित बनाता है। ग्रीन के अनुसार व्यक्ति राज्य के प्रति नैतिक इसलिये उत्तरदायी है कि वह यह समझता है कि यह सामान्य हित में सहायक है। परन्तु यदि कोई कानून विशेष सामान्य हित की धारणा के विरुद्ध हो या व्यक्ति को कुछ दशावस्था में राज्य का विरोध करने का भी अधिकार है। किन्तु ग्रीन इसे प्राकृतिक अधिकार के रूप में प्रदान नहीं करता। उनके अनुसार समाज की विद्वत् व्यक्ति के कुछ प्राकृतिक अधिकारों की धारणा से विरोधाभास है; कि अधिकार समाज द्वारा प्रदान की जायेंगे का ही

नाम है। वह इस अधिकार को प्रतिबन्धित करते हुए कहता है कि सामान्यतया तो सामान्य हित के विरुद्ध कानून का भी पालन नहीं करना चाहिये क्योंकि वह अधिकारों की उस प्रणाली का एक मङ्गल है जो समाज के 'सुख' के लिये निमित्त है। एक मङ्गल के लिये सम्पूर्ण व्यवस्था को क्षिप्र-भिन्न किया जाना उचित नहीं इसलिये ग्रीन ने कहा है "एक व्यक्ति द्वारा एक बुरे कानून को मानने की अपेक्षा उसे तोड़ने से सामान्य हित को अधिक प्रायात पहुंचना है।" मत. ग्रीन का मत है कि व्यक्ति को एक पृथित कानून का विरोध तभी करना चाहिये जब उसके अधिकारों को समस्त प्रणाली के भ्रष्ट होने की सम्भावना हो एक उसे रद्द करने के समस्त संवैधानिक साधन विफल हो चुके हों। हीगल एवं वॉट के सर्वव्यतिथान राज्य में तो विरोध का यह प्रतिबन्धित अधिकार भी असम्भव है, जैसा कि संसदीय ने कहा है — 'हीगल का मस्तिक जर्मनी के एकीकरण के प्रश्न से इनता विन्तित था कि उसने व्यक्ति को राज्य में विलीन करते समय कोई हिवकिवाहट नहीं दिखाई। वह राज्य की वेदी पर व्यक्ति का बलिदान चढ़ा देता है।" मत. राज्य की प्रवृत्ति के अधिकार को स्वीकार करने समय ग्रीन हिगेलियन न होकर बहुत कुछ व्यक्तिवादी है एवं इंग्लिश उदारवाद की छाप उस पर स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है।

युद्ध का मनोचित्र

ग्रीन एक उदारवादी की भांति युद्धविरोधी है एवं अन्तर्राष्ट्रीय शांति का समर्थक है। अपने इस सिद्धान्त को वह 'जीवन के अधिकार' की सहायता से सिद्ध करता है। उनकी दृष्टि में युद्ध इस मौलिक अधिकार में बाधक होने के कारण अनुचित है।

ग्रीन युद्ध को राज्य की सम्पूर्णता एवं आन्तरिक गार्भजस्य के अभाव का दौटक मानता है। वह विवशापूर्वक प्रतिष्पष्टिया में भी (उदाहरणतया, आत्मरक्षा के लिये लिये गये) युद्ध को भी पूर्ण उचित न मान कर एक निश्चयापूर्ण आदर्शतया से अधिक युद्ध नहीं मानता। उसके मत में देश रक्षा के लिये किया गया युद्ध भी एक अनुचित कार्य की रोजने के लिये दूसरा अनुचित कार्य है। उसका मत है कि ज्या-ज्यो राज्य पूर्णता की ओर प्रवृत्त होने जायेंगे युद्ध का भी अन्त हो जायेगा। ग्रीन युद्ध को बड़ी मात्रा पर ही जाने वाली हत्या (Multitudinous murder) कहता है। हीगल का मत है कि युद्ध को हत्या नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हत्या में एक निश्चित हत्या होता है एवं उसका उद्देश्य पृणा एवं शिष्टपुत्र होता है जबकि युद्ध में ऐसा नहीं होता। परन्तु ग्रीन का मत है कि युद्धभूमि में ही जाने वाली हत्याओं का उदारवादीय क्रिमो न किमी व्यक्ति पर प्रवृत्त होता है।

ग्रीन के अनुसार दृढ़ सुधारात्मक इस दृष्टि में होना है कि व्यक्ति अपने ही उस दंड का पात्र समझकर परदायाव करता है। वह सुधारात्मक इस कार्य में नहीं हो सकता कि उसका प्रत्यक्ष उद्देश्य अपराधी का नैतिक सुधार करना हो सके। उसके मत में राज्य का कार्य दुष्टता को दलित करना नहीं करना उमके द्वारा सामाजिक व्यवस्था के लिए गये उल्लेखन के आधार पर अपराधियों को दलित करना है, जिनसे कि अन्य व्यक्ति अपराध करने को प्रार्थना न हों। ग्रीन न तो बर्बरतापूर्ण प्रतियोगात्मक दृष्ट प्रणाली अपनाता है और न ही मनुष्य के गुणों पर पर्याधिक विश्वास कर कोई सुधारात्मक दृष्ट व्यवस्था स्वीकार करता है। मध्यमोत्तम निरोपणत्मक प्रणाली को अपनाकर वह एक उदार एवं व्यावहारिक आदर्शवादी के रूप में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करता है।

सम्पत्ति का अधिकार

सम्पत्ति के विषय में भी ग्रीन का आदर्श न तो समाजवादी है और न ही व्यक्तिवादी वह इन दोनों के संतुलित रूप में अपनाता है। वह कंठ एक ही गलत की भाँति प्रत्येक व्यक्ति के स्वतन्त्र जीवन अधिकार के प्रयोग के लिए सम्पत्ति को प्रावश्यक मानता है। उसे वह नैतिक विकास के लिये आवश्यक बतलाना है। परन्तु वह उन दोनों की भाँति व्यक्ति को सम्पत्ति का अधीन अधिकार नहीं देता, क्योंकि इसमें असमानता, प्रतियोगिता तथा दोषण जैसे दोष उत्पन्न होते हैं। इसी स्थिति में ग्रीन सुरक्षित व्यक्तिवाद से समाजवाद पर आ जाता है और कहता है कि राज्य को सम्पत्ति का अधीन समान वितरण करना चाहिए। पूर्ण समान वितरण को वह मभव नहीं मानता क्योंकि सम्पत्ति का स्वाभिव्यक्ति व्यक्तियों की प्रवृत्ति के अनुसार निश्चित रूप से भिन्न होगा। परन्तु अनियमित वितरण को भी ग्रीन अवाञ्छनीय बतलाना है और इस तरह एक मध्यमार्गी व्यावहारिक आदर्श प्रदान करता है।

उपरोक्त विचारों से यह स्पष्ट है कि ग्रीन अपने सामान्य दर्शन में व्यक्तिवादी या, किन्तु व्यावहारिक राजनीति में उभे एक उदारवादी विचारक बतलाना अधिक उपयुक्त होगा। बर्कर का कहना है कि—'ग्रीन एक ऊँची उड़ान सेने वाला आदर्शवादी तथा टोस यथार्थवादी था।'¹ यद्यपि कुछ आलोचकों का मत है कि ग्रीन ने पूँजीवाद का पक्ष पोषण किया है और उनकी प्रवृत्ति एवं धर्म समाज की यथार्थ स्थिति के आदर्शकरण करने की ओर है, परन्तु वास्तव में यह उगना २४ नहीं यद्यपि एक दृष्टि है कि उसने दो प्रवृत्तियों को समन्वित किया। वेपर का मत है कि "ग्रीन की देन यह है कि हमने जो जेजो को उग मूल्य पर जो है देने को सोचकर थे, वेथमकाए

1. 'Green was a soaring idealist and a sober realist.'

—Baker - "Political Thought in England"

से अधिक संतोष प्रदान करने वाला आदर्श दिया । उसने उदारवाद को एक अभिप्रेरि के स्थान पर एक विश्वास बनाया और व्यक्तिवाद को नैतिक एवं सामाजिक तथा आदर्शवाद को सुरक्षित एवं ग्राह्य बना कर प्रस्तुत किया ।”¹

BIBLIOGRAPHY

- (1) GREEN *Lectures on the Principles of Political Obligation*
- (2) BARKER *Political Thought in England*
- (3) SABINE : *A History of Political Theory*
- (4) Maxey *Political Philosophies*

1. Here then, is Green's achievement, that he gave to Englishmen, something more satisfying than Benthamism at a price they were prepared to give, that he left liberalism a faith instead of an interest, that he made individualism moral and social and Idealism civilised and safe".—*Waper* : "*Political Thought*", Page 193.

माक्सवाद के कुछ पहलू

(SOME ASPECTS OF MARXISM)

—कृष्णा भागव

साधुनिष्ठ विश्व-राजनीति के दो विरोधी गुटा में विभक्त होने तथा उनके इस पारस्परिक विरोध से उत्पन्न होने वाली सभी सैद्धांतिक अटिलनाओं के मूल में मार्क्सवाद है। मार्क्स की उत्तरकासीन सभी समाजवादी विचारधाराएँ या तो मार्क्सवादी (Marxist) हैं या मार्क्स-विरोधी (Anti Marxist) अथवा अर्धमार्क्सवादी (Inasr-Marxist)। यहाँ तक कि समस्त अतिसमाजवादी (Non Socialist) विचारधाराएँ भी या तो मार्क्स की असत्य सिद्ध करने के अपने प्रयास में व्यस्त हैं अथवा उसे प्रासंगिक रूप में स्वीकार कर उससे प्रेरणा ग्रहण करती हैं।

मार्क्स ने अठारहवीं शताब्दी में अल्प व्यतिवाद एवं अहस्तक्षेप नीति (Laissez Faire) की उच्चतम एवं अममानतापूर्ण प्रवृत्तियों से प्रतिक्रिया पाकर उत्पन्न होने वाले समाजवाद को एक महान् जन आन्दोलन का स्वरूप दिया। परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि मार्क्स ने कोई सर्वथा नवीन और पूर्णतः मौलिक राजनीतिक दर्शन प्रस्तुत किया है। मूलतः उसके मुख्य सिद्धान्त नये नहीं थे किन्तु अपने पुराने विचारों को विषय एक व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने हुए उन्हें एक नवीन और प्रभावकारी शक्ति में ढालने का प्रयास किया है।¹

मार्क्स ने पशुपरवैक से प्रभावित होकर आदर्शवाद का परित्याग किया एवं विश्व के प्रति एक भौतिकवादी दृष्टिकोण अपनाया। अपने हीमन के विचारों में अपने तर्कान्वित दर्शन का वैज्ञानिक आधार ग्रहण किया। इसी प्रकार अपने पुंजीवाद के समर्थन में अपने युग के प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के मूल्य सिद्धान्त (Value Theory) को उन्हीं की धारणाओं के लिए प्रयुक्त किया। मार्क्स की विशेषता यह है कि उसने समस्त प्राथम सामग्री को कुशलतापूर्वक मजहूर कर उसमें सर्वव्यवस्था और क्रमव्यवस्था उत्पन्न की और उसे विशिष्ट रूप से एक शार्पनिष्ठ ढंग में ढालकर अमूर्तों की कर्म का दर्शन बना दिया। यही कारण है कि विश्व की पीड़ित एवं शोषित जनता का एक बड़ा बड़ा भाग अपने नाता और उद्धार मार्क्स में धर्म की तरह अन्धी धृष्टता रखती है।

एवं उसके कन्वुनिस्ट 'मनीफेस्ट' तथा 'दाम कैपीटल' को आधिक्य बाइविल मानकर श्रद्धा और आस्था से देखता है।

शोषित एवं शोषणकारी वर्ग से सम्बद्ध होने के कारण मार्क्सवाद का स्वरूप केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि आधिक्य भ्रमवादी नैतिक भी है। यही कारण है कि मार्क्सवाद में आधिक्य एवं राजनीतिक विचारों का एक अविच्छेद मिश्रण है जिसके कारण कुछ विद्वान जबकि मार्क्स को विमुक्त रूप में एक आधिक्य विचारक¹ मानते हैं तो अन्य उसे एक राजनीतिक सिद्धान्तवेत्ता² बतलाते हैं। परन्तु वास्तविकता यह है कि मार्क्स का 'सर्वोत्तम समाजवाद' एक अविभाज्य इकाई है और उसके विभिन्न विचार उचित रूप से एक दूसरे से गुंथे हुए, तथा इस तरह अन्वयार्थित हैं कि उनमें से किसी भी एक विचार को दूसरे की तुलना में कम महत्वपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। यही पर हम मार्क्सवाद के चार प्रमुख सिद्धान्तों अथवा पहलुओं की विवेचना करेंगे :—

(१) इतिहास की नैतिकवादी व्याख्या (Materialistic Interpretation of History)

(२) द्वन्द्ववादी नैतिकवाद (Dialectical Materialism).

(३) वर्ग संघर्ष (Class War).

(४) पूंजीवाद का विनाश एवं समाजवाद की स्थापना का कार्यक्रम।

इतिहास की नैतिकवादी व्याख्या

समाजवाद को एक वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने का श्रेय मार्क्सवाद को दिया जाता है। इतिहास की नैतिकवादी व्याख्या वह आधार है जिसके द्वारा मार्क्स ने समाजवाद को कल्पनावादी पृष्ठभूमि से स्वतन्त्र कर एक वैज्ञानिक भावभूमि पर खड़ा किया है। मार्क्स का मत है कि सामाजिक पुनर्निर्माण की योजनाओं में सबर्ट मोशन, साइमन आदि कल्पनावादियों को विन्ये सफलता केवल इसीनिचे नहीं मिली कि उनका समाजवाद प्राचीन व्यवस्थाओं के किसी स्पष्ट एवं विश्लेषणार्थक अध्ययन पर आधारित नहीं था। मार्क्स ने इनकी इस विफलता से गिना ग्रहण की और अपने विस्तृत में इतिहास का एक दर्शन (Philosophy of History) प्रस्तुत करने की चेष्टा की।

मार्क्स ने पूर्व इतिहास की व्याख्या को अनेक प्रणालियाँ प्रवर्तित कीं जैसे—
दैविक व्याख्या, राजनीतिक व्याख्या तथा हीगल की विचारों के आधार पर दार्शनिक

1. "Marx was primarily an economic theorist and was very little concerned with political ideology as such."

—Maxey : Political Philosophy, Page 579

2. "There are some sociologists who think there will be no harm to Marxian principles if we take away his economic ideas"

—Laidler : Social & Economic Movements.

व्याख्या। मार्क्स इन सबको अस्वीकार करता है क्योंकि उसके अनुसार ये सब इतिहास की व्याख्या के प्राथिक तथा दायपूर्ण आधार प्रदान करती है। इन सब से भिन्न अपने 'इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या' प्रथम बोल के शब्दा में 'इतिहास की प्राथिक व्याख्या' प्रस्तुत की है। वे वस्तुएँ जिन्हें वह इतिहास के विकास और निर्धारण में क्रियाशील निर्णायक समझता है, वे वन उत्पादन की शक्तियाँ (Mode of Production) है जैसा कि हैलोजेल (Hallowell) ने लिखा है —

“मार्क्स के अनुसार इतिहास न तो ईश्वर एवं व्यक्ति के सपर्ष की कहानी है, न ही प्राध्यात्मवाद व भौतिकवाद के विचार के सपर्ष का दर्शन है, वरन् अपने उसे मनुष्य द्वारा अपने प्राथिक सदया की प्राप्ति का उत्कृष्ट मात्र माना है।”¹ मार्क्स का मत था कि विचार प्रथम सांस्कृतिक शक्तियाँ प्राथिक परिणामों का कारण नहीं वरन् उत्पादन के साधनों की उत्पत्ति हैं। अपने अपने ही शब्दा में “जीवन के भौतिक साधनों के उत्पादन की पद्धति ही जीवन की सम्पूर्ण प्रक्रिया की स्थिति को नियंत्रित करती है। मनुष्य की चेतना उसके प्रतिष्ठान का निर्धारण नहीं करती वरन् उसकी सामाजिक स्थिति, उसकी चेतना को निर्धारित करती है।”² मार्क्स की धारणा है कि मानव इतिहास के तीन बाल दस बाल के उदाहरण हैं कि उत्पादन तथा वितरण की प्रणाली में परिवर्तन होने ही तदनुसार धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओं में परिवर्तन हुए हैं। उदाहरण के लिए ग्रीक साम्राज्य के कृषि प्रयत्न होने के कारण राजनीतिक शक्ति भूमिपतियों के पास थी। मध्ययुग का पतन निश्चित धाने पर जब सामन्तवाद पतन की ओर जाने लगा तो इसके साथ ही समस्त सामन्तवादी राजनीतिक संस्थाओं में परिवर्तन हुए। एव नवीन राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ। सामन्तवाद पूँजीवाद एवं समाजवाद इसी प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले क्रमिक सोपान हैं।

मार्क्स के इस ऐतिहासिक भौतिकवाद की धारणा करने हुए यह कहा जाता है कि सामाजिक सम्बन्ध इतने जटिल होते हैं कि कोई भी एक कारण उनका आधार नहीं हो सकता। यदि मार्क्स के इस कथन को सही मान लिया जाय कि एक समाज की कानूनी, राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति उसकी प्राथिक प्रणाली से ही निर्धारण प्राप्त करती है तो अपने पास इस बात का कोई उत्तर नहीं है कि ममान प्राथिक प्रणाली बनाने वाले राज्य सर्वथा भिन्न सांस्कृतिक व सामाजिक विचारधाराओं को क्यों स्वीकार करते हैं।

1 Hallowell "Main Currents in Modern Political Thought"

2 Marx 'Communist Manifesto'—“It is not the consciousness of man that which determines their existence, but on the contrary, it is their social existence which determines their consciousness”.

एन्ड्रयु ने इन आरोप का उत्तर देने हुए लिखा है कि "यद्यपि हमारे शिष्यों ने आर्थिक कारणों पर उचित और अधिक जोर दिया है पर यह इसलिये कि हमारे विरोधी इसे अस्वीकार करते हैं। इनके विरोध के लिए हम इसके आगारभूत तत्वों पर इतना अधिक दब देने के लिए विवश हुए हैं। ऐतिहासिक प्रक्रिया के अन्य तत्वों की परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया की समुचित व्याख्या के लिए न तो हमारे पास समय या और न स्थान है।"

इस प्रकार मार्क्स ने आर्थिक कारणों को इतिहास का एकमात्र आधार न मानकर सर्वप्रमुख आधार माना है। यह मार्क्स की राजनीति दर्शन को एक उपयोगी देन है। आर्थिक कारणों के इस केन्द्रीय महत्व को स्वीकार किये बिना इतिहास का कोई भी सही अध्ययन आज सम्भव ना जाता है।

द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद

मार्क्स के अनुसार उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन प्राकृतिक रूप में नहीं होने वरन् एक द्वन्द्वात्मक प्रणाली के अनुसार होते हैं। अतः इतिहास की आर्थिक व्याख्या को यदि सामाजिक परिवर्तन का एक सिद्धान्त कहें तो उसके अनुसार द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद उसका एक अन्य रूपवा मायन है जिसके द्वारा ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया एक अवस्था में दूसरी अवस्था में प्रवेश करती है।

मार्क्स ने यह द्वन्द्वात्मक पद्धति यद्यपि हीगन में ग्रहण की तदपि दोनों में गम्भीर अन्तर है जैसा कि मार्क्स ने स्वयं कहा है—"मैंने जब हीगल का अध्ययन प्रारम्भ किया तो उसकी द्वन्द्वात्मकता शीघ्रानुश्रित कर ली थी, मैंने उसे केवल अपने पैरों के दब खड़ा करने की कोशिश की है।" हीगल के अनुसार प्रकृति—वात दैविक आत्मा (Divine Spirit) या निरपेक्ष (Absolute Idea) की ओर बढ़ने वाली एक प्रक्रिया मात्र है। प्रत्येक राष्ट्रीय संस्कृति इस दिग्गज आत्मा की अन्यायपूर्ण अभिव्यक्ति है और विकास की एक आन्तरिक आवश्यकता के कारण अपने विरोधी विचार को जन्म देती है। परन्तु विरोध की यह अवस्था स्थायी नहीं होती अतः एक सामंजस्य की ओर बढ़ती है। यह हम तब तक चलता रहता है जब तक कि निरपेक्ष विचार के रूप में पूर्ण रूप प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार हीगल इस परिणाम पर पहुँचा कि इतिहास प्रणालियों की शृंखला मात्र नहीं है वरन् वह विकास की एक निरिच्छित गतिशील प्रक्रिया है और विचार उसका मुख्य प्रेरक शक्ति है। मार्क्स हीगल की इस पारण्डा में काफी प्रभावित हुआ था किन्तु उसके आदर्शवाद में उसे विश्वास नहीं था। वह विचारों (Ideas) के स्थान पर पदार्थ (Matter) को अन्तिम वास्तविकता मानता था। उसने अपने इस भौतिकवाद का सम्बन्ध हीगल की द्वन्द्वात्मक पद्धति से स्थापित किया। एक ऐसा मनाव जिसमें एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण न हो उसने विकास की इस

प्रक्रिया का अन्तिम लक्ष्य माना। उनके अनुसार मानव सभ्यता के विकास के Thesis, Antithesis और Synthesis आर्थिक वर्ग हैं, समूर्त विचार नहीं।

मार्क्स अपने दृष्टात्मक भौतिकवाद का आर्थिक निर्णयवाद (Economic Determinism) के रूप में भी प्रस्तुत करता है। उसका मत है कि आर्थिक शक्तियाँ मनुष्य की इच्छा से स्वाधीन रहते हुए भी इतिहास के प्रवाह को निर्धारित करती हैं। सामन्तवाद, पूंजीवाद एवं समाजवाद इस विकास के क्रमिक सोपान हैं क्योंकि विकास एक असम्बद्ध प्रक्रिया नहीं है बल्कि उसके समस्त सोपान एक दूसरे पर आधारित हैं—पूँजीवाद को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि हम उसे ऐतिहासिक विकास की एक प्रक्रिया में सामन्तवाद से समाजवाद के बीच की एक सक्रमण अवस्था के रूप में न देखें। मार्क्स अपने ऐतिहासिक निर्णयवाद के आधार पर ही इस एक तथ्य को प्रकट साथ मानता था कि पूँजीवाद का प्रवृत्तान निरवृत्त रूप से समाजवाद में होगा। उसकी यह धारणा थी कि पूँजीवाद अपने अन्दर अपने विनाश के बीज उसी प्रकार रखता है जिस प्रकार हीमल की बीमिष अपने अन्दर एण्टीबीमिस के तत्व छेकर चनुती है। उसका मत था कि पूँजीवाद बीमिस और उसके एण्टीबीमिस सर्वहारावर्ग के बीच संपर्क का परिणाम एक साम्यवादी समाज का जन्म हागा जिसमें न कोई वर्ग होगा और न कोई दमनकारी शक्ति। मार्क्स द्वारा मानव इतिहास के क्रमिक विकास के सम्बन्ध में एंजिजन्म का मत है कि "मार्क्स को इस सिद्धांत ने इतिहास के लिए वही कार्य किया जो डार्विन के सिद्धांत ने जीव विज्ञान के लिए किया था।"¹

परन्तु मालोचको का मत है कि प्रादर्शवाद में सम्बद्ध रह कर तो दृष्टात्मक पद्धति को फिर भी कुछ मात्रपता सम्भव हो सकती है किन्तु भौतिकवाद के साथ सम्बद्ध होने पर उसमें कोई महत्वपूर्ण तथ्य छेप नहीं रह जाता। भौतिक वस्तुप्रा में सम्बन्ध या तो समानता के होने हैं अथवा अन्तर के और के एक दूसरे की विरोधी कभी नहीं हो सकती। पानी का गैस का विरोधी कटना निरर्थक है। साम्यवाद का यह भी मत है कि मार्क्स का ऐतिहासिक निर्णयवाद आकस्मिक घटनाप्रा के लिए कोई स्थान नहीं छोडता। वास्तव में मार्क्स इतिहास की सामान्य दिशा का पूर्व निर्धारित मानता है और छोटी-मोटी घटनायें उसकी दृष्टि में अन्ततः स्वरूप हैं।

वर्ग-संघर्ष

मार्क्स के अनुसार न केवल विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रणालियाँ म ही विरोध पाया जाता है बल्कि एक ही प्रकार की आर्थिक प्रणाली में भी विभिन्न विरोधी वर्गों का

1. Engels. "This proposition in my opinion is destined to do for history what Darwin's theory has done for biology."—Quoted by Laidler in 'Social & Economic Movements'.

प्रस्तित्व होता है जो परस्पर संघर्षरत रहने है। इतिहास के युद्धों के युद्धों एवं युद्धों के कारणों का पैन्नाकोला न मानकर मार्क्स उसे विरोधी वर्गों के संघर्षों की नृक्षला बतलाता है। इतिहास का निर्माण करने वाले मानाधिक प्रान्दोवन उसकी दृष्टि में वर्ग-प्रान्दोवन है। प्रत्येक काल में नाना दो विरोधी वर्गों में विभक्त रहता है—एक विशेषाधिकार प्राप्त रान्दोवन के स्वामियों का छोटा या वर्ग (Haves) तथा दूसरा श्रमिकों का Haves देना कि मार्क्स ने अपने ग्रन्थ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो (Communist Manifesto) में कहा है—

“श्रावीन रोम में कृत्तान नरदार एवं साधारण मनुष्य एवं दास थे। मध्ययुग में सामन्त, नरदार तथा सेवक थे और आधुनिक समाज पूंजीवाद तथा श्रमिक वर्ग में विभक्त है। इनमें कभी कृत्त व कभी बुल्ननदुन्ना निरन्तर वर्ग युद्ध चलता रहता है।”

मार्क्स के अनुसार इन दोनों वर्गों में संघर्ष का कारण परस्पर विरोधी हित है। एक वर्ग का लाभ दूसरे वर्ग की हानि करके ही सम्भव है। पूंजीपति श्रमिकों से अधिक कान लेकर उन्हें उन वेतन देकर स्वयं लाभ कमाते हैं (Surplus Value)। इसके विरोध श्रमिक वर्ग का हित इसमें निहित है कि उसे उसके श्रम का अधिकतम प्रतिफल मिले। श्रमिकों के अधिक संख्या में होने पर भी पूंजीपति यह शोषण करने में इसतिये सफल होते हैं कि मजदूरों का श्रम नाशवान होता है, पर पूंजीपतियों के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं होती। वे प्रतीक्षा करके श्रमिकों को नुकाने के लिए विदग कर सकते हैं।

पूंजीपति एवं श्रमिक वर्ग के बीच विरोध का एक अन्य कारण मार्क्स यह भी बतलाता है कि पूंजीपति न केवल प्राधिक जीवन पर ही नियन्त्रण रखते हैं बल्कि सामाजिक व राजनीतिक सम्पत्तियों को भी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयुक्त करने की क्षमता रखते हैं। सम्पत्तिहीन वर्ग भी इन सम्पत्तियों और प्रक्रिया में भाग लेना चाहता है। अतः प्रत्येक समाज में इनके नियन्त्रण के लिए वर्गों के बीच संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। मार्क्स के अनुसार पूंजीपति एवं श्रमिक वर्ग के बीच संघर्ष इसी प्रकार का था और इसने सामन्तवादी व्यवस्था को उधे हिलाया। आधुनिक समय में पूंजीपतियों एवं वर्ग चेतना के नरे मजदूरों के बीच चलने वाला संघर्ष भी पूंजीवाद की उधे खोलती कर रहा है और इसका प्रथिम परिणाम श्रमिक वर्ग की विजय में होगा। यह स्वयं एक संशान्ति की प्रवस्था होगी और अन्त में सम्पन्न वर्ग नष्ट हो जायेंगे और वर्गविहीन समाज की स्थापना होगी।

यद्यपि मार्क्स की यह धारणा सत्य है कि समाज में निरन्तर वर्गों का प्रस्तित्व रहा है परन्तु यह वर्ग नरेव प्राधिक वर्ग ही रहे हैं यह कहना उचित प्रतीत नहीं होता। मध्यकालीन इतिहास के एक मज्जमूर्त विषय पंत एवं सम्राट के बीच चलने

वाला संघर्ष सासक वर्ग के आन्तरिक विरोधों का उदाहरण कहा जा सकता है, परन्तु उभे शोषक एवं शोषित वर्ग के बीच का संघर्ष कहना संदेहास्पद होगा। अतः यह कहना भी उचित नहीं माना जा सकता कि श्रमिक वर्ग की विजय के पश्चात् समस्त वर्ग संघर्षों का सर्वैक के लिए अन्त हो जावेगा।

पूँजीवाद का अन्त तथा साम्यवाद की स्थापना का कार्यक्रम

मार्क्स के समस्त सिद्धांतों विशेषतः इन्द्रात्मक भौतिकवाद और वर्गसंघर्ष का उद्देश्य यही सिद्ध करना था कि वर्गचेतना एवं आन्तिकारी श्रमजीवी वर्ग अपने पूँजीवादी विरोधियों पर अन्तिम विजय प्राप्त कर उम साम्यवादी समाज की स्थापना करेगा, जिसमें 'प्रत्येक को आवश्यकतानुसार दिया जावेगा एवं योग्यतानुसार काम लिया जायेगा।' अपने मुख्यात ग्रन्थ 'कम्युनिस्ट मैनीफेस्टो' में जिसे लास्की ने समस्त काल का एक महत्वपूर्ण आन्तिकारी अभिलेख' कहा है और जिसकी तुलना फ्रांसीसी अधिकार घोषणा, अमेरिका की स्वतन्त्रता घोषणा (American Declaration of Independence) एवं (French Declaration of Rights) से की जाती है। मार्क्स ने एक ऐसी योजना प्रस्तुत की है जिसे अपनाकर श्रमजीवी वर्ग अपना श्रेय घोषणा से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मार्क्स के मत में इस विधि को न अपनाये जाने पर भी पूँजीवाद का पतन अवश्यम्भावी है, क्योंकि वह स्वयं में अपने विनाश के बीज रक्षता है। यह इस बात से स्पष्ट है कि पूँजीवाद ने उत्पादन तथा विनिमय के महाकाम साधनों को जन्म दिया है। पर यह उनको नियन्त्रित करने में सर्वथा असमर्थ है। आवश्यकता से अधिक उत्पादन के कारण बार बार उत्पन्न होने वाले आर्थिक संकट तथा गिरती हुई लाभ दरों के कारण अधिकमिद देशों में पूँजी लगाना अथवा उसे नष्ट कर देना आदि घटनायें पूँजीवाद की आत्मघातक आन्तिकारिक अतिरिक्तता की सूचक हैं। विकास के साथ पूँजीवाद की उपयोगिता का ह्रास उसने पाये जाने वाले इन्हीं विरोधाभासों के कारण हुआ है।

पूँजीवादी उत्पादन की प्रवृत्ति केन्द्रीकरण की ओर होती है और प्रतियोगिता के माध्यम द्वारा बड़े व्यापारों छोटे व्यापारियों को समाप्त कर देने हैं। अतः उत्पादन के माध्यम छोटे-से बड़े पूँजीपतियों के हाथों में केन्द्रित हो जाते हैं। ये ही बड़े बड़े कारखाने खोलते हैं और उनमें मजदूर वर्ग की संख्या दिनदिन बढ़ने लगती है। बड़े बड़े औद्योगिक नगर केन्द्रों का जन्म होता है और वहाँ भी हजारों मजदूर छोटे-बड़े क्षेत्रों में रहने लगते हैं। इस स्थिति में इनके स्वभावतः पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित होने हैं और अपनी बहिर्मुखी एवं आवश्यकताओं के प्रति एक मजबूत आती है। परिणामस्वरूप सभी मजदूर मिलकर पूँजीपतियों के विरुद्ध अपने संगठन बनाने लगते हैं और संघर्ष एक निरन्तर तथा ऊँचे स्तर पर चलने लगता है। यह संघर्ष इस स्थिति में

व्यक्तिगत पूंजीपतियों के विरुद्ध न रह कर अन्ततः पूंजीवादी प्रणाली के विरुद्ध बन जाता है और शनैः शनैः उसमें उग्रता आने लगती है।

पूंजीवाद का दूसरा विरोधानाम यह है कि पूंजीपति अपनी आवश्यकताओं के लिये मशीनों, यात्रायात एवं मंदादवाहन के माधनों का विकास करते हैं, परन्तु यह सब अन्तिम रूप में श्रमिकों की वर्ग चेतना और संगठन में महायुक्त मिश्र होने हैं। मशीनों द्वारा उत्पादन किया जाने के कारण श्रमिक अपने व्यक्तिगत नैतिक गुणों को खोने लगते हैं। उनकी दृढ़ता हूँ समानता तथा गिरता हुआ चरित्र श्रमिकों में वर्ग चेतना का उन्मेष करता है। द्रुतगति में विकसित होने लगे परिवहन तथा यात्रायात के माध्यम सञ्चार भर के श्रमिकों में त्रिवार विनिमय सम्बन्ध बनाने लगते हैं और इस प्रकार वर्गसंघर्ष जो पहले स्थानीय था, धीरे-धीरे राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप धारण कर विरुद्धवापी क्रांति का जन्म देता है।

पूंजीवाद की जड़ों को खोलना करने वाला दूसरा विरोधानाम है उसकी श्रमिक का दमन और उनके कष्टों को बढ़ाने की प्रवृत्ति। लैंडलर (Landler) ने इसे (Theory of accumulation of Wealth and Misery) पूंजी और पीडा का संग्रह मिश्रण कहा है। पूंजीवाद की इन प्रवृत्ति को स्पष्ट करने हुए उसने लिखा है कि "पूंजीवाद में एक मिर पर पूंजी का जमाव, दूसरे मिर पर कष्ट, दासता एवं अज्ञानता की शृंखला का जन्म देता है।"¹ यह श्रमिकों में इन प्रणाली के विरुद्ध तीव्र असन्तोष उत्पन्न करता है और वे क्रांतिकारी बनने लगते हैं। कोकर ने पूंजीवाद के इन विरोधानामों का इन शब्दों में स्पष्ट किया है।

"पूंजीवादी व्यवस्था श्रमिकों की संख्या बढ़ाती है, उन्हें संगठित मजूतों में एक साथ लाती है, उनके परस्पर में मिलने जुटने के माध्यम प्रदान करती है और उन्हें अधिकधिक शोषण द्वारा संगठित विरोध के लिये उत्प्रेरित करती है।"²

परन्तु मार्क्स ने केवल पूंजीवाद के इन विरोधानामों की ओर ही ध्यान आकर्षित नहीं किया वरन् वह कार्यक्रम भी दिया है जिसे अपनाकर मजदूर लोग अपने आन्दोलन को एक स्वचालित क्रान्तिक संघर्ष में बदल सकते हैं। मार्क्स का यह कार्यक्रम विकासवादी एवं क्रांतिकारी (Evolutionary and Revolutionary) दोनों प्रकार का है। मार्क्स घोषणा करता है कि—

"श्रमिक वर्ग द्वारा क्रांति में पहला कदम अमरीकी बर्ग को गामक वर्ग के पद

1. "Accumulation of wealth at one pole is, therefore, at the same time accumulation of misery, slavery, and brutality at the opposite pole."—Landler : Social and Economic, Movements
2. Coker : Recent Political Thought, Chapter 2, Vol, Part 1.

पर प्रतिष्ठित करना तथा लोचतन्त्र के युद्ध की जीतना होगा।" एक लाखतन्त्री राज्य में लोचतन्त्रशासक उपायो द्वारा विजय पाने के प्रयत्न उपाय है—जैसे एक राजनीतिक दल बनाना, निर्वाचक मंडल से प्रदीप्त करना, राष्ट्रीय सगद में बहुमत प्राप्त करना इत्यादि। मार्क्स चाहता है कि इन साधनों से प्राप्त ममस्त शक्ति का प्रयोग मजदूरों द्वारा धीरे-धीरे पूंजीवादी वर्ग में समस्त पूंजी को छीनने एवं उत्पादन के समस्त साधनों की धमजीवी वर्ग के हाथों में वेष्टित करने के लिये किया जाना चाहिये। इसमें स्पष्ट है कि पूंजीवाद के अन्त तथा पूंजी के समाजीकरण की प्रक्रिया क्रमिक होगी और पूंजीवाद एक ही चोट में समाप्त नहीं होगा।

परन्तु मार्क्स ने इस सम्भावना पर भी विचार किया है कि जो पूंजीपति इनकी हड़ता से जमे हुये हैं, श्रमिक वर्ग को शायद ही सवेधानिक साधनों द्वारा विजय प्राप्त करने दें। मार्क्स की धारणा थी कि ऐसी परिस्थिति में श्रमिकों को संगठित शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा और क्रान्ति आवश्यक प्रथवा अवश्यमभावकी ही जायेगी। ऐसा कहा जाता है कि मार्क्स की क्रान्तिकारी विचारों की प्रेरणा इंग्लैंड के चाटिस्ट आन्दोलन में मिली। अपने उद्देश्य की ओर बढ़ने में सहायक होने वाले मजदूरों के प्रत्येक कदम को अपने अनित बतलाया और इसी संदर्भ में मार्क्स के हिसाब से क्रान्ति के सिद्धान्त उत्पन्न हुए।

परन्तु मार्क्स के मत में क्रान्ति द्वारा पूंजीवाद के विनाश में परवान् भी साम्यवाद की तुरन्त स्थापना सम्भव नहीं हो सकती। अतः इस बीच धमजीवी वर्ग की तानाशाही का एक संक्रमण काल होगा। मार्क्स की इस प्रवस्था में पुरानी व्यवस्था की कुछ विशेषतायें बनी रहेंगी। उदाहरण के लिए मार्क्स वर्ग राज्य का विरोधी है, परन्तु उगकी इस संक्रमण अवस्था में वर्ग राज्य विद्यमान रहेगा फिर भी मजदूरों की तानाशाही वाले मार्क्सवादी राज्य में मुख्य रूप से दो महत्वपूर्ण अन्तर पाजायेंगे।

प्रथम पुराने पूंजीवादी राज्य में अल्पसंख्यक राजनीति शक्ति का प्रयोग बहुसंख्यकों की सम्पत्ति के हरण के लिए करने से परे यहाँ अल्पसंख्यक व्यापकपूर्ण वितरण के लिये राज्य की शक्ति का प्रयोग करेंगे। दूसरा अन्तर यह होगा कि जहाँ पुराने पूंजीवादी राज्य का उद्देश्य वर्गभेद को बनाये रखना और सम्पत्तिशाही वर्ग की सुरक्षा करना या वहाँ धमजीवी वर्ग की तानाशाही वर्गभेदों को मिटाने का प्रयत्न करेंगी और ऐसा करने की प्रक्रिया में यह स्वयं अपना भी अन्त कर देगी। मजदूर अथवा सर्वहारा वर्ग जब राजनीतिक शक्ति द्वारा समस्त पूंजीपतियों एवं पूंजीवादी प्रवृत्तियों का विनाश करने में समर्थ हो जायेगा तो केवल धमजीवी वर्ग का ही अस्तित्व शेष रहेगा और जब धमजीवी वर्ग नहीं रहेगा, तो एक विशिष्ट समताशय शक्ति की भी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी और वर्ग संगठन के रूप में राज्य धीरे धीरे अस्तित्व में हो जायेगा। अतः मार्क्स की परि-कल्पना का भावी समाज पूर्णतः वर्गहीन है अतः वह राज्यहीन भी रहेगा।

इस सदर्म में इतिहासकार सैबाइन का मत है कि मार्क्स के दर्शन में श्रमिक वर्ग की अन्तिम विजय के अटल विश्वास को सिद्ध नहीं किया जा सकता। उसके मत में वर्गहीन समाज की कल्पना क्रान्तिकारी दल को दृढ़ता एवं प्रेरणा प्रदान करने के लिये एक प्रकार की गल्प (Myth) है और उसका यह आदर्श यूरोपियन समाजवादियों से कोई कम कल्पनाविद् (Utopia) नहीं है।

मार्क्स की राज्य सम्बन्धी धारणा के विषय में यह कहा जाता है कि वह जिस राज्य का चित्रण करता है उसके सर्वोत्तम स्वरूप का विवरण नहीं देता। निस्सन्देह यह तो सत्य है कि इतिहास में शासकों ने कभी-कभी एक सीमित समूह के सकुचित हितों की सिद्धि का प्रयत्न किया है किन्तु ऐसे उदाहरणों के आधार पर राज्य के सिद्धांत का निर्माण करना उतना ही अनुचित होगा जितना कि चोरो और डाकुओं के कुकुर्यों के आधार पर एक मानव के सिद्धांत की रचना करना। यद्यपि मार्क्स का यह सिद्धांत उन्नीसवीं शताब्दी के शक्तिवादी राज्य के लिये ठीक कहा जा सकता है परन्तु बीसवीं शताब्दी के कल्याणकारी राज्य पर इसे आरोपित करने में स्वयं मार्क्स को भी काफी कठिनाई आयेगी।

यह भी कहा जा सकता है कि मार्क्स की यह भविष्यवाणी भ्रान्त सिद्ध हुई है कि पूंजीवाद पतन की ओर अग्रसर हो रहा है बल्कि ऐतिहासिक सब तो यह है कि वह दिनोदिन सुदृढ़ बनता जा रहा है। अपने को बदलनी हुई परिस्थितियों के अनुकूल बालने में पूंजीवाद ने एक अद्भुत नमनीयता और लोच का परिचय दिया है जबकि मार्क्स ने एक वैज्ञानिक की भाँति केवल तरकालीन परिस्थितियों का विश्लेषण कर उसके भविष्य में बड़े बठोर निष्कर्ष निकाले हैं। उन्नीसवीं शताब्दी की पूंजीवादी परिस्थितियों में उत्पादन क्षमता में द्रुतगति से विकास हो रहा था परन्तु मजदूरों की सुख-सुविधायें नहीं बढ़ रही थीं। इसके कारण अनेक आन्दोलन हुये। ऐसी परिस्थितियों में मार्क्स का इस निष्कर्ष पर पहुँचना स्वाभाविक ही था कि पूंजीवाद के विकास के साथ-साथ मजदूरों का संकट बढ़ता जायेगा और असन्तुष्ट मजदूर एक राजनीतिक आन्दोलन करेंगे, जिसके फलस्वरूप पूंजीवादी प्रणाली तहस नहस हो जायेगी।

मार्क्स की चाहे कुछ भी दुर्बलतायें रही हो पर इतना स्पष्ट अवश्य है कि उसके दर्शन ने समस्त विद्वानों के विचारकों को राजनीति की कुछ मूल समस्याओं के प्रति आकर्षित किया है। इसका मुख्य कारण यह है कि उसने पूंजीवाद की कुछ ठोस आलोचनायें सामने रखी हैं। समाज के एक विद्वान जनसमूह अथवा पीडित वर्ग के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की है तथा अपने भावी समाज की जो कल्पना दी है उसे प्राप्त करने के सम्भव साधनों के लिए भी विवादास्पद सुझाव रखे हैं। ये सब विशेषतायें मार्क्सवाद की एक अत्यन्त ठोस एवं तथ्यपूर्ण सिद्धान्त बना देती हैं और इसी कारण

सभी भावों समाजवादी विचारण उसके सिद्धांतों द्वारा प्रभावित हुये हैं जैसा कि अमेरिकन समाजवादी Morris Hillquit ने कहा है—

“मार्क्सवाद आज भी समस्त समाजवादी दलों का मातृ सिद्धान्त है और प्रत्येक दल प्राधुनिक समाजवादी आन्दोलन के सत्यापन के सैद्धांतिक तत्वों को सच्चाई से ग्रहण करने का दावा करता है और अपने विरोधी समाजवादी दलों पर आरोप करता है कि उन्होंने उसके मूल सिद्धान्त का त्याग कर दिया है।”

अतः यह कहा जा सकता है कि मार्क्सवाद न केवल एक विचारधारा अथवा आन्दोलन है बल्कि एक जीवनदर्शन भी है जो कुछ नये मूल्यों एवं आदर्शों को अवरुद्ध करता है। मार्क्स के ये मूल्य नूतन परम्परागत उदारवादी मूल्यों से भिन्न नहीं सन्ताने अतः स्वाभाविक है कि वर्तमान संसार में कुछ लोग उसे एक उद्धार के रूप में देखें तथा कुछ अन्य एक संहारक के रूप में।

BIBLIOGRAPHY

COCKER : *Recent Political Thought*

EBENSTEIN *Today's Isms*

MAXEY • *Political Philosophies*

LAIDLER • *Social and Economic Movements*

SABINE *History of Political Theory*

मार्क्सवाद के रूसी एवं चीनी संस्करण (RUSSIAN AND CHINESE VERSIONS OF MARXISM)

—शकुन्तला राव

मार्क्स के सर्वाधिक क्रमदृढ़ एवं विमलेपरुवादी विचारक होने के बावजूद भी मार्क्सवाद ने इतने परिवर्तित एवं संशोधित रूप ग्रहण किये हैं तथा उनका अतिना विन्नीकरण हुआ है, राजनीति दर्शन के इतिहास में शायद ही किसी अन्य विचारधारा का हुआ हो। परन्तु इससे यह सात्य नहीं कि मार्क्सवाद का यह भावी परिवर्तन मार्क्स के विचारों में किसी मैदानिक कमी की पूर्ति के लिये हुआ है। इसका वास्तविक कारण तो यह था कि मार्क्स ने केवल शकालीन परिस्थितियों के आधार पर ही अपना दर्शन निर्मित किया था और सामाजिक एवं आर्थिक विकास की भावी प्रवृत्तियाँ उनकी विवेचना में समुचित स्थान नहीं पा सकी। अतः कालांतर में उनके विचारों को अपनाते समय उनमें संशोधन एवं प्रशोधन किया जाता स्वामाजिक ही था। बर्न्स (Burns) ने इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए कहा है कि मार्क्स के बाद राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति में जो परिवर्तन आये वे इतने त्वरित थे कि उनके द्वारा उपाय नदीन परिस्थितियों पर लागू नहीं हो सके।¹

मार्क्स के जीवनकाल में ही उनके विचारों की व्याख्या के सम्बन्ध में मतभेद प्रकट होने लगे थे और स्वयं मार्क्स को यह घोषणा करनी पड़ी थी कि वह पूर्ण मार्क्सवादी नहीं है। मार्क्स के बीसवीं शताब्दी में होने वाले विन्नीकरण के सम्बन्धित कुछ विचारधाराएँ तो ऐसी हैं जिन्हें निरिच्छ रूप में मार्क्सवादी तो नहीं कहा जा सकता किन्तु अपने मूल विचारों के लिये वे मार्क्स की निरिच्छ रूप में श्रुती प्रवर्धक हैं। उदाहरण के लिये गिन्ड समाजवादी एवं संप्रवादी मार्क्स के वर्णवृद्ध के सिद्धान्त में पूर्ण विश्वास करते थे। संप्रवादियों ने उनके क्रान्तिकारी पद्धति को भी अपनाया उनी प्रचार, रंगमंच के परिदृश्यवादी मार्क्स द्वारा की गई पूँजीवाद की धारोक्ता के मनी टोम पद्धतियों को स्वीकार करते हैं।

इनके पदवाच्य वर्मैटीन आदि विचारकों की गणना भी जा सकती है, जिनकी

1. 'Political and economic conditions had changed so radically since Marx that the remedies he proposed no longer conformed to disease.'

माग्यना यो कि बदलती हुई परिस्थितियाँ में मार्क्स के कुछ सिद्धांत अलग सिद्ध हो गये हैं। अतः यदि मार्क्स को जीवित रखना है तो उसके दर्शन में संशोधन करना आवश्यक है। इस प्रकार के मार्क्स के अनुयायियों को संशोधनवादी (Revisionists) कहा जाता है।

परन्तु इस दृष्टिकोण के विपरीत सोवियत संघ एवं चीन में मार्क्स के जो अनुयायी हैं वे सम्पूर्ण मार्क्सवाद को पूर्णतया मरग समझते हैं और उसे अपने अपने देशों में व्यावहारिक स्वरूप देने का प्रयत्न कर रहे हैं। इनके प्रथमतः लेनिन, स्टालिन एवं माओत्से तुंग माने हैं। रूढ़िवादी मार्क्सवाद (Orthodox Marxism) को व्यावहारिक स्वरूप देने की प्रक्रिया में इन्होंने अपने समुचित परिवर्तन किये हैं, किन्तु इनका दावा है कि मार्क्सवाद की मूल धारणाओं ज्यों की त्यों सुरक्षित रह गयी है। इन अग्नितव मार्क्सवादियों (Neo-Marxists) का कहना है कि मार्क्सवाद को प्रथम व्यावहारिक रूप तो दिया भी नहीं जा सकता। माओत्से तुंग ने एक स्थान पर कहा है कि "अमूर्त मार्क्सवाद जैसी कोई चीज नहीं है। वह केवल साकार पदार्थ रूप में है जिसे राष्ट्रीय स्वरूप में ग्रहण किया गया है अर्थात् मार्क्सवाद को रूस व चीन में देशवासी परिस्थितियों की अनुरूपता के संदर्भ में अपनाया गया है न कि अमूर्त रूप में।"¹

सोवियत संस्करण—रूसी समाजवादी व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ लेखकों का मत है कि यह मुख्य रूप से रूस के प्राचीन इतिहास की उत्पत्ति है। मार्क्स के सिद्धांतों को सोवियत संघ में केवल प्रसंगत लागू किया गया है किन्तु फिर भी इस बात में कोई संदेह नहीं है कि त्रिन व्यक्तियों ने रूस में नवम्बर १९१७ में शासन सम्भाला था वे मार्क्स के माने हुए अनुयायी थे। १९१७ के मध्य में लेनिन ने जो "राज्य तथा क्रान्ति" (State And Revolution) नामक पुस्तक लिखी उसका अर्थ मार्क्स एवं एंजिल्स की कृतियों के उद्धरण देकर यह दिखलाना था कि उनके द्वारा आयोजित क्रान्ति और उसने फलस्वरूप स्थापित होने वाली साम्यवादी शासन-व्यवस्था मार्क्स की कल्पना के बिना ही अनुसृत हो गयी। परन्तु वास्तविक मरग यह है कि लेनिन एवं उनके उत्तराधिकारियों ने इनके रूस की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन किये हैं, क्योंकि वे मार्क्स की भांति केवल विचारक ही नहीं बरन् व्यावहारिक एजनीवित्त भी थे।

लेनिनवाद—मार्क्सवाद की सर्वप्रथम व्यवहार में लाने का श्रेय लेनिन को है। लेनिनवाद को मार्क्सवाद का रूसी संस्करण कहा जाता है। स्टालिन ने कहा है कि "लेनिनवाद साम्राज्यवाद एवं श्रमजीवी क्रान्ति के युग का मार्क्सवाद है।" १९४८ में 'कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो' के प्रकाशित होने की तिथि तथा १९१७ में

1. "There is no such thing as abstract Marxism but only concrete Marxism that has taken a national form, that is, Marxism applied to concrete conditions prevailing in China or Russia and not Marxism abstractly used.—MAOTSE-TUNG."

वालभोविक क्रान्ति द्वारा सेनिन के हाथों में सत्ता आ जाने के बीच के वर्षों में संसार में ऐसी दहड़त थी घटनाएँ घटीं जिन्होंने मार्क्सवाद में संशोधन करना आवश्यक बना दिया। इस अवधि में पूंजीवाद का तीव्र गति से विकास हुआ और उसमें अन्तर्निहित विरोध अतनी चरम सीमा तक पहुँच कर यूरोपीय राष्ट्रों के बीच साम्राज्य के लिये विरोध उत्पन्न करने लगे। सन् १९१४ में लड़ा गया प्रथम विश्वयुद्ध पूंजीवादी साम्राज्यवाद के विकास का ही मर्यादक परिणाम था। ऐसे समय में श्रमिक वर्ग की क्रान्ति जिन्का मार्क्स ने उल्लेख किया है एक ज्वलन्त प्रदन बनी। मार्क्स की शिक्षायों का प्रतिपादन एकाधिकारों प्रवृत्ति के पूंजीवादी साम्राज्यवाद तथा श्रमिक वर्ग की क्रान्ति के युग में पूर्व हुआ था। अतएव उसे समय के अनुसार बालना था। इसके अतिरिक्त मार्क्स ने श्रमिक वर्ग की क्रान्ति का उल्लेख मात्र किया था, उसे क्रियाशिव करने के सम्बन्ध में क्रान्तिकारों युद्ध बना के विषय में वह मौन था। सेनिन ने इन दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति की। उसने मार्क्सवाद में पाये जाने वाले उन क्रान्तिकारों तत्वा का पुनरुत्थान किया जिन्हें द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय के अवसरवादियों एवं संशोधनवादियों ने धूमिल कर दिया था। तत्कालीन परिस्थितियों के अनुकूल उसे श्रमजीवी वर्ग की तानाशाही को मार्क्स के राज्य सिद्धान्त में एक केन्द्रीय स्थान देना पड़ा।

सेनिन और द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद

सेनिन ने मार्क्स में अपने अदृष्ट विद्वान का प्रकट करन के लिए केवल उसके साम्यवाद एवं पूंजीवाद सम्बन्धी विचारों की पुष्टि करना ही पर्याप्त नहीं समझा वरत द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद में विद्वान प्रकट करना भी उसे आवश्यक प्रतीत हुआ। सन् १९०२ में प्रकाशित ग्रन्थ "Materialism and Empirio Criticism" सेनिन की साम्यवाद को प्रमुख देन तथा साम्यवादी दार्शनिक रुढ़िवाद का मापदण्ड माना जाता है। इस ग्रन्थ में प्रतिपादित सिद्धान्तों का तार्किक भी विरोध क्रान्ति के प्रति विद्रोह समझा जाने लगा था। इस पुस्तक में सेनिन ने बताया है कि द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद सामाजिक विज्ञान की अज्ञाना प्राकृतिक विज्ञानों में अधिक सीमाय है। उसके अनुसार वैज्ञानिक विद्यमानिक एवं दर्शन उपा अर्थशास्त्र और राजनीति में निष्पक्षता संभव नहीं है। इन्हें वास्तव में निहित स्वार्थों की पूर्ति के बहाना के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। सेनिन के अनुसार द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के साथे मे दा वैज्ञानिक प्रणालियाँ हैं—एक मध्यवर्ग के हित में (पूंजीवाद) और दूसरी श्रमजीवी वर्ग के हित में (साम्यवाद)। श्रमजीवी सामाजिक विज्ञान को वह पूंजीवादी सामाजिक विज्ञान से अत्यन्त मममता है, क्योंकि मार्क्सवादी द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी पद्धति उसे एक उदात्तमान वर्ग घोषित करती है। अतः सेनिन ने यह स्पष्ट किया है कि एक सामाजिक वैज्ञानिक के लिये अपने प्रारंभिक विद्वानों के रंग में रंगे हुए होने हैं।

लेनिन ने मार्क्स की द्वन्द्वात्मक पद्धति को सार्वभौम पद्धति का रूप दिया। इसका आरोपण सभी प्रश्नों पर किया जा सकता है।¹

लेनिन और साम्राज्यवाद

लेनिन ने मार्क्सवाद के सैद्धांतिक पिष्टपोषण के साथ-साथ आलोचकों द्वारा उभे पर किये जाने वाले प्रहारों से भी उसकी रक्षा करने का प्रयत्न किया है। मार्क्स ने द्वन्द्वात्मक प्रणाली के आधार पर यह भविष्यवाणी की थी कि विकास की इस प्रक्रिया में पूंजीवाद विनाश की ओर अग्रसर हो रहा है और समाजवाद की स्थापना एक अवश्यम्भावी सत्य है। मार्क्स की आलोचना मुख्य रूप से इसी आधार पर की जाती है कि उसके बाद की ऐतिहासिक घटनाओं उसकी भविष्यवाणी के अनुरूप नहीं होती। मार्क्स की सामानुसार न तो पूंजीपति एवं श्रमिकों के दो विरोधी वर्ग बने और न ही श्रमिक वर्ग की दशा उत्तरोत्तर गिरी, बल्कि इसके विपरीत श्रमिकों और पूंजीपतियों के बीच पारस्परिक सहयोग बढ़ा है और समाजवाद की स्थापना के स्थान पर साम्राज्यवाद की स्थापना हुई है। अतः लेनिन ने मार्क्स का भौतिक सिद्ध करने के लिए उन सब घटनाओं की तदनुकूल व्याख्या की है जो उसकी भविष्यवाणी के विपरीत प्रतीत होती थी। यह कार्य लेनिन ने अपने जिम सिद्धान्त द्वारा किया जहाँ पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था अर्थात् साम्राज्यवाद का सिद्धान्त कहते हैं।

साम्राज्यवाद और पूंजीवाद

अपने ग्रन्थ "साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अन्तिम अवस्था है" (Imperialism is the last stage of Capitalism) में लेनिन ने बताया है कि वर्ग संघर्ष कुछ देगों में और इसलिए नहीं पकड़ सता कि बर्तू की प्रापिक स्थिति आधीनस्थ जातिकेसों के कारण काफी मन्तोपजनक बन चुकी थी। इस तथ्य के कारण पराधीन राष्ट्रों एवं औद्योगिक राष्ट्रों के बीच सम्बन्ध अमजोबी एवं पूंजीपति का बन गया और जो पहले साम्राज्य के अभाव में अमजोबी थे, वे कामान्तरम पूंजीपति बन गये। लेनिन का दावा है कि यद्यपि मार्क्स की साम्राज्यवाद की इस अवस्था का पूर्वाभास नहीं मिला था किन्तु इसका मार्क्स के मूल मन्तव्य से कोई विरोध नहीं है। यह मानना है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद के विरोधाभास एवं आन्तिक संकटों का ही परिणाम है। साम के उद्देश्य के लिए ही पूंजीपति अतिक्रमिण देशों को हस्तगत करते हैं। लेनिन के अनुसार इस साम्राज्यवाद में भी पूंजीवाद की भांति अन्तर्विरोध है। सर्वप्रथम तो इनमें पारस्परिक प्रतिद्वन्द्विता के कारण स्वयं पूंजीवादी देशों में युद्ध होता है और अन्ततः उन्हें

1. परन्तु मैबाइन इसे पूर्ण रूप से मारहीन कहा है। इसी प्रकार वेबर के अनुसार, "लेनिन की भौतिकवाद के विषय में धारणा एक दृष्टिधारणा है जो पनुपरसैक के भौतिकवाद की उभे धारणा से कुछ भिन्न नहीं है जिनकी मार्क्स ने विरुद्ध की थी।"

निर्वचन बनना पटना है। दूसरा विरोध शोषक राष्ट्र एवं औद्योगिक राष्ट्र के हितों के बीच होता है। शोषित देश जाष्टि के घाने पर राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की माँग करते हैं और यह श्रमजीवी क्रान्ति के त्रिये उपयुक्त अवसर सिद्ध होता है। संशेष में लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद पूंजीवाद की भरणामत अवस्था है और यह मार्क्स की कल्पना में किमी भी प्रकार निज नहीं है।¹

लेनिन की इन धारणा का महत्व इसलिए अधिक है कि इमने प्रथम ही प्रगंसनीय एवं चानुर्वपूर्ण ढंग में विश्व युद्ध प्रारम्भ होने पर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं की व्याख्या मार्क्सवाद की मूल धारणा में हटे दिना करके, उमे मुद्द दनाया।

क्रान्ति की टैकनिक और दल

इन्द्रात्मक मौलिकवाद के मार्क्सनीतिकरण तथा साम्राज्यवाद के मार्क्सवादी विस्लेषण में वही अधिक महत्वपूर्ण लेनिन की यह धारणा है कि मार्क्सवाद मूलतः एक क्रान्तिकारी विचारधारा है। उमने क्रान्ति की टैकनिक देकर इमे व्यावहारिक स्वरूप दिया। उसका कथन था कि—“पूँजीवादी राज्य के स्थान पर सर्वहारा राज्य की स्थापना हिमात्मक क्रान्ति के दिना सम्भव नहीं है।” अन्तो इस बात की पुष्टि करते हुए वह मार्क्स का यह कथन उद्धृत करता है कि—“यदि एक मजदूर आन्दोलन क्रान्तिकारी नहीं है तो वह बुद्ध भी नहीं है।” परन्तु लेनिन ने इसके साथ ही क्रान्ति के लिए अल्पमार्ग भी संभव दनाया है एवं उस समय की रूप की क्रान्ति के लिए उमे परिवर्तन भी माना है। उसका कहना था कि मध्यवर्गीय क्रान्ति के लिए प्रतीक्षा करना मार्क्सवाद की मूल शर्तों के लिए अनिश्चय करना है। मार्क्स इस मत में इनकार करता है कि मजदूर मार्क्सवादी की वास्तविक तथ्यों की ध्यान में रखना चाहिए। लेनिन की अल्पमार्ग सम्झना यह धारणा मार्क्स के इस मत में विपरीत थी कि राजनीति उपादन के सम्झनों पर निर्भर करती है और कोटे भी राष्ट्र विकास की स्वाभाविक अवस्थाओं में गुजरे दिना नहीं रह सकता। लेनिन का विचार था कि क्रान्तिकारी भावनाओं का उदय श्रमिक वर्ग में स्वतः नहीं होता बल्कि उनका प्रवेश श्रमिकों में बाहर से करवाया जाता है। मजदूरों में केवल मुनियन दाने की चेतना होती है किन्तु क्रान्तिकारी भावना का संचार केवल साम्यवादी दल कर सकता है। यही क्रान्ति को सम्भव बनाता है और युद्ध के पदचान् भी पूँजीवादी अवशेषों को समाप्त करने तथा श्रमिक वर्ग की तानाशाही स्थापित करने के लिए आवश्यक है। लेनिन के अनुसार साम्यवादी दल इन

1. इस सम्झने में केवल का मत है कि लेनिन ने अपने इस मत द्वारा मार्क्सवाद की किमी भी प्रकार में सुरक्षित नहीं बनाया क्योंकि—“लेनिन का साम्राज्यवाद का सिद्धान्त जहाँ तक मार्क्सवाद का समर्थक है, अल्प एवं बेदीमानीपूर्ण है और जहाँ मजदूर है वहाँ वह मार्क्सवाद का समर्थन नहीं करता।”

भावमयताओं की पूर्ति तभी कर सकता है जब वह दौड़िक तथा नैतिक दृष्टि से थोड़े व्यक्तियों द्वारा सगठित हो। दल की यह निर्माणना उसे वास्तव में नैतिक सगठन बनाती है जो अन्ततः आलोचकत्वों स्वरूप ग्रहण कर लेता है। इसमें मध्यम श्रेणी वर्ग सम्मिलित नहीं होता। "दल का बोटी का सगठन दल का स्थान से भेदा है। समिति संगठन समझी जाती है और अन्त में अधिकांशक नैतिक शक्ति का स्थान से भेदा है।" इस लेनिनवादी परम्परा को स्टालिन ने पूर्णरूप से बनाये रखा और वह बहुत कुछ सीमा तक आज भी वायव्य है।

श्रमजीवी वर्ग की तानाशाही

लेनिन ने श्रमजीवी वर्ग की तानाशाही के सम्बन्ध में भी विचार प्रकट किये हैं। स्टालिन ने 'लेनिनवाद के आधार' नामक पुस्तक में इस लेनिनवाद की प्रमुख समस्या माना है। यह श्रमजीवी तानाशाही की समस्या की श्रमिक वर्ग द्वारा आगति के परिणामों को बनाये रखने के लिए तथा पूंजीपतियों के प्रतिरोध को रोकने के लिए आवश्यक मानता है। श्रमजीवी तानाशाही का अन्तिम उद्देश्य वृत्ति सोवियत की प्राप्ति करना है अतः लेनिन का मत था कि सोवियतों द्वारा श्रमिक शक्ति का उपयोग कर सकेंगे। परन्तु वोकर का मत है कि व्यावहारिक रूप में यह श्रमजीवी वर्ग की तानाशाही न होकर उन पर स्वयं तानाशाही बन जाती है। यह मार्क्स की कल्पना के अनुसरण श्रमजीवी वर्ग के बहुमत द्वारा चलाई जाने वाली सरकार नहीं है अपितु श्रमिक वर्ग के भीतर मुठों भर समाजवादियों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार है।

इस प्रकार लेनिन ने यद्यपि प्रारम्भ में अन्त तक अपने को मार्क्स का अनुयायी सिद्ध करने का प्रयत्न किया तथापि उनकी भाव्यताओं का जो परिणाम निकलता है वह वास्तव में मार्क्सवाद की विकृत करता है।¹

लेनिन ने प्रापिक दलियों के स्थान पर विचारों को तथा श्रमजीवियों के स्थान पर मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों को महत्व देकर एवं आगति का अन्तमार्ग बतलाकर मार्क्सवाद को जित प्रकार मिर के बन् साझा किया है, उसे फिर से पुराने के बन् साझा करने वाला कोई अन्य अनुयायी आज तक नहीं हुआ। लेनिन मार्क्सवादी मूल्यों को तभी तक अपनाता है जब तक वे उसके आगतिकारी उद्देश्य में सहायक होते हैं। जहाँ वे उसके मार्ग में बाधक बनने लगते हैं वहाँ वह उनको छोड़ना दिखाई देता है। मार्क्स ने मूल बहुत कुछ सीमा तक लेनिन के भी मूल रहे पर लेनिनवाद का अर्थ मार्क्सवाद से बहुत भिन्न हो गया है।

1. संवाद में भी यही कहा है—"मार्क्स का यह दावा था कि अपने हीमल की पद्धति को पुराने के दल लाना कर दिया है, लेनिन के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि मार्क्सवाद को अपने मिर के रूप लाना कर दिया है।"

स्टालिनवाद और राष्ट्रीय साम्यवाद

लेनिन के बाद स्टालिन के कभी राजनीति में प्रागमन ने भी मार्क्सवाद की अवस्था में कोई विरोध परिवर्तन नहीं किया। स्टालिन ने वहाँ से ही अपना शुरू किया जहाँ तक लेनिन पहुँच चुका था। उसने अपने समस्त कार्य लेनिन के नाम पर किये जिस प्रकार लेनिन ने अपने समस्त कार्य मार्क्स के नाम पर किये थे। यद्यपि यह सब है कि स्टालिन ने जिस राष्ट्रीय भावना को प्रोत्साहन दिया एवं जिस नवीन रूपि नीति को अपनाया वह लेनिन की गिजाओं के एकदम विपरीत थी।

स्टालिन की 'एक देश में समाजवाद' की मान्यता लेनिन की स्पाई एवं विश्व-व्यापी क्रान्ति के विरुद्ध थी। मार्क्स भी अन्तर्राष्ट्रीय क्रान्ति का ही समर्थक था। उसने विश्व के मजदूरों को एक हो जाने के लिए कहा। परन्तु स्टालिन की इस नीति ने उन समय कम्युनिस्टों में आम विश्वास पैदा किया और अन्तर्राष्ट्रीय दूनवाद को कम किया चूंकि दूसरे देश यह सोचने लगे थे कि स्टालिन समस्त संसार में क्रान्ति लाने को उत्सुक नहीं है।

दल बनाम नेता

परन्तु इसका परिणाम यह भी हुआ कि कम में एक दल के स्थान पर एक व्यक्ति की तानाशाही स्थापित हो गई, क्योंकि स्टालिन ने देश में समाजवाद की शक्ति को हट करने के लिए औद्योगिकरण की नीति अपनाई। उसकी इस नीति में राज्य की शक्तियों का विस्तार हुआ, जिनका प्रयोग दल का अधिनायक ही करता था। इस प्रकार लेनिन के काल में बाद-विवाद की जो स्वतन्त्रता थी, स्टालिन ने उसे भी खत्म दिया। उसने राज्य की व्यक्तियों के कल्याण के कार्य देकर मार्क्सवादी श्रमशैली तानाशाही को अदन्दा का अनुकरण नहीं किया जिनमें मार्क्स के अनुसार राज्य का एकमात्र लक्ष्य पूंजीपतियों का दमन करना था।

मार्क्स के राज्य निदान्त का भी लेनिन ने परिष्कार किया था। उसके अनुसार राज्य शक्ति का विस्तार तब तक होगा रहेगा जब तक कि उसके चारों ओर पूंजीवाद घेरा बना रहेगा तथा "एक देश में समाजवाद" के निदान्त द्वारा पूंजीवादी घेरे को निकट भविष्य में नष्ट होने की सम्भावना नहीं होगी। परन्तु स्टालिन राज्य शक्ति का विस्तार करता गया। यद्यपि वह साम्यवाद की मूलभूत विरुद्ध विश्वव्यापी साम्यवादी क्रान्ति में ही समकाली था, परन्तु दान्दव में उसका विश्वक्रान्ति में टान्दव कभी नेवृत्त में विश्वव्यापी क्रान्ति करना था। इन प्रकार स्टालिन का अन्तर्राष्ट्रीय-वाद मार्क्स से दूर निकल रहा था।

खुशचेव और उदारतावादी साम्यवाद

खुशचेव के लक्ष्य कभी राजनीति में पुनः एक नवीन अध्याय का प्रारम्भ होना है। उसने एक नवीन अन्तःदा पर विचार किया जिस पर उसके इन दो पूर्व दार्शनिकों ने

विचार नहीं किया था । लुइचेव ने पूँजीवादी शक्तियों से युद्ध की अनिवार्यता (Inevitability of War) की भावना, लेनिन तथा स्टालिन को धारणाओं में आसूनबूल परिवर्तन किया । मार्क्स ने पूँजीवादी पद्धति के आन्तरिक विरोधों के कारण दोनों वर्गों में युद्ध आवश्यक बताया था लेकिन एवं स्टालिन ने इन वर्गों के स्थानीय युद्धों के अतिरिक्त पूँजीवादी देशों एवं साम्यवादी देशों में संघर्ष को अनिवार्य माना था ।

शान्तिपूर्ण सहप्रस्तित्व

परन्तु लुइचेव ने इसका विरोध किया । इसके अनुसार मार्क्स व लेनिनवाद की यह धारणा उस समय बनाई गई थी जब कि साम्राज्यवाद एक विश्व व्यापी व्यवस्था थी तथा अन्य शक्तियाँ निर्बल थीं । परन्तु साम्राज्यवाद को युद्ध का परित्याग करने के लिए बाध्य करना दुष्कर कार्य था परन्तु आज इनको रोकने योग्य शक्ति सम्भव है । परन्तु साम्राज्यवादी युद्धों को प्रामाणिक से रोकना जा सकता है । इस प्रकार लुइचेव ने युद्ध की वर्तमान प्रणुणति के बल पर युद्ध की अनिवार्यता के स्थान पर शान्तिपूर्ण सहप्रस्तित्व पर जोर दिया । उसके अनुसार युद्ध की अनिवार्यता का अभाव किसी भी प्रकार की जाति की प्रक्रिया को धीमा नहीं करता । लुइचेव के वर्तमान उत्तराधिकारी भी इसी नीति में विश्वास करते हैं ।

इस प्रकार जहाँ लेनिन और स्टालिन जाति को अनिवार्य बलवाकर अपने दर्शनो की प्रमुख रूप से जातिवादी विचारधारा बना देते हैं-वहाँ लुइचेव शान्तिपूर्ण सहप्रस्तित्व की नीति को अपनाकर मार्क्सवाद के विकासवादी पहलू को पुनः प्रतिष्ठित करता है । परन्तु इनका मानना होगा कि मार्क्स के उत्तराधिकारियों के हाथों में मार्क्सवाद अपने विपुल रूप में नहीं रह सकता है और इसी प्रकार बदन गया है जिस प्रकार कोई नई वस्तु अनेक हाथों में जाकर अपना प्रारम्भिक स्वरूप खो बैठती है ।

चीनी मार्क्सवाद

चीन में साम्यवादी दल के कर्णधार माओत्से तुंग हैं । उन्हीं की अध्यक्षता में अक्टूबर १९५६ में चीन में साम्यवादी दल द्वारा मजदूरों एवं श्रमिकों की छात्रावासों की स्थापना की गई थी । तब से अब तक माओ ही चीन की साम्यवादी विचारधारा के मुख्य सूत्रधार रहे हैं । परन्तु चीनी विचारधारा ने रूसी विचारधारा की नीति विभिन्न रूप धारण नहीं किये ।

माओत्से तुंग मार्क्स एवं लेनिन में बहुत प्रभावित हुए हैं, किन्तु उन्होंने उनके सिद्धांतों को चीनी परिस्थितियों को आवश्यकतानुसार परिवर्तित कर लाना किया है । जिस प्रकार लेनिनवाद मार्क्सवाद का रूसी संस्करण था, उसी प्रकार माओवाद भी मार्क्सवाद का प्रारान्तर है । माओ भी इस परिवर्तन को मार्क्स के सिद्धांतों के अनुकूल ही समझता क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा है कि—“यदि हम चीन की परिस्थिति के

अनुसूल एक सिद्धान्त का निर्माण नहीं करेंगे, एक ऐसे सिद्धान्त का जो हमारी आवश्यकताओं और निश्चित प्रवृत्ति के अनुरूप नहीं होगा तो हम अपने आपको मार्क्सवादी विचारक कहना एक अनरदायित्वहीनता होगी।”¹

माओ ने रुस में लेनिन की अकट्टर शक्ति में प्रभावित होकर कहा है कि चीन में रुस की ही भांति शक्ति की स्थिति का विद्यमान है, यद्यपि उनका स्वरूप भिन्न है। चीनी शक्ति रुसी शक्ति से भिन्न एक पूंजीवादी जनतात्मिक शक्ति थी, पर उसे भी पूंजीवाद के विनाश तथा साम्यवाद की स्थापना की मध्यकालीन शक्ति कहा जा सकता है। माओ ने भी लेनिन की भांति शक्ति के लिए साम्यवादी दल और विशेष रूप से उनके बुद्धिजीवी वर्ग को महत्व दिया है।

कृषि साम्यवाद

माओ ने मार्क्स के इतिहास की आर्थिक व्याख्या और वर्ग संघर्ष के सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए कृषक वर्ग पर महत्व दिया है, रुस की भांति श्रमिक वर्ग की नहीं। इसका कारण यह है कि चीन प्रमुख रूप से एक शैतीहर देश है, जहाँ श्रमों प्रतिशत जनता खेती करती है। इसी कारण माओ मानता है कि वहाँ साम्यवाद तभी सफल होगा जब कि कृषकों के कामों को महत्ता दी जायेगी।

मार्क्सवादी विचारधारा की तरह माओ भी यह मानता है कि राज्य शासक वर्ग के हाथ में एक दमन यन्त्र है। उनके अनुसार भी साम्यवादी दल शक्ति प्राप्त करने के बाद राज्य की शक्ति का प्रयोग पूंजीपतियों का नाश करने के लिए करेगा। यह केवल साम्यवादियों की ही अधिकार देगा, गैर साम्यवादियों को नहीं। अतः माओवाद साम्यवादियों के लिए प्रजातन्त्र तथा गैर साम्यवादियों के लिए अधिनायक तन्त्र (Democratic Dictatorship) कहा जा सकता है।²

माओ और खुश्चेव

माओ खुश्चेव के आधीन रुस की अन्तर्राष्ट्रीय नीति में दिये गये परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करता। उसके अनुसार शक्ति सम्पन्नता का साम्यवादियों के पक्ष में हो जाना पूंजीवाद की शक्ति को बढ़ाने नहीं देता। साम्यवाद के रहने मार्क्सवादी एवं स्थायी शक्ति स्थापित होना असम्भव है। अतः युद्ध ही वह एकमात्र साधन है जिसके

1. "If we have not created a theory in accordance with China's real necessities, a theory that is our and of a specific nature than it would be irresponsible to call ourselves, marxist theoretician." Quoted by Stuart. R. Schram in the Political Ideas of Maotse Tung.

2. स्वयं माओ ने यह कहा है कि "हमें अधिनायकवादी कहा जाता है यह ठीक है चीनी जनता के विरुद्ध कुछ दमक बर्षों के अनुभव ने बताया है कि जनता की प्रजातान्त्रिक स्थापना की स्थापना की जानी चाहिए।

माधार पर विश्व व्यापी साम्यवाद की स्थापना को जा सकती है यह माओ के दर्शन पर लेनिन के प्रभाव का परिणाम है। माओ लु इचेब पर संगोपनवादी होने का आरोप लगाता है।

वर्तमान काल में साधनों के अतिरिक्त विश्वव्यापी स्ट्रुटेजी एवं नेतृत्व के प्रश्न पर भी रूस व चीन में व्यापक मतभेद है। वह साम्यवादी शिविर की शक्ति के अनेक केन्द्रों के स्वान पर एकल केन्द्र (Monolithicism) का समर्पक है। इस रूप में भी वह लेनिन और स्टालिन का अनुयायी है।

मतः माओ की विचारधारा अथवा चीनी साम्यवादी विचारधारा के सम्बन्ध में यह फार्मूला बनाया जा सकता है—

मार्क्सवाद + लेनिनवाद + चीन की परिस्थिति = चीन का मार्क्सवाद या माओवाद।

वर्तमान काल में रूस एवं चीन की साम्यवादी विचारधारा मार्क्स के सिद्धान्तों के दो विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती है। इनमें से किसी एक को मार्क्सवाद के अधिक निष्कट नहीं कहा जा सकता क्योंकि मार्क्स की विचारधारा में दोनों को ही महत्व प्राप्त है। तार्किक दृष्टि से यह सच है कि संगोपनवादियों ने मार्क्स का सही रूप में अनुसरण नहीं किया। कारण स्पष्ट है और वह यह कि यदि स्वयं मार्क्स भी इन नवीन परिस्थितियों में निश्चल तो वास्तव में इन भिन्न और संगोपित विचारधाराओं को स्वीकार करने में उसे कोई आपत्ति नहीं होती।

BIBLIOGRAPHY

- (1) COKER Recent Political Thought.
- (2) SABINE A History of Political Theory
- (3) LAIDLER : Social and Economic Movements.
- (4) BURNS Idea's in Conflict.
- (5) STUAR-R . Schram : Mao-Tse Tung & Pol. Thought.

राजनीतिक बहुलवाद (POLITICAL PLURALISM)

—गोविन्दराम

दहनवाद राजनीति-ज्ञान में पर्याप्त नवीन सिद्धान्त है। इसका प्रादुर्भाव राज्य की संप्रभुता (Sovereignty) के बारे में एकत्ववाद (Monism) तथा आदर्शवाद (Idealism) के अनुसार प्रदत्त सर्वोच्च स्थान की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ है। हीगल यादि विचारकों ने राज्य की 'पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण'^१ मानकर इसे न केवल वैधानिक (Legal) ही अपितु नैतिक संमति (Moral sanction) भी प्रदान की थी। इसमें राज्य सम्पूर्ण शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि अनुरक्षणी (irresponsible) भी होने में सक्षम हो सका। इस अवस्था के प्रतिक्रिया स्वरूप ही इस शताब्दी के द्वितीय और तृतीय दशक में डा० जे० एन० फिगिस (J. N. Figgis), ए० डी० लिंडसे (A. D. Lindsay) तथा हेराल्ड लॉस्की (Herold J. Laski) आदि ने इंग्लैण्ड में, लियोन दुगुइ (Leon Duguit) ने फ्रांस में तथा क्रेब (Krabbe) ने जर्मनी में इसका प्रतिपादन किया। एर्नेस्ट बार्कर (Ernest Barker) ने इंग्लैण्ड में तथा मिस फोलेट (Mies Follett) ने अमेरिका में इसके आलोचनात्मक रूप को और भी निश्चाय।

यह व्यक्ति, उसकी स्वतन्त्रता एवं मानव संस्थाओं की मानव व्यवस्था में उच्च स्थान प्रदान करता है। राज्य की सत्ता को ये विचारक सर्वोच्च एवं सम्पूर्ण न मानते हुए सीमित शक्तियुक्त मानते हैं। दहन में मनुष्यों के अस्तित्व के कारण ही राज्य की शक्ति को सीमित मानने का विचार रखा गया है। परन्तु दहनवाद राज्यविरोधी दर्शन नहीं, संप्रभुता विरोधी है। इसका आदर्श निरंकुश राज्य नहीं, मानव नैतिक राज्य है। उनके अनुसार राज्य को तभी आदर्श संस्था माना जा सकता है जब वह मानव आदर्शों के लक्ष्य को प्रति करे। इस उद्देश्य तथा व्यक्ति के दहनवादी विचार के उद्देश्य से दहनवादी विचारकों ने व्यक्ति की सामाजिक प्रवृत्ति के अनुसार गठित धार्मिक, मानसिक, आर्थिक, व्यावसायिक तथा राजनीतिक मनुष्यों के प्रति निष्ठा को मान्यता प्रदान की

1. "The state is the march of God on earth."

है। इन्हें राज्य के समकक्ष स्थान प्रदान करते हुए, राज्य को इनके समन्वय (Co-ordination) का कार्य सौंपते हुए लास्की ने माना है कि सामाजिक स्वरूप सघीय होना चाहिये।¹ अतः यह कहा जा सकता है कि मूलतः और तत्त्वतः बहुनवाद राज्य की संप्रभुता और तदुत्पन्न राज्य सम्बन्धी एकलवादी (Monistic) सिद्धान्त का निषेध और उसके स्थान पर एक बहुनवादी राज्य की प्रतिष्ठित करने का प्रयास है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

बहुनवाद एक राजनीतिक सिद्धान्त के रूप में बीसवीं शताब्दी में ही प्रकट हुआ, परन्तु इसकी विकास की पृष्ठभूमि बहुत पहले से ही बनती चली आ रही थी।

यूनानी नगर राज्य (Greek City-State) में राज्य सर्वोच्च सामाजिक संगठन था। उन्होंने अन्य समुदायों को भी मानव अस्तित्व के लिए अनिवार्य समझा परन्तु राज्य को विशेष स्थिति प्रदान की। प्लेटो (Plato) ने जहाँ दार्शनिक शासन (Philosopher King) की सर्वोच्च माना वहाँ अरस्तू (Aristotle) ने राज्य को सर्वोच्च संगठन की मान्यता प्रदान की।²

रोमन जगत् में साम्राज्य का स्वरूप प्रकट हुआ तथा रोमन सम्राट् ने साम्राज्य का स्वरूप लिया।

मध्यकाल (Middle Age) में संप्रभुता बहुत भी संस्थाओं में बँटी थी, राज्य ही एकमात्र सत्ताधारी संस्था न थी। रोमन चर्च, पवित्र रोमन सम्राट (Holy Roman Emperor), राजा, नामन्त (Feudal Lord), नगर परिषदारी (Chartered Town) तथा संघ (Guild) प्रभुत्व के सहयोगी थे। बाबू ने इसीलिए मध्यकाल को अराजक-नैतिक तथा राज्य की चर्च का पुनरि विभाग माना है। 'दो तलवारों के सिद्धान्त' (Theory of the Double Sword) के अनुसार दो संप्रभुओं का विचार पनपा तथा 'राज्य-चर्च-संघर्ष' ने स्थान लिया। पीप तथा राजा का यह सहस्रस्तित्व बहुनवाद का प्रथम लक्षण माना जा सकता है। मैटलैण्ड (Maitland) तथा गीर्के (Otto Gierke) आदि विचारकों ने मध्यकाल में गिल्ड, मोनेट, चर्च आदि के अन्तर्गत इन स्वायत्त संस्थाओं (Autonomous Institutions) द्वारा नामन शक्ति बताने की बात करते हुए 'निगम सिद्धान्त' (Theory of Corporations) की उद्घाटना की।

1. "The structure of social organisation, if it wants to be adequate, must be federal in character."

—Prof. Laski—"Grammar of Politics"

2. "The state is the highest of all associations which embraces all the rest."

—Aristotle, "The Politics."

१६वीं एवं १७वीं शताब्दी में राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई तथा फिर योरोप के कुछ ऐसे देशों (ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन आदि) में राष्ट्रीय राज्यों (Nation States) का जन्म हुआ, जिनमें राजनैतिक सत्ता एक स्थान पर केन्द्रित थी। ऐसे राज्यों में प्रभुत्व का रूप एकत्ववादी था तथा उनमें संघों भयवा समुदायों के प्रभुत्व का कोई स्थान न था। एकत्ववादी दर्शन ने नये राष्ट्रीय राज्यों की पुष्टि की और स्थानवादी अर्थसराज्यवाद को न्यायरहित बताया। बोदी (Bodin) ने अपनी 'डि रिपब्लिका' (De Republica) में राज्य की सर्वोच्च संस्था के रूप में कल्पना की। इसने उसे वैधानिक संप्रभुता (Legal Sovereignty) का संस्थापक कहना अनुचित न होगा। हॉब्स (Hobbes) ने इसी विचारधारा को विकसित करने हुए सराज्यता की संकल्पना से तानाशाही को अछटा समझा। रूसो (Rousseau) के अनुसार संघों की अनुपस्थिति में ही "सामान्य इच्छा" संभव हो सकती है। ऑस्टिन (John Austin) के मतानुसार केवल "निश्चित जनश्रेष्ठ" की आज्ञा ही नियम है। आदर्शवाद ने इस विचारधारा को और प्रबलता दी। उस आदर्शवादियों ने संप्रभुराज्य को मानव प्रगति का चरम उत्कर्ष बताया। होगल का राज्य "विश्वारामा" या "नर्वन्व्यापक विचारतत्व" का प्रतिनिधि था वह ईश्वर तुल्य था। इन विचारकों ने राज्य को साम्य एवं व्यक्ति को साधन माना। राज्य की यह प्रभुसत्ता धीरे-धीरे इतनी अधिक बढ़ गई कि राज्य समाज की सर्वोच्च शक्ति बनकर मानव जीवन के समस्त पहलुओं पर छा गया। राज्य के कर्णधारों ने इस वातावरण से पर्याप्त लाभ उठाया। संप्रभु राज्य को आदर्श तथा ईश्वर-तुल्य बताया कर जनता से कहा गया कि राजनिष्ठा से ही स्वतन्त्रता, नैतिकता एवं प्रगति सम्भव है।

कुछ मानववादी दार्शनिकों ने इस निरंकुशता में व्यक्ति व्यक्तित्व, उसकी नैतिकता एवं स्वतन्त्रता का हनन देखा। उन्होंने इस निरंकुशवाद की प्रतिकूल दृष्टिकोणों से आलोचना की। व्यक्ति के अधिकार एवं स्वतन्त्रता पर जोर देते हुए उन्होंने संघों को राष्ट्रीय जीवन में उच्च स्थान प्रदान किया। प्रभुत्व के इस केन्द्रीकरण के विरुद्ध इस प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप राज्यप्रभुत्व की, एकत्व विरोधी बहुत्ववादी विचारधारा का उदय हुआ। चापम लॉकी ही प्रथम विद्वान् था, जिसने बहुत्ववाद (Pluralism) शब्द का प्रयोग किया।

१६वीं एवं २०वीं शताब्दी में बहुत्ववाद के उदय के लिए बहुत सी बातें हितकर सिद्ध हुईं, जिनमें निम्न उल्लेखनीय हैं—

व्यक्तिवादी तत्त्व — बहुत्ववाद व्यक्ति एवं व्यक्तिस्वातन्त्र्य को ध्यान में रखने हुए हीमनवादी राज्य-सर्वोच्चता के सिद्धान्त की प्रतिक्रियास्वरूप उत्पन्न हुआ था। जॉन स्टुअर्ट मिल, जॉन लॉक तथा मॉटस्वू आदि व्यक्तिवादी विचारकों ने व्यक्ति की

स्वतन्त्रता के नाम पर राजकीय शक्ति के केन्द्रीकरण का जो विरोध किया उसमें उस पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ, जिसमें बहुनवादी विचारधारा का उदय सम्भव हो सका।

समाजवादी तत्व—समाजवादी विचारधारा में है उन विचारधाराओं के प्रतिपादकों द्वारा बहुनवाद को समर्थन मिला जो राजसत्ता का विरोध करते हैं। इनमें अराजकतावाद (Anarchism), संघवाद (Syndicalism) तथा श्रेणिसमाजवाद (Guild Socialism) आदि उल्लेखनीय हैं। इन्होंने 'मिडीवेट' तथा मधो को समाज में महत्वपूर्ण स्थान दिया तथा न केवल माध्यता अथिनु प्रतिनिधित्व भी प्रदान करने की माँग की। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व (Territorial Representation) के स्थान पर व्यावसायिक (Professional) अथवा कार्यानुसार (Vocational) प्रतिनिधित्व के समर्थक विचारका ने भी बहुनवाद के उदय में योग दिया।

मध्यराष्ट्रीय संघवादी तत्व—मीकें एव वेल्सैण्ड आदि विचारकों ने भी बहुनवाद के पनपने में मदद दी। उन्होंने इस ओर ध्यान आकृष्ट किया कि मध्यकाल में बहुत से संघ (Guilds) समाज व्यवस्था में महत्वपूर्ण कार्य करते थे तथा राज्य के समान ही महत्वपूर्ण थे। उन्हीं दिनों पर इस समय भी मनुष्य के विभिन्न समूहों अथवा समुदायों को प्रभुता का भागी बनाया जाय तो समाज अत्यन्त अधिक सम्भव होगा। किन्तु ने भी समूहों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, राज्य को अद्वैतवादी न बताते हुए 'संघों का मध्य' बताया। यह विचार सात्की, कोल, डिगे, बार्कर आदि के लिए पथ प्रदर्शक हुआ।

राज्य की कार्य वृद्धि—१९वीं शताब्दी में राज्य के कार्य अत्यन्त बढ़ गए। इन बहुमुत्तीय कार्यों की पूर्ति में राज्य असमर्थ था। राज्य के कार्यों के विकेन्द्रीकरण (Decentralisation) की आवश्यकता महसूस की गई, जिसमें यह एक लोकतांत्रिक-कारी राज्य (Welfare State) का स्थान ले सके।

विधि शास्त्रवादी तत्व—कानून राज्य में ऊपर की वस्तु है, विधिसाक्षियों के इस प्रतिपादन से निश्चय ही राज्य को प्रभुता की अनन्यता सम्बन्धी माध्यता को पक्षी तथा ओर बहुनवादी विचारधारा के प्रादुर्भाव का मार्ग प्रशस्त हुआ।

अन्तर्राष्ट्रीय तत्व—अन्तर्राष्ट्रीयवादियों ने भी राज्य की संप्रभुता पर अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण की आवश्यकता मान कर बहुनवाद को शक्ति प्रदान की।

बहुतवादी दर्शन के सिद्धान्त

बहुनवाद एतत्त्ववाद (Monism) एवं अराजकतावाद (Anarchism) के मध्य की स्थिति धरना है। यह अराजकतावादियों की तरह राज्य का अस्त नहीं चाहता; राज्य की अनिवार्यता स्वीकार करता है। परन्तु यह अनिवार्यता एतत्त्ववादी अनिवार्यता का श्रेय "दीर्घकाल" या "निश्चित जनश्रेष्ठ की उपस्थिति की देता है, वही बहुनवाद उसकी अनिवार्यता अनिष्ट स्वीकार करता है कि वह 'संघों का मध्य' है तथा मध्य-

न्वय का कार्य करता है। यह आदर्शवाद में भी निहित है। जहाँ आदर्शवाद के अनुसार राज्य एक मन्था है क्योंकि वह "विद्वत्वात्मा" एवं सामान्य इच्छा का प्रतिधित्व करता है, वहाँ दृढ़तावाद के अनुसार राज्य को तभी आदर्श मन्था माना जा सकता है जब वह आदर्श ध्येय (व्यक्ति की प्रगति) में महात्मक हो। अतः कोकर (F. W. Coker) के मतानुसार दृढ़तावाद संप्रभुता विहीन राज्य का पक्षपाती है, उसकी आदर्श व्यवस्था में राज्य का स्थान है परन्तु अद्वैतवादी संप्रभुता का नहीं।¹

मूलतः दृढ़तावादी विचारधारा राज्य की संप्रभुता और तद्वर्जित राज्य सम्बन्धी एकतावादी (Monistic) सिद्धान्त का निषेध और उसके स्थान पर दृढ़तावादी राज्य का प्रतिष्ठित करने का प्रयास है। इसलिए संप्रभुता के अर्थ और एकत्ववादी राज्य के स्वरूप के विषय में कुछ शब्द नितान्त आवश्यक हैं।

संप्रभुता का सिद्धान्त—संप्रभुता के सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक स्वतन्त्र राष्ट्र में एक ही संप्रभुता होती है और अन्य सभी व्यक्ति तथा समुदाय उसके अधीन होते हैं। यह सर्वोच्च सत्ता राज्य की मता होती है। संप्रभु राज्य अपने अन्दरगत सभी व्यक्तियों एवं समुदायों का नियन्त्रण करता है और उनके व्यवहार के लिए कानून बनाता है। कानून बनाने का उनका यह अधिकार मौलिक (Original), स्थायी (Eternal) सर्व-यापी (All pervasive), अविभाजनीय (Indivisible) तथा निरपेक्ष होता है और यही राज्य की संप्रभुता होती है। चूँकि राज्य संप्रभु होता है, अतः सम्पूर्ण समाज का नियन्त्रण एवं नियमन उसके निरपेक्ष अधिकार की वस्तु होती है। राज्य के अधिकार की इस एकदमता को ही राजनीतिक एकत्ववाद (Political Monism) कहते हैं जिसके अनुसार यह माना जाता है कि समाज की सम्पूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केन्द्र एक राज्य होता है। बोदा (Bodin) की प्राथमिक युग में संप्रभुता के विकास में हॉब्स (Hobbes), रूसो (Rousseau) तथा बेंथम (Bentham) का कार्य उल्लेखनीय है। इन सिद्धान्त को पूर्णता देने का श्रेय १९वीं शताब्दी के सुविख्यात अंग्रेज न्यायविद् जॉन ऑस्टिन (John Austin) को है।

राजनीतिक एकत्ववाद के इन विचार के विरुद्ध दृढ़तावादियों ने विचार प्रकट करते हुए राज्य की संप्रभुता पर कड़ा प्रहार किया। राज्य की संप्रभुता पर यह प्रहार तीन प्रकार से किया गया। प्रथम, राज्य सरकार के अन्य आवश्यक एवं महत्वपूर्ण समुदायों से उच्चतर नहीं है, अतः सर्वोच्चता विभाजनीय है एवं शीत अन्य समुदायों द्वारा भी बाँटी जाने योग्य है, द्वितीय, राज्य दूसरे राज्यों से सम्बन्ध में स्वतन्त्र नहीं होना चाहिये, तृतीय, राज्य कानून से ऊपर नहीं, बल्कि कानून राज्य से ऊपर तथा स्वतन्त्र है। इन तीन आधारों पर दृढ़तावादियों के विचारों का उल्लेख निम्नानुसार जाना जा सकता है।

1. F. W. Coker : "Recent Political Thought."

राज्य सर्वोच्चता एवं समूह स्वायत्तता

(State Sovereignty and Group Autonomy)

बहुलवाद हीगलतादियो द्वारा राज्य को सम्पूर्ण शक्ति सम्पन्न (Omnipotent) तथा वैधानिक एवं नैतिक (Legally and morally) रूप से सर्वोच्च मान जाने का विचारधारा पर प्रहार करता है। उनका मत है कि ध्यनि व हित के लिए बहुल से आवश्यक समुदाया में राज्य भी एक है। मनुष्य के बहुमुखी विकास के लिए विभिन्न समुदायो की आवश्यकता है। कोकर (F W Coker) के शब्दों में, मनुष्य का सामाजिक प्रवृत्ति के अनुसार वह धार्मिक सामाजिक, धार्मिक व्यावसायिक एवं राजनीतिक बहुल से समूहों का पनपाना है जिनमें से कोई भी नैतिक अथवा व्यावहारिक दृष्टि से दूसरे उच्चतर नहीं है।¹

बहुलवाद को जेडें सम्पत्तान की 'गिल्ड प्रथा' (Guild System) तथा। उस समय की व्यावसायिक गिल्ड स्वायत्तता (Autonomy) का उपयोग करके हुए नियम (Corporation) का स्वरूप लिए पा। राष्ट्रीय राज्या की स्थापना के साथ इनका पनपन हो गया। गीर्के (Gierke) ने जर्मनी में तथा मटलैण्ड (Maitland) ने इंग्लैंड में प्राथमिक समय में बहुलवाद का जन्म दिया। उनके अनुसार प्रत्येक समूह में समुदाय अपना स्वतंत्र अस्तित्व एवं एक 'वास्तविक व्यक्तित्व' (Real Personality) तथा अलग सामूहिक इच्छा (Collective Consciousness) रखने हुए कानून निर्माण में हिस्से का अधिकार रखता है। वे राज्य का विभिन्न समुदाया में संयोजक के रूप में स्वीकार करते हैं परन्तु इनमें ऊपर नहीं मानते।

फिगिस (Dr J N Figgis) तथा प्रादि सामाजिक समूहों में राज्य के प्राधिकार प्रवेश का अन्त की धारणा करने हुए इन्होंने स्वनिर्भर होकर विभाग करने का मत रखता है। राज्य इनमें सामंजस्य पैदा कर सकता है, निदरान नहीं।

पॉल-बॉन्कोर (M Paul Boncour) तथा डूर्कहाइम (Durkheim) ने समाज के व्यावसायिक एवं धार्मिक समूहों (Professional and Economic Groups) के आधार पर सोचने तथा राजनैतिक प्रतिनिधि व प्रभार करने की मांग की।

लास्की (Laski) ने समूहों का बहुल से समूहों (Groups) द्वारा बँटने का विचार रखा। उनके अनुसार राज्य एक मध्यवर्ती का कार्य करे, परन्तु सम्पूर्ण शक्ति का अधिकारी नहीं। उनके अनुसार सत्ता का अंश स्वल्प हीना चाहिए।²

1. "Man's social nature they maintain finds expression in numerous groupings, pursuing various ends religious social economic professional political no one of the groups is superior morally or practically to the others"

—F W Coker Recent Political Thought, Page 497.

2. "Authority should be federal"

—Laski 'Grammar of Politics.'

श्रेणी-समाजवादी (Guild Socialist) कोल (G. D. H. Cole) के अनुसार समाज का स्वरूप संघीय (Federal) है अतः संघभूता के एकत्व पर आधा-रित राज्य ऐसे समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। साथ ही राज्य सम्पूर्ण समाज की इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करता। अतः केवल उसे ही शक्ति प्रयोग का अधिकार अथवा संप्रभुत्व प्राप्त नहीं होना चाहिए। उनकी कल्पना के समाज का संगठन ऐसा होना चाहिए जिसमें उपसमाजों और उपासकों के स्थानीय, प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय स्तर के स्वतन्त्र और पृथक् संघ हों। उपसमाजों के संघों का प्रतिनि-धित्व प्रादेशिक (Territorial) एवं उपासकों के संघों का प्रतिनिधित्व व्यावसायिक (Functional) हो। इस प्रकार कोल ने भी अपनी श्रेणिसमाजवादी व्यवस्था के अन्तर्गत प्रभुता की दृढ़ता का समर्थन किया।

मेकाइवर (Macver) ने विभिन्न समुदायों में से राज्य को भी एक माना है, हालांकि राज्य एक विशेष कार्य को सिद्ध करता है।¹ यह एक निगम के छुट्ट रहता है। राज्य के निश्चित एवं सीमित शक्तियाँ तथा उत्तरदायित्व हैं। राज्य का कार्य समाज की व्यवस्था में एकात्म पैदा करना है। मेकाइवर वैधानिक संघभूता के सिद्धान्त को भी गलत सिद्ध करता है। वह शक्ति की बात करता है जब कि राज्य की सेवा शायद है तथा शक्ति शायद।

लिनडसे (Dr. Lindsay) ने तो राज्य के संप्रभुत्व के विरोध में यहाँ तक कह दिया है कि "यदि हम तथ्यों पर दृष्टि डालें तो यह स्पष्ट हो जायगा कि प्रभुत्व सम्पन्न राज्यों के सिद्धान्त का खण्डन हो चुका है।"² उसने संघों की आवश्यकता पर दब देते हुए कहा है कि वे वह कार्य पूरा करते हैं जो राज्य नहीं कर सकता। राज्य आवश्यक तो है पर वह संघों का संघ है। उसके अनुसार मानव जीवन की जटिल समस्याओं का समाधान केवल एक ही संस्था द्वारा नहीं हो सकता। उसके लिए अनेक संस्थाओं की आवश्यकता है। राज्य का कार्य अधिक से अधिक विविध संघों में समन्वय स्थापित करना ही सकता है।

बार्कर (Barker) हालांकि समूहों के 'वास्तविक व्यक्तित्व' (Real Personality) के विचार को स्वीकार नहीं करता पर वह भी यह मानता है कि समाज में पाये जाने वाले विविध समुदाय राज्य से पूर्वकालीन हैं और उनमें से प्रदेश के राज्य से 'एक-एक-एक' कार्य हैं। इन समुदायों का सामाजिक जीवन में राज्य से कम महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, क्योंकि व्यक्ति की सब आवश्यकताएँ राज्य के अतिरिक्त अनेक समुदायों

1. "The business of the state is merely to give a form of unity to the whole system of social relationship." —Macver.
2. "If we look at the facts, it is clear enough that the theory of sovereign state has broken down." —Lindsay.

के बिना पूरी नहीं हो सकती। उसने व्यक्ति के स्थान पर समुदाय का समान की इकाई मानते हुए कहा है कि अब प्रश्न "व्यक्ति बनाम राज्य" का नहीं, बल्कि "समुदाय बनाम राज्य" का हो गया है। फिर भी व्यक्ति व अधिकांश की सुरक्षा एवं उसे समुदाय व अत्याचार से बचाने का कार्य बार्कर व अनुभूत बहुलवादी समाज में भी राज्य का ही रहता है। इस सम्बन्ध में बार्कर का कहना है कि "सम्पूर्ण जीवन का योजना का प्रतीक होने के कारण राज्य के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने, अन्य समुदायों के तथा उनके सदस्यों के बीच सामंजस्य बनाये रखे। अपने सम्बन्धों का सामंजस्य बनाये रखना इसलिए आवश्यक है कि उनकी योजना मुरखित नहीं रहे तथा अत्याचार के साथ सम्बन्धों का सामंजस्य इसलिए आवश्यक है कि कानून के समान सब समुदायों की समानता बनी रहे और समुदाय के सम्मानित अत्याचार से व्यक्ति की रक्षा हो सके।"¹

वास्तव में वैज्ञानिक मानववाद तथा लोकव्यवस्थाकारी राज्य के विचार के साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय विचारधारा के इनके विकास होबाने पर राष्ट्रीय सर्वोच्चता अथवा राज्य की संप्रभुता उपहासपद सी लगती है इसलिए विश्व संधि (World Federation) का विचार पनपा।

राज्य की संप्रभुता एवं अन्तर्राष्ट्रियवाद (State Sovereignty and Internationalism)

बुद्ध समय से अन्तर्राष्ट्रीय विधिशास्त्र तथा विश्वशांति एवं व्यवस्था के समर्थकों द्वारा बाह्यसंप्रभुता के सिद्धान्त (The Doctrine of External Sovereignty) का विरोध किया जा रहा है। उनके अनुसार आन्तरिक रूप से (Internally) कोई राज्य संप्रभु हो, परन्तु बाह्य मामलों में इसे तुलना नहीं छोड़ा जा सकता।

अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सहभावना व समर्पकता (Laski) ने अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से राज्य की संप्रभुता का विरोध किया। उनके अनुसार यह युग अन्तर्राष्ट्रीय एकता, सहयोग और पारस्परिक सहभावना का है। ऐसी परिस्थिति में एकात्मवाद और शांति व प्रभुत्व सम्बन्धी सिद्धान्त से काम नहीं चल सकता। कोई भी राज्य अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से समीप प्रभुत्व वाला नहीं रह गया है। अनेक अन्तर्राष्ट्रीय कानून उनकी प्रभुता को सीमित करते हैं। कोई भी राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय कानून, अन्तर्राष्ट्रीय अधियों तथा नैतिकता को उल्लंघन नहीं कर सकता। परन्तु यह कहना कि अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य

1. "The state, as a general and embracing scheme of life, must necessarily adjust the relations of associations to itself, to other associations and to their own members, to itself, to maintain the integrity of its own scheme, to other associations in order to preserve the equality of associations before law, and to their own members in order to preserve the individual from possible tyranny of the group"

सर्वोच्च तथा सम्पन्न है, निरर्थक है। नास्की का कहना है कि "अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से स्वतन्त्र एवं सर्वोच्च मना सम्पन्न राज्य का विचार मानवता के कल्याण के लिए धातक है।"¹ इसी कारण उनमें यह प्रतिपादित किया है कि "यदि संप्रभुत्व सम्बन्धी सम्पूर्ण विचार का त्याग कर दिया जाय तो यह समाज के लिए एक म्यार्द लाभ होगा।"²

राज्य की संप्रभुता एवं कानून (State Sovereignty and Law)

डिगो (Duguit) ने फ्रांस में तथा क्रेबे (Krabbe) ने हॉलैंड में दण्डवाद के समर्थन में कानून के दृष्टिकोण से मार्ग। वे इस बात का स्वीकार नहीं करते कि कानून बनाने का एकमात्र अधिकार राज्य का प्राप्ति है। डिगो के अनुसार कानून की शक्ति राज्य की शक्ति से स्वतन्त्र है।³ इसके अनुसार कानून राजनीतिक मूल्य से स्वतन्त्र, उच्च तथा प्राचीन है और कानून उद्देश्य सम्बन्धी (Objective) है, न कि अधिकार सम्बन्धी (Subjective)।⁴ कानून सामाजिक न्यायिक अथवा मनुष्यों की सम्पन्ननिर्भरता का दाय है। वे सामाजिक हित में हैं, इसलिए उनका पालन होता है। कानून राज्य को बाध्य करते हैं, कानून राज्य से बाध्य नहीं। प्रत्येक राज्य के कर्तव्यों पर दब दिया जाय न कि अधिकारों पर। राज्य का ध्येय जनसेवा (Public service) है न कि संप्रभुता का उपभोग। गेटेल (Gettell) ने दण्डवाद ही कहा है—"डिगो की प्राथमिक रूप से सामाजिक मूल्यों का राज्य में राजनीतिक मूल्य दिखाने में ही रुचि नहीं है उसकी मुख्य रुचि प्रशासनिक कार्यों पर न्यायिक प्रतिबन्ध लगाकर एक जनसेवायों राज्य के सिद्धान्त के विचार में है।"⁵ बान्दर में सामाजिक न्यायिक (Social Solidarity) एक प्रकार का आधार है। इस प्रकार डिगो न न्यायानियों की शक्ति दबा दो, कानून का समर्थन ही है तथा राज्य अर्थों के द्वारा न्यायानियों के प्रति जनसेवा ही है।

क्रेबे (Krabbe) ने भी डिगो के अनुसार मनुष्यों द्वारा कानून का राज्य से

1 "The nation of an independent sovereign state is on international side, fatal to the well-being of the humanity" —Laski.

2 "It would be of lasting benefit to the society if the whole concept of sovereignty is surrendered" —Laski.

3 "The authority of law is independent of state power"

—Duguit

4 "Law is independent of, superior and anterior to, political organisation, and that law is objective, not subjective" —Duguit.

5 "Duguit is not primarily interested in the political importance of social groups within the state; his chief interest lies in placing judicial limitations on administrative action and in developing the theory of state responsibility." —Gettell.

उच्चतर माना है। यह राज्य के निवासियों के विवेक से सफल होता है। शक्ति राज्य का आवश्यक गुण नहीं, राज्य एक वैधानिक समुदाय है। इस प्रकार इन विचारकों ने राज्य पर भी कानून की सीमा मान कर राज्य की संप्रभुता सम्बन्धी इस विचार का विरोध किया कि 'कानून संप्रभु का उद्देश्य है।'¹

राज्य की संप्रभुता के बारे में ए० डी० लिंडसे (A D Lindsay) का मत है कि 'यदि हम तथ्यों पर देखते हैं तो यह काफी स्पष्ट हो जाता है कि संप्रभुता सम्पन्न राज्य का सिद्धान्त भंग हो चुका है।'² बार्बर (Barker) के अनुसार "कोई भी राजनैतिक धारणा इतनी निष्फल नहीं हो गई है, जितना कि संप्रभुता सम्पन्न राज्य का सिद्धान्त।'³ लास्की (Laski) की राय में "संप्रभुता के कानूनी सिद्धान्त को राजनैतिक दर्शन के लिए मान्य बना देना प्रसम्भव है।'⁴ क्रेब (Krabbe) ने तो यहाँ तक कह डाला है कि "संप्रभुता की धारणा को राजनीतिशास्त्र में से निष्कल देना चाहिए।'⁵

इन विचारों से स्पष्ट है कि एक के स्थान पर अनेक की प्रतिष्ठा बहुलवाद है। समाज में राजनैतिक संप्रभु एकमात्र राज्य ही नहीं, अनेक हैं। इसके अनुसार अपन-अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र एवं राज्य के समक्ष अनेक समुदायों के अस्तित्व का प्रतिपादन किया जाता है। ये समुदाय राज्य के अधीन न होकर उनके समक्ष होने चाहिए और इस प्रकार समाज का संयोजन संप्रभुता की दृष्टि से अशक्य न होकर सहायक होना चाहिए।

सिद्धान्तिक दुर्बलतायें

एकत्ववाद (Monism) की प्रतिगमना के विरोध में जब बहुलवादी भी प्रतिगमना से काम लेते हैं, तो इनका दृष्टिकोण निम्नवत् ही ऐसा हो जाता है जिसे एकत्ववादी अनर्थवाद के जोड़ में बहुलवादी अनर्थ की सजा दी जा सकती है। उदाहरणार्थ लिंडसे के इस कथन को मानकर कि "संप्रभु राज्य का सिद्धान्त वस्तुतः सन्दिग्ध हो चुका

1 'Law is the command of the sovereign'

2 "If we look at the facts it is clear enough that the theory of the sovereign state has broken down" —A D Lindsay

3 'No political phenomenon has become more arid and unfruitful than the doctrine of the sovereign state' —Barker

4 "It is possible to make the legal theory of sovereignty valid for political philosophy" —Laski

5 'The notion of sovereignty must be expunged from political theory' —Krabbe.

है।¹ 2 दार्कर की इन टिप्पणियों को ठीक मान कर कि "राजनीतिशास्त्र में मंत्रभू राज्य के सिद्धान्त से दूरकर शुष्क और व्यर्थ का विषय कोई नहीं है,"³ क्रैव के इन मुन्नात्र की मान कर कि "मंत्रभूता के सिद्धान्त को राजनीति से हटा देना चाहिये,"³ कोल के इस मत को मानकर कि "सर्वशक्तिमान, सर्वनियन्त्रा, सर्वदृष्टा, सर्वव्यापी तथा सार्वभौम राज्य की कल्पना अब अतीत की बात हो गई है" अथवा लास्की के इस मुन्नात्र की मान कर कि "यदि मंत्रभूता के विचार को त्याग दिया जाय तो राजनीतिशास्त्र को स्याई लान होगा,"⁴ यदि बिना राजकीय मंत्रभूता के राजनीतिक समाज की कल्पना की जाय तो अनर्थ के प्रतिरिक्त और कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऐसी दशा में सब समुदाय अपनी-अपनी चलायेंगे, वह एक अराजकता (Anarchy) की दशा होगी।

मनी दूनवादी विचारक इन तथ्य के प्रति सजग हैं कि एक संस्था को मंत्रभू बनाये बिना राजनीतिक समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। यहाँ कारण है कि मनी ने विविध समुदायों के अस्तित्व, उनकी स्वतन्त्रता के विकेंद्रीकरण आदि की बात करने हुए भी, एक ऐसी संस्था के अस्तित्व को अवश्य स्वीकार किया है जो विविध समुदायों के सम्बन्धों में सामञ्जस्य बनाये रख सके तथा समन्वय (Coordination) का कार्य कर सके। लास्की जैसा स्वतन्त्रता (Liberty) का तीव्र समर्थक भी राज्य को सामंजस्य स्थापना के प्रतिरिक्त राष्ट्रीय उद्योग के प्रबन्ध तथा मन्त्रालय का अधिकार देते हुए कहता है कि 'वैधानिक दृष्टि से यह भ्रुताया नहीं जा सकता कि प्रत्येक राज्य में किसी न किसी अंग की मता असीमित होती है।'⁵ राज्य के ये कार्य ऐसे हैं जिनके सम्पादन में सम्बन्धित शक्ति राज्य के पास होने के कारण उनकी स्थिति अन्य समुदायों से उच्चतर हो जायेगी। यही कारण है कि दूनवादियों को यह कह कर आलापना की जाती है कि वे "मंत्रभूता को सामने के द्वार से बाहर निकाल कर पीछे के द्वार से पुनः वापस लाने हैं।" कान्तविरुद्ध यह है कि दूनवादी विचारकों में यह अन्तविरोध है कि वे सिद्धान्त रूप में राजकीय मंत्रभूता का बड़े उत्साह से विरोध करते, जब उनके संस्थापक पक्ष की बात करने हैं, तो विवश होकर उन्हें राज्य के मंत्रभूता का मनर्षन किसी न

1. 'The theory of sovereign state has broken down.'—Lindsay.

2. "No political common place has become more arid and unfruitful than the doctrine of the sovereign state" —Barker.

3. 'The theory of sovereignty must be expunged from politics' —Krabbe.

4. "It would be of lasting benefit to the society, if the whole concept of sovereignty is surrendered" —Laski.

5. "Legally no one can deny that there exists in every state some organ whose authority is unlimited" —Laski.

किसी रूप में प्रत्यक्ष करना पड़ता है। समाजशास्त्री विधि विधानों द्वारा राज्य के सम्भ्रमण का विरोध एकपातीय है। कानून का आधार न तो केवल सामाजिक माय्यता ही है और न केवल राजकीय स्वीकृति। सामाजिक माय्यता यदि उसके विषय का निरूपण करती है तो राजकीय स्वीकृति उसका रूप निर्धारण करती है। प्रत्यक्ष कानून के सम्बन्ध में रूप निर्धारण सम्बन्धी प्रभुता हमें राज्य को प्रत्यक्ष देनी होगी।

बहुसमुदायवादियों ने समुदायों के स्वतन्त्र प्रभुत्वपूर्ण अस्तित्व के आधार पर व्यक्ति की बहुमुखी उत्पत्ति को कामना की है परन्तु इसमें समुदाय पूर्णतः निरवृत्त हो जाये। समुदायों को पूर्णतः निरवृत्त मानने से उनकी स्थिति भी वही हो सकती है जिसका दोषी हम प्रभुत्व सम्पन्न राज्य को मानते हैं और राज्य की तरह समुदाय माय्य तथा व्यक्ति स्थापन बन सकता है। व्यक्ति को इस प्रकार की स्थिति में बचाने के लिए राज्य की सर्वोच्चता व्यक्ति एवं समुदायों दोनों पर आवश्यक है चाहे इसमें बहुलवाद का विचार भी सम्मिलित क्यों न होना हो। स्वयं बार्बर ने भी 'सामुदायिक प्रत्याचार' (Group tyranny) से व्यक्ति को रक्षा करने का कार्य राज्य का बताया है।

इस प्रकार बहुलवादी विचारधारा विरोधाभासों तथा असंगतियों से भरी हुई है। इसके विचारों निश्चित सत्य के प्रति एकमत नहीं हैं। ये बहुलवादी समाज की संगठन, सन्ध्या, प्रथिकार, निष्ठा, नियंत्रण, समन्वय, सामाजिक धार्मिक की समस्यार्यों के बारे में निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाल सके। ये जिस राज्य की सम्भ्रमण एवं एकलवादी (Montinistic) निष्ठा की मान्यता करने वाले थे प्रथम कर तथा विषय होकर उसी की सत्ता प्रत्यक्ष रूप में स्वीकार कर लेते हैं।

बहुलवाद की दोष और महत्व

बहुलवाद न अराजकतावाद एवं एकरत्ववाद (Monism) का माय्य की स्थिति होते हुए, एकरत्ववाद की प्रतिगमता के जोड़ में यद्यपि अनेक ऐसी बातों का प्रतिपादन भी किया है जो प्रतिगमतापूर्ण है तथा विरोधाभासों एवं असंगतियों से युक्त है फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि बहुलवाद ने एकरत्ववाद के उन एकाधिकारवादों को गढ़ की पग करने का जनवाद की पुष्टि की है जिसकी धार में समय-समय पर व्यक्ति को राज्य का दास बनाया जाता रहा है और जगत के समस्त इस समय की ओर स्पष्ट प्रकट कर दिया है कि व्यक्ति के सर्वोच्चतम विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसे अपने जीवन के विविध पक्षों से सम्बन्धित विविध समुदायों का सम्पर्क स्थापित होने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए और उसके इन समुदायों को मानव जीवन के विकास के लिए कार्य करने की आवश्यकता स्वतन्त्रता प्राप्त होनी चाहिए। इसी प्रकार इसने यह भी स्पष्ट कर दिया कि मनुष्य सोचाने वह नहीं है, जिसमें व्यक्ति निर्वाचन के समय में ध्यान भर कर दे और शेष सम्पूर्ण सामाजिक जीवन का महानतम एवं केन्द्र में होना रहे

वरन् मन्वा लोकतंत्र वह है जिसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, व्यक्ति सामाजिक जीवन की समस्याओं के प्रति सदा सजग रहे और सामूहिक सामाजिक विकास में वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार योग दे सके। इसके फलस्वरूप सभों प्रगतिशील नेताओं ने विकेंद्रीकरण, संघों के अस्तित्व और वैयक्तिक स्वतंत्रता की आदर्श व्यवस्था स्वीकार किया।

राजनीतिक विन्तन के इतिहास में दहूनवाद की यह सेवा एवं योगदान महत्वपूर्ण है कि राज्य समूह जीवन (Group life) को समन्वय सत्ता। यह स्वीकार किया गया कि व्यक्ति के दहूनस्वीय विकास में उनके दहून में धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक एवं राजनीतिक समुदायों का योगदान है तथा इन्हें राज्य के समकक्ष मान्यता प्रदान हो, राज्य का इन पर सीमित अधिकार हो।

अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में भी दहूनवाद ने मानववाद (Humanism) तथा अन्तर्राष्ट्रवाद (Internationalism) के आधार पर, अन्तर्राष्ट्रीय विधि (International law) के अन्तर्गत विश्वशांति-सहयोग-सहप्रतिष्ठान एवं सहसाधना के लिए राज्यों की बाह्य संप्रभुता (External Sovereignty) पर नियन्त्रण की बात कर महत्वपूर्ण कार्य किया। परिणामस्वरूप हम राष्ट्रसंघ (League of Nations) तथा हॉग न्यायालय (Hague Tribunal) ने इन और कदम बढ़ाया तथा मात्र संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nations Organization) की सफलताओं को देखते हुए हम 'विश्व संघ' (World Federation) के संरक्षण में मानवता की सुरक्षा की परिच्छिन्ना कर रहे हैं।

निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि हालांकि दहूनवाद की विचारधारा पूर्ण स्पष्ट एवं निरिच्छत उद्देश्यों वाली न होकर महान् विरोधानामों तथा सम्पत्तियों के युक्त है, फिर भी इसने राज्यों की बाह्य एवं आन्तरिक संप्रभुता पर नियंत्रण लगाने हुए उसे शक्ति प्रयोक्त के स्थान पर समाजसेवी बनाने में मदद की है।

BIELIOGRAPHY

1. COPER. F. W. : "Recent Political Thought," Ch. XVIII.
2. LASKI H. J. : "The Problems of Sovereignty" (1917)
: "Authority in the Modern State." (1919)
: "A Grammar of Politics." (1925)
3. MACIVER : "The Modern State."
4. BARKER E. : "Political Thought in England from Spencer to Today."
5. AUSTIN, J. : "Lectures in Jurisprudence-Vol 1, Lecture VI.

नेहरू की विरासत

(LEGACY OF NEHRU)

—विद्यासागर शर्मा

“नेहरूजी के सक्रिय और सार्थक नेतृत्व के बिना भारत के स्वरूप का चिन्तन लगभग असम्भव सा लगता है। हमारे देश के इतिहास का एक युग समाप्त हो गया है।”¹

वास्तव में 27 मई, 1964 को श्री जवाहरलाल नेहरू के निधन के साथ भारत में एक युग की समाप्ति होती है, जिसे 'नेहरू युग' (Era of Nehru) कहा जा सकता है। वैसे 1916 में कांग्रेस के 'सखनऊ-संधिवेशन' में महात्मा गांधी से प्रथम भेंट के साथ नेहरूजी का राजनीतिक जीवन प्रारम्भ हुआ था। बाद में 'होम रूल लीग' एवं 'समूहयोग आन्दोलन' से उनका महावपूर्ण योगदान रहा। परन्तु 'नेहरू युग' का प्रारम्भ 1929 से माना जा सकता है, जब कांग्रेस ने उनकी अध्यक्षता में 'साहौर-संधिवेशन' में 'पूर्ण स्वाधीनता' (Complete Independence) के उद्देश्य की घोषणा की थी। 1929 से 1946 तक 'नेहरू युग' का 'पूर्वकाल' एवं 1947 से 1964 तक 'उत्तर काल' माना जा सकता है। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के आन्दोलन में नेहरूजी ने समाजसेवी, जागरूक प्रहरी, वीर झोड़ा, राष्ट्र प्रेमी एवं एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में महात्मा गांधी के नेतृत्व में आन्दोलन का सक्रिय सहायक किया था। 2 नवम्बर, 1946 को गठित 'अन्तरिम सरकार' (Interim Government) में कार्य-कारिणी समिति के उपप्रधान मनोनीत हुए। स्वतन्त्र भारत के प्रथम मन्त्री, विदेश मन्त्री तथा योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में मूल पर्यन्त भारत के नवनिर्माण, प्रगति, वैज्ञानिक व तकनीकी विकास द्वारा नवीनीकरण, प्रजातांत्रिक समाजवाद, धर्म-निरपेक्षवाद तथा एक मौलिक एवं स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के सन्धि की प्रति हेतु जीवन भर झूमते रहे। एक अन्तर्राष्ट्रवादी व मानवमात्र के

1 'It will be difficult to reconcile ourselves to the image of India without Nehru's active and all pervasive leadership. An epoch in our country's history has come to a close'

—Dr. Rajkrishnan 'The Hindustan Times' (May 29, 1954)

कल्याण के इच्छुक होने व मात्र विरव-व-शुच, मृदुमेग एवं मृदुभावना, शान्तिपूर्ण सहस्रान्तिव, सहिष्णुता, राष्ट्रीय स्वतन्त्रता और सभ्रता, पंचशील, अन्तःसमता, निष्पत्री-करण तथा सङ्गुक्ति के शान्तिपूर्ण रचनात्मक प्रयोग पर नैदान्तिक एवं व्यावहारिक दल देकर नेहरूजी ने न बवल 'प्रठोपिपार्द आन्दोलन' अथवा मजुक्त सङ्घर्ष का मनर्षन किया, अस्तितु समन्त मानवता के कल्याण का मूत्रमत्र रह 'रा' के मृदुमानव' का नीरवनों स्थान प्राप्त किया है ।

भारत व विद्व का नेहरूजी की विद्यमत्र का वर्णन करने से पूर्व, नेहरूजी को 1947 में नेतृव नमानने के समय विद्यमत्र में मिली दैमित्त एवं विद्वट समन्याओं का परिवच अन्विर्ष है, जिन्मे यह जाता जा सके कि उन्होंने किस स्थिति में शानन नार मन्नासा या । दो मृताद्विदों के दान्दिवेदीय शेषेण तथा विद्व मृद के विनाय के परिणामन्वन्व देश का आधिक दन्व दिाह हुआ या । निर्घमता के साथ ही शानन व अन्वविद्वाम का दोलदाना या । विनायन साथ प्रनूत्र इे पूर्ण कट्टु मनोदनि व्यान्त थी । 600 'देशी-रिपानत्रे' (Native States) देश को एकता में बाधक थी । शानान्य अन्ता प्रजातानिक स्वशासन (Democratic self-government) के अन्-निव व अन्तो शक्ति के प्रति अन्तातृ होते हुए भी नवीन शाननकृताओं से पुनर्वास व विद्वान सन्वशी अन्ति समन्याओं के शीघ्र मनाषान की आकागा कर रहीं थी । नहाना गांधी की हया से नेतृवहीन होने के कुछ ही समय बाद, बुद्धि शायुर्व व दसता साथ देश का राजनीतिक एकैकरण करने वाले मरदार दन्वमनाई पने वीं मे योग्य नदी की मृत्तु में नेतृजी पर शान का दोल और अधिक आ पया । अरमौर पर आश्रम गांधीजी व काशेम साथ निर्धारित शान्तिवादी नीति को एक चुनौती या । अन्तर्पंतीय सन्तृति में नौ शीतलुद (Cold War) की स्थिति व्यान्त थी । इन सब समन्याओं एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही नेहरूजी ने भारतीय सन्तृति की ऐतिहासिक परम्पराओं, गांधी व टैगोर के मानववाद, मृदु व मृदाह की कन्तातृ मृहला तथा वैज्ञानिक मानववाद (Scientific humanism) पर आधारित विद्वान्मूर्त मानव मान्यताओं की वद्वानवना की । उन्होंने मानवता के प्रति मेवा एवं विद्यमत्र का मृदुभावन भारतीय मन्त्र में दन्तुक्त ही किया गया है —

"सङ्गुनिता (नहाना गांधी) के देहान्त के बाद यह सङ्ग के लिए मृदमे नहाना सति है — श्री अवाटरमान नेहरू आधुनिक भारत के मुख्य सिन्धी है । उनका सन्तुर्त जीवन न केवल सङ्ग स्वतन्त्र, एकता एवं स्यापिव के आशनों के लिए, अस्तितु विद्वान्ति तथा सन्तृति के लिए ही समन्त अर्षित था ।"¹

1 "The country has suffered it's greatest loss since the death of the Father of the Nation Jawaharlal Nehru was the chief architect of modern India His entire life was d-dicated not only

राष्ट्रीय विरासत (National Legacy)

मार्शल, टोटो के ये शब्द ब्यार्थ हैं कि 'नेहरूजी भाषुनिक भारत के गिल्डो' थे।¹ १७ वर्ष तक देश के एकमात्र नेता, शासक व नियामक रह कर नेहरूजी ने देश का एक करने, जनतंत्र की जड़ें मजबूत करने एवं प्रशासन को स्वायत्त प्रदान करने हुए नई परिस्थितियां के अनुकूल ढालने के लिए भागीरथ प्रयत्न किया।

प्रजातंत्र (Democracy)

भारत ने नेहरूजी के नेतृत्व में प्रजातान्त्रिक विरासत किया। भारत के प्रजातान्त्रिक संविधान व मौनिक मधिराज के अन्तर्गत नागरिक अधिकार का पूर्ण ध्यान रखा गया है। नेहरूजी ने पश्चात्य साहित्य एवं दर्शन का गहन अध्ययन तथा राज-नैतिक व्यवस्था और संस्थापना का अवलोकन किया था, अतः वे भारत में भी संसदीय जनतंत्र (Parliamentary Democracy) द्वारा प्रजातंत्र की नींव डालने एवं स्वयं परम्पराओं को जन्म देने में सफल हो सके। उन्होंने विश्व के सबसे बड़े प्रजातान्त्रिक देश के लिये १७ वर्ष तक प्रधानमंत्री रह कर संघर्ष व संसदीय जनतंत्र के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किये। अपने भाषणा व धारणाओं द्वारा जनमन्यक सशक्ति कर वे भारत की जनता के हृदय सजाद बन गए थे। उन्होंने विरोधी दल के महत्त्व को समझते हुए उनके विश्वास व पनपने की हार्दिक इच्छा रखी। परन्तु उनके अनुसार प्रजातंत्र का सशय अर्थात् उभय था—

“प्रजातंत्र सामनस्वरूप, मतदान, चुनाव आदि से बड़ कर कुछ और है। अन्त-संगतता, यह एक विशेष प्रकार के निम्नतन, कार्य एवं व्यवहार वाली जीवनधारा है। आन्तरिक भावना को पूर्ति न करने हुए इसे बाहरी ढांचा मात्र देने से यह सफल नहीं हो सकता।”²

to the ideals of national freedom, unity and solidarity but equally to those of world peace and progress.”

—‘The Gazette of India’ (July, page 50).

1. 'Nehru was the architect of modern India'

—Joseph Broj Tito: *Nehru—As I Understood Him*

(‘The Illustrated Weekly of India’—Nov. 22, 65, p. 12)

2. “Democracy is something deeper than a form of government—voting, elections, etc. In the ultimate analysis, it is a manner of thinking, a manner of action, a manner of behaviour. If the inner content is absent and if you are just given the outer shell, well, it may not be successful.”

—‘Link’: August 15, 1964, p. 18.

प्रजातंत्र के महत्व को पूर्व मन्दीय जनतंत्र की भावना का मननने के कारण ही अक्षर पाठे हुए भी व भविष्य की ७४ वीं धारा¹ के अन्तर्गत होने पर भी एक दानाग्राह्य या निरंकुश शासक का रूप न बनना कर उन्होंने अनन्त और जनतंत्र की सही सेवा की।

धर्मनिरपेक्षवाद (Secularism)

नेहरूजी भारत की राष्ट्रीय एवं नागरिक एकता तथा सामूहिक दृष्टि एवं मनन के अग्रणी थे। अन्तर्गतों के अन्तर्गत के प्रति उनके मन में महानुत्थिति थी। परन्तु वे किसी प्रकार की साम्प्रदायिकता (Communalism) के विचारों को अन्तर्गत नहीं करते थे, जैसा कि उन्होंने २ अक्टूबर १९४८ का देशी से रेडियो भाषण में कहा था—“हम इन दिनों में किसी प्रकार की साम्प्रदायिकता को अन्तर्गत नहीं करेंगे।”² के राष्ट्रीय स्वातंत्र्य आन्दोलन के समय वे विचार के ‘ट्रिपल्टि सिद्धान्त’ (Tri-nation Theory) तथा ‘हिन्दू-महासभा’ के दुष्परिणाम देख चुके थे। वे खीन्सलियर वेगोर की ‘विश्ववाद’ की अन्तर्गतानक विचारधारा से प्रभावित थे, परन्तु उन्हें स्वामी रामानन्द, विश्वनाथ, पात व अखिल अंध आंध की गई, अन्तर्गत की धार्मिक व्याख्या अन्तर्गत न थी।³ नेहरूजी के अन्तर्गतों में भारतीय भविष्य के राष्ट्रीय आर के मौलिक अर्थकार अन्तर्गतों अन्तर्गतों में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धान्त अन्तर्गतानक गया है (अन्तर्गत. २/ के २५)। ओं वी पी. वर्मा के अन्तर्गत—“नेहरूजी अन्तर्गतों में धर्मनिरपेक्षता रहे है—” धर्मनिरपेक्षवाद के प्रति नेहरूजी की अन्तर्गत निम्न ने भारत के अन्तर्गत अन्तर्गत वनों का महान् अन्तर्गत है। विश्वनीयता पर अन्तर्गत अन्तर्गत वैज्ञानिक अन्तर्गत के प्रति अन्तर्गत निम्न ने अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत विचारधारा के अन्तर्गत में अन्तर्गत अन्तर्गत है, जो धर्मनिरपेक्षवादी अन्तर्गत पर अन्तर्गत है तथा अन्तर्गत अन्तर्गतों, अन्तर्गतानक एवं धार्मिक अन्तर्गत की अन्तर्गत है।”⁴

1. “There shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President in the exercise of his functions”

‘The Constitution of India’—Part V—Art 74 (1)

2. N. B Sen “Wit and Wisdom of Nehru”, Page 539

3. Jawaharlal Nehru “Glimpses of World History”, page 437.

4. “Nehru has been secularist in his approach ... Nehru's heroic loyalty to secularism has been a great relief to the minority groups in India. His devotion to scientific methodology with its stress on rationalism has helped the evolution of his nationalist political ideology which in its emphasis on secularist democracy is a

समाजवाद (Socialism)

नेहरूजी के मार्क्सवाद, फेबियनवाद आदि समाजवाद की विभिन्न शाखा का अध्ययन किया था। नवम्बर, १९२७ की रूम यात्रा में नेहरूजी का वहीं की देहागिरा, नारी-स्वातंत्र्य तथा कृषक प्रवस्था के क्षेत्र में प्रगतिशील सुधार देने का प्रथम प्राप्त हुआ।^१ १९२७ में योरोप से लौटने के उपरान्त उन्होंने समाजवाद के विचारों की प्रसिद्धि की। उनके अनुसार मार्क्स स्वतन्त्रता के बिना राजनैतिक स्वतन्त्रता महत्वहीन है। इसलिए १३ दिसम्बर, १९८९ को मविधान सभा में उन्होंने विस्वामूर्ख शब्दों में कहा—“मैं समाजवाद तथा इस बात का हिमायती हूँ कि भारत एक समाजवादी राज्य के विधान की ओर बढ़ेगा और मुझे हृदय विस्वास है कि नारे गसार् का इस मार्ग पर प्रसरण होना होगा।”^२

इस ध्येय के लिए उन्होंने समाजवादी समाज व राज्य की कल्पना की। १९३० के 'करोती-प्रभिवेशन' में प्रजातांत्रिक व सामाजिक विचारधारा के अनुरूप मौखिक अधिकांश की माँग द्वारा इसकी नींव रखी गई। 'पंचवर्षीय योजनाएँ' (Five year plan) उनके इसी दूरदर्शिता का परिणाम है। उन्होंने राजनैतिक व मार्क्स प्रजातंत्र की एकलपना करने का प्रयास किया, जिसका प्रमाण है योजना आयोग (Planning Commission) के प्रथम के रूप में समाजवादी व प्रजातंत्रीय आधारे पर नियोजित विकास के अन्तर्गत मिश्रित अर्थव्यवस्था (Mixed Economy) की प्रथम दना। नेहरूजी ने १९३९ में 'नेशनल प्लानिंग कमेटी' (National Planning Committee) के अध्यक्ष के रूप में औद्योगीकरण (Industrialization) द्वारा मुहृद स्वतंत्र भारत की कल्पना की। स्वतंत्र भारत के तीव्र मार्क्स विकास के लिए औद्योगिक विकास के साथ ही कृषि एवं भूमिसुधार द्वारा जमींदारों के शोषण से दबी आर्मीण अर्थव्यवस्था का परिवर्तन चाहता। १९५८ में 'कांग्रेस कमेटी' में नेहरूजी द्वारा निमित्त यह प्रस्ताव पारित किया—

"हमारा उद्देश्य एक ऐसे मार्क्स क्रांति का निर्माण होना चाहिए जो बिना व्यक्तिगत आधिकार तथा पूँजी के वैश्वीकरण के अधिकतम उत्पादन प्रदान करते counterpoise to medievalism, obscurantism and religious dogmatism."

--Dr. V. P. Verma "Modern Indian Political Thought",

page 475 and 476.

1. "Jawaharlal Nehru : "Soviet Russia" (Allahabad, Law Journal Press, December, 1928), pages 63-74.

2. "I stand for socialism and that India will go towards the constitution of a Socialist State and I do believe that the whole world will have to go that way."

—(Speech in a Constituent Assembly, D.c. 13, 1946)

हूँ, गृहीत व प्राप्ति अर्थ-व्यवस्था में उपयुक्त संयुक्त पैदा करेगा। ऐसा सामाजिक बाका व्यक्तिगत मान मानना मे संघालित निजी पूँजीवाद की अर्थ-व्यवस्था तथा एकाधिकार-वादी राज्य की नैन्मद्रवृति का विकल्प ही मरुता है।¹

इस उद्देश्य पूर्ति के लिए नेहरूओं ने जीवन, मनाज व सरकार के सम्बन्ध में मनाजवाद एव प्रजातांत्रिक माधनों को मिलाता चाहा, बैसी श्री मुनापचन्द्र डोग को ३ अप्रैल, १९३९ को तिले पत्र के अनुसार उनकी प्रवृति से—“मेरा स्वाम है कि मैं स्वभाव व शिक्षा-दीक्षा के एक व्यक्तिवादी तथा विचारों के एक मनाजवादी हूँ, मरे ही इसका कुछ भी अर्थ निकले। मेरा मत है कि मनाजवाद व्यक्तिवाद का प्रवर्द्धन प्रददा समन नहीं करता; बान्तर में, मैं इसके प्रति आकर्षित हूँ, क्योंकि यह अर्थ-व्यवस्थाओं को सामाजिक व मानाजिक संघनों के मुक्त करेगा।”²

इस मनाजवाद की प्रवृत्तियों में नेहरूओं ने ‘मध्यम मार्ग’ (Middle way) का अनुसरण करते हुए प्रजातांत्रिक माधनों द्वारा मनाजवादी मनाज व राज्य की स्थापना चाही न कि अन्तिमपूर्व व हिंसातुल्य माधनों द्वारा। १९५४ में लोक-कल्याणकारी राज्य (Welfare state) का स्वयं रखने के उपरान्त १९५५ के ‘मार्वादी-प्रविवेदन’ में ‘मनाजवादी मनाज के शब्द’ (Socialistic Pattern of Society) की परिचयना की। १९५८ के ‘जागुर अधिवेदन’ में ‘सहकारी खेती’ (Co-operative Farming) का परिचय दिया। १९६४ के ‘दुवनेदर अधिवेदन’ में ‘प्रजातांत्रिक मनाजवाद’ (Democratic Socialism) द्वारा मनाजवादी राज्य (Socialist State) की मान्या रखी गई। मारीय अर्थ-व्यवस्था एवं प्राप्ति में विदेशी ऋण (Loan) की मरदार, जन्ता पर करमार (Tax), ‘मिश्रित अर्थ-व्यवस्था’ (Mixed Economy) के अन्तर्गत ‘निजी-क्षेत्र’ (Private Sector) की प्रदन महत्वपूर्ण स्थान व वस्तुक्ति

1. “Our aim should be to evolve ...an economic structure which will yield maximum production without the operation of private monopolies and the concentration of wealth, and which will create a proper balance between urban and rural economies. Such a social structure can provide an alternative to the acquisitive economy of private capitalism [and the regimentation of a totalitarian state].
—‘Link’: August 15, 1964, page 22.

2. “I suppose I am temperamentally and by training an individualist and intellectually a socialist, whatever all this might mean. I hope that socialism does not give or suppress individuality; indeed I am attracted to it because it will release innumerable individuals from economic and cultural bondage.”

—N. B. Sen: “Will and Wisdom of Nehru”, page 553.

तथा राष्ट्रीयकरण (Nationalization) के प्रति निम्न के कारण आलोचना होने पर भी कांग्रेस व देश में समाजवाद के सामाजिक व धार्मिक मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करने में नेहरूजी का महत्वपूर्ण स्थान है।¹ वे मृत्युपर्यन्त देश में सामाजिक न्याय एवं धार्मिक समानता के लिए प्रयत्नशील रहे तथा अपनी 'पेड़' पर अमरीका कवि 'राबर्ट फ्रास्ट (Robert Frost) की कविता की इन पंक्तियों को लिखकर कर्मयोगी की तरह यह बताया कि 'सब कागजों व फाइलों को भुगता' कर भी वे 'मायाम हराम' समझते थे—

"The woods are levelly, dark and deep,
But I have promises to keep
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep"²

नवीनीकरण

वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास —नेहरूजी ने इलाहाबाद, हैरो व कैम्ब्रिज के अध्ययन काल में विज्ञान और पारमार्थ्य दर्शन का महान अध्ययन किया था, जिसका उन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा।³ बर्नार्ड शॉ (Bernard Shaw) और बर्ट्रैंड रसेल (Bertrand Russell) के विचारों का उन पर महान् प्रभाव पड़ा था। उन्होंने वैज्ञानिक मानववादी (Scientific Humanism) पद्धति से भारत की राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक यहाँ तक कि धार्मिक समस्याओं का समाधान किया। नारी के सामाजिक व वैधानिक उत्थान, अस्पृश्यता निवारण, शिक्षाप्रसार तथा-पुरातन परम्पराओं, सामाजिक दोषों व धार्मिक आडम्बरों निरोधी विचार उन द्वारा भारत में नवीनीकरण से प्रमाण हैं। देश के औद्योगीकरण, राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक, तकनीकी विकास तथा वैज्ञानिक वातावरण बनाने के लिए उन्होंने तर्क, विवेक व यथार्थवाद में युक्त व्यवहारवादी पद्धति का सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रयोग किया। राजनैतिक व धार्मिक विचारों को धार्मिक रहस्यवाद पर आधारित आलंकारिक भाषा का जामा पहनाना उन्हें पसन्द न था।⁴ परन्तु वे इस नवीनीकरण में भी भारतीय संस्कृति और सम्पत्तों के मूलाधारों तथा मानवीय सहनशीलतायुक्त कारणों से पक्षपाती थे।

1 Dr. V P Verma "Modern Indian Political Thought",
page 480

2 Robert Frost

3 Jawaharlal Nehru : "An Autobiography".

4 ".....my preferences are all for science and the methods of science"

—Nehru : "Glimpses of World History", ch. 56, p. 173

प्राधुनिक भारतीय सामाजिक व राजनैतिक चिन्तन' को नभदिशा

“मिरी कहानी”, “विश्व इतिहास की मूलक”, “भारत की खोज” तथा “पिता के पत्र पुत्री के नाम”¹ आदि ग्रन्थों द्वारा नेहरूजी ने ‘प्राधुनिक भारतीय सामाजिक व राजनैतिक चिन्तन’ (Modern Indian Social and Political Thought) के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है। ग्रन्थों के अलावा उनके ‘भाषण-संग्रह’ भी पठनीय हैं। राष्ट्रवाद की धर्मनिरपेक्ष व्याख्या, पुरातनवाद (Revivalism) एवं मन्त्रदासवाद (Communalism) की निन्दा, गांधीवाद की व्यावहारिक क्रिया-विधियों, संसदीय जनतंत्र एवं प्रजातांत्रिक समाजवाद की सिद्धि में प्रयत्न तथा उदारवाद (Liberalism) के आवरण में उग्रवादी (Extremist) कार्यक्रम द्वारा ‘प्राधुनिक भारतीय सामाजिक व राजनैतिक चिन्तन’ को नई दिशा प्रदान की है। इसकी नवीनतम विचारधाराओं, समाजवाद (Socialism) एवं अन्तरराष्ट्रवाद (Internationalism) के आवरण में प्रजातंत्र और समाजवाद तथा पूर्व और पश्चिम के प्रासंगिक समन्वयवाद (Synthesis) की उद्भावना की है। श्री के. पी. कल्याणकर के अनुसार नेहरूजी समाजवाद एवं अन्तरराष्ट्रवाद के प्रमुख विचारकों में से एक थे।² डॉ. बी. पी. वर्माके शब्दों में नेहरूजी के योगदान का सही मूल्यांकन इस प्रकार किया जा सकता है— “नेहरूजी उन अर्थों में एक राजनैतिक दार्शनिक नहीं हैं, जिन अर्थों में यह विचारण नियरी, हॉम या रूसा के शर में लागू होता है। लेकिन निदग्ध ही के एक विचारक व्यक्ति हैं। एक श्रियागमन मनुष्य-यक्ति होते हुए भी, नेहरूजी में दार्शनिक विरक्ति की शक्तता है तथा एक अदम्यशी विचारक की तरह व दृष्ट्या सन्देह और अन्वेषणशक्ति से सन्तानित रहने हैं। — वैज्ञानिकता और प्राधुनिकता की भाव को भारतीय राजनैतिक व सामाजिक चिन्तन के प्रति ननका यलदान माना जा सकता है।”³

1 ‘Autobiography’ (1936) ‘Glimpses of World History’ (1938) ‘The Discovery of India’ (1946), ‘Letters From a Father to His Daughter’ (1938)

2 “Pandit Jawaharlal Nehru was one of the outstanding exponents of socialism and internationalism”

—K P Karunakaran “Modern Indian Political Tradition”
page 27-28

3 “Nehru is not a political philosopher in the sense in which this appellation is applied to Cicero or Hobbes or Rousseau. But certainly he is a man of ideas. Although a great man of action, Nehru has the capacity for philosophic detachment and like a thinking introvert he has often been tormented by doubts and quests . . .”

व्यावहारिक गांधीवाद

1916 के 'लखनऊ-प्रतिवेदन' में स्थापित गांधीजी से नेहरूजी का सम्बन्ध विरहाल तक बना व बढ़ता रहा। नेहरूजी की सदैव उनके प्रति हार्दिक व भावनात्मक भक्ति एवं श्रद्धा बनी रही।¹ महात्माजी से भी प्रसाद व आशीर्वाद के रूप में नेहरूजी को बहुत कुछ मिला।² परन्तु नेहरूजी गांधीजी का अनुयायी बनने की तैयारी न थे। संसद सदस्य श्री कमलनयन बजाज ने 4 जनवरी, 1964 को ब्रह्मदाबाद में युवक कांग्रेस के उत्सवोत्सव में आयोजित एक सभा में सम्पन्न मुनाजे हुए श्रद्धालुओं और श्रद्धेजियन के बारे में गांधीजी और नेहरूजी का इसी प्रकार का मतान्तर बताया। उन्होंने बताया कि गांधीजी ने इस सम्बन्ध में पूछे जाने पर एक बार कहा था—“जवाहरलालजी चाहते हैं कि कांग्रेस यहाँ से चले जाएँ और कांग्रेसियत बनी रहे, और मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस चाहे हमारे देश में रहे, लेकिन हमारे देश से कांग्रेस चली जानो चाहिए।”³ यह माना जा सकता है कि राजनीतिक विचारों में तो दोनों की लगभग समान धारणा थी, परन्तु सामाजिक और धार्मिक समस्याओं पर सैद्धांतिक मतभेद था। गांधीजी के देहावत के बाद नेहरूजी ने गांधीवाद को नवीन, व्यावहारिक, वपार्यवादी एवं वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। तर्क, विज्ञान एवं पादचार्य प्रभाव वाले नेहरूजी का विद्वान, माध्यात्म एवं भारतीयता के पुजारी महात्मा गांधी से उसी प्रकार का सम्बन्ध एक विभिन्न दृष्टिकोण रहा जैसा अमिराम, कुलीन, कविता एवं मूल्य विद्या में इयात रमिक प्लेटो (Plato) तथा ग्रीक चर्चक व चाल वाले गुरुक दार्शनिक सुकरात (Socrates) का अथवा वैज्ञानिक विद्यया में अरिस्तोत्त रखने वाले, व्यावहारिक एवं वपार्यवादी उद्गनात्मक (Inductive) विध्य अरिस्तू (Aristotle) तथा दार्शनिक विन्तन में अवि रउने वाले, धार्श एव वलनावादी निगमनात्मक (Deductive) गुरु प्लेटो का रहा था। इसी प्रकार 'गांधीवाद' और 'नेहरूवाद' में भेद करना भी उसी प्रकार कठिन है, जैसे सुकरात और प्लेटो के विचारों का नीरसीर विवेक असम्भव है। नेहरूजी को गांधीजी के 'राजनीति में नैतिक दृष्टिकोण' (Moral approach to politics) एवं 'माधना तथा माधनों का परिचय' (The

the quest for scientificity and modernism may be regarded as a contribution of Nehru to Indian political and social thinking."

Dr. V. P. Varma : "Modern Indian Political Thought", page 468 and 484

1. Nehru . "Autobiography", page 373

2. Michael Brecher —Nehru : A Political Biography (Ab. Ed) page 120

3. 'हिन्दुस्तान' 5 जनवरी, 1965.

purity of ends and means) व विचारों ने प्रभावित किया। गांधीजी के प्रभाव, स्वातंत्र्य, निर्माकता, मानव कल्याण, अहिंसा और शान्ति के विचारों से प्रभावित होकर ही उन्होंने राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय नीतियों में गांधीजी द्वारा प्रदर्शित तथा समाप्त मार्ग एवं पद्धति पर चलने हुए उन द्वारा सीपी गई विरासत की सुरक्षा-पूर्ण अनिवृद्धि में सतत प्रयत्नशील रहे तथा गांधीजी के इस स्वप्न को पूरा किया— "श्री जवाहरलाल मेरा उत्तराधिकारी होगा" और मैं यह जानता हूँ कि जब मैं चला जाऊँगा, जवाहरलाल मेरा ही नाया में दात करेगा। राष्ट्र उसके हाथों में सुरक्षित है।"

कांग्रेस पार्टी

पट्टाभि के अनुसार "गांधीजी के बाद सबसे ज्यादा प्रभावशाली कांग्रेसी बड़ी थे, जो कांग्रेस को अन्दर से आगे बढ़ने की शक्ति देते और बाहर से रोक भी लगा सकते" "इसे समाजवाद, कृषि या गांधीवाद, कांग्रेस त्रिस चीज के पक्ष में है बहुत सही है। यही नहीं, जवाहरलालजी त्रिस चीज को चाहते हैं उसमें और कांग्रेस के आदर्श में और भी ज्यादा अनुस्यूता है।"

राष्ट्र द्वारा विम्बान और दूनत प्राप्त कांग्रेस पार्टी भारत के संसदीय जनतंत्र (Parliamentary Democracy) को नेहू जी की महत्वपूर्ण विरासत है। राष्ट्रीय आन्दोलन काल में इसी के माध्यम में उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन प्रारम्भ किया था। कांग्रेस को पूर्ण स्वाधीनता (Complete Independence) के लक्ष्य से आपने आन्दोलित किया था। विभिन्न परिस्थितियों की अप्यसता करने हुए उन्होंने ऐतिहासिक प्रस्ताव रखे थे। स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने नेत्राजी व कांग्रेस पार्टी के प्रयासन, समरन, प्रदातंत्र और अन्-नेवा का प्रसिद्धि दिया था। 'कामराज योजना' (Kamraj Plan) द्वारा उन्होंने कांग्रेसियों के तिरु सता की मोलु-पता त्याग कर संसदन की मूहदता एवं समाज-नेवा का प्रस्ताव रखा। परन्तु वह संस-शय जनतंत्र की आम्बताओं और आदरयक परिस्थितियों में भी परिवर्तित थे, अतः विरोध दनों अपना राजनीतिक दनों के विकास तथा वाक्स्वातंत्र्य के मद्दाय समर्थक थे। वे कांग्रेस के निर्विरोध, सर्व सम्मत एवं एकनात्र नेता थे। उनके देहान्त के बाद पार्टी

I. "Next to Gandhi, he was the most dynamic Congressman providing the drive for the Congress from within and the brake to it from without — call it socialism or call it Gandhism that it exactly what congress seeks. And too, there is much more in common between what Congress seeks and what Jawaharlal seeks".

—Dr. Pattabhi Sitaramayya - "The History of the Indian National Congress", page 8 and 27.

का कोई मुद्दा नेता नहीं मिल रहा है तथा सामूहिक (Collective) नेतृत्व की आवश्यकता महसूस की गई। कांग्रेस परिषदशन उनके दिना मुने, नीरस एवं नियंत्रणहीन दिशाई देने हैं तथा कोई भी राष्ट्रीय प्रपञ्चा अन्तर्राष्ट्रीय नीति एकमत व सरलता से निर्धारित नहीं हो पाती। दुर्गापुर (कांग्रेस नगर) में कांग्रेस के ६६ वें परिषदशन के अध्यक्ष-पद से भाषण करते हुए श्री कामराज ने नेहरूजी की उदारता, प्रेम एवं पप-प्रदर्शन का स्मरण करते हुए ६ जनवरी, ६५ को समयावित चलावनी दी है—“भाज जवाहरलालजी का महान् व्यक्तित्व जो जनता के सम्मुख हमारी गतिविधा की बने हुए था हमारे बीच नहीं है। भाज जनता हमारे हरेक बंदम की सावधानी से परीक्षा कर रही है। वह हमारी गतिवियों को माफ नहीं करेगी।”¹

अन्तर्राष्ट्रीय स्थापति

स्वतन्त्र एवं मौनिक विदेश नीति—विषम ३५ वर्षों में कांग्रेस के विदेश नीति मन्ध्रपी प्राय सभी प्रस्ताव नेहरूजी द्वारा तैयार किए गए थे। विदेश नीति पर उनके समाधारण प्रभाव का कारण न केवल उनका प्रधानमन्त्री या विदेश मन्त्री होना था, पविनु वैदेशिक विषयो का अत्यधिक अनुसन्ध, पाण्डित्य एवं अन्तर्राष्ट्रवादी और मानवतावादी विचारण होना रहा है। वे विदेशनीति के नियामक तथा सूत्रधार रहे। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सब देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने की, महासत्तियों के परस्पर विरोधी गुटा से पृथक् रहने की तथा अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं संगठन की समर्थक, सान्त्वयिता, संतुष्ट राष्ट्रों की स्वतन्त्रता व समानता तथा अहस्तक्षेप के उदात्त विचार पर आधारित शांतिपूर्ण सहसन्धित्व की नीति का सूनाधार रखा—ध्वनील की। २० सप्टम्बर, १९६२ को नीनी सात्रमण पर भी समन्वयता की नीति को न छोड़ कर नेहरूजी ने यह मिद्ध कर दिया कि अन्य देशों की विदेशनीति के समान भारत की विदेश नीति भी कारे उदात्त मादनों पर नहीं है, वह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक कुत्र मौनिक ठोस तथों से तियाहित हुई है—भारत जैसे एन नवविवागोन्मुख अर्थविनिमित्त नवस्वतन्त्र राष्ट्रराज्य (New nation state) के लिए समन्वयता की नीति हितकर थी, त्रिमका भाविक, सामाजिक, राजनैतिक और औद्योगिक पुनर्निर्माण होना था। भौगोलिक दृष्टि से ३५०० मील लम्बी समुद्री सीमा एवं ८२०० मील लम्बी स्थली सीमा होने से महासत्तियों के युद्ध दिग्ने पर त्रिनी गुट में होने पर दूमरे पक्ष की दृष्ट कर उन ओर की सीमा की अरमित करना हितकर न था। विदेशनीति भारत की परम्परागत शांति, सहिष्णुता, सदभावना और उदारता की नीति, बेदायतवाद, बुद्ध तथा महात्मता तथों की अहिंसा एवं सन्तोह की बरणा की उदात्ता नहीं कर सकती थी। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में शीतयुद्ध (Cold-war) एवं शक्ति के द्विध्रुवीकरण (Bipolarisation)

1. 'The Hindusthan Times' (Jan 10, 1965)

की स्थिति व्याप्त होने पर समंजनता और शान्तिपूर्ण सहप्रवृत्ति को नीति विरव-शान्ति, संयुक्त एवं सहयोग के लिए आवश्यक ही नहीं, हितकर भी थी। यह नीति पनादनवादी, पूर्णरूप में शान्तिवादी (Pacifist), पार्ष्वकवादी (Isolationist) अथवा अनावात्मक तटस्थता (Negative Neutrality) की नीति जैसी अत्रिपारशील नीति नहीं बरत विरव-राजनीति एवं शान्तिपूर्ण कामों में पूर्ण रति रखने वाली नावा-त्मक (Positive) गतिशील (Dynamic) तथा क्रियाशील (Active) विदेशनीति थी है, जैसी नेहरूजी ने व्याख्या की थी—“यह हम कहते हैं कि हमारी नीति अक्ष-नानता की है, ती स्पष्ट रूप में हमारा अर्थ सैन्य युद्धों से समंजनता होता है। यह एक अनावात्मक नीति नहीं है। मुझे आशा है कि यह नावात्मक, निरिचत एवं गतिशील नीति है।”¹

ऐसी समंजनता एवं शान्तिपूर्ण सहप्रवृत्ति की गतिशील विदेशनीति भारत के राष्ट्रीय हित (National Interest) को बढ़ाने वाली सिद्ध हुई है। हालांकि चितम्बर, 1948 में सं० रा० असेमबली की अधिवेशन के समय श्री नेहरूजी ने एक भाषण में कहा था—“यहाँ स्वाधीनता संकट में थी, न्याय क्षेत्र में थी; आक्रमण की घटना हुई थी; हम वहाँ न तटस्थ रह सकते हैं और न तटस्थ रहेंगे।”² फिर भी चीनी आक्रमण के समय ऐसी स्थिति आने पर भी इस कड़ी अग्नि परीक्षा में नेहरूजी ने समंजनता की नीति न छोड़ी। इस संदर्भ में भारत की दोनों युद्धों से सहायता मिली एवं समर्पण प्राप्त हुआ तथा भारत ने अनेकी सैन्य दुर्दसताओं पर पूर्वोक्त करके हूँ सैनिक सहायता और आर्थिक विकास में द्रुत गति लाने का व्यावहारिक पयासवादी दृष्टिकोण अनाता।

यह भारत का सौभाग्य था कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की समन्ते वाले ४-५ विरव-राजनीतियों में औरपूर्व स्थान माने वाले नेहरूजी ने देश के प्रयातमन्त्री एवं विदेशमन्त्री के रूप में भारत की स्वतन्त्र एवं शान्ति परराष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय ह्याति प्रदान की। यह उन्हों के नेतृत्व एवं निर्देशन का परिणाम है कि पॉलर (Palmer) और पॉर्किन्स (Perkins) जैसे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति-विशारदों ने भारत की संयुक्त राष्ट्रसंघ में अकेलेचिदाई युद्ध का नेतृत्वकर्ता मानते हुए आदरपूर्ण स्थान प्रदान दिया है।³

1. “When we say that our policy is one of non-alignment, obviously we mean non-alignment with military blocs. It is not a negative policy. It is positive one, definite one and, I hope a dynamic one.”

2. Nehru's address at the U. S. Congress in Washington, 1949.

3. “India disclaims any desire to act as a leader in Asia, but she is a leading champion of Asia's claims to a greater place in world affairs, and her actions suggest that she is not always averse to taking the initiative”. India was the main organizer and is now the accepted leader of the powerful Asian African bloc in the United Nations.”

—Palmer and Perkins : “International Relations” p. 763.

अन्तर्राष्ट्रीय विरासत (International legacy)

शाताब्दी के महात्मा नेहा, विश्वशांति के अग्रदूत तथा 'मानवता के मसीहा'¹ श्री जवाहरलाल नेहरू न केवल भारत के लिए अपितु समस्त मानवता के लिए प्रवास-पुंज² थे। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रवादी तथा मानवतावादी विचारों से प्रालोकित विश्वशांति एवं सहयोग का प्रसमनीय विचार मानवता को प्रदान किया।

'अफ्रीका-एशियाई मुक्ति आन्दोलन'

एशिया और अफ्रीका में स्वतन्त्रता और राष्ट्रवाद की लहर पैदा करने में नेहरूजी की उपनिवेश एवं साम्राज्यवाद विरोधी नीति तथा मानवमात्र की स्वतन्त्रता के लिए किए गए प्रयास स्तुत्य हैं। एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमरीका के परतन्त्र राष्ट्रों के नेताओं से साम्राज्यवाद से मुक्ति पाने के लिए दहृत पहले से ही उन्होंने सम्बन्ध बढ़ाया; उनके प्रति सहानुभूति प्रकट की; समर्थन तथा सहयोग प्रदान किया। १९२७ में ब्रुसेल्स (Brussels) में हुए साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद विरोधी विश्व-सम्मेलन में अरब नेताओं से मिले। १९२९ के 'लाहौर अधिवेशन' का पूर्णस्वतन्त्रता का प्रस्ताव अफ्रीका-वादी राष्ट्रों के प्रति प्रेरणात्मक चुनौती था। मार्च, १९४७ में दिल्ली में हुए 'एशियाई देशों के सम्बन्ध सम्मेलन' (Asian Relations Conference) के संयोजन और कार्यक्रम में प्रमुख भाग लिया। १९४४ में चीन के प्रधानमंत्री श्री चाऊ-एन-साई के साथ पंचशील की घोषणा के बाद १९४५ के ऐतिहासिक 'बांडुंग सम्मेलन' (Bandung Conference) में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। उनके इस मानवस्वातन्त्र्य के बाल में योगदान के कारण उनकी गणना अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के इतिहास में एशियाई एवं अफ्रीकी राष्ट्रों के महात्मा राष्ट्रवादी नेताओं में की गई है।³ डॉ० बी० पी० वर्मा ने अफ्रीका-शियाई राष्ट्रवादियों में उनका प्रमुख स्थान मानते हुए कहा है—'नेहरूजी मात्र अफ्रीका-शियाई राजनैतिक एवं प्राथिक पूर्ण स्वतन्त्रता की आकांक्षाओं के प्रमुख अभिनेता हैं। उनके अफ्रीका-शियाई एकता एवं प्रगति के विचार ने नासिर, एंकूमा⁴ आदि को प्रेरित किया है।'⁴

1. अमरीकी विदेशमंत्री हीनरिस्क द्वारा श्रद्धांजलि।

2. संयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रपति नसर द्वारा श्रद्धांजलि।

3. Palmer and Perkins—"International Relations," P 498.

4. "Nehru today is the leading spokesman of Asian and African aspirations for absolute political and economic freedom. His concept of Afro Asian unity and progress had inspired Nasser, Kwame Nkrumah of Ghana, Sepou Toure of Guinea, Kamal Jumblat of Lebanon, and Kassim."

—Dr. V. P. Varma : "Modern Indian Political Thought", P. 477

असंलग्नतावाद (Policy of Non-alignment)

इन नवम्बतंत्रता प्राप्त एवं नवविनाशोन्मुख अफ्रीकाई राष्ट्रों के विदेशसम्बन्ध-म्यान्वार्थ राष्ट्रीयहितों के अनुरूप असंलग्नता की नीति नेहरूजी ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को दी। प्रारम्भ में इसकी भावना ठीक तरह से समझी न जाने के इसे उपहासित होना पड़ा, परन्तु धीरे-धीरे रूस और अमेरिका दोनों ने इसका महत्व समझा, समर्थन किया तथा प्रशंसा की। अधिकांश नवम्बतंत्र तथा विनाशोन्मुख राष्ट्रराज्यों (Nation-States) ने इस नीति में अपनी स्वतंत्रता, मजबूती तथा राष्ट्रीय हितों की सुरक्षित सम्पत्ति हार देने का डर था। साथ अमेरिका राष्ट्र पूर्वों तथा पश्चिमो ग्टों के बीच में एक बैलेंसिंग और संतुलक (Balancer) का कार्य कर रहे हैं तथा इन्होंने संयुक्त राष्ट्रसंघ (U. N. O.) में तीसरे ग्ट का भा कार्य करते हुए शीतयुद्ध में शिथिलता (Thaw in the cold-war) ला दी है। 1961 में बेल्ग्रेड में हुए तटस्थराष्ट्रों के सम्मेलन (Belgrade Conference) में उन्होंने तटस्थ राष्ट्रों का मजबूत नेतृत्व किया। उनके देहागत के बाद 5 अक्टूबर, 1964 से काहिरा में प्रारम्भ हुए तटस्थराष्ट्रों के दूसरे सम्मेलन में उनकी मधुर तथा अविस्मरणीय स्मृति करने हुए उपनिवेशवाद के अन्तान तथा सभी अन्तर्राष्ट्रीय विवाधों के शान्तिपूर्ण निपटारे पर बत दिया गया।

राष्ट्रमण्डल (Common Wealth)

नेहरूजी का राष्ट्रमण्डल के संघानकों में गौरवपूर्ण स्थान है। उन्होंने स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद भी ब्रिटेन से भारत का धनिष्ठ सम्बन्ध बनाए रखना तथा गणराज्य एवं असंलग्नराष्ट्र होने हुए भी ब्रिटिशराष्ट्र-मण्डल का सदस्य बनना भारत के राष्ट्रीय, राजनीतिक एवं धार्मिक हित की दृष्टि में उचित समझा। वे स्वतंत्रता के उपरांत 1947 में हर राष्ट्रमण्डलीय प्रधानमंत्री सम्मेलन में जाने गेहे तथा 1964 में 8 से 15 जुलाई तक होने वाले सम्मेलन में भी जाने की तैयारी कर चुके थे पर 27 मई का उनका देहागत हो गया। संयुक्त राष्ट्रसंघ में ब्रिटेन द्वारा काश्मीर नीति पर पाकिस्तान के पक्ष एवं 1964 के सम्मेलन में 'काश्मीर विवाद की बचा' को लेकर भारत में राष्ट्रमण्डल की सदस्यता त्यागने की माँग की गई। परन्तु 3 दिसम्बर, 1964 को लन्दन पहुँच कर प्रज्ञानमंत्री श्री लालबहादुरशास्त्री ने ब्रिटिश प्रज्ञानमंत्री श्री हैराल्ड विन्सन से सीहार्दपूर्ण बातचीत द्वारा राष्ट्रमण्डल की नींव को और मजबूत कर दिया। ब्रिटिश राजनीतियों की राय में नेहरूजी के देहागत से राष्ट्रमण्डल ने अपना कुशल नेत्रा मो दिया है। मायाजी प्रतिशब्दों का मह शोकसंदेश राष्ट्रमण्डल के प्रति की गई नेहरूजी की सेवाओं की स्वीकार करता है—“उनका निपट निरव की समस्त शान्तिप्रिय जनता तथा राष्ट्रमण्डलीय जनता के लिए बड़ा शान्तिदायक है।”

विश्व समुदाय-भावन-संपुक्तराष्ट्रसंघ

नेहरूजी ने विश्वसमुदाय एवं विश्ववस्तुत्व की भावना पर बत देते हुए राष्ट्रों

की समानता, स्वतन्त्रता, सप्रभुता एवं विकासयुक्त प्रगति की रक्षार्थ संयुक्तराष्ट्रसंघ तथा उसके चार्टर का समर्थन किया। कोरिया, लाओस, स्वेज, विद्यतनाम प्रथवा कांगो का जब भी अन्तर्राष्ट्रीय संकट आया, उन्होंने संयुक्तराष्ट्रसंघ का सहयोगयुक्त समर्थन प्रदान किया। रंग, दश, धर्म प्रथवा प्रजाति किसी भी प्रकार का भेद उन्हें पसन्द न था। इसकी सफलता के लिए वे प्रत्येक राष्ट्र की अनिवेनीय उद्युक्ति चाहते थे। मापसी मगडो में वे संयुक्तराष्ट्रसंघ के सत्वावधान में अन्तर्राष्ट्रीय विधि (International Law) के अन्तर्गत शान्तिपूर्ण निपटारे के समर्थक थे, कश्मीर समस्या इसका सुन्दर उदाहरण है। चीन से सघर्ष चलने पर भी संयुक्तराष्ट्रसंघ की सदस्यता के लिए उनका समर्थन करके इसे वास्तविक एवं क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रीयसंगठन एवं विश्वसंघ बनाना चाहा। विश्व के दो युद्धों में बंटने एवं संयुक्तराष्ट्रसंघ को 'शुद्धीय बलाहक, बनाने से रोकने के लिए ही उन्होंने संसलामता पर बल दिया। 'क्षेत्रीय संगठनों (Regional Alliances) के वे तीव्र प्रालोचक थे। उन्होंने 1948 में हुए संयुक्तराष्ट्रसंघ की महासभा (General Assembly) के तृतीय अधिवेशन में भाग लिया। 1960 में अन्तिम बार उन्होंने संयुक्तराष्ट्रसंघ की कार्यवाही में भाग लिया तथा विश्वशान्ति एवं महाशक्तियों के नेताओं के सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापनार्थ प्रयास किया। कांगो-संकट के समय संयुक्तराष्ट्रसंघ को नैतिक सहायता देकर नेहरूजी ने इसे शान्ति स्थापनार्थ कदम उठाने में मदद की।

मानववाद-पंचशील

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में नेहरूजी 'नैतिक एवं मानवीय अन्तर्राष्ट्रवाद' (Moral and humanist internationalism) के पक्षपाती थे। विज्ञान के ज्ञाता तथा व्यापक दृष्टिकोण वाले होने से वे परमाणु बमों को विमर्जित करने, हस्तान्तरण की होड़ रोकने, निस्स्त्रीकरण (Disarmament), युद्ध के अन्त तथा भ्रूण एवं भय से स्वतन्त्रता आदि मानव कल्याण धोर नीति के धूलतलों के पक्षपाती थे। मानवता के प्रति विश्व के किसी भी कोने में संकट उपस्थित होने पर उन्हें बड़ा दुःख पहुँचता था। अगस्त 1963 में तीन अणुशक्तियों द्वारा हस्तान्तरण की गई आनित्र अणुपरीक्षणप्रतिबंधसंधि (Nuclear test ban treaty) पर हस्ताक्षर करने वाले वे सर्वप्रथम शासनाध्यक्ष (Head of Government) थे। सब तरह के सैन्य तथा राजनैतिक युद्धों का विरोध, समंतानता तथा शान्तिपूर्ण-सहसंस्ति-य के समर्थन के साथ एकविध की कल्पना करते हुए 20 जून, 1954 को उन्होंने चीन के प्रधानमंत्री श्री चाउ एन साई के साथ 'पंचशील' के सूत्रों का प्रचार किया जो थे—(1) एक दूसरे की आदेनिक अमर्यता धोर भव्योन्वता (Sovereignty) के लिए आरस्परिण सम्मान की भावना (2) अनाक्रमण, (3) एक दूसरे के आन्तरिक मामलों में अहस्त्वेष, (4) समानता तथा एक दूसरे को साम्र पहुँचाना, (5) शान्तिपूर्ण सहसंस्ति-य (Peaceful co-existence)।

निम्नोद्देश के 'अणुयुग के अयोध' थे। यूनेस्को भवन में दी गई प्रज्ञावलि के मध्य यूनेस्को के महासचिव श्री रेनी महेयू द्वारा कहे गए वे शब्द सार्थक हैं—“एक महान् रोमनी अनी बुद्धि गरी है जिमने गत 30 वर्षों के दुनियाँ को प्रकाशित किया। श्री नेहरू मानवता के परिवर्तन प्रकाश थे।”

नेहरूजी के बाल के अत्यधिक नरदीक होने से उनकी प्रान्तियों, प्रतिष्ठानों (legacy) एवं इतिहास में उनके स्थान निर्धारण के बारे में अल्पिन निर्णय करना कठिन है। फिर भी इस कठिनाई के होते हुए भी आलोचकों द्वारा 'नेहरूवाद' एवं नेहरूजी की नीतियों की आलोचना होती रही है, सबसे अधिक आलोचना का मिश्रण होना पड़ा उनकी विदेश नीति की। आलोचकों के अनुसार उनकी 'नैतिक एवं मानवीय अन्तर्राष्ट्रीयवाद' (Moral and humanist internationalism) की विचारधारा पाकिस्तान तथा चीन के प्रति अन्याय गरी सुनिश्चरण (appeasement) एवं रियायतों (Concessions) में परिणत होकर अट्ट हो गई तथा अपने राष्ट्र को दुर्बल बनाया। उनकी अर्थव्यवस्था एवं निर्देशन में विदेश विभाग आदर्शवाद तथा विरोध पत्रों के कल्पना लोच में उठाने भरदा रहा; चीन, पाकिस्तान तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की भावना को सार्थकवादी व्यावहारिक (Pragmatic) दृष्टिकोण से समझते हुए राष्ट्रीय हितों (National Interests) पर आधारीत नीति के निर्धारण में अग्रसर रहा। विदेश विभाग प्रचार द्वारा भारत की स्वायत्तता गरी नियंत्रित के विरुद्ध की अग्रसर कर कर समझ जाने पर समर्थन न पा सका। शान्तिवाद के नाम पर सैन्य तैयारी न कर देना को शक्ति में रखा। चीन के आक्रमण के बाद अग्रसरता (Non-alignment) की विदेशनीति को राष्ट्रीय हित पूर्ण न करने वाली, वास्तविक तथा गलत मापारों पर आधारीत तथा अग्रसरता राजनीतिवादी, आचार्य कृतज्ञानों और श्री गोरवाला ने कहा—“भारत की परिवर्तन के साथ नैतिक सम्बन्ध सुदृढ़ करने में नहीं हिचकना चाहिए।”¹

आलोचकों द्वारा चीन के विश्वासघात तथा शान्तिपूर्ण विदेश नीति के अग्रसर नैतिक तैयारी एवं रण सामर्थ्य की अग्रसर वास्तविक ध्यान न दिखे जाने की आलोचना में साथ का अग्रसर अग्रसर है, जैसा नेहरूजी ने भी स्वीकार किया था—“हम कल्पना लोच में रह रहे थे, इस अग्रसरता में हम वास्तविक अग्रसर में आये हैं।”² परन्तु यह नयी भाग का अग्रसरता कि हनार राष्ट्र हितों की रक्षा करने में यह सर्वथा अग्रसरता विद्व हरे। शान्ति एवं सुदृढ़ता में अपने राष्ट्रीय तथा आर्थिक हितों को पूरा किया विद्व

1. 'The Hindustan Times' (November 18, 1962)

2. 'The Hindustan Times' (October 26, 1962).

नेहरू का विरामत

प्रमाण है दोना गुटो (blocc) से सहायता घोर समर्पन व माप ही निरक जनमत प्राप्ता होना, जिनसे चीन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति मे प्रवृत्ता पड गया। दाना गुट घाब असहमता की नीति को समझने है समर्पन प्रदान करने है तथा प्रकृता करत है। इस नीति मे कीतयुद्ध मे गिनियता (Tham in the cold war) सा दी है।

प्रधान मन्त्री के रूप मे नेहरूजी ने 'प्रणामन मे एकाधिकार' (Monopoly) रख कर सत्ता का प्रणामाजन' (Delegation of authority) उपयुक्त मात्रा मे नहा दिया, जिनसे नायक-पूजा (hero-worshup) को प्रथम मिता तथा नरुव की प्रगि-क्षण का अवसर न मिल सका। यही कारण पा कि 'नेहरू व बाद कोन' (After Nehru who?) की साक्षता समय-समय पर ही उठती रही। प्रणामन मे व्याप्त अष्टाचार, विद्वानो से बड़ी कार्यवाही व स्थान पर भेजे गए विरोधी पत्र, सामा पाणि-स्तानिया के भारत मे अवैध प्रवेग, बेकारी, मूल्य वृद्धि एव महंगाई आदि प्रणामनिक कमजोरिया तथा सिधियता को देख कर राष्ट्र व एकीकृत भवन निर्माण करने वास लोह पुरुष सरदार पत्र जैसे दण प्रणामक एव कर्मयोगी की कमी महसूस की गई। चीन द्वारा हठमे गए मूकण्ड तथा पाकिस्तान द्वारा कल्ले मे लिये गए कश्मीर व भाग को वापिस लेने के लिए नेहरूजीं द्वारा कोई सुहृद या प्रभावशाली बंदन न उठये जाने की विशेषत विरोधी दलों द्वारा साचोचना हुई।

नेहरूजी ने अपने अन्तिम दिनों में बेरुबाही, 'कामराज योजना', पत्र अन्तुन्ता की रिहाई, मागलैण्ड के प्रति उदारता तथा अरबी भाषा के प्रथम सादि घटनाओं से राजनैतिक अस्थिरता का परिवस दिया जिनसे जनमानस मे कुछ अमन्तोष, निराशा तथा चिन्ता न जन्म लिया। कांग्रेस पार्टी से भी वे अपने अन्तिम दिना मे उमी ठरहू खिन्न थे जैसे गांधीजी को अपने अन्तिम दिना मे होना पडा था। उनका इस पर एकदम नेरुव, प्रभाव एव नियन्त्रण घीरे घीरे कम होता गया। 'कामराज योजना' के रूप मे इसके परिवीकरण या पुनर्गुधार का आन्दोलन भी अमकन रहा।

नेहरूजी ने योजना आयोग (Planning Commission) के अध्यक्ष के रूप में देग में सामाजिक न्याय एव सापिण समानता की स्थापना के सत्य के माप ही साधोनिग, बैनानिक एव तकनीकी विकास द्वारा देग के नवीनीकरण व लिये कर गए सकार मे सापिण निधि ही प्राप्त की। भारतीय अर्थव्यवस्था एव साधोत्रन मे विदेशी ऋण (loan) की भरमार, जनता पर करमार (tax), राष्ट्रीयकरण (Nationalization) के प्रति भिन्न तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था (Mixed Economy) व अणुर्जन 'निजी क्षेत्र' (Private Sector) को प्रदत्त महत्वपूर्ण स्थान एव उन्मुक्ति के लिए उनकी साधोचना होती रही। पंचवर्षीय योजनाया (Five Year Plans) से सामान्य जनता बहुत कम परिचित या प्रभाकि हुई। प्रणामकीय महयोग उचित मात्रा

में न भिन्न रहा, जैसा कि नेहरूजी ने भी दोबारा उल्लेख किया था। योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री अयोध नेहरू के अनुसार—“इन योजनाओं का शिखान्वय ही वृद्धिपूर्ण नृ-पा वत्त योजनाएं स्वयं में भी वृद्धिपूर्ण थीं।”¹ योजना आयोग (Planning Commission) के संगठन की भी आलोचना होती रही। प्रथम नन्त्री श्री लालबहादूर शास्त्री के नेतृत्व में 2 जनवरी, 1955 को कांग्रेस के दूरभाष अधिवेशन में सर्वसम्मति से स्वीकार किये गए आर्थिक नीति मन्त्रालय प्रस्ताव द्वारा इन कृष्टि में सुधार तथा नेहरूजी की नीतियों की तबौत विद्या प्रदान करने का प्रयास किया गया है, जिसके अनुसार चौपी पंचवर्षीय योजना की अवधि में कृषि तथा शान्तिगत क्षेत्र को सुदृढ बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है।² परन्तु डा० मन्मोहनन्द के अनुसार ‘समा-तांत्रिक समाजवाद’ (Democratic Socialism) का स्पष्ट स्वप्न न हो नेहरूजी की उपस्थिति में व्याख्यित किया जानका तथा न उनके देहान्त के बाद कि “कांग्रेस सन्तत समाजवाद किन बातों में सर्वोपर्य है, किन बातों में डा० लोहिया के मत में और सर्वोपरि किन बातों में वन्दुदिग्ग ने भिन्न है ?”³

नेहरूजी के कार्य-कारण एवं मानवता के लिए अपने आर्थिक हैं कि उनके देहा-काल को ‘नेहरू युग’ (Era of Nehru) तथा उनके विचारों को ‘नेहरूवाद’ (Nehruism) का ज्ञान देने हुए उनके देहान्त के बाद भी (Nehru is dead, long live Nehru) की बात कर उनके प्रति सम्मान प्रकट किया गया। श्री बी. एन. लक्ष्य के अनुसार उन्होंने अपनी दान्धा तथा सेवापूर्ण जीवन में अपने ‘अद्वय’ को भी खदव दिया—“दश से सौग प्राद श्री मोतीलाल नेहरू को श्री जवाहरलाल नेहरू के पिता के रूप में याद करते हैं जैसे कि 20वीं शताब्दी के तृतीय दशक में हुए संतों की हृष्टि में श्री जवाहरलाल के महत्त्व प्रशंसापूर्ण मुख्य ‘अद्वय’ या कि वह अपने अविद्व पिता का पुत्र था।”⁴

१. योजना आयोग के मन्त्रालय अधिकारियों को 2 दिवसीय गोष्ठी का ५ अगस्त, 54 को दिनों में उद्घाटन करते हुए भाषण में मन्त्र

(‘हिन्दुस्तान’, अगस्त १, 1954)

२. ‘हिन्दुस्तान अद्वय’ (१० जनवरी, 1955)

३. डा० मन्मोहनन्द : ‘जवाहरलालजी के बाद क्या’

(‘हिन्दुस्तान’—वार्षिकता दिवस परिशिष्ट 12 अगस्त, 1954)

4. “Many people today remember Motilal Nehru as that father of Jawaharlal Nehru, just as in the nineteen twenties there were not a few in whose eyes Jawaharlal's chief title to distinction was that he was the son of distinguished father.”

—B. R. Nanda : “The Nehrus : Motilal and Jawaharlal”, p. 9

उन्होंने 1947 में प्राथमिक विज्ञान, मरीची, घानान, अणुविज्ञान, 600 देशों की सहायता, प्रजातान्त्रिक स्वशासन एवं संस्थाओं से अपरिचित जनता वाले तथा पुनर्वास एवं विकास की समस्याओं से पूर्ण देश का नेतृत्व संभाला था। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रगति की विवेकपूर्ण जाँच करने पर ही उनके प्रतिदानों (Legacy) एवं प्राप्तिया (Achievements) का सही मूल्यांकन करने हुए इतिहास में स्थान निर्धारण करना न्यायसंगत होगा। प्रजातंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षवाद द्वारा भारत को चहुँपुर्ती विकास तथा अणुयुग में अग्रग्रस्त संसार को शान्तिस्थोत पचशील प्रदान कर नेहरूजी ने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय जीवन को नया मोड़ दिया, जिसके लिए भारतीय तथा विश्व इतिहास में उम युगनिर्माता का नाम स्मरणीय एवं स्थान गौरवपूर्ण रहेगा। डॉ० राधाकृष्णन् के शब्दों में—

“यद्यपि हम उनके विषय में सोचते हैं तो हमारे सम्मुख एक ऐसा व्यक्तित्व खाना है जो मानवजाति का महान् मुक्तिदाता था, जिसने मानव-मस्तिष्कों को राजनैतिक घषण, प्राथमिक दामना, साम्राजिकदमन तथा सांस्कृतिक जडता से उबारने के लिए सम्पूर्ण जीवन तथा शक्ति समर्पित की।”¹

1. 'Our thoughts go out to him as a great emancipator of human race, one who has given all his life and energy to the freeing of men's minds from political bondage, economic slavery, social oppression and cultural stagnation. We can do no better than work for the ideals he cherished. That is the best tribute we can pay to our departed leader'

शक्ति सन्तुलन

(BALANCE OF POWER)

—महेन्द्र वरदा

मानव अनादिकाल से ही युद्ध में बचने के उपाय साधता रहा है, क्योंकि प्रकृति से ही वह एक शक्तिप्रिय जीव है। युद्ध में बचने और शक्ति में जीवन व्यतीत करने की आशाओं के अनेक उपायों में से शक्ति सन्तुलन का सिद्धान्त भी एक है। शक्ति-सन्तुलन का कार्यक्रम (Process) अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वाभाविक एक आवश्यक है, क्योंकि इसमें अनेक राष्ट्र विद्यमान हैं। इस सिद्धान्त का आदर्श है—अन्तर्राष्ट्रीय सन्तुलन (International Equilibrium) या अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की गतिमान प्रकृति (Dynamic nature) पर आधारित है। आज की राजनीति में यह विद्व को तथा मानव जाति को युद्धों की ज्वालाओं तथा भयंकरताओं से बचाने तथा विद्व शक्ति स्थापित करने का एक उपाय समझा जाता है।

शक्ति सन्तुलन की प्रकृति (Nature of Balance of Power)

शक्ति सन्तुलन का सिद्धान्त कोई नई विचारधारा नहीं है। इसे प्राचीन समय में भी प्रयोग में लाया जाता था और मानव समाज को इसका पर्याप्त ज्ञान था। पामर और परकिनस (Palmer and Perkins) की राय में शक्ति सन्तुलन का सिद्धान्त उन नवी युगा में, जहाँ की बहुत राष्ट्रपद्धति थी, विद्यमान था।¹ प्रो० हार्टमन (Prof. Hartmann) भी इस मत के सहमत हैं और कहते हैं कि अनेक या बहुतराष्ट्रपद्धति (Multi-state system) में शक्ति सन्तुलन की प्रक्रिया (Process) स्वाभाविक और आवश्यक है। इस प्रकार से बहुत राष्ट्रपद्धति शक्ति सन्तुलन के स्वभाव में निहित है। प्रो० क्वीन्सी राइट (Prof. Quincy Wright) ने इस सिद्धान्त की ऐतिहासिकता की धार संकेत करते हुए लिखा है कि 1500 A. D. तक शक्ति सन्तुलन का सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में कहीं-कहीं पर परिपूर्ण सिद्धान्त के रूप में विद्यमान था।

1. "The concept of the balance of power has been present wherever and wherever the multiple state system has existed"

—Palmer and Perkins.

परन्तु १६४८ की वेस्टफालिया की सन्धि (Treaty of Westphalia of 1648) के पदवान्, यह अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध का एक प्रमुख नियम घोर दिया बन गई।¹ साय ही साय यह यह भी कहते हैं कि जब कि सत्रय सत्ता ने भी, ३० वर्षीय युद्ध (Thirty years' war) के पदवान् की विचारपाठ का सामान्य स्वीकरण के रूप में, यूरोप में हुए युद्ध और शांति के लिए, प्रस्तुत किया जा सकता है।² सत्ताहवीं सताब्दी की कई सन्धियां में इसका वर्णन किया गया है और अन्तीसवीं सताब्दी में इसका सफल प्रयोग हुआ है।

शक्ति सन्तुलन के विभिन्न अर्थ तथा परिभाषा

(Various meanings of Balance of Power and its Definition)

शक्ति सन्तुलन के सिद्धांत को परिभाषा की परिधि में बांधना भागीरथी कार्य (Herculean task) है। सेलवा व विद्याना न इसे अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। 'शक्ति सन्तुलन' एक अस्पष्ट व बहुमर्थ वाला शब्द है। इसके निम्न अर्थ हो सकते हैं —

(१) किसी भी प्रकार का शक्ति विभाजन (Any distribution of power)-संतार के राष्ट्रों में किसी भी प्रकार का शक्ति विभाजन शक्ति के नाम से पुकारा जा सकता है।

(२) असन्तुलन (Imbalance)—शक्ति सन्तुलन का प्रयोग असन्तुलन के अर्थ में भी किया जा सकता है। इस अर्थ में इसका मतलब होगा एक राष्ट्र की अन्य राष्ट्रों के ऊपर उच्चता (Superiority) और प्रभुता (Domination) से।

(३) समता (Equilibrium) शक्ति सन्तुलन का अर्थ यह भी हो सकता है कि विश्व के अनेक राष्ट्रों में उचित शक्ति सन्तुलन है न कोई अधिक शक्तिशाली है न पर्याधिक कमजोर है।

(४) स्थायित्व और शांति (Stability and peace) शक्ति सन्तुलन अन्तर्-राष्ट्रीय राजनीति में स्थायित्व तथा विद्व के शांति की स्थिति को भी प्रकट करता है।

(५) इतिहास का सर्वमान्य नियम (Universal law of history)—एक तात्पर्य यह है कि शक्ति सन्तुलन विश्व के राजनीतिक रंगमंच पर सदा प्रकट (Appear) हुआ रहा है और होता रहेगा।

1 " . . . it scarcely existed anywhere as a conscious principle of international politics before 1500. Especially after the treaty of Westphalia of 1648, it became a cordial feature of international relations"

2 " . . . while other factors have had an influence, the concept of balance of power provides the most general explanation for the oscillations of peace and war in Europe, since the Thirty years' war"

(६) कृत्रिम शक्ति संतुलन (The complex balance of power) के कारण उस प्रकार के शक्ति संतुलन में है जिसका आधार शक्ति का विभाजन करने के उद्योगों में है।

(७) साधारण शक्ति संतुलन (The Simple balance of power) — इसका अर्थ होता है शक्ति मानात्मक या नैतिक रूपों में विभाजित है।

(८) इसका अर्थ निर्देन राष्ट्रों का शक्तिशाली बनने के प्रयत्नों में भी हो सकता है।

प्रो० मारशान (Prof. Morenathan) ने अपनी पुस्तक "Politics Among Nations" में इन शब्द (Terms) का प्रयोग बार बारों में किया है—

(क) एक प्रकार की नीति (As a policy aimed at certain state of affairs),

(ख) वास्तव परिस्थिति (As an actual state of affairs), (ग) शक्ति विभाजन

प्रणालि (As an approximately distribution of power) और (द) शक्ति

विभाजन (As a distribution of power)

डॉ० लॉरेन्स डिकिन्सन (G. Lowes Dickinson) इस शब्द (शक्ति संतुलन) के दो अर्थों का स्पष्ट बख्त कर दिखते हैं कि एक तरह इसका अर्थ है समानता है, जिस प्रकार कि दो तरह का हिनाब बखतर हा, तथा दूसरे प्रकार इसका अर्थ है समानता है, जिस प्रकार कि एक नष्ट का वैध में 'Balance' का बनाया जाता है।

प्रो० फे (Prof. Fay) ने Encyclopaedia of the Social Sciences में शक्ति संतुलन की परिभाषा देने हुए लिखा है कि राष्ट्रों के मध्य कृत्रिम शक्ति विभाजन है, इस प्रकार का शक्ति विभाजन कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर अपनी शक्ति न बत सके और न ही वह राष्ट्र इस शक्ति बन पावे।¹ एम० मार्शलेट वॉन और एम० मर्गेट बॉल (M. Margaret Ball and Hugh B. Killough) अपनी पुस्तक 'International Relations' में लिखते हैं कि शक्ति संतुलन, या विपरीत राष्ट्रों द्वारा मध्य राष्ट्रों के मध्य निरंतर शक्ति बनना स्थिति करने का उद्योग है।²

प्रो० हार्टमन (Prof. Hartmann) ने अपनी पुस्तक 'The Relations of Nations' में इस प्रकार के मध्य शक्ति संतुलन के स्पष्ट किया है। शक्ति संतुलन का अर्थ या अर्थ के रूप में (Balance of Power as a pattern) और शक्ति संतुलन

1. "It means such a just equilibrium in power among the members of the family of nations as will prevent any one of them from becoming sufficiently strong enough to enforce its will upon the others."

2. "A power equilibrium established among rival states through allowing themselves with other states is technically referred to as a balance of power."

क्रम या रीति के रूप में (Balance of Power as a Process) एक राष्ट्र जो कि 'शक्ति सन्तुलन आकार' (Balance of Power as a Pattern) का प्रयोग कर रहा है, घुट ग्रन्थ राष्ट्रों के साथ अपने विरोधी राष्ट्र के विषय में बनाता है तथा इस प्रकार विरोधी राष्ट्र की शक्ति का प्रतिरोध करने में 'शक्ति सन्तुलन' का प्रयोग करता है। शक्ति-सन्तुलन क्रम या रीति शक्ति सम्बन्धी सभी समस्याओं का सामान्यकरण (Generalization) है। यह वास्तविक शक्ति सम्बन्धों को बनलाता है और राष्ट्र के 'शक्ति सन्तुलन आकार' की ओर दृष्टिपान नहीं करता।

प्रो० मारगनथाँ (Prof Morgenthau) के मतानुसार शक्ति सन्तुलन आकार (Patterns of Balance of Power) दो प्रकार के हैं—प्रथम The pattern of Direct Opposition—इस प्रकार के ढाँच में शक्ति सन्तुलन दो या अधिक तथा शत्रुता के कारण उत्पन्न होता है। एक राष्ट्र अपनी नीतियाँ दूसरे राष्ट्र पर थोपने की कोशिश करता है। राष्ट्र अपनी नीतियों को दूसरे राष्ट्रों पर प्रभावशाली बनाने के लिए अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाते हैं। द्वितीय Pattern of Competition—इस 'आकार' के कारण छोटे राष्ट्र अपनी स्वतन्त्रता कायम रख सके। साथ ही इसी के कारण उन्हें अन्य राष्ट्रों के अधीन होना पड़ा।

इस प्रकार शक्ति सन्तुलन को परिभाषित करना अत्यधिक कठिन है परन्तु उपरोक्त परिभाषाओं और विभिन्न विद्वानों के मतों के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि शक्ति सन्तुलन का केन्द्र बिन्दु या मुख्य विचार यह है कि यदि घर्त-राष्ट्रीय जगत् में शक्ति सन्तुलन है और कोई भी राष्ट्र यह जानना है कि यदि उसने इस शक्ति सन्तुलन को तोड़ने या बदलने की कोशिश की तो उसे अत्यधिक विरोध का सामना करना पड़ेगा। प्रो० लर्क (Prof Lerche) कहते हैं—“A statesman will not normally resort to war when the odds are heavily against him” अर्थात् एक राजनीतिज्ञ युद्ध प्रसन्न नहीं करेगा यदि उसे ज्ञात है कि विरोध बहुत अधिक है।

शक्ति सन्तुलन की विशेषताएँ (Characteristics of Balance of Power)

प्रो० पामर और परकिनम् (Prof Palmer and Perkins) "International Relations" में शक्ति सन्तुलन की निम्नलिखित बात विशेषताएँ बताते हैं—
प्रथम 'शक्ति सन्तुलन' शब्द समता (Equilibrium) की ओर संकेत या इंगित करता है लेकिन इतिहास साक्षित करता है कि सन्तुलन घटकों में यह असमानता (Disequilibrium) को प्रकट करता है। दूसरा, यह एक राजनैतिक कपट-योजना है (A diplomatic coordinance), इतिहास का पता नहीं। निम्नलिखित स्थानों के शब्दों में, शक्ति सन्तुलन भगवान का उपहार नहीं है बल्कि मनुष्य के प्रयत्नों का फल है। शक्ति सन्तुलन स्थापित करने के लिए मनुष्यों की युद्ध के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तीसरा, मूलतः शक्ति-

सन्तुलन सिद्धान्त एकसी स्थिति (Status-quo) के पक्ष में है परन्तु प्रभावशाली होने के लिए यह आवश्यक है कि यह परिवर्तनशील और शक्तिशाली हो। चौथा, सच्चे प्रयोग में शक्ति सन्तुलन बहुत कम अवसरों पर हो सकता है। पाँचवा, शक्ति सन्तुलन का सिद्धान्त निष्पक्ष (Objective) और व्यक्तिगत (Subjective) दोनों ही प्रकार की विचारधाराओं को स्थान देता है। मार्टीन राइट (Martin Wright) कहते हैं, "The historian will say that there is a balance when the opposing groups seem to him be equal in power. The statesman will say that there is a balance when he thinks that his side is stronger than the other. And he will say that his country holds the balance, when it has freedom to join one side or the other according to its own interest." इतिहासकार दृष्टिकोण (Objective view) लेता है तथा एक राजनीतिज्ञ आत्मपरक दृष्टि (Subjective view) से स्थिति को देखता है। स्पाइकमेन (Spykman) और क्वीन्सी राइट (Quincy Wright) का मत है कि राजनीतिज्ञ का मत अधिक वास्तविक है। छठा, शक्ति सन्तुलन का सिद्धान्त रीति के रूप में न तो प्रजातन्त्र और न ही तानाशाही के अनुरूप है। सातवा, शक्ति-सन्तुलन बड़े राष्ट्रों के लिए तथा उनके हित में होता है। छोटे राष्ट्र तो इस सिद्धान्त के शिकार तथा दर्शक मात्र होते हैं। यह किस प्रकार कार्य करना है ? (How it appears) ?

राजनीतिक विचारक इन बात पर एकमत नहीं है कि शक्ति सन्तुलन का सिद्धान्त किन प्रकार से कार्य करता है। इन बारे में तीन मत रखे जाते हैं। वे मत हैं— प्रथम, शक्ति-सन्तुलन स्वयं शक्ति (Automatic) है। दूसरा, यह प्रबल स्वचालित (Semi automatic) है तथा तीसरा, यह प्रत्येक राष्ट्रों के सहयोग से कार्य करता है। प्रथम मत के अनुसार शक्ति-सन्तुलन एक प्राकृतिक क्रिया है। किसी भी राष्ट्र को इसके कार्य के विषय में चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं। यह स्वयं संवाचित होता रहता है। रूसो (Rousseau) ने इसे प्रकृति का कार्य अधिक बतलाया है, राजनीतिज्ञ की प्रेरणा। यह प्रकृति का साधारण नियम है कि जब एक राष्ट्र या अन्य कोई वस्तु अधिक शक्तिशाली बन जाती है तो अन्य राष्ट्र या वस्तुएं भी अपनी शक्ति बढ़ाती हैं और अधिक शक्ति ग्रहण करती हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार प्रो० टोयनबी (Prof. Toynebee) ने इसे "Political Dynamics" के नाम से पुकारा है तथा इसके कार्य करने के लिए "Automatically" शब्द का प्रयोग किया है।

द्वितीय मत के अनुसार यह पर्यन्ववाचित और पर्यदाह्य शक्ति के प्रयोग से कार्य करता है। इस मत के समर्थकों के मन्मुख इंग्लैंड का उदाहरण है। उसके अनुसार शक्ति सन्तुलन सिद्धान्त के कार्य करने के लिए एक शक्तिशाली राष्ट्र की आवश्यकता है।

श्यकता है जो कि सन्तुलनकर्ता (Balance) का भाग या कार्य कर सके । सन्तुलनकर्ता के त्रिचय में तीन विचार या मन हैं—

(ब) छोटे छोटे राष्ट्रों का समूह (Combination of small states)

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन (International organisation)

(घ) परम्परागत अर्थ में सबसे अधिक शक्तिशाली राष्ट्र शक्ति को सन्तुलित करने में महायुद्ध का कार्य करे तथा शक्तिद्वन्द्व (Power conflict) में भाग लेने की उद्यत न हो । इंग्लैंड ने यह भाग पूर्ण जाल में बड़े सफल तरीके से प्रदा किया । भारतन वर्षों ने अपनी पुस्तक (Politics Among Nations) में दो उदाहरण, हेनरी श्वेट्स तथा माझाजी ऐमिजादेय प्रथम के समय के दिये हैं, यह प्रदर्शित करने की कि इंग्लैंड बहुत पहले से ही सन्तुलनकर्ता का खेल खेल रहा है । १८वीं और १९वीं शताब्दी में इंग्लैंड का कार्य तथा भाग सन्तुलनकर्ता के रूप में विशेष महत्वपूर्ण और उत्तम-नीय है परन्तु १९वीं शताब्दी के अन्त और २०वीं शताब्दी के प्रारम्भ में अमेरीका तथा यूरोप में नये राष्ट्रों के उदयान के फलस्वरूप इंग्लैंड अपना ऐतिहासिक भाग इन सदियों में प्रदा करने में क्षमता रहता और आज परम्परागत अर्थों में सन्तुलनकर्ता का मिलना अत्यधिक कठिन है ।

(ब) द्वितीय अन्तुसार छोटे-छोटे राष्ट्र मिल कर सन्तुलनकर्ता का भाग प्रदा कर सकते हैं । वर्तमान युग में असंलग्न राष्ट्र (Non aligned Countries) शीतयुद्ध तथा और अयुक्त राज्य अमेरिका के अन्तुलनकर्ता का कार्य कर रहे कहे जाने हैं ।

(ग) तृतीय अन्तुसार शक्ति सन्तुलन सिद्धान्त के कार्य के लिए एक अन्तुलन राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है । ऐसा कहा जाता है कि इस प्रकार की शक्ति अन्तुलन के बल अपनी शक्ति कमजोर राष्ट्रों की ओर लगा देती है तथा इस प्रकार शक्ति सन्तुलन बना रहता है । आज के युग में अयुक्त राष्ट्र संघ (U N O) का नाम उदाहरणार्थ दिया जा सकता है ।

तृतीय अन्तुलन के अन्तुसार शक्ति सन्तुलन न तो स्वयं वांछित है और न ही एक राष्ट्र के प्रयत्न का फल ही संभव है । इसके कार्य करने के लिए आवश्यक है कि सब के सब राष्ट्र इसके लिए प्रयत्न करें । अन्तुलन प्रत्येक राष्ट्र यह देवे कि शक्ति सन्तुलन वांछनीय है या नहीं । इस सिद्धान्त के अन्तुसार राष्ट्रों का और राजनीतियों का यह अन्तुलन है कि वे यह देखें कि अन्तुलनकारी अन्तुलन का अन्तुलन प्रयत्न न करे तथा वह ऐसे प्रयत्न करता रहे जिसमें मानव शक्ति युद्ध की अन्तुलनकारी में दूर शक्ति की गोद में गुप्त रहे ।

इन अर्थों के बारे में यही कहा जा सकता है कि शक्ति सन्तुलन के कार्य के लिये कोई एक अन्तुलन पूर्णतः अन्तुलनप्रद उत्तर नहीं देता । अन्तुलन में ऐसा अन्तुलन है कि राष्ट्रों

की ओर से प्रयत्न तथा अन्तर्राष्ट्रीय मत्स्या का योगदान इस कार्य के लिए आवश्यक है।

शक्ति मन्तुलन सिद्धांत को आवश्यकताएं

(The Pre-requisites of the Balance of Power)

शक्ति मन्तुलन के सफल कार्य के लिए कुछ प्रतिद्वन्द्व हैं। उन प्रतिद्वन्द्वों की पूर्णता पर ही शक्ति मन्तुलन का कार्य सम्भव है। यह आवश्यकताएं निम्न हैं—

(१) अधिक फैलाव तथा द्रवता (Dispersal and Fluidity)—शक्ति मन्तुलन के सफल कार्य करने के लिए आवश्यक है कि शक्ति का विभाजन अत्यधिक फैला हुआ हो क्योंकि शान्ति, शक्ति मन्तुलन में ठोसी स्थापित होना सम्भव है जब कि शक्ति अनेक राष्ट्रों के मध्य विभाजित हो। इस सम्बन्ध में प्रो० लर्क लिखते हैं कि, "शक्ति का केन्द्रोत्करण और सम्बन्धों की बंदोबस्त, यह दो ऐसी चीजें हैं जिनको शक्ति तथा मन्तुलन के समर्थक तथा लेखक, शान्ति के मार्ग में सबसे बड़े खतरे मानते हैं। अतः अत्यधिक फैलाव तथा द्रवता शक्ति मन्तुलन के कार्य के लिए पूर्व आवश्यकताएं (Pre-requisites) समझी जाती हैं।"

(२) अनेक या बहुराष्ट्र पद्धति (Multi-state system)—शक्ति मन्तुलन के सिद्धान्त के कार्यान्वित होने के लिए आवश्यक है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक सिन्धि पर अनेक राष्ट्रपद्धति विद्यमान हो।

(३) रहस्यमयी तथा गुप्त सन्धिपत्र (Secret Negotiation and Pacts)—शक्ति मन्तुलन का सिद्धान्त यह मान कर चलता है कि प्रत्येक राष्ट्र में कुछ चतुर व शक्तिशाली राजनीतिज्ञ हों, जो अन्य राष्ट्रों के साथ रहस्यमय सम्बन्ध व सन्धिपत्र रख सकें।

(४) यदि शक्ति मन्तुलन सिद्धान्त को कार्य रूप में परिणत करना है तो आवश्यक है कि प्रत्येक राष्ट्र के राजनीतिक नेता तथा राजनीतिज्ञ अन्य देशों की शक्ति के अनुमान तथा उन देश की शक्ति के विषय पर अपना अत्यधिक समय व्यतीत करें।

(५) शक्ति मन्तुलन स्थापित करने का एक साधन शक्ति मन्तुलन सिद्धान्त के विचारकों के अनुसार युद्ध है। उनका कथन है कि शक्ति को मन्तुलित करने के लिए युद्ध नौ लड़ा जा सकता है परन्तु यह युद्ध अत्यधिक दुःखदायी व नष्टाकारक न हो।

(६) प्रत्येक राष्ट्र में यह नाबना हो कि वर्तमान स्थिति शक्ति मन्तुलन ठीक है और इनमें किसी प्रकार के बड़े मुद्दों की आवश्यकता नहीं है। साथ ही कुछ छोटे २ मुद्दों पर अक्षय होने की जरूरत हो।

(७) सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक प्रतिद्वन्द्व या पूर्व आवश्यकता शक्ति मन्तुलन के सिद्धान्त के लिए है—मन्तुलनकर्ता की क्षमता एक ठोके राष्ट्र की या

स्थापित सन्तुलन से सन्तुष्ट हो और उसे कायम रख मने । वह यह प्रयत्न करे कि स्थापित शक्ति सन्तुलन समन्वित न हो । १९६० की ओर १९६५ की सदियत में इंग्लैण्ड ने यह प्रभावशाली और महत्वपूर्ण भाग प्रदा किया । प्रो० मारगनवा के अनुसार सन्तुलनकर्ता, शक्ति सन्तुलन मिद्धान्त में मुख्य व महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि उसकी स्थिति पर शक्तिद्वन्द्व का परिणाम प्राथिन है ।

प्रो० सर्व का विचार है कि भारत व इसके सहयोगी राष्ट्र भावी सन्तुलनकर्ता बनने की क्षमता रखते हैं । उनका विश्वास है कि अफ्रीका, एशिया तथा अरब गुट भारत के नेतृत्व में साविजन सम तथा समुक्त राज्य अमेरिका के मध्य शक्ति-सन्तुलन स्थापित कर सकेगा ।¹

इस प्रकार से यह कहा जा सकता है शक्ति सन्तुलन के सफल कार्य के लिए कुछ शर्तों की पूर्ति आवश्यक है । बिना इन पूर्व आवश्यकताओं की परिपूर्णता के शक्ति सन्तुलन का मिद्धान्त कार्य रूप में परिणीत नहीं किया जा सकता है । शक्ति सन्तुलन का मिद्धान्त खाली स्थान (Vacuum) में कार्यशील नहीं हो सकता ।

शक्ति सन्तुलन करने के साधन

(Devices for Maintaining the Balance of Power)

सन्धिया और विरोधी या प्रति सन्धिया (Alliances & Counter alliances)

सन्धिया और प्रतिसन्धिया शक्ति सन्तुलन स्थापित करने का प्राचीनतम और सत्यपि प्रयोग किया हुआ साधन है । प्रो० मारगनवा कहते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से शक्ति सन्तुलन दो मित्र राष्ट्रों की समता में प्रतिष्ठित नहीं होकर, एक राष्ट्र या समूह और दूसरे राष्ट्र या राष्ट्र समूह के सम्बन्धों के रूप में दृष्टिगोचर होता है ।² जब कभी राष्ट्रों का एक समूह शक्ति सन्तुलन को विस्थापन करने के प्रयत्न करता है तो एक अन्य राष्ट्र समूह का जन्म हो जाता है । उदाहरण के लिए प्रथम विश्वयुद्ध के पूर्व

1 " India and its allies constitute a strong candidate for the future balances. If the Afro-Asia-Arab bloc led by India continues to gain power it might be able to hold balance between U. S. A. and U. S. S. R. " —Prof. Lersche

2 " The historically most important manifestation of the balance of power, however is to be found not in the equilibrium of two isolated nations but in the relations between one nation or alliance of nations and another alliance " —Prof. Margenthan

Triple-Alliance (जर्मनी, इटली और स्पेन के मध्य) तथा Triple Entente (ब्रिटन—फ्रांस, रूस और इंग्लैंड के मध्य) तथा माथारण और विस्तृत प्रयोगों में द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद पश्चिमी युद्ध तथा साम्यवादी युद्ध और बाद में प्रथम विश्व युद्ध की भी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

क्षतिपूर्ति (Compensation)

प्रो० हार्टमन का मत है कि राज्य शक्ति, शोभा के विकट या क्षतिपूर्तियों के रूप में प्रतिरिक्त भूमि प्राप्त कर दवाई जा सकती है।¹ क्षतिपूर्ति किसी राष्ट्र के विनाशन के रूप में या अन्य राष्ट्र की भूमि पर अपना प्राधिकार स्थापित करने के रूप में एक सीमा व सर्वमाधारण तरीका है—क्षति मनुजन के लिए। यह १८वीं और १९वीं शताब्दियों में प्राथमिक रूप से प्रचलित तरीका था। प्रो० मार्गनथा का विचार है कि राजनैतिक समझौते जो राजनैतिक शक्तियों के फलस्वरूप होते हैं क्षतिपूर्ति या पारि-तोषिक के ही रूप में हैं। क्षति-मनुजन के विधान से सम्बन्धित हैं। उदाहरण के लिए १७१३ की Treaty of Utrecht, जिनके स्तर के उपनिषदाओं के युद्ध का अन्त किया गया पोलेन्ड का १७७२, १७९३ और १७९५ में विनाशन, १९०६ में Ethiopia का इंग्लैंड और इटली के मध्य प्रभावशाली भागों (Sphere of Influence) में विनाशन तथा १९०७ में ईरान का प्रभावशाली भागों में विनाशन व अन्य कई प्रकार के मानते दिए जा सकते हैं।

शस्त्रीकरण और निशस्त्रीकरण (Armament and disarmament)

प्रो० मार्गनथा, पामर, परकिन्स एवं अन्य विद्वानों का मत है कि प्रत्येक राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए शैक्षिक तैयारी पर सबसे अधिक जोर देता है और शस्त्रीकरण क्षति मनुजन स्थापित करने का एक प्रमुख माध्यम है।

सैद्धान्तिक दृष्टि से क्षति मनुजन का प्रभावशाली और मद्दतपूर्ण माध्यम है—निशस्त्रीकरण जिनके द्वारा राष्ट्र शस्त्रों को बढ़ाने की होड़ को छोड़ कर शस्त्रों की संख्या को कम करने की होड़ में लग जाते हैं। प्रो० पामर और परकिन्स का विचार है कि निशस्त्रीकरण की सम्मति निशस्त्रीकरण न होकर क्षति मनुजन है। निशस्त्रीकरण के युद्ध की सम्मति के उदाहरण से ही अनेक सम्भव प्रयत्न निशस्त्रीकरण के लिए किए जा चुके हैं।

1. "Power may also be increased externally by acquiring additional territory either contiguous to the existing frontier or in colonial areas."
—Prof. Hartmann.

मध्यस्थता और अमध्यस्थता

(Intervention and Non-intervention)

इस विधि का प्रयोग शक्ति सन्तुलन करने वाले राष्ट्र द्वारा किया जाता है। मध्यस्थता का अर्थ यह है कि सन्तुलनकर्ता राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के युद्ध और भगदों में भाग लेता है जिससे युद्ध के कारण शक्ति सन्तुलन अमन्तुलित न हो जाए। अमध्यस्थता का अर्थ है कि राष्ट्र समय पर स्थित शक्ति सन्तुलन से सम्मूढ है और शक्ति सन्तुलन को कामय रखने के लिए शक्तिप्रद साधनों का प्रयोग करता है।

मध्य राष्ट्र (The Buffer States)

शक्ति सन्तुलन की एक अन्य विधि है मध्य राष्ट्र। दो राष्ट्र एक मध्य राष्ट्र की स्वतन्त्रता के लिए हथकड़ी रखी हो जाते हैं कि उसका आधिपत्य एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र से शक्तिशाली बना देगा। अतः कोई भी राज्य उगना (मध्य राष्ट्र) दूसरे राज्य के अधीन होना पसन्द नहीं करेगा। पामर और परकिन्स के विचारानुसार दो घुटी वाली दुनिया (Bipolar world) में बिना मध्य क्षेत्र (Buffer zones) और उदासीन भूभागों (Neutral areas) के शक्ति सन्तुलन बड़ा कठिन है क्योंकि उन हालत में दो भागों में लीपों टकरा होने की सम्भावना बनी रहती है।

उदाहरण के तौर पर अफगानिस्तान, बेल्जियम, होलैण्ड तथा स्वीट्जरलैण्ड के उदाहरण दिए जा सकते हैं।

बाँटो और शासन करो (Divide and Rule)

प्राचीनतम और प्रत्यधिक प्रयोग में आने वाली विधियों में से यह एक है जिसके द्वारा शक्ति सन्तुलन स्थापित किया जाता है। प्रो० मास्किनगै कहते हैं कि सन्तुलन दो प्रकार से स्थापित किया जा सकता है—प्रथम शक्तिशाली राष्ट्रों को कमजोर बनाने के प्रयत्नों द्वारा तथा द्वितीय निर्बल राज्यों को शक्तिशाली बनाने के प्रयत्नों द्वारा। इसी प्रक्रिया का नाम 'बाँटो और शासन करो' है। इसका प्रयोग उन राष्ट्रों द्वारा किया गया जिन्होंने अपने विरोधी राष्ट्रों को शांति में पीछे खींचने का प्रयत्न किया। इन राष्ट्रों ने विरोधी राष्ट्रों को विभाजित कर या बँटा हुआ रखा कर उनको अपनी तुलना में छोटे नहीं बड़ने दिया। इनके प्रमुख उदाहरण हैं फ्रांस और जर्मनी की नीतियाँ, इंग्लैंड की हेनरी फ्रंट के समय से युरोप के प्रति नीति तथा हम की युरोप में नीति।

शक्ति सन्तुलन करने वाला राष्ट्र अर्थात् सन्तुलनकर्ता

(The Holder of the Balance)

शक्ति सन्तुलन पद्धति में तीन घंटा हो सकते हैं—दो घंटा में शक्ति सन्तुलन करना है तथा तृतीय घंटा यह राष्ट्र जो इन दो राष्ट्रों के मध्य शक्ति सन्तुलन करना है और शक्ति सन्तुलनकर्ता (Balancer) के नाम से

वर्तमानकाल में शक्ति-सन्तुलन (The Balance of Power today)

शक्ति सन्तुलन के सिद्धान्त ने उस युग में सफलतापूर्वक काम किया जब यूरोप में विभिन्न राज्यों की शक्ति में प्रथिम प्रमानता न थी और नीतियों मुख्य व्यक्तियों द्वारा ही नियंत्रित होती थी। पाम की राज्य-त्राणित के पश्चात्, यूरोप में शक्ति सन्तुलन सिद्धान्त के सफलतापूर्वक कार्य की सम्भावनाएं कम हो गईं, विशेष रूप से यूरोप के शक्ति सन्तुलन के विश्वव्यापी बनने से। पामर और परकिनम् (Prof. Palmer and Perkins) ने उन तत्वों का इस प्रकार वर्णन किया है, जिन्होंने इस सिद्धान्त को प्रभावहीन कर दिया है—

(१) नई शक्तियों का प्रभाव—राष्ट्रवाद, औद्योगीकरण, प्रजातन्त्र, जन शिक्षा, युद्ध की नई प्रणालियाँ, जनमत का बढ़ता हुआ महत्व, अन्तर्राष्ट्रीय कानून और संगठन, राष्ट्रों की आर्थिक क्षेत्र में परस्पर निर्भरता, उपनिवेशों का अन्त—ये शक्ति सन्तुलन को अत्यन्त सरल तथा अत्यन्त कठिन नीति बना दिया है।

(२) वर्तमान युग में शक्ति की प्रवेहलना और सन्तुलनकर्ता के न होने से इस सिद्धान्त के लिए कार्य करना असम्भव बना दिया है। जैसा कि हमें ज्ञात है शक्ति सन्तुलन के लिए अनेक या बहुत राष्ट्र पद्धति और सन्तुलनकर्ता की आवश्यकता होती है, इससे बिना यह कार्य नहीं कर सकता।

(३) आक्रमणकारी राष्ट्र की शक्ति में विपत्ती राष्ट्र की तुलना में प्रस्थायी रूप से बुद्धि और युद्ध का रूप सम्पूर्ण युद्ध (Total war) होना—जिम्हा अर्थ है शक्ति सन्तुलन का प्रबल समर्थक भी शक्ति सन्तुलन को ठीक बनाने के लिए विश्वव्यापी संघर्ष में भाग लेने से पूर्व हिवकिवायेगा।

(४) विचारधाराओं का बढ़ता हुआ महत्व—१९वीं शताब्दी में राजनीतियों को विषयों की शक्ति के अनुमान लगाने से विशेष शक्ति थी, न कि विचारधारा सम्बन्धी। आजकल विभिन्न समझौते या सन्धियों राष्ट्रों के मध्य विचारधाराओं को आधार बनाकर किये जाते हैं।

(५) तुलनात्मक रूप में शक्तिशाली राष्ट्र और भी अधिक शक्तिशाली राष्ट्र बनते जा रहे हैं जब कि दूसरे छोटे-बड़े राष्ट्र प्रथिम कमजोर होने जा रहे हैं।

इससे अतिरिक्त इस सिद्धान्त के विषय में विरोध में अन्य बातें भी हैं।

(६) शक्ति सन्तुलन में पुनः सन्धियों और समझौते निहित हैं। २०वीं सदी में कूटनीति ने प्रजातान्त्रिक हो जाने से इस प्रकार की पुनः सन्धियों असम्भव हो गईं हैं। वर्तमान युग मार्शजनिन और प्रजातान्त्रिक कूटनीति का युग है।

(७) दूसरे राष्ट्र की सम्भावित शक्ति का अनुमान लगाना बहुत ही कठिन है।

आज २०वीं सदी में शक्ति सन्तुलन सरल तथा साधारण है क्योंकि अमेरिका तथा रूस ही आज की राजनीति के नेता बन हुए हैं तथा इंग्लैन्ड अब सन्तुलनकर्ता का भाग भ्रष्ट करने में असमर्थ है। अतः कुछ विख्यात विद्वान् व राजनैतिक शास्त्री शक्ति सन्तुलन के सिद्धान्त को बेकार मानते हैं। उदाहरण के लिए Carl J. Friedrich और Quincy Wright का मत है कि ठाकुरिक रूप से, अगर यथार्थ में नहीं, शक्ति सन्तुलन का सिद्धान्त अशभावशील व अनामयिक हो चुका है। कहीं-कहीं राष्ट्र इसे प्रजातन्त्र को विपरीत मानते हैं। उनका कहना है कि अगर प्रजातन्त्र को प्रोत्साहित करना है तो हमें शक्ति सन्तुलन के सिद्धान्त को त्यागना होगा। प्रो० मार्गन पाँ के अनुसार इसके निम्न तीन दोष हैं—(१) इसकी अनिश्चितता (Its uncertainty), (२) इसकी अवास्तविकता (Its unreality) और (३) इसकी अपर्याप्तता (Its inadequacy)।

वह सत्य है कि शक्ति सन्तुलन का सिद्धान्त इस युग में अपनी उपयोगिता और महत्ता खो चुका है तो भी इसको पूर्णतः बेकार कहना उचित नहीं और जैसा कि प्रो० पाम और परकिन कहते हैं—“जब तक अन्तर्राष्ट्रीय जगत में राज्य-राष्ट्र-प्रणाली (Nations state system) प्रचलित है, शक्ति सन्तुलन सिद्धान्त का प्रयोग किया जाता रहेगा, चाहे इसे सिद्धान्त में किटना ही दोषों कहा जाय। मनी अवस्थाओं में वह कार्य करता रहेगा, चाहे प्रादेशिक अथवा विश्व स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का सफल किया जाये।”¹

BIBLIOGRAPHY

- (1) International Relations · Palmer and Perkins
- (2) Politics Among Nations : Hans J. Margen than.
- (3) The Relations of Nations : Hartmann
- (4) Principles of International Politics · Prof. Lerehe
- (5) Introduction to International Relations · Schleicher.

1. “As long as the nations state system is the prevailing pattern of international society, balance of power politics will be followed in practice, however soundly they are damned in theory. In all probability they will continue to operate even if effective supra national grouping, on a regional or a world level, are formed”

—Prof Palmer and Perkins

स्वतंत्रता के बाद Dr. Azikiwa प्रथम राष्ट्रपति और Abubkar Tabawa Balwa प्रथम प्रधान मंत्री। राष्ट्रपति एवं प्रधान मंत्री के पदों पर इस प्रकार सामान्य-सहमति से नाइजीरिया, प्रजातंत्र की सफलता की प्रथम अग्नि परीक्षा सम्पूर्ण हुई, क्योंकि प्रधानमंत्री पद के लिए इन दोनों नेतृत्वों में बड़ा संघर्ष की सम्भावना थी, जो सम्भवतः दो कबीलों के गृहयुद्ध में परिणित हो जाता, जैसे कि कांगो में हुआ।

नाइजीरिया में 'Northern People, Congress' (N P C) प्रमुख राजनीतिक दल है, जिसके नेता प्रधान मंत्री Tafawa Balwa है। (Nation Council of Nigerica Citizens प्रमुख-विरोधी दल है। परम्परा-वादी N. P. C दल के विरुद्ध यह दल नए प्रगतिशील विचारों का समर्थक है। पूर्वी क्षेत्र के Ibo कबीले में इस दल का अधिक प्रभाव है। Northern Elements Progressive Union अन्य प्रगतिशील दल है। अन्य विवादास्पद मुद्दों की तरह यहाँ भी दलगत-राजनीति धर्म, लैंगिकता आदि पर आधारित है, जो राष्ट्रीय एकता में समय-समय पर बाधक रहे हैं। दिसम्बर, 1964 के ग्राम चुनावों के दौरान एक ऐसी ही गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई थी, जबकि पूर्वी प्रांत के मुख्य मंत्री और क्षेत्रीय N. C. N. C. दल के नेता Dr. Okkara ने अपने राज्य को अलग करने का प्रश्न उठाया था। किसी तरह राष्ट्रपति Azikiwa ने N. P. C. और N. C. N. C. दल की मिली-जुली सरकार बनवाकर समस्या को टाला।

नाइजीरिया में नई पीढ़ी में तीव्र-प्रगतिशील विचार पनप रहे हैं, जो पारंपारिक-मूल्यों के स्थान पर समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के अधिक निकट है। फिर भी निकट भविष्य में ऐसी कोई भाषा नहीं दीखती कि यह देश वर्तमान-स्वरूप को छोड़कर Ultra Africanist या Socialist हो जायगा।

घाइवरी-कोस्ट — फरवरी 1960 में स्वतंत्रता प्राप्ति में पूर्व यह राष्ट्र फ्रांस का उपनिवेश था और हममें मित्र सेनीगाल टोनी आदि राज्य भी सम्मिलित थे। परन्तु स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के तत्कालीन नेता व घाइवरी कोस्ट के वर्तमान राष्ट्रपति की कार्य के प्रति उदारनीति के कारण दोष राज्यों ने नृपक्ष हो जाना उचित समझा। प्रचुर साधन सम्पन्न घाइवरी-कोस्ट ने भी इन स्वीकार कर लिया क्योंकि वहाँ प्राथमिक-समृद्धता व प्राकृतिक साधन अधिक थे व उन्हें गिरावट भी कि दूसरे राज्य उनमें हिस्सा बंटायेंगे।

राष्ट्रपति Houphouët Boigny पास ही पड़ति पर अल्पशासक सरकार चला रहे हैं। स्वयं ही प्रधान मंत्री भी हैं। Democratic Party of Ivory Coast (P.D.C.I.) यहाँ का एक मात्र राजनीतिक दल है। फिर भी दल के अंदर अलग-अलग की धारणा का पूरा अधिकार है। विधि-निर्माण के क्षेत्र में भी राष्ट्रपति को काफी विशेषाधिकार प्राप्त है और राष्ट्रपति विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकता है। सतत दो तिहाई बहुमत से उसे महावहनीय कर सकती।

राष्ट्रपति Boigny समाजवाद और अल्पा धर्मनिरपेक्ष के अल्प विरोधी हैं। फिर भी नई पीढ़ी में समाजवादी दृष्टिकोण को न पनपने देने में वे सफल नहीं हो सके हैं।

साइबेरिया — साइबेरिया अफ्रीका के समस्त देशों से अलग प्रकार का एक देश है जो पारंपारिक मूल्यों के आधार पर प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए प्रयत्नशील है। इतिहासिक को छोड़कर यहाँ एक ऐसा देश है जो यूरोपीय दाम्पत्य में मुक्त रहा।

समुद्रत राज्य अमेरिका का अंगण, इस देश को आज़ाद बनाए रखने के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा है। इस राज्य को अलग करने वाले के अमेरिकी नीतियों हैं जो अधिक समय एक सुव्यवस्थित होकर यहाँ सीट प्राप्त है। यहाँ का एक मात्र राजनीतिक दल 'The

True Whig Party और राष्ट्रपति Tubman उनी प्रमरीको नाइजीरियन समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं।

वस्तुतः यहाँ 20 लाख प्रादि वामियों 20000 प्रमरीकी-नाइजीरियन म एक पार्टी बन गई है। परन्तु अब राष्ट्रपति Tubman कुछ क्षेत्रों में विंग्स के बाद इन दो विभिन्न समारों का एकीकरण करने के लिए काटवद्ध है। उन्होंने मधिमध्य, व्यापकता और प्रशासनिक सवाधों में प्राद्विधियों के लिए सुरक्षित स्थान भी छोड़े हैं। राष्ट्रपति ट्यूबमैन अपने देश का उद्वेग बढाते हैं, फिर भी वे अमेरिका की धार कुछ दृष्टि कुछ सैनिक मधिया भी कर रही हैं। फिर भी फ्रांस एवं ब्रिटेन प्रादि की धार उदासीन होने के कारण अन्य राष्ट्र उनकी उद्वेगता में विस्वास करते हैं और कई बार दो अफ्रीकी राष्ट्रों के बीच मध्य में उन्हें मध्यस्थ बनाया गया है।

पाश्चात्य राष्ट्रवादी राज्यों के सामान्य तत्व

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि इन देशों पर पाश्चम का प्रभाव बहुत अधिक है। विज्ञान में इनकी प्रति उद्वेगता की रही है, फिर भी अनेकों अवसरों पर इन्होंने पश्चिम की धार मनाइ दिया है। आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति Boigny मौक के मौक साम्यवादी दलों को प्रमोचना करते हो रहते हैं। परन्तु प्रजातंत्र का जो स्वप्न पश्चिमी देशों या हमारे देश में पहिचाना जाता है, वह यहाँ नहीं मिलता है। यहाँ नाइजीरिया का छोडकर जय देशों में एक बन ही प्रमुख है। नापा, प्रेस की स्वतंत्रता या अन्य मौनिक प्राधिकारों की सरकारें अपना बली रही हैं। वास्तव में यहाँ की सामान्य जनता भी इन धार में उदासीन है। जब तक नई शिक्षित पीढ़ी तैयार नहीं हो जाती, प्रजातंत्र का वास्तविक स्वप्न अभी दूर ही होगा।

Ultra Africanism

विज्ञान की देती और प्राधुनिक व्यवस्था के प्रकाश में अफ्रीकी समाज और संस्कृति को पुनर्जीवित करना अल्ट्रा अफ्रीकानिज्म का प्रमुख उद्देश्य है। अफ्रीकी मधियों में विन्व के अन्य भागों से बढा हुआ महादीप रहा है। फलतः यहाँ के लोगों की प्रादरों, स्वभाव एक विशिष्ट प्रकार के हो गए हैं। मत्र यह प्रावश्यक हो जाता है कि यदि अफ्रीका का प्राद्विक एवं भौद्योगिक विकास करना हो, प्रजातंत्र स्थापित करना हो तो सामान्य जनता की इच्छाओं का, विचारों की समझा जाय। इस प्रकार से उनका सहयोग प्राप्त करके हो सता जा सकता है। मत्र Ultra Africanism नव-वा अफ्रीकी संस्कृति के सामाजिक व्यवस्था को प्रमुख स्थान देते हैं। George W. Shepherd ने Ultra-Africanism के सामान्य तत्व (Common elements) बताए हैं—⁴

(1) राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ ही नव-राष्ट्रवाद के प्रभाव में मुक्त प्राद्विक व सामूहिक स्वतंत्रता प्राप्त करना (इसके लिए अनेकी एकरता व बहुविध (Diversified) धार का प्रोत्साहन करना।

(2) राज्य के द्वारा विभिन्न-क्षेत्रों में उदासी के स्वाधिव, उत्पादन और अनुचित वितरण की व्यवस्था और उनी में प्राद्विक विकास।

4. George W. Shepherd The Politics of African Nationalism (Frederick A. Praeger Publisher New York.) P. 65.

(3) जनता का विभाग प्राप्त करके हुए एक दलीय शासन पद्धति को स्वीकार करना। दल के अन्दर विभिन्न दृष्टिकोणा का प्रतिशक्त करने की स्वतन्त्रता हासिल पर सब माय राष्ट्रीय नीतियों के विरुद्ध दृष्टिकोण या आलोचना महत्त्व नहीं होगी।

(4) उपनिवेशी शासता से मुक्ति के बाद बने राज्यों को एक बड़े संगठन में सम्मिलित होने के नियम प्रस्तुत करना। इस Par African राजनीतिक संगठन के अंतर्गत अफ्रीकी लोगों को प्रमुख धराहर महान सम्बृति और जातीय-व्यवस्थाओं को पुनर्निर्मित करना।

घाना — हम दिशा देना चाहिए कि हम अफ्रीकी बाल स्वयं शासन स्थापन कर सकते हैं राष्ट्र को प्रगतिशील एवं स्वतन्त्र बनाए रख सकते हैं और राष्ट्रीय एकता को सुरक्षित रख सकते हैं। इस प्रकार के उत्तम जना एवं समन्वय-संज्ञक व्यक्तित्व देने वाले घाना के राष्ट्रपति क्वामे नक्रुमा और उनका देग घाना अल्ट्रा-अफ्रीकनिज्म और पान-अफ्रीकनिज्म के सिद्धांतों के प्रतिपादन करने वालों में प्रथमी रहे हैं। 1957 में ब्रिटिश शासता से मुक्ति के बाद में घाना सटस्थता की नीति पर चलता हुआ अपने अग्रिम विकास में लगा है। लंदन-रून आफ इकानोमिक्स में शिक्षा प्राप्त राष्ट्रपति नक्रुमा मार्क्सवाद से प्रभावित हैं। वे मार्क्सवादी विचारधारा और वर्ण संघर्ष में विश्वास करते हैं। परन्तु वे साम्यवादियों के समाजवाद माने के हिमात्मक साधनों में विश्वास नहीं करते हैं। वास्तव में राष्ट्रपति नक्रुमा इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि अफ्रीकी-शासक वर्ग के सदस्य में प्रथा सत्र और मार्क्सवादी दोनों का संगोपन कर मिश्रित स्वरूप व्यवहार में लाया जाय।

इसलिए विभाग की विभिन्न अवस्थाओं को पर करने के लिए एकीकृत क्रांति वृत्त शासन को व्यवहार में ला रहे हैं। घाना का गतिमान वेबल Convention Peoples Party को मार्क्सवादी प्रदान करता है। गांधी के अन्तर्गत पर परम्परागत नेतृत्व वर्ग (अफ्रीकी के अन्तर्गत) का कुछ भी विचार अग्रिम नहीं है। फलतः वे घाना की राजनीति में अनेकों बार अशांत अवरोध उपस्थित करने का प्रयत्न करते हैं।

घाना के राष्ट्रपति अपने अफ्रीकी अफ्रीका के नेता एवं पान-अफ्रीकनिज्म के प्रथम समर्थक घोषित करते हैं। 1961 में घाना की राजधानी अकरा में आयोजित Organization of African Union के प्रथम अधिवेशन के अवसर पर कहा था यदि हमें नये-उपनिवेशवाद के अन्त में योजना है तो हम हमारा एक राजनीतिक संगठन बनाना होगा। बिना समुक्त राज्य अफ्रीका का निर्माण किए अफ्रीका विश्व में प्रतिष्ठित नहीं हो सगा।

तत्कालीन — अफ्रीका के तट पर स्थित जमीन और टैंगानिका राज्यों में मिल कर बना तत्कालीन का संघर्ष में अपनी स्वतन्त्रता में पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य का अन्त था। यहां के राष्ट्रपति यरेक प्रारम्भ में पेशवा की ओर झुक गए प्रतीत होते थे। परन्तु स्वतन्त्रता मिलने के बाद उनके स्वरूप में गण और अथवा Ultra Africanism की ओर झुके हुए हैं। उन्होंने अनेकों बार यह स्पष्ट घोषणा की है कि कोई भी जो तत्कालीन की जीवन पद्धति का स्वीकार नहीं करता चला हो कि यह हमें देग को ही छोड़ दे।

राष्ट्रपति यरेक की अनेकों प्रजातन्त्र की अफ्रीका के लिए एकदम अग्रिम बनाने हैं। उनका प्रजातन्त्र में तन्त्र है —

(1) एक-दल व्यवस्था।

(2) विभिन्न विषयों पर शासक विभाग हो पर दल के अन्त ही।

(3) प्रजातन्त्रिक शासन केन्द्रित है। इसमें सभी उत्तरदायी पक्षों पर निर्वाचित

प्रतिनिधि होंगे। वे राष्ट्रीय-गतिविधियों पर वाद-विवाद भी कर सकते हैं, पर निर्णय राष्ट्रध्यक्ष का मान्य होगा।

तत्रानिघा तटस्थ रहकर अपना विकास करना चाहता है। जून 1965 में जीनी प्रधान मंत्री के स्वागत में दिए गए भाष में वाचन हुए उन्होंने अत्यंत स्पष्ट रूप से चीन को चेतावनी देते हुए कहा था "हम हमारे मित्रों और दंग को योही भी मुद्राओं के पीछे बेचने को तैयार नहीं होंगे। न ही हम किसी का हस्तक्षेप पसन्द करेंगे।"

गिनी — पश्चिमी अफ्रीका में एक छोटा सा देश होते हुए भी अपनी दृढ़ नीतियों के कारण राष्ट्रपति Sikou Toure ने अपने राष्ट्र का अफ्रीका के प्रतिष्ठित राष्ट्रों की श्रेणी में रख दिया है। 1958 में फ्रांस के राष्ट्रपति डी गाल की कड़ी धमकियों के बावजूद राष्ट्रपति तूरे ने फ्रांस का अंग बनना स्वीकार नहीं किया और अंत में देश को स्वतंत्र कराकर ही रहे। फ्रांस और अन्य पश्चिमी देशों की नयी आनोचनाओं और साम्यवाद के प्रिट्ट होने के आरोपों के बावजूद उन्होंने अपने देश को राष्ट्रपति तूरे ने अपने को नब उरानिवेश वादी राष्ट्रों के चगुल से बचाने की चष्टा की है।

अन्य अल्ट्रा-अफ्रीकनिस्ट देशों की भांति यहा भी एक-दलीय शासन है। राष्ट्रपति तूरे विरोधी-दलों के बारे में सबसे अधिक समझिष्णु व्यक्ति मान जाते हैं। अफ्रीका जैसे पिछड़े महादेश में उनका विश्वास है, कि विरोधी केवल विरोध के लिए होता है। घर्म व जातीयता को मकीर्ण विचारधाराएं शासन को नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं। अंत विरोधी दलों को किसी भी तरह बचल देने की नीति की राष्ट्रपति तूरे स्पष्ट घोषणा करते हैं।⁵ जनता के लिए जनता को सरकार हो 'यह वे मानते हैं। पर एक दल में अपना विश्वास प्रकट कर भी जनता अपनी इच्छा व्यक्त कर सकती है। यही कारण है कि वहा केवल Democratic Party of Guinea को ही साम्यता प्राप्त है। गिनी का मदि-धान नामरिकों को निष्पक्ष न्याय पालिका व विधिष्ठ घर्म-बांति को मानने की स्वतंत्रता का आश्वासन देता है।

घाना के राष्ट्रपति नक्रुमा के साथ मिलकर राष्ट्रपति तूरे ने अल्ट्रा-अफ्रीकनिज्म के प्रसार में काफी योग दिया है।

अल्ट्रा अफ्रीकनिस्ट राष्ट्रों के सामान्य तत्व — इन राष्ट्रों की प्रथम इच्छा है कि वे अफ्रीकी सभृति को महत्व प्रदान करते हुए देश में औद्योगिक विकास व समाजवाद नाम के प्रयत्न करें। उनकी इस भावना को पश्चिमी और साम्यवादी राष्ट्र स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाए हैं। यही कारण है कि तत्रानिघा, गिनी आदि पश्चिम के कोप-भाजन बनते रहे व कई बार आर्थिक-अहायता से बचिन्न होना पडा। इस स्थिति का ज्ञान साम्यवादी उठाते है व साम्यवाद का प्रचार करते हैं।

5. "A year from now one won't walk into a town and meet a thousand idlers chalking from morning to night...If it is necessary to have a scaffold for counter-revolution aries who still want to hold down this country, France had the Guillotine, Guinea shall have the scaffold."

Quoted by G. W. Shepherd : Op. cited (Page 99).

सैनिक शक्ति पर आधारित राष्ट्र

मिश्र, अल्जीरिया आदि कुछ देश ऐसे हैं, जहाँ सैनिक तानाशाही है। अपने शासकों से सत्ता हथियान के बाद ये देश अपने आपको प्रजातांत्रिक पद्धति पर ढालने प्रयास कर रहे हैं। इनका मतलब से अध्ययन करना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है, कि अफ्रीका और अफ्रीकी-संस्कृति के बारे में इनकी नीतियाँ स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। वैसे तौर पर ये अल्ट्रा-अफ्रीकनिस्ट होने का दावा करते हैं, पर मूझमन देशों पर इनका विशेषकर मिश्र का, अल्ट्रा-अफ्रीकनिज्म से प्रभाव स्पष्ट हो जाता है।

मिश्र — हम भी अफ्रीकी हैं' (We' too, are Africans) कहने वाले नासर ने 1953 में अपने पूर्व सैनिक तानाशाह General Naugib को पदच्युत वासन-मूत्र अपने हाथ में लिया था। 1956 में स्वेज नहर के एक पक्षीय राष्ट्रियरण घोषणा कर मिश्र का जनता का विश्वास प्राप्त करने में प्रपूर्व चातुर्य दिखाया था। घटना ने उन्हें मिश्र में ही नहीं अरब राष्ट्रों में भी प्रतिष्ठित नेता का स्थान प्रदान किया। इब्राहिम बिराघी नीति को आधार बनाकर राष्ट्रपति नासर अरब राष्ट्रों में अपनी बनाए हुए हैं व उनका मुजाव अरब देशों के संगठन को और ही है।

साथ ही राष्ट्रपति नासर अफ्रीका में भी अपनी स्थिति बनाए रखना चाहते हैं यहाँ भी अपने नेतृत्व को प्रतिष्ठित रखने के लिए उनका दावा है 'हम भी अफ्रीकी हैं। वस्तुतः मिश्र कुछ समय पूर्व तक अफ्रीकी होते हुए भी अफ्रीका की ओर से उदासीन था। प्राचीन सभ्यता व इतिहास के साथ ही सहारा के मरुस्थल में भी मिश्र अफ्रीका से अलग रहने देने में काफी योग दिया है। व मिश्र का सम्बन्ध दोष अफ्रीका की अपेक्षा एशिया व अरब राष्ट्रों से अधिक रहा है। अफ्री भी मिश्र में अपने प्रति श्रेष्ठता की भावना व्याप्त है, जो उसे अफ्रीकी देशों से मिलने नहीं देती। परन्तु जब नए अफ्रीकी राज्यों के साथ और अफ्रीकी-संस्कृति का नारा लगाया तो महत्वाकांक्षी अफ्री भी अपना नेतृत्व बनाए रखने के लिए अपने अफ्रीकी होने की बात करने लगे व समय समय पर साम्राज्यवाद के विरुद्ध सघर्षरत जनता को सत्ताशक्त से सहायता दी है।

स्वेज (हालांकि यह प्रश्न मुलम्ह पुरा है) और इब्राहिम ये दो प्रश्न ऐसे थे कि राष्ट्रपति नासर को पश्चिम का बट्टा घालोचक बना दिया। परिणाम स्वरूप ब्रिटेन-रूस प्रायिक सहायता बन्द कर दी। व अफ्रीका ने भी काफी बट्टी की है। इसका रूस व चीन ने उठाने की कोशिश की है। हाल के चीनी-बुधनों से निगाह लेकर अरब रूस की ओर अफ्रीकी का हाथ बढ़ा रहे हैं।

देश के अन्दर हालांकि सैनिक तानाशाही है फिर भी कुछ क्षेत्रों में नासर-भावनाएँ मौजूद हैं। राष्ट्रपति की हत्या के भी कई बार प्रयास किए गए। अफ्रीकन Moslem Brotherhood को आधार उठाने वाले एक दल को नासर ने इसी घटना के सम्बन्ध में बुचलने का प्रयास किया है।

अल्जीरिया — में स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व अल्जीरिया प्राय का उपनिवेश था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी यहाँ राजनीतिक स्थिति स्थिर नहीं बनाए रखा जा सका। के कुछ ही समय बाद दो शक्तिशाली नेता बेनबेला और बनेमेदा में नेतृत्व का विवाद छिड़ गया। जनरल बनेमेदा की सहायता में अफ्री में बेनबेला की सरकार गिनी

बेनडेदा को केंद्र कर दिया गया। तब से राष्ट्रपति का कार्य मात्र बेनडेदा न सम्हाला और राष्ट्रीय सुरक्षा-विभाग दूनोदोनिन ने सम्हाला, जो साथ ही प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे।

जून 1965 में दक्षिणी रोडेसिया में जनरल इमनोइल के नेतृत्व में पुनः शक्ति हुई और राष्ट्रपति बनवाना प्रयत्न कर दिए गए और दूनोदोनिन तत्काल का प्रतिद्वंद्वी परिषद का अध्यक्ष घोषित कर दिया। तब से दूनोदोनिन प्रथम देश में व्यवस्था बनाए रखने में ही लगे हैं और आर्थिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में या अंतर्राष्ट्रीय देशों में सम्बन्ध के दायरे में लगे हुए हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या है।

इस प्रस्तावित पुनः मिर उठाना हुआ — मई 1965 में Ian Smith के देश का दक्षिणी रोडेसिया में तब प्रथम दूनोदोनिन और 'एथनोप्री' का साथ लगे थे। तब उन्होंने एक पक्षीय स्वतंत्रता की घोषणा कर देश के लिए एक नया देश की घोषणा की थी, पूरा विश्व एक बार फिर एक नये देश की नीति पर एक प्रस्तावित के प्रति समर्थित हो रहा। अर्थोंका म दक्षिणी अर्थोंका और दक्षिणी रोडेसिया प्रथम ही दो देश देश है। इस प्रस्तावित पुनः दूनोदोनिन के साथ एक प्रस्तावित लोगों पर स्वेच्छाकारी समर्थन कर रहे हैं।

दक्षिणी अर्थोंका — प्रस्तावित और एक नया देश की समर्थन 30 लाख की संख्या में है, अर्थोंका के 1 करोड़ मुक्त निवासियों एवं 25 लाख के अर्थोंका विभिन्न भारतीय समुदाय है कि समर्थन देने हुए हैं। 1910 में ब्रिटेन में (1910 में ब्रिटेन में तथा ब्रिटेन वर्य इतने नागरिकों ने ब्रिटेन बना या बाद इतने को विचार कर दिया था) अर्थोंका के बाद लोगों की संख्या बढ़ी। प्रस्तावित में लोगों की संख्या के 3 अर्थोंका के लिए स्थान सुरक्षित था। पर बाद में 1936 में यह भी तब रहा। इस प्रकार अर्थोंका का उनके मुक्त अर्थोंका में ही नहीं अर्थोंका नागरिक संस्थाओं में भी विचार रखने की कोशिश की जा रही है।

दक्षिणी अर्थोंका या दर्शनान पीछे एक प्रस्तावित के विचार समर्थन कर रही है। अर्थोंका के देश में भी U. N. O. के माध्यम में अर्थोंका प्रस्तावित समर्थन है, पर अर्थोंका एक संस्था का रूप नहीं निर्यात है। अर्थोंका कारण है कि अर्थोंका एक एक दिवसों की अर्थोंका इतिहासिक कारवाहियों में अर्थोंका करने लग रहे हैं।

दक्षिणी रोडेसिया — दक्षिणी अर्थोंका की मात्र दक्षिणी रोडेसिया भी अर्थोंका का एक देश है। अर्थोंका एक बड़ा ब्रिटेन का समर्थन था। अर्थोंका वास्तव में आर्थिक समर्थन में अर्थोंका एक सरकार ने समर्थन पुनः अर्थोंका प्रस्तावित समर्थन है। और 2.5, लाख लोग एवं 30 लाख रोडेसिया के मुक्त-निवासियों के स्थानों देने हुए हैं। लोगों की राष्ट्रपति पुनः एक नये नीति पर अर्थोंका है। मई 1965 के प्रथम चुनावों में स्पष्ट है। अर्थोंका एक एक नये नीति के इष्ट समर्थन होने के कारण ही अर्थोंका प्रथम दूनोदोनिन है। और अर्थोंका विचार वाले समुदाय रोडेसिया दल (United Rhodesia Party) का अर्थोंका समर्थन है।

सामर्थ्य दल रोडेसिया पार्टी के साथ Ian Smith प्रधान मंत्री बनने के बाद अर्थोंका पुनः अर्थोंका प्रस्तावित करने की कोशिश में लगे हैं। अर्थोंका ब्रिटेन की अर्थोंका की है कि यदि दक्षिणी रोडेसिया की अर्थोंका ही स्वतंत्रता नहीं प्रस्ताव की गई तो एक पक्षीय अर्थोंका की घोषणा कर दी जायेगी। अर्थोंका के देशों में अर्थोंका एक प्रतिद्वंद्वी हुई है। अर्थोंका 1965 में अर्थोंका में हुए अर्थोंका एक संघ (OAU) के समर्थन में अर्थोंका राष्ट्रीय अर्थोंका ने समुदाय विचारों में प्रति-अर्थोंका (Counter Threat) की है कि यदि ब्रिटेन 1 दक्षिणी-रोडेसिया के अर्थोंका के विचार कर करने नहीं होगा या उन्हें विचार हीकर ब्रिटेन है अर्थोंका देशों में अर्थोंका व राष्ट्रनीतिक सम्बन्धों पर अर्थोंका करना होगा। ब्रिटेन के

प्रधान मंत्री विन्मन धौर रोडेगिया के प्रधानमन्त्री म्मिय में एक शाही घाघोग बनाने के बारे में समझौता हो गया था ० यह भाषाण एक ऐसे मविधान का आधार तैयार करेगा जो रोडेगिया की जनता को मांय होगा । इसके फलस्वरूप म्मिय द्वारा एक तरफा स्वा-धीनता की घोषणा करने से रूकन हागे वाला समाविन मकट तब टल जाता । परन्तु 10 नवम्बर 1965 को म्मिय सरकार ने रोडेगिया का स्वतन्त्रता को एक तरफा ५ कर दी ।

धफीकी राष्ट्रवाद का स्वरूप —धफीका में राष्ट्रवाद के विभिन्न स्वरूपों पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान पीढ़ी किसी भी प्रकार के राष्ट्रवाद को अपना मकती है पर नई पीढ़ी न मकन उग्र व जातिधारी विचार जम ल रहे ० । इस पीढ़ी में वस्तुतः धल्टा धफीकांनम की भावना घनप रही है । प्रजातंत्र के स्वरूपों पर विचार या मघप करने के स्थान पर वे पीढ़ी में धाविण व सामाजिक जाति माना चाहते हैं । म्मभाषना यह है कि यदि उचित िदगन नहीं मिला तो नई पीढ़ी ही जाय ।

प्रजातंत्र और समाविधान मन्त्राकांशी तैतृय के सदर्भ में —धफीकी-जनता के दृष्टिकोण का राष्ट्रीय-नेतृत्व वग धुरा धुरा उपयोग करने की कोशिश कर रहा है । धफी कियों की मकम बनी ममस्या यह है कि धधिकांग देग दो या धधिक कबीना जातिया मिलकर बने हैं । भारत में साम्प्रदायिकता की भांति यहा भी इन जातियों में धामानो विरोधी-मघवनाप भरी प्रा मकती हैं । दूगरे ध्यावक िरक्षरता के कारण—कुल की 12० धफीकी जनता साधार है धफीकावासी राजनीतिक प्रचारी के धामानो में िचार हो जात है । यही कारण है कि यहाँ समदीय-प्रजातंत्र मकन नहीं रहा है ।

ऐसी दगा में धदि विभिन्न देग धपन धातरिक दृष्टों में धने रह तो धाविण विभाग की गति धधकूट हो सकती है । एही म्मभाषनाधों पर विचार करत हुए धफीका प्रजातंत्र को धपने रूप में धपना रहा है । प्राय धधिकांग राष्ट्रों में मत्ता तक ध्यक्ति के हाथ में है धौर विरोधी-दलों के लिए विीय स्थान नहीं है । धूगांठा व प्रधान मंत्री धारा? ने समय पूर्व विरोधी-पक्ष की उपस्थिति मदर्भ में बहा धा मविधान न विरोधी पक्ष को कुल दिया है मँ उमने वह धचिन नहीं कर रहा हू पर धाम्नविधाना यह है कि समाविधान न उहे कुछ भी सुविधाएँ या धासवासन नहीं दित हैं ।

धफीका में मत्ता के केन्द्रीयकरण व एक ध्यक्ति के प्रभुत्व व धावधरता को सदर्भ में धनुचित नहीं ठहरा सकते । पर ममस्या तत्र उपस्थित होती है जब धा या धधिक नेता मत्ता के लिए मघप करते हैं धौर स्वयं को जोरधिय बतान है । बाधों में राष्ट्रधनि कासाधुधु व स्वर्गीय प्रधान मंत्री के धोन धा धौरिया में धनयना धौर धनमेग व धोन हुए मघप धमने उदाहरण है । कुल मिलाकर सुवीबन मठ कि जनता में निवाधन व धाधार पर नहीं धधितु सैनिक मघप व धाधार पर दो विरोधी विचारों व म नना मत्ता दृधियाने की कोशिश करत हैं । ऐमे मघप धफीकी-जनता व सामाजिक धधमदा व मिला बडे पतरे हैं ।

Nationalism eager to be merged into Pan-Africanism

राष्ट्रमति नक्रुमा न 1960 में घाना के स्वतन्त्र होने ही अफ्रीकी राजनीतिक एकता सभ (African Political Union) की नींव मगया है। उनका कहना है अफ्रीकी नेता ने उपनिवेशवादियों के हाथों एक जैसे दुख महे हैं। सभी राष्ट्र पिछड़े हुए हैं और इसीलिए आर्थिक सहायता के सहाने नैव अतिवैज्ञानिक पुनः मत्ता जमाना चाहता है। अतः बिना एक संगठन स्थापित किए—जिस व समुक्त राज्य अफ्रीका पुकारते हैं—अफ्रीका केवल अस्तित्व नहीं बनाए रम सकता।⁷

राष्ट्रमति नक्रुमा व समर्थक गिनी के राष्ट्रमति Sekou Toure तदानीया के राष्ट्रमति ग्येरेरे⁸ आदि हैं। 21 से 26 अक्टूबर 65 के बीच होने वाले अफ्रीकी-एकता सभ के सम्मेलन में (36 राष्ट्रमध्यस्थों ने इसमें भाग लिया था) घाना न प्रस्ताव रखा था कि समुक्त राजा अफ्रीकी की भार कमना: बढन के लिए प्रथम कदम के रूप में सभी राज्यों की एक कार्यवाहिका समिति स्थापित की जाय। पर यह केवल 18 राष्ट्रों ने इस प्रस्ताव को पक्ष में मत दिया। मनीषल, नाइजीरिया, नाइजीरिया आदि राज्यों ने इसका विरोध किया। विशेषकर पश्चिमी पमाव क्षेत्रों में यह गुना व्यक्त की जाती है कि ऐस सभ को प्रतिनिधतावादी संक अफ्रीकी इच्छाओं की क्रियान्वित के लिए मव बना लेगे। अतः अफ्रीकी एकता सभ राज्य में परिचित होना असम्भव ही लगता है।

अफ्रीकी और समुक्त राष्ट्रसभ :—अफ्रीकी देश ज्यों ज्यों स्वतंत्र होते जा रहे हैं, समुक्त राष्ट्रसभ में अफ्रीकी और एशियाई देशों का समुक्त स्वर अधिक मशुक और प्रभावशील होता जा रहा है। दक्षिणी अफ्रीका की प्रायिक-नाकेबन्दी की यात्रना, बागी में समुक्त राष्ट्रसभ का बढ कदम उठाने के लिए बाध्य करना और सब दक्षिणी रोडेसिया के मामले पर समुक्त राष्ट्रसभ में प्रभाव उठाना आदि ऐसे उदाहरण हैं कि जिनसे समुक्त राष्ट्र सभ में अफ्रीकी देशों का महत्व स्पष्ट ही जाता है।

परन्तु पश्चिम में इस बात को लेकर बुरी खिन्ना है। उन्हें लगता है कि कहीं आजादी में आकर अफ्रीकाई राष्ट्र जनवादियों में विरोध न लेने लग जाय। अफ्रीका व विचार न करने से सम्भव है कि कोई पक्ष अन्वयित उन्निज हो जाय और विद्व साति की सतरा उपस्थित हो जाय। 1962 में समुक्त राष्ट्र महा सभा में बोने हुए नेविषदा

7. मान-अफ्रीकनिम की व्याप्ता एवं स्वरूप की कोलिन लीगम ने इस प्रकार विवेचना की है : "Pan Africanism has produced a language of its own which conditions the thinking and the politics of the entire continent. Emotion have been converted into ideas and ideas into slogans" by Colin Legum :

Pan Africanism' (Page & 111)

8. The weak and divided can never hope to maintain adignified independence. We know that a black-nised Africa, even if gets independence, will in fact be an easy try to the forces of neo-colonialism"

Nyerere speaking in the Conference of African

States, 1961

पंचायती राज-एक आलोचनात्मक अध्ययन

(PANCHAYATI RAJ-A CRITICAL APPRAISAL)

—कमला बल्लभ शर्मा

स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में लोक-प्रशासन केवल कुछ विशेष कार्यों तक ही सीमित था—जैसे कानून एवं व्यवस्था को बनाये रखना, कर (Tax) वसूल करना अथवा कुछ सामाजिक सेवायें प्रदान करना। द्वितीय महायुद्ध के समय में भी भारत का लोकप्रशासन घुलित व्यवस्था तक ही रहा। दूसरे शब्दों में यह कहना व्यापक होगा कि ब्रिटेन ने भारत में प्रशासन के क्षेत्र में केवल वह व्यवस्था स्थापित की जो कि न्यूनतम सरकार (Minimum Government) एवं उन्मुक्त धार्मिक जीवन के लिए ही पर्याप्त थी। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् परिस्थितियाँ बदलने लगी तथा भारत में अब तक कभी था रहो साधारण धर्म-व्यवस्था का विस्तृत होना प्रारम्भ हुआ। इस अवसर पर ब्रिटेन सरकार ने भारतीय समाज की नवीन धार्मिक और सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूक कदम उठाये किन्तु फिर भी इस दिशा में कोई विशेष प्रगति न हो सकी। महायुद्ध के समाप्त होने ही भारत में स्वतन्त्रता की सहर व्याप्त हो गई और १५ अगस्त १९४७ की विभाजन के साथ सत्ता का स्थानांतरण हुआ।

स्वतन्त्र भारत के नवीन संविधान ने भारत में स्वतन्त्रता, समानता, धार्मिक एवं श्वाय विस्तृत सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक न्याय सम्मिलित था, को प्राप्त करने के संकल्प का उद्घोष किया। यही नही संविधान ने भारतवर्ष में लोक हितकारी राज्य की स्थापना के निश्चय में भी विश्वास व्यक्त किया। परन्तु प्रश्न यह था कि समाज में इन नवीन परिवर्तनों के प्रति उत्साह किस प्रकार जगाया जाय जिससे कि ये योजनायें सफल हो सकें। अतः जनता में चेतना जागृत करने के लिए सरकार ने सामुदायिक विज्ञान योजना (Community Development Programme) के राष्ट्रीय कार्यक्रम का प्रारम्भ किया। यथा तो यह ही गई थी कि प्रक्रिया में जनता इन

विकास योजनाओं में सक्रिय भाग लेकर सामाजिक कल्याण में सरकार का हाथ बंटा सकेगी। सामुदायिक विकास योजना के द्वारा देश में और विशेषकर गावों में नवीन प्रशासकीय इकाइयों को खड़ा किया गया जिससे ग्रामीण जनता का चतुर्मुखी विकास सम्भव हो सके। इन प्रशासकीय इकाइयों में खण्डों (Blocks) की स्थापना की गई और इनकी देख-रेख के लिए विकास अधिकारियों की नियुक्ति हुई।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस कार्यक्रम ने जनता में सुधार की एक मांग पैदा की एवं वर्तमान दशाओं के प्रति तीव्र असन्तोष की भावना को जन्म दिया। किन्तु फिर भी ग्राम स्तर पर कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए बनाई गई ये संस्थाएँ, इस जनता का कार्यक्रम बनाने में असफल निरूद्ध हुईं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य जन महयोग के द्वारा गावों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना था। सरकार का कार्य तो केवल सलाह देने एवं मार्ग दर्शन एव ही सीमित था किन्तु ग्रामीण जनता ने इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से हाथ नहीं बँटाया। अतः यह योजना जन जीवन की परिधि के बाहर ही रही। यावत् वर्षों के सामुदायिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रम ने यह निरूद्ध किया कि वहाँ न कहीं ऐसी त्रुटि अवसर है, जिसे दूर करने के लिए आसूचना परिवर्तन करना अनिवार्य है। इसी अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुए गुजरात के वर्तमान मुख्य मन्त्री श्री दलवन्त राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया गया। इस समिति ने ग्रामीण विभाजितों में लोकतान्त्रिक विवेन्द्रीकरण (Democratic Decentralisation) की जो रूपरेखा रखी, उसने ग्राम्य प्रशासन में एक नये अध्याय का सूत्रपात किया है।

लोकतान्त्रिक विवेन्द्रीकरण का विचार

अतः १९५८ में दलवन्तराय मेहता समिति की रिपोर्ट के फलस्वरूप देश के विभिन्न राज्यों में लोकतान्त्रिक विवेन्द्रीकरण की दिशा में इस विचार के कारण बढम उठाये गए कि विकास कार्यक्रमों की क्रियान्विति में सभी लोग हाथ बँटा देंगे, अब कार्यक्रमों के निर्धारण में उनका हाथ होगा। सामुदायिक विकास के प्रति जनभाषण का निरूद्धसाह ही मेहता समिति के गठन का कारण था। दूसरे पक्षों में, १९५५ में ग्राम्य क्षेत्रों में आरम्भ किये गए विकास कार्यक्रम असफल रहे थे और इसका कारण यह मानकर कहा गया कि उनमें जनता का सक्रिय सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा था। मेहता समिति ने इस क्षमता को दूर करने के लिए एक उपाय निकाला और वह यह कि जनता स्वयं अपने क्षेत्र की भाकरदयताओं और भाषणों की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए विकास योजनाएँ तैयार करे और उन पर सरकारी भंडूरी मिल जाने के पश्चात् सरकार द्वारा वित्तिय और तकनीकी सहायता प्राप्त कर अधिकारियों के मार्गदर्शन में उन योजनाओं की क्रियान्वित करे। एक ऐसा कार्यक्रम, जो जनता के दिन प्रतिदिन के

जीवन से घनिष्ठता से सम्बन्धित हो, और जिनका विधानत्रय भी जनता द्वारा ही किया जाय।

सच है कि पंचायती राज (Panchayati Raj) या प्रजातान्त्रिक विकेंद्रीकरण की एक विभागात्मक व्यवस्था द्वारा देश के ग्राम्य जीवन का एक नई चेतना मीरने का प्रयास किया जा रहा है जिससे कि राष्ट्रीय जनतन्त्र का आधार व्यापक और सुदृढ़ बन सके। पंचायती राज का प्राथमिक उद्देश्य प्रारम्भ से लेकर अन्त तक विकास योजनाओं से जन साधारण को सम्बद्ध करना है। २६ जनवरी १९५० को भारतीय संविधान के रूप में, देश के करोड़ों नागरिकों को अपनी सामन बनाने के लिए अपना प्रतिनिधि चुनने का अन्तर्गत मंत्रा या विस्तृत लोकतान्त्रिक विकेंद्रीकरण की इस योजना के उद्घाटन में देश के करोड़ों नागरिकों को अपने इलाके के विकास कार्यों में सीधे भाग लेने तथा अपना भविष्य स्वयं अपने हाथों से संभालने के भी व्यापक अधिकार प्राप्त हो गये हैं। निस्सन्देह ही यह एक ऐसी घटना है जिसका महत्व हम वर्तमान में चाहे उतना प्रभावपूर्ण न लगे किन्तु सारे विश्व में लोकतन्त्र का मानी स्वल्प निर्याति करने में इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा।

इसमें सन्देह नहीं कि जब तक जनता को स्वयं धरने विकास की पूरी जिम्मेदारी न सौंपी जाय, तब तक वास्तविक प्रगति साक्षात् सुगम के समान है और न ही जाग्रत की नींव की ही सुदृढ़ता प्रदान की जा सकती है। विकास तभी सम्भव होगा जब कार्यक्रमा को जिम्मेदारी जनता के कंधों पर डाली जाय और विकास के लिए कार्यक्रमों को पूर्ण रूपेण जनसाधारण का बनाया जाय। लेकिन सुनिश्चिता प्रदान यह है कि क्या यह सज्जतिगत नहीं है कि विकास कार्यक्रमों की अमलवृत्ता के मूल में एक भाग जनता के सहयोग की ही कमी रही ? सरकार ने यह तो स्वीकार किया है कि नौकरशाही के दम के कारण तथा सचिवालय के बन्द कमरों में बनी योजनाओं के कारण विकास कार्यों में सहयोग नहीं मिल सका है और जनता के असाफल्य ही लेकिन अपनी जिम्मेदारी को हमारे पर डालने की मर्यादा के कारण हम सम्भावना को उभारे अन्तर्गत कर नकारात्मक कर दिया कि योजनाओं अपने आप में भी अमल हो सकती हैं। किन्तु यह भी नहीं है कि उनमें से उत्तम योजना भी अफल नहीं हो सकती, यदि उसे जनसहयोग प्रदान न किया जाय और जनता का सहयोग भी उसे तभी प्राप्त हो सकता है जब कार्यक्रमों के निर्यात एवं उनकी क्रियान्विति में जनता का हाथ हो। मन्त्रिय सरकार में सीधे भाग लेने की इस प्रक्रिया को ही पंचायती राज की मंशा दी गई है।

त्रिविण्णारम्भक व्यवस्था

इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए श्री अन्वयतराम मेहता अध्यक्ष बनने इस बात पर बत दिया कि गाँव, ब्लॉक (Block) और जिले के स्तर पर सुसंगठित एवं विशाल प्रजातान्त्रिक संस्थाएँ (Democratic institutions) हीनी चाहिए जिनके

द्वारा योजनाया तथा विकास के कार्यक्रमों को गतिशील बनाया जा सके। लगभग सभी राज्यों ने (३१ मार्च सन् १९६२ तक सिवा केरल और पश्चिम बंगाल के) इस पंचायती राज योजना को अपना लिया है। सन् १९६२ की इस तिथि तक देश के ५,३३,००० गाव और लगभग ६५% प्राचीण जनता इस नवीन योजना के अन्तर्गत आ गई है जो निश्चय ही उत्साह वर्द्धक है।¹

मेहता रिपोर्ट में जो कतिपय सिफारिशें की गई हैं उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं क्रान्तिकारी सिफारिश तीन स्तरीय योजना (Three tier system) की है जिसके अनुसार ग्राम स्तर, खण्ड स्तर एवं जिला स्तर पर निर्वाचित और संगठित प्रजातान्त्रिक न्यायाधीशों की आवश्यकता को प्रतिपादित किया। जिस तरह भारत में शक्ति एक स्थान अर्थात् केन्द्र में एकत्रित न रहकर विभिन्न राज्यों में बांट दी गई है उसी प्रकार शेष प्रांतीय शक्ति का भी अपने जिला, खण्ड एवं ग्राम स्तर पर विकेंद्रोकरण किया गया है जिससे जनता स्वयं अपना भला बुरा पहिचान सके। समिति का मत था कि सरकार को अब अपने शासकीय बुद्ध बर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वा से अलग हो जाना चाहिए एवं इसे उन संस्थाओं को सौंप देना चाहिए जो कि विकास के कार्यों में संलग्न हों। इस तरह सरकार को केवल बड़ी-बड़ी योजनाओं मात्र तक ही अपने ध्यान को सीमित कर लेना चाहिए।

इस योजना के अन्तर्गत सर्वप्रथम जिला स्तर पर एक जिजा परिषद् होगी जो पुण्ड्रे डिस्ट्रिक्ट बोर्डों (District Boards) का स्थान ले लेगी। इनका कार्य पंचायत समितियों के बीच समन्वय स्थापित करना, उनके कार्यों की देख-रेख करना तथा उनके उपर नियन्त्रण रखना होगा। प्रत्येक खण्ड में एक पंचायत समिति स्थापित की गई है जो अपने क्षेत्र के कार्य के लिए योजना बनायेगी और अपने निर्वाचण में पंचायतों द्वारा उसे कार्यान्वित करायेगी। पंचायत का मुख्य कार्य पंचायत समिति द्वारा निर्धारित नीतिको कार्यरूप में परिष्कृत करना होगा। पंचायतों तथा पंचायत समितियों द्वारा बनाई गई योजनाओं को जिजा की योजनाओं के साथ समन्वित किया जाएगा और बाद में ये योजनाएँ राज्य की

1. पंचायत और उनके द्वारा सेवा प्रदान किये जाने वाले गावों के कुछ आँकड़े इस प्रकार हैं—“The average number of villages per Panchayat varies from 22 in the case of Himachal Pradesh to 14 in the case of Madras Orissa has 20 villages on an average under a Panchayat. The average population of a Panchayat also varies from 755 in U. P. to 11,996 in Kerala. The average for the country as a whole is 2.6 Villages Per Panchayat with a population of about 1400.”

योजना का पंग बनैगी। इन प्रकार पंचायती राज की स्थापना द्वारा सच्चे ढंगों में ग्राम्य स्वराज्य की ओर एक क्रान्तिकारी कदम उठाया गया है।

एक गाँव को या कई गाँवों को मिलाकर जो ग्राम पंचायत बनाई जायगी उसमें ८ या १० निर्वाचित सदस्य होंगे और एक प्रधान होगा जो सरपंच कहलायेगा। यह सरपंच ही गाँव का मुख्य कार्यवाहक अधिकारी होगा। ग्राम पंचायत के पदनाम्न खण्ड स्तर पर पंचायत समिति बनाई गई है। पंचायत समिति में ग्राम पंचायतों के सरपंच और कुछ विशेष हितों, जैसे खेती, हरिजनता, आदिवासियों और स्त्रियों के विशेष प्रतिनिधि होंगे। इन विशेष हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को नामांकन करने का अधिकार पंचायत समिति के सदस्यों को होगा। विधान सभा के सदस्य पंचायत समिति के सहकारी सदस्य रहेंगे। इसके बाद जिला परिषद् में जिले की सब पंचायत समितियों के प्रधान, उन क्षेत्र विशेष के संसद सदस्य और विधान सभा के सदस्य, कुछ विशेष हितों जैसे हरिजनों, आदिवासियों, स्त्रियों और सहकारी समितियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य होंगे। जहाँ तक इन लोकतन्त्रीय संस्थाओं के द्वारा किये जाने वाले कार्यों का प्रश्न है, ग्रामों के सम्बन्ध में योजनाएँ बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने की मून डवाई ग्राम पंचायत होगी। पंचायत समितियाँ ग्राम संस्थाओं के कार्यों की देखभाल करेंगी। इनके कार्यक्षेत्र में खेती के विनाश सम्बन्धी सभी कार्य, मजदूरिता, भूमि का उच्चार, मिर्बाई, पशुपालन, जनशक्ति का उपयोग, गाँवों को सफाई और स्वास्थ्य, मंगर व्यवस्था, उद्योग, आकरे एकत्रित करना, जंगलान एवं पानाम आदि की उपजि ये सभी विषय आ जाते हैं। यह आवश्यक है कि पंचायतों के द्वारा बनाई गई योजनाएँ, ग्रामीण सरकार एवं केन्द्रीय सरकार के द्वारा बनाई गई योजनाओं के ढाँचे में बैठ सकें। जिना परिषद् की अधिकार होगा कि वह पंचायत समितियों के बजटों का निरीक्षण करे। राज्य सरकार द्वारा जिसे वे लिए दिये गये अनुदान की उनमें वांटे, उनमें कार्यक्रमों का निरीक्षण करे और उनमें समग्र्य स्थापित करे। लोकतन्त्रात्मक गता के इन विशेषीकरणों की योजना का मून उद्देश्य यह है कि जब तक जो काम राज्य सरकार करती रही है उनमें जनता और उनके जिना एवं खण्ड स्तर की प्रतिनिधि संस्थाएँ भी भाग लें और साथ ही विभिन्न स्तरों पर काम करने वाले लोगों में अधिक से अधिक विश्वास का भाव जागृत किया जाय।

संज्ञान्तिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण

पंचायती राज की संरचना (Concept) के अध्ययन एवं निर्माण के लिए दो मार्ग संभव दृष्टिकोण (Approaches) हो सकते हैं। प्रथम तो Normative मार्ग जहाँ एक पैमाने पर स्वीकृत प्रकार की संरचना स्थापित होना चाहिए तथा द्वितीय Empirical मार्ग जहाँ हम केवल विज्ञान पर ही नहीं, बल्कि प्रयोगों (Experiment) पर

निर्भर रहें। एक स्वीकृत पैमाने एवं मापन को लेकर बतने वाला राजनीतिक सिद्धान्त-वादी प्रणाली ही वृत्तना एवं आकाशाओं के अनुसार पंचायतों राज के नमूने का निर्माण करेगा। किन्तु दूसरे ओर परीक्षण एवं प्रयोग पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति (Empirical) पंचायती राज की अवधारणा का अध्ययन उसके कार्यरूप में करेगा। उसका प्रयोग सदैव आदर्श एवं व्यवहार के बीच की दूरी को नापने का होगा। इसके साथ ही, वह उन प्रवृत्तियाँ पर भी प्रकाश डालेगा जो व्यवहार में पंचायती राज की अवधारणा को प्रभावित करती हैं। ये दोनों ही दृष्टिकोण पंचायती राज की प्राकृति को समारने में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं किन्तु इन्हें एक दूसरे का विरोधी न मानकर पूरक मानना ही न्यायोचित होगा।

इस विषय पर प्रतिपादित विद्ये गए दृष्टिकोणों में एक मुख्य दृष्टिकोण सर्वोदयी दृष्टिकोण है,¹ जिसे अधिक दृष्टे ढग से श्री जयप्रकाश नारायण का दृष्टिकोण कहकर परिभाषित किया जा सकता है। इस विचारधारा का जन्म सर्वप्रथम गांधीवादी विचारों में हुआ, जिसे दिनेशा भावे के हाथों एक नवीन समर्थन प्राप्त हुआ, किन्तु अब इस विचारधारा के सबसे मंगत एवं व्यवस्थित प्रवक्ता श्री जयप्रकाश नारायण हैं। इस विचारधारा का जन्म मसदीय सरकार की आलोचना में हुआ है जो श्री नारायण के अनुसार भारत के लिए कदापि उपयुक्त नहीं है। श्री नारायण ने विद्यमान मसदीय ढाचे के विकल्प (Alternative) के रूप में जिस समुदायवादी जनतन्त्र (Communitarian Democracy) का सुनाव दिया है वह केवल स्थानीय सरकार का ढाचा ही नहीं है बल्कि इसमें कुछ अधिक है। यह सम्पूर्ण भारतीय मंत्रिषालन के लिए एक रचना मन्दन्वी आदर्श (Structural Model) है जो नीचे से ऊपर की ओर गतिशील है जब तक कि एक पिरोमिड के रूप में नये संविधान का उदय नहीं हो जाता। पंचायत इस त्रिकोणात्मक ढाचे (Pyramidal Structure) का महत्वपूर्ण आधार है। केवल यही एकमात्र ऐसी संस्था है जिसे प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होना है। इसके अतिरिक्त पंचायत की ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होना है, जो ग्रामीण व्यक्तियों की एक सार्वभौम संस्था होगी। श्री नारायण ने जिस प्रकार के समुदायवादी अन्तर्ग्रहण पर जोर दिया है, उसे उचित अनुसार दन उचित आधार पर निर्मित होना है, जहाँ एक मत के सिद्धांत पर जोर दिया जायेगा। अतः स्पष्ट है कि इस दृष्टिकोण के अनुसार ग्राम सभा के सार्वभौम चरित्र पर महत्व दिया गया है। कुछ अन्य तथ्य जिन पर भी यहाँ दल दिया गया है उस प्रकार हैं—भारतीय मंत्रिषालन के सूचनाकार ढाचे के आधार स्वल्प पंचायत का महत्व, पंचायत के प्राथमिक एवं स्वायत्त चरित्र पर जोर, ग्राम सभा के प्रति पंचायत का

1. Narayan J. P.—A plea for the Reconstruction of Indian Polity.

उत्तरदायित्व एवं पंचायत के चुनावों का दलबन्दी और राजनीति से क्या सम्भव दूर रखना आदि। श्री जयप्रकाश नारायण की इन पीसिस से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सजे होते हैं जो पंचायती राज की व्यवस्था में मूलभूत हैं। उदाहरण के लिए पंचायती राज योजना में ग्राम सभाओं को क्या स्थान दिया जाय, क्या पंचायत को पंचायती राज ढांचे को आधारभूत इकाई समझा जा सकता है, तथा क्या पंचायती राज को दल रहित आधार पर समर्थित होना चाहिये, इत्यादि।¹

स्थानीय सरकार (Local Government) की वित्तारण स्वभाविक रूप में, ग्रामीणों के द्वारा स्वयं ही अपने मामलों की व्यवस्था किये जाने पर जाय देती है। इसका अर्थ हो जाता है कि पंचायतों का अधिक से अधिक स्वायत्तता, विचार विमर्श करने की शक्ति, नीति निर्धारण एवं उनके नियन्त्रण की शक्ति एवं ग्राम के स्रोतों की देखभाल तथा नियन्त्रण की शक्ति प्रदान की जाय जिसका प्रयोग वे राज्य स्तर के कम से कम नियन्त्रण की सीमाओं में रह कर कर सकें। जहाँ पर भी पंचायती राज संस्थाओं की स्वायत्त प्रकृति के महत्व पर बल दिया गया है यद्यपि ऊपर में कम से कम नियन्त्रण की आवश्यकता को भी नहीं भुलाया गया है। इन दृष्टिकोण के समर्थक पंचायती राज संस्थाओं के कार्यात्मक क्षेत्राधिकार (Functional) को केवल परम्परागत सार्वजनिक कार्यों तक ही सीमित रखना नहीं चाहेंगे। कुछ समर्थक तो राजस्व प्रशासन (Revenue Administration) और यहाँ तक कि राज्य मन्त्र के कानून एवं व्यवस्था का भार भी पंचायतों को ही सौंपना चाहेंगे।

एक अन्य महत्वपूर्ण नौकरशाही दृष्टिकोण² (Bureaucratic view point) कहा जा सकता है। इन दृष्टिकोण का आधार अपने मामलों की स्वयं व्यवस्था करने में प्रतिनिधित्व ग्रामीण जनता की योग्यता में अविश्वास है। अतः यहाँ स्वाभाविक रूप से पंचायती राज संस्थाओं के स्वयं प्रदत्त करने के पहलू पर कम महत्व दिया जाता है। जहाँ तक इन संस्थाओं के द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों का सम्बन्ध है, इन और दो छोर पकड़े जा सकते हैं—एक ओर प्रति की पहुँचा हुआ और दूसरा अतिशक्ति मय। अतिवादी (Extremist) पंचायती राज संस्थाओं को केवल एक संस्था के कार्य सौंपना परमत्त करेंगे किन्तु संयतवादी इन संस्थाओं को कुछ शक्ति एवं उत्तरदायित्व सौंपे जाने में भी समर्थन करेंगे।

अन्तिम रूप में प्रसंगवादी एवं विकासवादी दृष्टिकोण (Contextual and Developmental view Point) के अनुसार पंचायती राज की भावना, प्रकृति एवं

1. Dey S. K. : Panchayati Raj— a Synthesis (Asia Publishing, 1961)

2. Mukerji B. : Community Development in India.

कार्य का निर्धारण सीने हुए अनुभवों एवं घटनाओं के आधार पर किया जाना चाहिये। कुछ पूर्वगामी तथ्य श्री बलवन्तराय मेहता द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। उनके अनुसार सामुदायिक विकास कार्यक्रम जनता में अपने कार्यक्रमों की क्रिया-वृत्ति के लिए उ माह जगाने में अक्षय्य सिद्ध हुआ है। प्रथम सामुदायिक विकास योजना के प्रस्ताव एवं प्रायोगिक विकास योजनाओं को ग्रामीण स्तरों पर, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का मौख दिया जाय तो इन कमियों को दही मात्रा में दूर किया जा सकता है। इन दृष्टिकोण के अनुसार पंचायती राज अपने उद्देश्य एवं कार्यक्रमों में सामुदायिक विकास का विस्तार ही है। पंचायती राज संस्थाओं को विकास यंत्र (Development mechanism) के रूप में ही कार्य करना चाहिए, शक्ति को हृदय-माने के साधन के रूप में नहीं। पंचायती राज संस्थाओं का प्रधान लक्ष्य जनता का मत प्राप्त करने केवल मात्र सत्ता को हृदयमाना ही नहीं होना चाहिये बल्कि उन्हें चाहिए कि वे अपने प्रधान उद्देश्य अर्थात् गावों के अनुसूची विभाग की दिशा में सतत प्रयत्न करें।

किन्तु एक दूसरे दृष्टिकोण में भी पंचायती राज की व्यवस्था को देखा जा सकता है—वह है Empirical angle. यद्यपि यहाँ विश्लेषण की सीमाओं का भी दृष्टिगत रखना आवश्यक है। सर्वप्रथम बात तो यह है कि पर्याप्त क्षेत्रीय अनुसंधानों (Field researches) के अभाव में सामग्री भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। पंचायती राज में अधिक क्षेत्रीय अनुसंधान नहीं किये जा सके हैं। इसके अतिरिक्त ये संस्थाएँ ग्रामीण शिष्टाचार में ही हैं। बहुत थोड़े राज्यों में इन्हें कार्य करते हुए अभी ५ या ६ वर्ष ही व्यतीत हुए हैं। कुछ अन्य राज्यों में तो इन्हें कार्य करने हुए और भी कम समय हुआ है पर फिर भी कुछ प्रवृत्तियाँ स्पष्ट रूप में देखी जा सकती हैं। इस दृष्टि में हमारे सम्मुख पंचायती राज की तीन माहृतिमा प्रकट होती हैं—राजनैतिक, सार्वजनिक एवं (Statutory) वैधिक। राजनैतिक माहृति हमारे जनताधीन नेताओं द्वारा उनके भाषणों, वक्तव्यों एवं लेखों द्वारा सदा की जाती है। इनकी मुख्य विशेषता ग्रामीण जनता के द्वारा स्वयं ही अपने स्थानीय मामलों का प्रबन्ध है। पंचायती राज आवश्यक रूप से एक ग्रामीण स्थानीय सरकार का रूप ग्रहण कर लेती है। सार्वजनिक माहृति का निर्माण ग्रामीण जनता के द्वारा स्वयं ही किया जाता है। ग्रामीण जनता अधिकतर अशिक्षित एवं अज्ञान है इसमें संदेह नहीं, किन्तु फिर भी नये वातावरण से प्रभावित होकर वह अपनी आवश्यकताओं एवं माहृतिओं के प्रति सचेत बन रही है। अन्तिम रूप में पंचायती राज की एक वैधिक माहृति भी है जो आवश्यक रूप से नौकरशाही के द्वारा खड़ी की गई है। यहाँ पर अधिक जोर देना पर दिया जाता है, शक्ति पर नहीं। कर्तव्यों पर अधिक धन दिया जाता है अधिकारों पर नहीं।

पंचायती राज व्यवहार में

पंचायती राज मस्यार्थे विवास करन के मन्त्र के रूप में इनकी विकसित नहीं हुई है जितनी शक्ति एवं सत्ता की हथियाने के मन्त्र के रूप में। वास्तव में इससे नये-नये नेताओं का विकास हुआ है। जो भी सरपंच बनवा पंच तीन चार बार बनने गावा में चुन लिए जाते हैं व अपने प्रापको नेता समझने लगते हैं। वहीं वाद में जाकर सामान्य चुनावों व समय पाटिया का समर्थन पाकर अपने सदस्यों को जिताने में सहायता करते हैं। सरपंच और प्रधान की अपनी २ पंचायत और समिति में वहाँ दगा होती है जो कि एक मंत्रि परिषद में प्रधान मन्त्री को। यह बराबर बात में प्रथम (First among equals) बन जाता है जो निश्चय ही पंचायती राज के विकास व नये हितकर है।

बैसे तो पंचायती राज भारतवर्ष व ग्राम्य निवासियों की जीवन पद्धति बनता जा रहा है।¹ धीरे धीरे अनेक नई जिम्मेदारियाँ उनके कंधा पर डाली जा रही हैं किन्तु फिर भी ऐसी अनेक त्रुटियाँ हैं जिनके निराकरण व बिना किसी प्रकार की सफलता प्राप्त करना संभव नहीं। अनिश्चित जनता, राजनीतिज्ञ चोना की कमी, ग्रामीणों में निस्वार्थ सेवा भावना का अभाव, जाति एवं धर्म सम्बन्धी अविद्वान, सामन्तो के प्रति अनावश्यक बफादारी, अलोचनात्मक सामाजिक एवं पारिवारिक बाधा आदि कुछ ऐसे कारण हैं जिनके हल पर ही पंचायती राज की सफलता और अन्त में प्रजातन्त्र का भविष्य निर्भर है। कुछ प्रतासकीय समस्याएँ भी प्रगति के मार्ग में रोड़े भरवाए हुए हैं। उदाहरण के लिए विकास कार्यक्रमों की प्राथमिकता समस्या निर्दिष्ट हो या परिवर्त। सरकारी एवं गैर सरकारी अधिकारियों का पारस्परिक सम्बन्ध भी प्रश्न सूचक बना हुआ है। जिला स्तरीय अधिकारियों से अनेकता की जाती है कि वे मित्त, दार्शनिक एवं सलाहकार के रूप में ग्रामवासियों के साथ कार्य करें किन्तु वास्तविकता यह है कि वे अधिकारीगण ग्रामवासियों पर अपनी शाय फोड़ने का प्रयास करते हैं। जिला अधिकारियों का कार्य एक गिणत की भांति होना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि वे ग्रामीणों व मनोविज्ञान की भरी भांति समझ सकें तो उन्हें नौकरगारी का बोझ उतारना ही होगा जो उनके और ग्रामीणों व बोध गहरो खाई खादे हुए है। यह सही है कि यह मनोविज्ञान तान मल है जो समय के साथ साथ ही पनरेगा किन्तु फिर भी दग दिगा में कुछ कदम प्रवर्धन उठाए जा सकते हैं।

गावों में गुटबन्दी अपनी चरमता पर दिखाई देती है। पंचायतों भी दो भागों में विभक्त हो गई हैं—प्रथम तो बट्टन से सम्बन्ध रखने वाला और द्वितीय व जो अन्त-

1 देखें "Study Team's Report on Panchayati Raj" (Rajasthan and Andhra) (Congress Party in Parliament) A. V. A. R. D Report इत्यादि।

मन समूह के अन्तर्गत आती है। इसका स्पष्ट अर्थ हो जाता है कि तानों के वितरण में भेदभाव और दलबन्दी। उन बहुमत समूह का राजनीति के उद्देश्य एक क्रियान्वयन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है जो एकाधिकारवादी रख एक प्रवृत्ति का जन्म देता है। यह प्रवृत्ति जनता विरोधी एक सामाजिक सुदृढता का कमजोर बनाने का कारण है। अतः पंचायती राज से सम्बन्धित एक समस्या कुछ ऐसे नियंत्रण और सतुलन (Checks and Balances) का विकास करने की है जो इस प्रवृत्ति के प्रतिरोधक के रूप में कार्य कर सके। पंचायती राज मन्त्रियों के लिए यह नहीं कहा जा सकता कि वे किसी भी अर्थ में नीचे से योजना की प्रक्रिया से दुर्डी हुई हैं। इसके साम ही कुछ अर्थ महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठ खड़े होने हैं कि क्या नीचे से चलाई जाने वाली योजना हमारे केन्द्रीकृत राष्ट्रीय योजना की व्यवस्था के साथ किसी भी अर्थ में साथ चलने योग्य है? तथा नीचे से चलाई जाने वाली योजना की भारत मरीचे विकासशील (Developing) देश में क्या कमजोरियाँ हैं एक योजनाओं के निर्माण और क्रियान्विति में पंचायती राज मन्त्रियों को किस सीमा तक सम्मिलित किया जाये।

अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन परिणाम

पंचायती राज के राजनीतिक परिणामों को दो विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। प्रथम तो तत्कालीन, प्रत्यक्ष एवं अल्पकालीन परिणामों का अध्ययन हो सकता है तथा दूसरे उन प्रवृत्तियों तथा मुद्दों का अध्ययन हो सकता है जो ग्रामीण समुदाय के राजनीतिक जीवन पर अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन प्रभाव डालती हैं। पिछले पांच वर्षों के अनुभव ने बताया है कि स्थानीय नेताओं और पंचायती राजनीतिकों ने नेता को हासिल करने एक एकाधिकार जमाने की प्रवृत्ति दिखाई है जिसका एक हिस्सा उन्हें पंचायती राज-व्यवस्था के अन्तर्गत प्राप्त हो गया था। उन्होंने पंचायती राज मन्त्रियों का विकास का यह बनाने के साथ-साथ सत्ता को हथियाने का माधन भी बना लिया है। ये नेता अपने लिए महान का राजनीतिक स्थान ग्रहण करना चाहते हैं क्योंकि उन स्थान पर रहने से ही उन्हें शक्ति, सत्ता और सम्मान मिलता है। ये पंचायती नेता प्रत्येक राज्य के ग्राम, गाँव और बिस्व के स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान बन गए हैं। धीरे-धीरे इस Nucleus elite के कार्य का क्षेत्र विस्तृत हो रहा है।

पंचायती राज मन्त्रियों के द्वारा विकास की भाव ने आशाओं की उन्नतियों में योग दिया है जिसे कभी बड़ी हुई आशाओं की क्रांति (Revolution of Rising Expectations) कहा जाता है। यह तथ्य कि पंचायती मन्त्रियों देश के जनताधारण के

1. इस संदर्भ में देखें Meddicks H. की पुस्तक "Democracy, Development and Decentralisation."

लिए हैं एव कल्याणकारी गतिविधियों को विण जाने का दावा करती हैं, प्रासाधो को उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त है। अगर यह बटा भी जाय कि अज्ञान एव परंपरा मत्त व्यक्तियों की कोई आशाएँ नहीं हैं किंतु यह मानना ही पड़ेगा कि 1959 के वर्ष की अनेका अन्न व्यक्तियों की आशाएँ एव आकांक्षाएँ बर्दे हुनी दड़ी हैं। विकास सम्बन्धी कार्यों के लिए राजनीतिक शक्ति को हार्मिज करने की आवश्यकता का अनुभव किया जा रहा है। ऐसे अवसर भी देखे गए हैं जहाँ कुछ वर्ष पूर्व तक कोई भी व्यक्ति गृहो घोर घूल मे भरो हुई पगडरिया के विषय मे चार्ते नहीं करता था किंतु जैसे ही पंचायत ने बुद्ध करने का निश्चय किया, वे राजनीतिक बाद् विवाद् के विषय मे गए। पंचायती राज पर ह्राउ के ह्राउ अध्ययनो मे कहा गया है कि राजनीतिक ममला पर विवाद् करम या निर्णय देते समय जो एक सामान्य प्रवृत्ति देखी गई है वह है शक्ति एव अधिकारो को, कर्तव्यो एव उत्तरदायिन्को से अधिक महत्त्व देना।¹ किन्तु गांध ही यह भी स्वीकार किया गया है कि जनता को अपने अधिकारो एव उत्तरदायिन् के विषय मे नई जानकारी मिली है। आज ग्रामशामी भी अपने अधिकारो के प्रति जागरूक हो रहे हैं और यह हम बात का प्रतीक है कि पंचायती राज ने नई-नई मागो की जन्म देकर गांधो मे राजनीति का प्रवेश कराया है। आज ग्रामशामी उन कार्यो का करने को तैयार नहीं हैं जिसे वे सदिया से करने चले आ रहे थे। वास्तव मे जब से पंचायता व पंचायत समितियो के हाथ मे विकास कार्यों को शिवाचित्त करने की शक्ति आई है गांधा का बट्टा बुद्ध कायापनट हा पाया है।² पंचायती राज के माध्यम से जहाँ ग्रामीण जनता मे राजनीतिक जागृति आई है वहाँ उनमे आत्मविश्वास की भावना भी जागृत हुई है और अपनी ग्णिति सुधारने के लिए भाग्य भरणे न बैठकर बुद्ध कर गुजरने की प्रवृत्ति भी उनमे दनपी है।³

राजनीतिक चेतना का विकास

पंचायती राज के फलस्वरूप राजनीतिक चेतना की गति बर्दे हुनी अधिक बढ़ गई है। यह कथन जहाँ ग्रामीण जनता की राजनीतिक जागृति के विषय मे सही है वहाँ वह सामाजिक चेतना के विषय मे भी अक्षरण सही उतरता है। दूसादृष्टा घोर भेदभाव की दीवारो की पंचायती राज ने अष्टिम पक्का दखर भूमिअस्था किया है। वही-वही तो ऐसा देना गया है कि अत तक मजदूर और मीकर कहा जाने वाला स्थिति पंचायत अथवा पंचायत समिति को अध्ययता करता है। यह सामाजिक अस्थिति नि गदेह महान है और

1 See Report of the Study Team on Panchayati Raj (1964) popularly known as Sadiq Ali Committee Report

2 Ibid.

3 Ibid.

केवल कानूनों के द्वारा यह संभव नहीं है। पंचायती राज मंत्रियों ने राजनीतिक चेतना का एक अन्य उदाहरण प्रस्तुत किया है। जन प्रतिनिधि मुद्रा कर (Tax) लगाने से हिचकिचाते रहे हैं। इसका कारण यह है कि प्रत्यक्ष कर में प्रतिनिधियों की लोकप्रियता को धक्का लगता है। किन्तु पंचायत और पंचायत समितियों के सदस्यों ने इस ओर अपनी कर्तव्यनिष्ठा की ओर अधिक और ऐसी आशंकाओं की ओर कम ध्यान दिया है। अनेक पंचायतों ने अपनी आय के स्रोतों में वृद्धि करने के लिए कर लगाये हैं एवं अपने मापनों में वृद्धि की है।

सादिकअली दल का मत

यह भी भाति जानने हूँ कि प्रधान और प्रमुख आने वाले सामान्य चुनावों में राज्य एवं राष्ट्रीय राजनीति को आकार देने में महत्वपूर्ण रोल भूँदा करेंगे, राज्य के नेता उनके व्यक्तिगत संघर्ष स्थापित करने में प्रयत्नशील हैं। यह माना जा सकता है कि ग्रामीण लोग आज अपनी ग्रामीण राजनीति के मसलों में अधिक रुचि लेते हैं चाहे वे हमसे अधिक अच्छी तरह परिचित न हों। सादिकअली प्रध्ययन दल (Sadiq Ali Study Team) ने राजस्थान में पंचायतों के कार्य-संचालन का अध्ययन करके कहा है कि गाव में व्यक्ति मात्र निष्कम रूप में अपने दायान के लिए अधिक जागरूक और चेतनाशील है। पंचायती राज ने जनता को सामाजिक नेता का एक नया प्रकार प्रदान किया है। इसके साथ ही जनता के मन के सरकारी अधिकारियों का डर समाप्त होने लगा है। जनता आसम में विकास प्रतिकारि (B. D. O) के पास जाकर अपनी समस्याओं को सुनवाती है। आसम जो चुनाव होते हैं उनमें जनता काफी परिमाण में भाग लेती है। वह अब अपना वोट खोलने जाती है तो नाचती, गाती, टपटपी, हूँदती दिखाई देती है। चुनाव उनके सामूहिक जीवन का एक अंग बन गए हैं। अपनी हान में राजस्थान के पंचायती चुनावों में एक ८७ वर्षीया अल्पवय वृद्धा अपना वोट खोलने आईं। किन्तु इस सब का एक अग्रकारण यह भी है जो निरपराजक है। पंचायती राज में राजनीति के प्रवेश कर लेने में पंचायत समितियों और पंचायतों के बीच विरोधी भावनाओं और झगड़ों ने घर करना शुरू कर दिया है। प्राये दिन चुनाव नन्दियों मामलों को लेकर गाँव-गाँव, गृहवासी, मारपीट और कभी-कभी राजनीतिक कारणों से हत्या तक भी कर दी जाती है। इसके अतिरिक्त पाठशालाओं की पंचायतों के अन्दरगत कर दिया गया है जिससे शिक्षा में राजनीति प्रविष्ट हो गई है और आसमों तथा सामूहिक शिक्षा का स्तर और भी तेजी से गिरने लगा है।

सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध

एक सामान्य राजनीतिक घटना के रूप में यह देखा गया है कि शक्ति एवं

विकास के यत्न के रूप में पंचायती राज ने सरकारी एवं गैर सरकारी कर्मचारियों के पारस्परिक सम्बन्धों को विद्वेषपूर्ण बना दिया है। गैर सरकारी कर्मचारी उत्तरदायी सरकार के नाम पर सत्ता हथियाने का प्रयास करने हैं तथा सरकारी कर्मचारी कार्यक्षमता एवं प्रभावशाली विकास के हित में जनता पर प्रथम प्रभाव रोके रखना चाहते हैं। अस्पष्टता एवं कुशल के मध्य पाया जाने वाला यह असंतुलन विकासशील समाजों को जनतांत्रिक राजनीति का एक सामान्य लक्षण है किन्तु पंचायती राज में यह असंतुलन दृष्टता का नजर आता है।

भूत और भविष्य

प्रश्न जो स्वामाविक रूप में उठता है वह यह कि लोकतांत्रिक विवेकीकरण लागू करने के पूर्व या म्यिनि धी समय क्या कोई उन्मूलनीय परिवर्तन हो सता है ? क्या मौलत विमान करोहो रूपों क ध्यय के बावजूद पूर्वनिष्ठा अधिक सुगहाल बन सता है ? यदि सच्चाई और ईमानदारी से इन प्रश्नों के उत्तर ढूँढे जाय तो वे नकारात्मक ही मिलेंगे। सामान्यतः प्रति एकड़ उपज में गिरावट आई है और माधनहीन वास्तुकार भी आर्थिक स्थिति में कोई उन्मूलनीय सुधार नहीं हुआ है। वास्तुकारों को वास्तु के लिए आवश्यक सामग्री का अभाव है। मिर्चाई की उपयुक्त सुविधायें उपलब्ध करवाना तो दूर अनेक जिनो में अभी तक वेद जन का भी अभाव है। सुधरे हुए बीज, उर्वरक और ताप तथा मशीनें केवल साधन संपन्न वास्तुकारों को ही सुलभ हैं। यदि किसान को बीजों की जोड़ी, बीज और मिर्चाई के लिए जन उपलब्ध करवाया जा सके तो यह मेहनत करने में अभी इन्कार नहीं करेगा। अभी तक मानसून पर हृषि की आश्रित रहना सरकार की निष्प्रयत्ना और धीमी नीति का परिणाम है। प्राप्य उद्योगों की स्थिति भी हृषि से कोई बेहतर नहीं है। सर्वदाय के बावजूद अभी तक हृषि पर आधारीत उद्योगों की योजनायुक्त ढंग में चलाने के लिए कोई टोम प्रयत्न नहीं किए जा सके हैं। ग्राम विद्युत्तीकरण की योजनायें अभी तक पूरी नहीं की जा सकी हैं। राज्य सरकार के आयावहारिक विकास कार्यक्रमों का विस्तार में अन्वेष करने पर स्पष्ट होता है कि जन साधारण का सहयोग न मिलने का कारण निराधार है। पंचायती राज से हम मूलभूत स्थिति में किसी आरूई परिवर्तन की आशा नहीं की जा सकती। तथा यह है कि ग्राम समाजों ने अपनी जो आश्चर्यनायें बताई उन्हें भी ठीक ढंग में योजना में स्थान नहीं दिया जा गया और स्थानीय साधन बढ़ाने के लिए सोशलांत्रिक विवेकीकृत संस्थाओं से गरीब जन साधारण पर अनाप-दानाप कर लागू करने के लिए उन पर प्रायशः दबाव डाला गया। अन्तः अमन्युक्त करदाता में योजना की क्रियाश्रिति में सक्रिय सहयोग की अपेक्षा नहीं की जा सकती।

मेहनत शक्ति की मिनारियों का मुख्य उद्देश्य केवल नोकरीवाही (Bureaucracy) के प्रभाव को कम करना या ताकि जन साधारण अपनी योजनायें स्वयं बनाये

और उन्हें क्रियान्वित करे। लेकिन फिर भी यह सत्य है कि शनैः शनैः लोकतांत्रिक विदेशीकृत संस्थाएँ स्वशासन की इकाइयों के रूप में विकसित होने लगी हैं। प्रायः स्पष्टता इन बातों की है कि पूरी सच्चाई के साथ संविधान की ४०वीं धारा में दिए गए निर्देशक के अनुरूप सही ढंग से ग्राम पंचायतों को आवश्यक अधिकार दिए जायें ताकि वे स्वशासित इकाइयों की तरह काम कर सकें। विकास कार्यों को तीव्र गति देने में ग्रामीणों की उदात्तता एकदम गलत दलील है क्योंकि ग्रामीणों तक योजनाओं को बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में नौकरशाही ही १९५६ के पूर्व बाधक था और आज भी बाधक सिद्ध हो रही है।

इनमें मन्देह नहीं कि पंचायती राज का लक्ष्य गावों की दशा का सुधार करना, उनमें राजनीतिक और आर्थिक लोकतन्त्र की स्थापना करना है। गाव वालों को ग्रामीण शक्ति का लाभ उठाने और उनमें नेतृत्व क्षमता पैदा करने के लिए यह एक अच्छा संगठनात्मक सुधार है। इनमें न केवल भारत में लोकतन्त्र को जड़ें मजबूत हुई हैं बल्कि वसुधैव कुटुम्बकम् विश्वास आन्दोलन जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में आया है। पंचायती राज का महत्व तभी समझा जा सकता है जब कि हम यह भली प्रकार जान लें कि गाव ही समस्त राष्ट्र की उत्तरी के नियामक हैं। पंचायती राज योजना की इन सफलताओं के बीच भ्रष्टाचार हुए कुछ खतरे भी यद्यपि सामने आये हैं किन्तु फिर भी हमें प्राणादायिता के माध्यम से भारत में लोकतन्त्र के उज्ज्वल भविष्य की दामना करनी चाहिए।

भारत का प्रशासनिक ढांचा और इतिहास का प्रभाव

भारत में सरकार और प्रशासन का ढांचा दूसरे देशों में भिन्न, अपने ही प्रकार का है। यह अपने लंबे इतिहास और गम्भीर संस्कृति में जनमा है। किसी सरकार को कोई व्यवस्था उमा की त्वा नकल करके दूसरे देश में लागू नहीं की जा सकती। उदाहरणार्थ, अमेरिका के लिए जो सर्वश्रेष्ठ प्रशासन है वह आयरलैंड एव म भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशासन नहीं हो सकता। किसी अन्य व्यवस्था में प्रयोग अवश्य हो जा सकता है। उस दृष्टि में यदि देखें तो भारतीय व्यवस्था पर ब्रिटिश संस्थाओं का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है और भारतीय सरकार और प्रशासन का ढांचा बहुत कुछ ब्रिटिश व अंग्रेजों के अद्यतन होने पूर्णतः ब्रिटिश के समान भी नहीं कहा जा सकता। यहाँ ब्रिटेन की भाँति मजदूरीय शासन प्रणाली है परन्तु शासन जैसी संस्था नहीं है।

प्रशासनिक संगठन

प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि में भारत सरकार का प्रशासनिक ढांचा अनेक मन्त्रालयों (Ministeries) में बँटा हुआ है। मन्त्रालय या विभाग का एक राजनीतिक प्रभुत्व होता है प्रथम प्रत्येक विभाग एक मंत्री के अधीन होता है। वही विभाग को मुख्य नीति का निर्धारण करता है और उस विभाग के कार्य के लिए समस्त के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रियों की सहायता एक सचिव द्वारा की जाती है, जिसके नियन्त्रण में केन्द्रीय सचिवालय (Central Secretariat) का एक भाग होता है। सचिव (Secretary) विभाग का प्रशासनिक प्रभुत्व (Administrative Head) होता है और मन्त्रालय की परिधि में सम्बन्धित सभी वाणिज्यिक तथा प्रशासन सम्बन्धी सभी मामलों में मंत्रियों का प्रधान सलाहकार (Adviser) होता है। सचिव को किसी भी समस्या में सम्बन्धित तथ्य और धारणाओं के समक्ष प्रस्तुत करने होते हैं। उसे यदि आवश्यकता हो तो मन्त्री का सूचना, सलाह और चेतावनी भी देनी होती है। मंत्रियों द्वारा लिये जाने वाले नीति सम्बन्धी निर्णयों पर सचिव का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। काम की प्रविष्टता के कारण, सचिव की सहायता के लिए संयुक्त सचिव (Joint Secretary), उपसचिव (Deputy Secretary), अधर सचिव (Under Secretary) तथा सभी सभी अतिरिक्त सचिव (Additional Secretary) भी होते हैं। सचिवालय के ये उच्च पद भारतीय प्रशासन सेवा (I A S) तथा प्रथम श्रेणी की केन्द्रीय सेवा (Central Services Class I) के सदस्यों में भरे जाते हैं। सचिवालय पुनर्गठन पर प्रभुत्व की गई रीचर रिवोर्ट (Wheeler Report) के अनुसार भारत सरकार के सचिवालय में स्टाफ की पूर्ति सीधी भर्ती करके नहीं, बल्कि प्रान्त (सब राज्य) में पहले से ही काम कर रही अधिकाधिकों द्वारा की जानी चाहिये और दूसरे केन्द्रीय सचिवालय में काम करने वाले और प्रान्त (सब राज्य) में काम करने वाले पदाधिकारियों को पदाधिकार में नियमित करना-यानी दोनों चाहिये।" जहाँ तक प्रथम का सम्बन्ध है,

एंगो ही व्यवस्था है। उच्च मन्त्रिवाय अघिकागे राज्या मे बीम मे पचवीस वर्ष तग वा प्रणामवीय अनुभव प्राप्त करने के पश्चात् तीन वर्ष की अवधि के लिये मन्त्रिवाय में प्राप्ते हैं।

कुछ समस्यायें

अब हम भारतीय प्रणामनिका ढांचे का आलोचनात्मक विश्लेषण करेंगे।

अल्पकालीन (Short Tenure)

भारतीय प्रणामन अघिकागे भर्तों के पश्चात् राज्यों मे नियुक्त कर दिये जाते हैं और फिर प्रणामनीय अनुभव प्राप्त करने के पश्चात् मन्त्रिवाय मे महत्वपूर्ण पदों को सम्भालते हैं। परन्तु अल्पकालीन और केन्द्रीय मन्त्रियों की राज्यों को वापिसों के कारण केन्द्रीय मन्त्रिवाय अनुभव तथा दीर्घकालीन की परम्परा न बचिन हो जाता है। अतः मन्त्रियों के वापिसों की अवधि तीन वर्ष मे अघिक हीनी चाहिये।

कार्य-मुनिश्चितता का अभाव

प्रणामन एक मशीन के सदृश है। यदि इसके सब भाग कुशलता (Efficiency) से कार्य करते हैं तो मशीन भी कुशलता से चलती है। इस मशीन के भाग व्यक्ति होने के बावजूद, परम्पर अतिरमण की स्थिति मे मध्य और अष्टाचार को जन्म दे सकते हैं। अतः प्रणामन यन की मजबूती इस बात पर निर्भर है कि हर भाग के कार्य और कर्तव्य मुनिश्चित किये जायें और हर भाग अपने इन कर्तव्यों को कुशलता से पूरा करे। इनमे से प्रथम के न होने का अर्थ है मजबूती की अक्षमता और दूसरे के न होने का अर्थ है पद्धति या बर्गिन तत्व (Personnel) की अक्षमता। दोनों ही स्थितियों का परिणाम है अकुशलता, अक्षेत्र प्रणामन के नाम सिन्धुत प्राप्ति न हाना अथवा देरी न होना तथा भ्रष्टता।¹

इकाइयों मे गलत संबंध

दा इकाइयों मे गलत मध्य या एर इकाई मे गलत कार्य प्रणामनी भी अकुशलता को जन्म देती है। दोनो ही स्थितियों के अन्तर उदाहरण दिये जा सकते हैं। एर इकाई द्वारा दूसरी पर अतिरमण के उदाहरण मन्त्रिवाय, कार्यपालिका विभाग, विन मन्त्राय, मर्षा और मन्त्रि अघिक के सम्बन्धों मे देखे जा सकते हैं। इकाई के अन्तर गलत कार्य होने के परिणामस्वरूप भी इकाई और अर्थात्कारी दानों मे दोष उत्पन्न हो जाते हैं।²

अनावश्यक हस्तक्षेप

विनागापक्ष वा सम्बन्ध नीति के निष्पादन (Execution) मे होता है, उसके निर्माण न होती। परन्तु भारत मे मन्त्राय और विनागापक्ष के बीच टकराव सम्बन्ध का

1. A D Gopal's Report on Public Administration

2. Ibid

विकास नहीं हुआ है। "सप्टन सम्बन्धी दोष का एक उत्तम उदाहरण, जिसमें प्रशासन की शाखा अन्य शाखा के कार्यों का अनिश्चय करती है उन सम्बन्धी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि मन्त्रिमन्त्रय अथवा मन्त्रिमन्त्रय और उनके अन्तर्गत काम करने वाले विभागाध्यक्षों के कार्य जाते हैं। दोनों के ही कार्यों की सीमाएँ स्पष्ट हैं-मन्त्रिमन्त्रय नीति के निर्माण के उद्देश्यपूर्ण होना है और विभाग उम नीति के कार्यान्वयन (Implementation) के विषय परन्तु मन्त्रिमन्त्रय विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्य को देखने के लिये इतना ज्यादा रहता है कि यह निरन्तर उसके कार्यों में हस्तक्षेप करना है। परम्बन्ध विभागाध्यक्ष समस्त प्रेरणा समाप्त हो जाती है और अपने कार्य में व्यस्त रहने और उमने करने के बजाय उमने अपने कार्यों समय अन्तर्विषय प्रतिवेदन (Reports) प्रस्तुत करने व्यस्त करना पड़ता है। ऐसे मामलों पर उमने मन्त्रिमन्त्रय से आज्ञा मागती होती है स्पष्टन उमने अपने अधिकार क्षेत्र में हानि है। विभागाध्यक्ष के काम की मन्त्रिमन्त्रय द्वारा किये जाने के प्रयत्न के परिणाम निश्चित रूप से अनुपलब्ध और अक्षयता के रूप में आते हैं। काम में देरी होती है। काम अच्छी तरह नहीं हो पाता और जो काम किया है तो ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं होता जिस जिम्मेदार ठहराया जा सके।"

विभागोप सम्मिश्रण

एक अन्य समस्या है विभिन्न विभागों का सम्मिश्रण। उदाहरणार्थ- (Revenue) और न्यायिक सबंधी (Judicial) कार्यों का मिश्रण भारतोप की एक हालिदारक परम्परा है। "पूर्वम विभाग की शादीवाहन का एकिक करने को पता जाता है। इतिनियरिय अधिकारिया को लाइसेंस फॉर्म एवम करने के लिये तथा अभियाग काप मन्त्रिमन्त्रय को कहा जाता है विनयत स्थानीय बोर्डों में।"

वित्तमन्त्रालय से सम्बन्ध

एक अन्य महत्वपूर्ण मगटनामर दोष जिसने शासन में कठिनाइया को बढ़ाया है, यह है प्रशासनिक मन्त्रिया और वित्त मन्त्रालय में सबंध। केन्द्र में वित्त मन्त्रालय के कार्यों और शासन की स्पष्टता के अभाव की शिवायत प्रायः मुनने में आती है। यह कहा जाता है कि वित्त मन्त्रालय ने अपने पाल स्वोच्छ्रित देन की नारो शक्ति केन्द्रित करती है और व्यय की छोटी-से छोटी रकम के लिये प्रशासनिक विभागों को वित्त मन्त्रालय का मुद्दा तारना पड़ता है। अतः उचित

1. A. D. Gorwala—Report on Public Administration
2. " " " " The Police department is asked to collect motor vehicles tax, Engineering officers have to do prosecution work for encroachment and collection of licence-fees specially in the Local Boards" (M. Ruthaswamy . Principles & Practice of Public Administration)

जाती है। योग्यता की जाच खुली प्रतियोगिता द्वारा की जाती है, जिसकी व्यवस्था एक स्वयं, निष्पक्ष एवं धर्म-वाचक लोकसेवा आयोग करता है। सर्वोच्च लोकसेवा आयोग (UPSC) IAS, IFS, IPS, आदि केंद्रीय सेवाओं के लिये प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। इन "बचपन के सिद्धांत के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि भारत में लाभकारी ही निष्पक्षता बरनी जाती है जैसी कि किसी भी आधुनिक विविध सेवा पद्धति में पाई जाती है परन्तु परीक्षा की विधियाँ अभी भी प्राथमिक नहीं हैं और ये प्रयोगात्मक योग्यताओं के विषय में प्राथमिक ज्ञान से पूर्णतः अज्ञान नहीं हैं।" परीक्षा-विधि संश्लेषण है, प्रशासकीय नहीं।¹ भरती में लिपिकाना पर जोर देते हुए गोरवाला ने कहा है कि "यह अत्यन्त आवश्यक है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षा (Psychological Tests) को महत्ता प्रदान की जावे और इनसे इनके योग्यता परीक्षाओं का स्थापित हो सके। अपरिचित प्रत्याशियों के साथ होने वाली बातचीत उनके व्यापक अनुभव से सज्ज होनी है क्योंकि यह उच्च गुणवत्ता मनोवैज्ञानिक परीक्षा का स्थापित नहीं हो सकती जिससे उद्देश्य प्रत्याशियों के मातृक सुखों तथा भावनात्मक रूप पर एक मनोवैज्ञानिक अनुकूलित दायता है।"²

पदोन्नति और प्रशिक्षण

सिद्धि गवना को अंग्रेजों और योग्यता के आधार पर पदोन्नति के न्यायोचित प्रणाली प्रदान किये जाते हैं तथा भविष्य निर्धि (Provident Fund) और पेंशन आदि के रूप में सेवा निवृत्ति लाभ (Retirement Benefits) भी दिए जाते हैं। सामान्य शर्तों के अन्तर्गत उच्च पद की पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाती है। विविध गवनों की श्रेणियों के लिए विभिन्न सम्पादों तथा परीक्षण काल (Probation Period) आदि की व्यवस्था होती है। इन प्रकार भारत में पदोन्नति के न्यायोचित प्रणाली, नौकरी की सुरक्षा तथा अल्प वेतन के द्वारा विविध गवनों के मनोबल तथा कार्यक्षमता के स्तर को तो सशक्त करने के लिए की गई है।

राजनैतिक तटस्थता

विविध गवनों को निष्ठा सरकार के प्रति रहनी है, जिनको इनके प्रति नहीं। भारत में मंत्रियों और विभिन्न गवनों में बंधा ही संबंध पाया जाता है जैसा कि फिशर में। वारेन फिशर (Warren Fisher) ने इस संबंध को इन शर्तों में व्यक्त किया है।³ "मंत्रियों का कार्य नीति निर्धारित करना है और जब एक बार नीति का निर्धारण कर दिया जाता है तो विविध गवनों का यह निर्दिष्ट कर्तव्य हो जाता है कि वे उसे उच्च नीति से सम्मत ही या नहीं, उसको अमान्य करने के साथ अपना रूप में एक ही धर्म तथा समान दण्ड के साथ क्रियान्वित करने का प्रयत्न करें। अपना यह भी कर्तव्य हो जाता है कि वे, बिना

1. Paul. H. Appleby : Public Administration in India-Report of a Survey.

2. A. D. Gorwala's Report on Public Administration.

जिसी तब और परभाव के और बिना इस बात की पर्याप्त विधि कि कोई परममं मन्त्री के प्राथमिक विचारों से नैव वाता है वा नहीं, मन्त्रवृत्तों विन्दे विन्दे बातें समझ करते परम उक्तमं मन्त्रों वाक्वाग्ने तथा प्रतुन्व करते राजनीतिक प्रवृत्तियों को उक्तमं करते ।”

समस्याएँ तथा सुझाव

इस हम वाक्वाग्ने वरं प्रश्नन में सम्बन्धित कृत्र समझाओं और सुझावों को करें । भारत में शासन तब तथा विविध सेवा के क्षेत्र अपनी दीर्घ-दीर्घ सदस्यों वा विधान क्षेत्र वाता है । ऐसी प्रश्न विचारों को वाता है कि मन्त्रों पर एम एम ए, एम एम ए, एम एम ए प्रश्नन में करते दिन प्रभावपर हस्तों करते हैं । व विविध सेवाओं में प्रतुन्व परभाव वाता करते हैं और विविध सेवाओं के क्षेत्र न करने पर करते 'बड़े भाइयों' (Big Brothers) प्रवृत्त मन्त्रों द्वारा प्रभाव उक्तमं हैं, परिणामस्वरूप विविध मन्त्रों को मन्त्रागिन् प्रवृत्त परभाव विधा वाता है । यदि वे सब भागों और हैं तो निश्चय ही मन्त्रों पर मन्त्रों वा विविध प्रवृत्त उक्तमं नहीं है । इस मन्त्र में हस्तों परभाव उक्तमं में भी उक्त प्रवृत्त के विचार प्रवृत्त विष् ए ए ए । मन्त्र विचारों वा मन्त्रों प्रवृत्त वाक्वाग्ने प्रवृत्तियों को यह उक्तमं है कि वह प्रवृत्त राजनीतिक प्रवृत्तों (Political Chiefs) को सुझा करते वाता बात ही करते हैं । उक्तमं के मन्त्र वेग को हानि और सुझा प्रवृत्त हैं । इम सुझ पर उक्त और विन्व प्रवृत्तियों के मन्त्र वही विधि है । “यदि प्रवृत्तों परभाव को मन्त्रों वाता वाता है तो प्रवृत्तियों को यह प्रवृत्त वाता चाहिये कि वे प्रवृत्त उक्तमं के प्रवृत्त वाता वाता विन्व को विन्व पर बिना मन्त्र और प्रवृत्त राजनीतिक प्रवृत्त के वाता है तो विन्व विन्व बिना स्वतन्त्रता से वाता करते ।”

मासिक रतार तथा सम्मान

प्रवृत्त को भी यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि कोई भी प्रवृत्तों पर मन्त्रों पर उक्तमं नहीं हो मन्त्रों पर उक्तमं कि उक्तमं वाता वाता वाता विविध सेवाओं वा प्रवृत्त सम्मान न विधा वाता । सम्मान परवृत्त में, मन्त्र में तथा मन्त्रों पर मन्त्रों पर मन्त्रों की प्रवृत्त-वाक्वाग्ने वाता तथा विधा करने में विविध सेवा वा प्रवृत्त उक्तमं में तथा उक्तमं वाता वाता परवृत्त है और वेग के विन्व को प्रवृत्त में यह प्रवृत्त प्रवृत्त विन्व वाता ।

सोवियतवादी समाजवाद और जनसहयोग

भारत प्रवृत्त परवृत्तों पर मन्त्रों में सुझा वाता है । मन्त्रों विविध सेवा को मन्त्रों पर सम्मान वाता की वरं मन्त्रों के प्रवृत्त वाता है । प्रवृत्त मन्त्रों की विविध सेवा को परभाव में उक्तमं मन्त्रों की सम्मान के विन्व वाता है वही वाता । प्रवृत्त विचारों, वाक्वाग्ने मन्त्रों में प्रवृत्त, उक्तमं की मन्त्रों के प्रवृत्त प्रवृत्त तथा मन्त्रों की मन्त्रों के राजनीतिक प्रवृत्तियों के विन्व के प्रवृत्त वाता करते वाता विविध सेवा वा प्रवृत्त प्रवृत्त है । विन्व मन्त्रों वाता में मन्त्रों प्रवृत्त मन्त्रों की सम्मान में उक्तमं वाता के मन्त्रों में

समझने से और जनता को निरस्तार की दृष्टि से देखने से। लोकतन्त्रीय स्वतन्त्र भारत में अब मिथि सेवा का यह रूप अस्माभविन ही नहीं, हानिकारक भी है। नीतरगाही को जन सहयोग से कार्य करना है। यदि नीतरगाही को लोकतन्त्रीय समाज की सेवा नखली है तो यह अत्यन्त आवश्यक है कि उसके दृष्टिकोण तथा कार्य के तरीकों में भा परिवर्तन किया जाये।

भारतीय प्रशासन के कमचारी प्रशासन में आज जो युगशैली विद्यमान है उनमें से मुख्य निम्नलिखित है—

सालकीतादाही

भारतीय प्रशासन की सबसे बड़ी आलोचना उसके कार्य की दैनिक प्रवृत्ति (Routine Nature) के कारण की जाती है। भारत में प्रशासन नियम तथा विनियमों की बहुत ज्यादा विता करता है, जो कई बार उसके कार्य को घा। बढ़ाने को जगह बाधा डाला है। प्रशासनिक विभागों में प्रगतिशय प्राप्त करने और जन से उन्ह लागू करते हैं, वे अपने व्यवसाय के ऐसे दर्जों बन जाते हैं जो कपडा की बान्धाट (दर्शन) तो करते हैं परन्तु उन्ह आरोर का पता नहीं रहता। इस प्रशासन में आवाकवाक बाधाओं उपस्थित होती है। भारत में सालकीतादाही या अवाकवाक प्रशासनिक देगी के कई कारण हैं। एक कारण है, विभाग से प्राप्त होना वाली सभी पत्रावली और जनों को पदाधिकारियों के पास भेजने से पूर्व सहायता के समझ गया जाता। दूसरे, किसी मामले पर, निर्णय लिए जाना से पूर्व एक से अधिक विभागों में विचार किया जाता। पत्र की अपेक्षा अब सूचिवर अफसरों द्वारा बहुत कम मामलों में निर्णय लिया जाता है। परिणामस्वरूप कार्य का बौद्धिक मेकेंडारस्य और ज्यादा संकेटारिया; पर भा पड़ता है। मन्त्रिया और अन्य उच्च अधिकारियों द्वारा निर्णय लेने के अर्थात् जाने जाने मामलों में निरन्तर हस्तक्षेप भी सालकीतादाही की प्रवृत्ति को बढ़ाना है।

अत्याधिक कार्यकर्ता

जनता में प्रशासन के विरुद्ध अनेक आलोचनाएं पायी जाती हैं। बहुत अधिक कार्यकर्ताओं का जो अर्थमान, अनुभव और सालकीतादाही सरकार में दिन भर अवाकवाक कार्य करता है यह जानने के लिए विरलून अध्ययन की जरूरत है। अफसरों तथा निम्न वेतन और निम्न स्थिति वाले कमचारी बहुत अधिक हैं जब कि उच्च स्तरों पर, सचिव, सचिव, उपसचिव आदि के पद बहुत कम हैं। यह सामान्यतः किन्हीं भी विरलून समय के बारे में सत्य है किन्तु जहां अवाकवाकता से अधिक कार्यकर्ता हो वहां कार्य का पुनर्भविन्यत और भरण करना पर ये कार्यकर्ता कम किये जा सकत है।

अकुशलता

भारतीय प्रशासन पर एक अन्य आरोर अनुमानता का समझा जाता है। यह आरोर

मानाज्य जगता द्वारा भी लगाया जाता है। इनके कई कारण हैं। प्रथम तो हमारे यहाँ प्रशासनिक विनियम और विभिन्न क्षेत्रों की स्पष्ट व्याख्या का अभाव है, जिससे प्रशासन में अविश्वस्य, का-फे-दामासि और देरी आदि उत्पन्न होती है। दूसरे, अनुशासनात्मक एवं अन्य कारण समन्वय का कमी होना भी है। तीसरे, कार्यों में कुशलता और उत्थता गाने के लिए सत्ता का प्रत्यापान (Delegation) आवश्यक है किन्तु भारतीय प्रशासन में अभाव है। हमारे यहाँ उच्च अधिकारों अथवा पान अधिकारधर सत्ता रखते हैं और अतः न किम्प पदाधिकारियों में उत्साह आकर्षण रहता है। अतः अधिकारों के भार में उनके पिन गाने में अनुशासनात्मक बर्ताव है। चौथे, कभी कभी अर्थ का अभाव या अभाव, किन्तु एक व्यक्ति को उच्च पदाधिकारियों के आदेशों का अभाव है, अनुशासनात्मक अभाव देता है। अन्तिम स्थिति में उसे एक से अधिक मिलना है कि 'ऐसा बर्ताव, 'य कि दूसरा कहता है कि 'मैंने मन कर्ते। उदाहरण के लिए किन्तु दोनों का एक ही अर्थ किन्तु दोनों के निष्पादित प्रविष्टियों में एक आदेश प्राप्त करना है और किन्तु विविध प्रविष्टियों में दूसरे।

निम्नस्तर का मनोबल

यह भारतीय प्रशासन की एक अन्य बुराई है। इनके कई कारण हैं। सर्वप्रथम, परोक्ष बाधना और अविश्वस्य के कारण उन को उच्च अनुचित आदेशों पर भी जाते हैं। जाति, मनुष्य, धर्म आदि तन्त्रों के अभाव में उच्च व्यक्ति पीछे रह गाने हैं और अयोग्य मान डराने हैं। उन किन्तु व विरोध को नाकाम्य पंदा होना स्वाभाविक है। द्वितीय कारण है कि विभिन्न क्षेत्रों में उच्च अधिकारों को अभाव और निर्णय न लेने को प्रवृत्ति। उन्नी तन्त्र तीसरा कारण है अन्तराली और में विभिन्न क्षेत्रों का अभाव देना। उन अन्तराल में केंद्रीय अन्तराल ने क्या था कि "हमारे अन्तराल में अविश्वस्य प्रवृत्ति को गर्द, उन उन्नी किन्तु तो नहीं, पर उन्नी अन्तरालों का अभाव की अभाव नीति में अविश्वस्य अन्तराल प्रवृत्ति होता है। यह उन निम्न मनोबल को निर्दिष्ट करता है तो अन्तराल प्रशासन के लिए अन्तराल के अभाव है।"¹

अप्रत्याचार

भारतीय प्रशासन में अन्तराल को अन्तराल का दौर अन्तराल का अन्तराल है यह है अन्तरालिता और अप्रत्याचार (Irregularity and Corruption) का अन्तराल का अन्तराल क्षेत्र अन्तराल मुक्त नहीं। उच्च अन्तराल-अन्तराल और अन्तरालियों में ही अन्तराल अन्तराल हो रहा है तो निम्नस्तर में तो क्या अन्तराल को अन्तराल के अन्तराल अन्तरालियों में अन्तरालिता और अन्तरालवाद (Favouritism) के अन्तराल को अन्तराल देते हैं। अन्तराल अन्तराल को अन्तराल अन्तराल है वही अन्तरालियों के अन्तराल अन्तराल अन्तराल अन्तराल अन्तराल है।

1. "The evidence before us has disclosed absolute distrust, not to say despair on the part of most grades of public servants as to their receiving a fair response from the government to their representations." (Central Pay Commission 1957-59)

श्रीर जाँव नर्मितिया विठार्डि जा रही हैं या यह सब हो चुका है या सोचा जा रहा है। केन्द्र श्रीर गम्ब दाता म उच्च पदाधिरारिग्या की यही स्थिति है। प्रुमशोरी श्रीर मरुतारी धन का व्यक्तितगत वय के निष् दुम्पधाग बडता जा रहा है।

सुधारों की आवश्यकता

हमन नाग्तोय प्रशासन के कुछ मुख्य पट्टुप्रा श्रीर उनम निद्रित दाधों का उपरोक्त विवेचन किया है। यदि भारतीय प्रशासन को भारत म बल्यागुवारी राज्य की स्थापना का महान काय करना है तो इसके लिए बहुत स सुधारों की आवश्यकता है। एत स्वतन्त्र गणराज्य के रूप म भारत न जो उच्च उद्यम धन सम्पुय रगे हैं उनके लिए प्रशासन की जाव श्रीर कुछ नत्तानोंन श्रीर कुछ दीपवानोत सुधारों की ध्यन्त आवश्यकता है।

भर्तों में व्यक्तिगत गुणों को प्रमुखता दी जाय

मवन्वयम अधिधारिया की भर्तों केवन संशमित अधार पर नहीं की जानो चाहिये, वरन् चरित्र, उल्ताह आदि व्यक्तिगत गुणों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये। आई ए ए., आई एन एन, आई म भर्तों होने वाला के लिए प्रगितरण की व्यवस्था का सुधार जाना चाहिये। उन समय म गोरवाला का मुभाव है कि "आवश्यक अधिधारियों श्रीर स्टाय सहित प्रशिक्षण, मगडन श्रीर वामरगणन के विदेशों की नियुक्ति वन्द्रीय सरकार का सुरन्त कर देनी चाहिये। राज्या में भी वीफ केन्द्रटरी के अधीन संवन्त होने चाहिये।" दस समय में धन हमारे प्रशासन में विभिन्न सेवाओं के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों श्रीर पुनर्जाडुति पाठ्यक्रमों (Refresher Courses) को अधिन आवश्यकता है।

अनावश्यक बिलम्ब मिटाया जाय

विभिन्न कार्यों में अनावश्यक देरों को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि समय उचाने वाले साधनों का प्रयोग किया जाये श्रीर धादनों का एन में दूरको मेज पर आवश्यक स्थानाकरण समान्त किया जाये। नत्ता का हस्तान्तरण देरी श्रीर लानधीतागाही की ममाधि में बहुत अधिन महापत्र होगा। अनावश्यक अधिधारितताओं को त्याग कर प्रत्येक स्तर के अधिधारियों को धनने शंशों म आवश्यकतानुसार तुरन्त निर्णय लेने की स्वतन्त्रता होनी चाहिये। मत्रियों को प्रशासन म श्रीर उच्च प्रशासनिक अधिधारियों को धनने में निम्नतर व्यक्तियों के बाधों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

कर्मचारों का काम किये जायें

1 "The Central Government should appoint a Director of Training, Organisation and Methods with the necessary officers and other staff, the state too would be well advised to have organisation, methods and training sections, working directly under the Chief Secretary."

बहुत अधिक कर्मचारियों को पाये जाने का दोष प्रशासन के पुनर्गठन द्वारा दूर किया जा सकता है। किसी भी स्तर पर आवश्यकता से कम या अधिक कर्मचारियों का होना प्रशासन में देरी और अकुशलता को जन्म देता है।

कुशलता और दक्षता लाने के लिए सुझाव

संगठन में संशो पदों का उत्तरदायित्व और मना निश्चित और विन्मूढ स्पष्ट होने के साथ साथ आपन में एक दूसरे के अनुकूल भी होनी चाहिये। दूसरे, किसी भी पद पर नियुक्त कर्मचारी एवं में अधिक व्यक्ति को आजादों के अर्थन नहीं रहना चाहिये। अधीनस्थ कर्मचारियों की आजाए उनके उपर स्थित प्रमुख अधिकारों द्वारा ही दो जानी चाहिये। तीसरे, विभाग के किसी भी प्रशासक के समस्त प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाले अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या उसमें शक्ति नहीं होनी चाहिये, जितनों का बहु दृष्ट रूप में निर्दिष्ट कर सकता हो। चौथे, अधिकारियों की अपनी मत्ता या इस्तातरस और विकेन्द्रीकरण करना चाहिये। पाचवें, कुशलता के लिए विभागों का इस प्रकार संगठित होना आवश्यक है कि उनमें जितने समन्वय रहे। विभाग के संचालक का प्रमुख कर्तव्य यह होना चाहिए कि वह विभाग के अनेक बड़े मामलों के कर्मचारीवर्ग तथा कार्यों में समन्वय स्थापित करे तथा सहयोग को प्रोत्साहन दे। अतः में, प्रशासका को इस तथ्य का नहीं नूतना चाहिये कि जनता उनकी स्वाभिनी है।

योग्यता और परिश्रम के आधार पर पदोन्नति और प्रोत्साहन

उच्चकोटि के मनोदन के लिये इस निदान का पावन आवश्यक है। भारत में अधिकांशतः उच्चतर तथा मध्यम स्तर के पदों के लिये तो योग्यता पर जोर दिया जाता है और निम्न स्तर के पदों के लिये 'श्रेष्ठता और उपयुक्तता' (Seniority-cum-fitness) पर। सिद्धांत यद्यपि हमारे यहां योग्यता पर ही दब देता है पर व्यवहार में ज्येष्ठता को अधिक धन दिया जाता है। सश्रीय सौंठ सेवा प्रानेग के भूतपूर्व अध्यक्ष ने केन्द्राय वेतन आयोग के समस्त कहा था - "इन टोल निदान का सम्मान इनका अनुसरण करने की अंक्षा इनको भग करने के रूप में ही अर्जन दिया जाना है।" अतः वास्तविक निदान का मन्वे अर्थों में पावन होना चाहिये, सेवा प्रानेग ने भी यही निशारिया की थी। बुद्धि और ईमानदार कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिये अधिक पक्ष मंडन आदि के रूप में पुन्यार भी शिे जा सकते हैं।

अष्टाचार का निवारण

आज भारतीय प्रशासन में सम्पूर्ण नवने प्रचुद समन्था अष्टाचार है। इनके लिये मरवारको नागरिकों के जीवननर की ऊ का उताने का प्रयास करना चाहिये, जिनमें नि आप के अनुचित साधनों की ओर प्रवृत्त न हो। राजनीतिक पदों पर अवधान प्राप्त प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त नहीं लिये जाने चाहिये क्योंकि राजनीतिक पद प्राप्त करने के लिये वे पदाधिकारों निर्णय करते वाने अपने उच्च अक्षरों को सुन करने के लिये अनुचित दारं करने लगते हैं। अष्टाचार

भाग्य में लौट प्रयाग

श्रीगन्दर्वगणेशों के धर्मियों के लिये बठोर दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिये। हाथ ही में केन्द्र सरकार द्वारा 'अष्टाचार निवारण समिति' की स्थापना की गई है परन्तु धान्य-कृषि इन उपायों के द्वारा दृष्टान्तपूर्ण पार्यवारी करने की है। हम सम्मन्ध में पौन एपनवी के मुभाव हम प्रार है —

“ऐसा गणनात्मक ढांचा रखा जाना चाहिये जो पददानवाद और बेईमानी के प्र-मन को कम से कम कर गये और योग्यता और सच्चरित्रता के अवनयों को अधिनाहित बढ़ावा दे। अनियमितताओं का प्रतिरोधको लानत बायीं के लिये मजाम्रा आदि के प्रति जागरूकता प्रावश्यक है। इस सम्मन्ध में सामान्य के स्थापनात्मक गौरे धान क्षेत्रों में सर्वाधिक मादधानी और जागरूकता जरूरी है। इन क्षेत्रों में विद्यमान पगोद, साठोंवा, परमिटो आदि के लिये प्रार्थनाएँ तथा गान्धो, परमिटो समझौतों आदि के तालन में सत्रधिन पार्यवारीयां प्राणी हैं। निम्न वनन स्तर वाले बर्मचारियों में सामान्य स्थिति प्रादुर्भावकर रूप में प्रच्छी है। मेरा अनुमान है कि इसी लीग सामान्य अधिन ईमानदार हैं। वदित्नाइयां जो भी है वे गान्धीनिक अनुभव और समुचित मस्यात्मक प्रवच के अभाव की है।”

एपनवी के उपरोक्त विचार बहुत कुछ सही हैं परन्तु हमारे विचार में भारतीय बर्म-पारियां की ईमानदारी के बारे में एपनवी का अनुमान पूर्णतः उचित नहीं है। जनमन हो यह मानना है कि प्रायः अकुशलता, अष्टाचार, अधिनामितता, बेईमानी, रिद्वनसोरी आदि बुराईयां इतनी बढ़ गई हैं कि किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति के लिये जांच समीक्षण निरुक्त करने की आवश्यकता है।

जहां तक धान्य का सम्बन्ध है उसे धमन में लाया जा सकता है और उसका प्रभाव भी होगा है, लेकिन बेवत धान्य में अष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता। हममें से प्रत्येक को प्रयाग करना होगा और मितबुद्ध कर ऐसे पार्य करने होंगे जिन्होंने देश में निरक्षरचित जीवन और प्रच्छे और प्रभावी प्रमाण की स्थापना की जा मने। समाज के 'महाजन' जो धान के मन्वो आदि है वे अचना आचरण मुद्र करें। महाजनो का जैसा आचरण होगा उसी के अनुसार समाज नवेगा क्याकि जगामारण उसी का अनुसरण करता है। राजतार्थ, अर्थतार्थ और समस्त सामाजिक जीवन में गार्पजी के नैतिक मूल्यों के अनुसार ही देश का वर्तमान रूपित पाठवर्ण मुद्र किया जा सकता है। यही अष्टाचार उन्मूलन का एक प्रभावी उपाय है।

देश में मुद्र प्रयाग है जिसे हाथ ही में समझ में एक मुभाव रखा गया था कि राज्य मन्त्र के अधिकांश को लोभमन्त्र के अधिकांश में परामर्श करने मव राजनीतिक दलों के नेताओं की एक ऐसी समिति नियुक्त करनी चाहिये जो मगद तथा विधान मन्त्र के मन्वो के लिये एक आचरण महिना तैयार करे। यद्यपि सरकार श्री नन्दा के नेतृत्व में प्रयाग में अष्टाचार को हटाने के लिये प्रयत्नशील है परन्तु यह जिना व्यापक और विविध रूप में पंचा दसा है उसे दानो हुए हम मुभाव की अचना में मारे जाते की और भी अधिनामितता है।

मत्रियों के लिये आचरण महिमा का निर्माण दिया जा चुका है। उसमें मन्देंद्र नहीं दि निसी राष्ट्र के जीवन में भविष्य महान् दायित्व का पद होता है जिसके उचित निर्वाह के लिये मंत्री का गुण रहना बहुत जरूरी है। यही एक मार्ग है जिसके द्वारा वेप प्रशासन-यंत्र को भ्रष्टाचार से मुक्त रखा जा सकता है और ग्राम जनता भी मुझ की साम ले सकती है किन्तु विधायकों और मन्त्र मन्त्रियों का पद भी कुछ कम जिम्मेदारी का नहीं है। उन्हें अधिकार और सत्ता जम्हें दृष्टि नहीं है किन्तु जिन नीतियों और कानूनों के अनुसार कोई लोकतांत्रिक देश चलता है उसके अन्तिम निर्णायक वे ही हैं। यदि वे ही भ्रष्टाचार का शिवार होंगे तो ऐसे कानून नहीं बन सकेंगे जो जनता के मुझ, मनोप और समृद्धि का आधार बन सकें। मंत्रियों का चुनाव भी इन्हीं में से होना है। अतः उन्हें गुण रखने की व्यवस्था लिये बिना मंत्रियों से श्रेष्ठ आचरण की आशा कैसे की जा सकती है? इन निर्वाचित प्रतिनिधियों से राष्ट्र के मज्जे शुभचिन्तन बनने की आशा की जाती है परन्तु प्रायः इनमें से अधिकांश इन आशाओं को पूरा नहीं करते और म्याथों के कमीन होकर अपने कर्तव्यों के प्रति न्याय नहीं कर पाते। परिणामतः जिस विचार विनिमय पर देश का भविष्य आश्रित होना है वही दूषित हो जाता है।

आचारसंहिता की आवश्यकता

आचरण संहिताओं, भ्रष्टाचार निरोधक कानूनों, दण्ड-व्यवस्थाओं की घोषणाएं मात्र ही समाज के आचरण को सही दिशा देकर भ्रष्टाचार का उन्मूलन नहीं कर सकती। परन्तु वे सब व्यवस्थाएं ऐसे प्रबुध अर्थव्यव हैं जिनके रहने में सामान्य कर्मचारियों में नैतिक देश के भाव्य-निमित्तों तक की भ्रष्ट होने का अवसर कम मिलेगा और वे अपने कर्तव्य के प्रति अधिक न्याय कर सकेंगे। अतः इन क्षेत्र में केन्द्र सरकार, राज्या तथा जनता की अधिकार मज्ज और प्रयत्नशील होना चाहिये तभी प्रशासन में इन मज्जर बुगड़ियों का निवारण सम्भव है।

सिविल सेवकों में मंत्रियों और संसद-मदम्यों द्वारा विश्वास की आवश्यकता

सिविल-सेवकों को कभी कभी मंत्रियों और मन्त्र मन्त्रियों के हाथ का पित्रोना-मात्र बनना जाना है। जब तक यह स्थिति दूर नहीं हो जाती स्वतन्त्र भारत द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की सफलता के लिये एक ठोस तथा कारगर दृष्टिकोण का विकास नहीं हो सकता। मन्त्रीय अधिकारों के फलस्वरूप सिविल सेवकों ने प्राप्त स्वयं की शानत की कठोर कार्यविधियों तथा प्रक्रियाओं का ही मोहित रूप छोड़ है। उनके नरत भारत के महान् उद्देश्यों को पूरा करने की उनकी क्षमता में भारी कमी हुई है। सिविल सेवा एक ऐसा यंत्र है जिससे द्वारा कोई भी कार्यकारी आगे बढ़ाई जा सकता है और यदि हमारा प्रयोग अधिकारों के साथ किया गया तो हमारे कार्य भी कम प्रभावकारी होंगे। सिविल सेवकों का अपना स्वतन्त्र ध्येय और विनिमय करने की जरूरत है जिसमें वे मंत्रियों के हाथ का पित्रोना न रहें। उनके सिद्धिगत का

संबंधों में प्रयोग करने के लिये यह आवश्यक है कि उन्हें बिना किसी भय के अपने प्रमुखों के सम्मुख सरकार के मामलों पर अपने मन प्रकट करने के अधिकार दिये जायें।

एपलबी के सुझाव

पॉल एपलबी ने भारतीय प्रशासन में सुधार के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये हैं जिनमें से कुछ मुख्य निम्न प्रकार से हैं —

(१) सरकार द्वारा किसी योग्य मंत्री के प्रत्यक्ष अधीन सगठन और व्यवस्था अथवा लोकप्रशासन कार्यालय (Organisation & Management of Public Administration Office) की स्थापना की जानी चाहिये। सरकारी ढाँचे और प्रशासनिक पद्धतियों के सुधार के प्रस्तावों और अध्ययन के लिये ऐसा कार्यालय जरूरी है।

(२) राष्ट्रीय विचारकों की टीम द्वारा और अधिक तथा विविध अध्ययन की व्यवस्था होनी चाहिये।

(३) लोक प्रशासन पर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय रूप से ध्यान केंद्रित करने के लिये सरकार की अधीनता में एक लोक प्रशासन संस्था (Institute of Public Administration) की स्थापना जिसका उद्देश्य साहित्य-वृद्धि द्वारा प्रशासनिक ज्ञान में कुशलता प्रदान करना हो।

(४) लोक प्रशासन में दीक्षादिन स्नातक प्रोग्रामों का विभाग और लोकसेवा में वार्षिक प्रवेश के लिये विद्येय मायों की स्थापना। उपरोक्त लोक प्रशासन मन्था को विश्व-विद्यालयों और सरकारों में नये और निरन्तर के पारस्परिक आदान प्रदान और कार्यात्मक मंच स्थापित करना चाहिये।

(५) सामुदायिक योजनाओं को बनाने और उनके मूल्यांकन में सक्रियता और निरक्षरता को दूर करने के लिये प्रशासनिक दायित्व को मजबूत बनाना चाहिये।

(६) विभाग और सामाजिक कार्यों के भी क्षेत्रों में अन्तर मन्त्रालय-सम्मेलनों को कम करना तथा सरकार के विभिन्न स्तरों पर समीक्षा (Reviewing) के तरीकों की सुधारना।

(७) पद सीढ़ियों में ऊपर और निम्न स्तरों पर विद्यमान विस्तृत दृष्टियों को कम करके प्रशासनिक पदमोचन को पूरा करना।

(८) सरकार के लिये कार्य करने वाले भी व्यक्तियों की क्षमता बढ़ाने के लिये विस्तृत वार्षिक वर्ग विकास योजनाओं (Personnel Development Programmes) की स्थापना।

(९) भारतीय प्रशासन सेवाओं के लिए अन्य देशों के लोक प्रशासन को देखने और उनके धारे में जानकारी प्राप्त करने की श्रुतिपत्र योजना चाहिए। इनके अन्तर्गत अन्य देशों द्वारा

उत्पादित व्यावसायिक साहित्य का विस्तृत रूप में उपलब्ध होना भी उपरोक्त होगा और ऐसा होने पर ही सहा के प्रवानन अन्य स्थानों पर दृष्टिकोण पड़े जायेंगे।

(१०) भर्ती में सम्बद्ध प्रशिक्षण केन्द्र होने चाहिये और पहले में नियुक्त व्यक्तियों के विषये भी समय समय पर संश्लेषित नैसर्गिक प्रशिक्षण व्यवस्था होनी चाहिये।

(११) एम० और एम० डिग्रियों की स्थापना—केन्द्र और राज्य दोनों में ही करने है।

(१२) Institute of Public Administration की स्थापना।

इनमें से अन्तिम तीन मुद्दाव क्रियान्वित विषये जा चुके हैं।

इन उपरोक्त मुद्दाओं के क्रियान्वित पाँच एजेंडों में प्रशासन और लोक-व्यवस्था के धारणा के अनुसंधान प्रशासनिक सिद्धांत के विषये भी मुद्दाव विद्ये हैं। उदाहरणार्थ ही वर्तमान भारतीय समाज के दो मुख्य पहलु—प्रशासन तथा जन-व्यवस्था के धारणा के मर्मभित प्रशासनिक सिद्धांत के निर्माण का विषय आरम्भ-दा और अवनत है। प्रशासनिक धारणा प्रशासन का अर्थ केवल प्रशासनिक दृष्टि में चुने और उत्तरदायी नैसर्गिक के नियन्त्रण और निरीक्षण में लोक प्रशासन का होना ही नहीं है और न ही प्रशासन उस दृष्टि पर निर्भर है जिससे उत्तरदायित्व (Responsiveness) क्रियान्वित किया जाता है। ऐसी उत्तरदायी नहीं बल्कि उत्तरदायित्व को गृहित करनी है। वह प्रशासनिक पद्धति पूर्णतः उत्तरदायी नहीं बल्कि उत्तरदायित्व को प्रकट करती है, जो नागरिकों के पक्षों का उत्तर न देने का गलत दृष्टि का देश में देने की आज्ञा देती है। वह प्रशासनिक पद्धति भी प्रत्यक्ष नहीं है जो नागरिकों के धारणा-व्यवस्था पर नागरिकों के प्रवेश पर बाधाएँ लगाती है या जो नागरिकों के विनिर्माण के मध्य मूलभूत बाधाएँ उत्पन्न करती है या जो नागरिकों को भागीदारों का दृष्टि नहीं समझती। जो पद्धति भाग लेने (Participation) के मान पर जनता के विभागों और मुद्दाओं को प्राप्त करती है वही उत्तम अर्थ में और अर्थव्यवस्था में उत्तरदायी है।

बाह्य आयोग द्वारा जांच

समाज की परिवर्तनशील भावों एवं परिस्थितियों के अनुसार प्रशासन का पुनर्गठन होना चाहिये। निम्नलिखित "अति-प्रदेशीय आयोगों की प्रकृति के अनुसार एक बाह्य आयोग (Outside Commission) द्वारा सहायक विभागों के पुनर्गठन पर उत्तरदायी कार्य को उत्तम बना माना जायेंगे। बाह्य आयोग अधिकारियों के कार्यकारी अधिकारियों (In-charge Officials) के मान-सौकर्यपूर्ण बनावट में करने के विषये मानता पर सहायक विभागों में विचार करेगा। यह आयोग जा सक्ती है कि निर्मा अथवा अन्तर्गत ऐजेंडों के मुद्दाव में बाह्य आयोग की निर्धारणों पर अधिन प्राप्त किया जायेगा। विभिन्न देशों में समकालीन पर पुनर्गठन आयोगों (Reorganisation Commission) की नियुक्ति की जाये है। उदाहरणार्थ अमेरिका में ह्वर आयोग द्वारा प्रशासन का प्रशासन का। भारत सरकार में भी इन मुद्दाव में विशेषों की सहाय

की है और उन्होंने सरकार के सम्पूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं। सर्वप्रथम सन् १९४६ में ए० गांधीजी की अध्यक्षता में 'सरकारी व्यवस्था के पुनर्गठन पर प्रतिवेदन (Report on the Re-organisation of Machinery on Govt.)' प्रस्तुत किया गया। इसके बाद १९५१ में गोखला तथा एडवर्टी ने भारतीय लोक प्रशासन पर दो प्रतिवेदन-प्रथम Report on Public Administration और Public Administration in India Report of a Survey प्रस्तुत किए। इन दोनों में हमारे प्रशासन के दोषों पर पर्याप्त प्रथम डाला गया और भारतीय प्रशासकीय ढाँचे में परिवर्तन के अत्यन्त सुभाव दिये गये किन्तु इनमें औरों को विद्यमान भी लिया जा चुका है।

अब तक हुए प्रयास

भारत में १९५४ में सफ्टन कम्पनी प्रशासकीय विभाग (O & M Division) की स्थापना हो गई। प्रशासनिक सुधारों में सुदृढ़ता के लिए इस विभाग का वर्तमान काल में पड़ोसी और बाह्यविशेषज्ञों का सहायता तथा यह ध्यान रखा है कि प्रशासनिक कार्यवाहियों समय के प्रतिष्ठित न हो जायें और परिवर्तनशील परिस्थितियों के अनुकूल रहें। केन्द्रीय सरकार में सार्वजनिक सेवा के शासित करने वाले विभिन्न विभागों के सर्वोत्तम समीक्षा और वर्गीकरण का कार्य भी अत्यन्त पर धिया है। लोक प्रशासन के अध्ययन को प्राथमिकता देने के लिए 'Institute of Public Administration' की भी स्थापना की जा चुकी है। १४ फरवरी १९६० के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित एक लेख का जवाब में मन्त्रिण परिषद् द्वारा प्रकाशित हुआ था कि "शुद्धतयाय में भारत सरकार की प्रशासकीय समीक्षा के सुधारे में सहायता के लिए दूरस्थों से सहायता के सुभाव प्राप्त हुए हैं। इनके बाद कहा गया कि शुद्धतयाय में सहायता के लिए प्रयोग की जाने वाली विधियों में एक उच्च स्तर की क्षमता की शोध भी स्थापना की जायेगी जो भारतीय राष्ट्रीय कार्य के अन्तर्गत अन्वेषण में काम करने वाले प्रशासकों के अनुभव प्रशासकीय ढाँचे में सही स्तर पर घोषणा, दक्षता एवं पूर्णता लाने के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध किये गये विचारों को जवाब देगी।" इस प्रकार समय समय पर भारत के प्रशासकीय ढाँचे का पुनर्गठन किया जाता रहा है।

निष्कर्ष

यद्यपि, एंग्लो-केन्द्रीय के शासन में, हमारा देश "Twelve Best Administered Countries of the World" में से एक है और यहाँ "उच्चतम स्तर पर शासन" है किन्तु भी सरकार में अनेक स्थानों पर सुधार की आवश्यकता है। वर्ष १९४० में अखिल भारत के उद्योगों के साथ राज्य के नीति निर्देशकों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अन्वेषण विभाग का गठन हुआ था किन्तु एक दूसरे और अनेक देशों (अन्वेषणकारी राज्य का

निर्माण) का प्रारम्भ हुआ। प्रजातांत्रिक मूल्य और आर्थिक पहुँच की प्राप्ति के लिए, सर्वोच्च अवसर की समानता उपलब्ध कराने के लिए और विज्ञान देश के मानवीय और नैतिक साधनों के अधिकतम विकास के लिए प्रशासन पर नए और आर्थिक महत्त्वपूर्ण दायित्व आ पड़े हैं। प्रशासन की मजबूती, पद्धतियाँ और कार्यविधि के पुनर्गठन का विचार जो आर्थिक गमौर है, विकास के लिए और भी गमौर हो गया है। "इनमें कोई संदेह नहीं कि स्पष्ट, सुगम और विप्लव प्रशासन सभ्य प्रजातांत्रिक आन्दोलन की प्रथम शर्त है।"¹

मुद्धार और पुनर्गठन के लिए उपायें गये जायेंगे क्योंकि बदला में यह स्पष्ट होता है कि सरकार इन क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रही है परन्तु फिर भी सगृह्यता के बावजूद उसी क्षमिता के विकास और कार्य-संरचना में सराहनीय वृद्धि आवश्यकता है। "प्रशासनिक व्यवस्था को अब व्यापकतरी रूप में स्थापना में मार्गदर्शन नहीं समझना या समझना करना है।"² "साथ प्रशासन का स्वयं-चिन्ता सुगमता में यह कार्य करता है और जो सदस्यो यह पंदा करता है उस पर ही अधिकतम विकास का मार्ग स्वयं-निर्भर होता है।"³ हमारे प्रशासन का मुख्य दायित्व अर्थात् राजस्व एवम् अन्तर्गत कार्य-विधि का सुव्यवस्था बनाने करना ही नहीं है जैसा कि इतिहास ज्ञान का अन्तर्गत था, बल्कि देश में से भूख, अभाव और दयित्व को समाप्त करने के लिए भी उसे मानवीय और नैतिक साधनों के विकास के लिए कार्य करना है। इनके लिए हम संवैधानिक और प्रशासनिक को आवश्यकता है। एतदर्थो के अन्तर्गत "एक अन्तर्गत व्यवस्था को अन्तर्गत बनाना हुआ मानव-संसाधनों में कोई नया मुद्धार नहीं कर सकता। आर्थिक प्रशासनिक व्यक्तियों को चाहे कि वे मानव या नारी शक्ति को अन्तर्गत करके और अन्तर्गत शक्तों द्वारा पूरे करें। नारी मानव संसाधन

1. "There can be no doubt that, efficient and impartial administration is the first condition of successful democratic planning."
—N. R. Pillai, Secretary, Planning Commission, July 17, 1951.

2. "... .. the machinery of administration has now to face problems connected with the establishment of a welfare state." Observed by Congress Working Committee in a resolution on Social and Economic programme.

3. "The phase of development will depend largely upon the quality of public administration—the efficiency with which it works and the cooperation which it evokes" (Stated by Planning Commission in its recommendation on the Five Year Plan)

अधिक महत्वपूर्ण होगा। इनके निम्नान्तक व लिए आवश्यक है कि वह 'बौद्धिक और प्रणाली' मूलक होने के साथ-साथ प्रशासन के ढांचे को भी प्रभावित कर सके।¹

BIBLIOGRAPHY

- 1 A D Gorwala Report on Public Administration
- 2 Paul H Appleby Public Administration in India—Report of a Survey
- 3 Herbert Emmerich Essays on Federal Reorganisation
- 4 Ruthnathswamy Principles of Public Administration
- 5 Hyderabad Economy Committee Report

1 " Average person working in an average way can not bring a wholly new day in India. Very extra ordinary people must carry the hope of India into the management of tasks enormously difficult and complicated. Public Administration will grow in importance and significance in India. Its growth shou'd be as much intellectual and methodological as it is physical."

दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय एकीकरण

(स्वरूप, सम्भावना एवं समस्याएँ)

—पुरुषोत्तम नागर

अपने लम्बे भीर-बठिन-समर्प के पदचातु एशिया के देशों को विदेशी साम्राज्य के भ्रान्तनायी पजे से अपने-आपको निवाल कर स्वतन्त्रता की वायु में श्वास लेने का अवसर प्राप्त हुआ। इस स्वतन्त्रता को स्थिर एवं सुदृढ़ बनाने रखने के लिए यह आवश्यक है कि अपने विचार-कार्यों में वे देश मिलकर, सहयोगपूर्वक एवं एक-संगठन के रूप में अग्रसर हों। इसी कारण अनेक-उच्चकोटि के विद्वानों को आज यह विचार प्रभावित करता जा रहा है कि दक्षिण-एशिया क्षेत्र को एक-संगठन का रूप दे दिया जाये।

दक्षिण एशिया की इच्छायाँ—दक्षिण एशिया के इस क्षेत्रिय संगठन में बिन-बिन-देशों को शामिल किया जाय इसके बारे में विचारकों में मतभेद नहीं है। कुछ विद्वान इसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल तथा तथा लडाख भीमिल करने हैं जबकि दूसरे अफगानिस्तान और बर्मा को भी इसमें मिला लेने हैं। बर्मा को प्रायः दक्षिण-पूर्वी एशिया एवं अफगानिस्तान को पश्चिमी एशिया के साथ समूह-किया जाता है। इसी प्रकार भारत को भी भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक राजनीतिक भूभाषों की दृष्टि में पश्चिम तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया से जोड़ा जाता है।¹ पाकिस्तान भी, क्योंकि 'सेन्ट्रो' तथा 'मिडो' का सदस्य है, पश्चिमी एशिया अथवा दक्षिणी-पूर्वी एशिया का एक भाग माना जाता है। मन-मिलता रहते हुए भी दक्षिण-एशिया को एक क्षेत्रीय संगठन का रूप देने वाले अधिराज्य विचारक भारत, पाकिस्तान, नेपाल, पञ्ज, बर्मा एवं अफगानिस्तान को इस-संगठन को इच्छायाँ मान कर पवने हैं।

क्षेत्रीय संगठन की आवश्यकता—दक्षिण एशिया के इन सभी राष्ट्रों के सम्मिलित मुख्य रूप से दो कार्य हैं—अपने देश की स्वतन्त्रता की रक्षा करना तथा देश का सर्वांगीण विकास।² जिस पराधीनता के चपुष से मुक्तकारा पाने के लिए इन राष्ट्रों को अनेक संपुठों की बलि चढ़ानी पड़ी थी वह फिर से न आत्राय हमरी रोक-भाष के लिए रसात्मक संपारियों एवं सैनिक शक्ति की भावर पर्याप्त होना आवश्यक है। किन्तु इन

1. Jawahar Lal Nehru's Speeches, 1947-49, P. 236.

2. "Congruent by many similar problems, and with a common interest in preserving and consolidating their newly won freedom, these Countries have a common stake in regional co-operation for common ends."

—Norman D. Palmer in forward of, 'India and Regional Integration in Asia', by Sisir Gupta.

पावश्यकता की पूर्ति के लिए इन देशों के पास समुचित साधनों का प्रभाव है अतः इन सब को एक सगठन बना लेना चाहिए तथा एक होकर अपनी स्वतंत्रता के दुश्मनों का मुकाबला करने को तैयार रहना चाहिए। दूसरी समस्या है इन देशों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में उन्नति करने की। इन समस्या का समाधान भी इन देशों की परस्पर सहयोगपूर्ण नीति पर आधारित है। सगठन में शक्ति होती है। इस शक्ति का प्रयोग करके ये देश अपने आपको ऊँचा उठाकर प्रगतिशील राष्ट्रों की श्रेणी में रख सकेंगे।

क्षेत्रीय सगठन में सहायक तत्व—जिस प्रकार व्यक्तिगत जीवन में मित्रता का आधार होता है निकट सम्पर्क, समान पृष्ठ भूमि, एक-ही अभिरचिचा, समान समस्याएँ, लक्ष्यों की समरूपता आदि आदि, ठीक उसी प्रकार दक्षिण एशिया को एक क्षेत्रीय सगठन का रूप देने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ विद्यमान हैं। इन क्षेत्र के देशों में पृष्ठ-भूमि, राजनीति, संस्कृति, धर्म, स्तर, लक्ष्य आदि की समानता परिलक्षित होती है जिसके आधार पर यह सम्माननीय स्वीकार किया जाता है कि इन देशों के बीच परस्पर मैत्री एक सहयोग की म्यागता ही मक्ती है। क्षेत्रीय सगठन के अनुकूल विद्यमान तब निम्न प्रकार हैं—

(१) भौगोलिक एकता—इन क्षेत्र की दबादबा भौगोलिक दृष्टि में पर्याप्त निकट हैं। अधिकांश की सीमाएँ एक दूसरे में मिली हुई हैं। यदि वहाँ घोर अफगानिस्तान को एक छोरे रखें तो हम पायेंगे कि अन्य चारों देशों की सीमाओं में भारी निकटता एवं सांनिध्य है। यही कारण है कि इन देशों का जटवायु, मानसून, वर्षा की अवस्थाएँ तथा रहन-सहन आदि के बीच एक आधारभूत समानता प्राप्त होती है। वहाँ तथा अफगानिस्तान को ऊँचे पहाड़ और गहरी खादियों ने भौगोलिक दृष्टि में विनाश कर दिया है किन्तु फिर भी ये देश पश्चिमी एशिया एवं दक्षिण-पूर्वी एशिया में भी उनसे ही दूर हैं अतः दक्षिण एशिया में इनसे समाहित किया जा सकता है।

(२) जीवन-यापन का धार्मिक तरीका—इस क्षेत्र के सभी देशों के नागरिकों का जीवन-यापन का तरीका किसी न किसी धर्म में प्रभावित है। सभी देशों में हिन्दू, मुसलमान, सिख, बौद्ध एवं ईसाई धर्मावलम्बी निवास करते हैं। भारत में हिन्दुओं को एक बड़ी समस्या निवास करनी है किन्तु साथ ही जगज्ज लः बरोड मुसलमान भी भारत के नागरिक हैं तथा अन्य धर्म भी अन्य मस्या में निवास करते हैं। यहाँ और वहाँ में बौद्धों का बहून है। पाकिस्तान में मुसलमानों की मस्या अधिक है। पाकिस्तान एक धार्मिक राष्ट्र [Theocratic State] है। धर्म ही इसके जन्म का आधार है तथा राज्य के रूप एवं नीतियों पर धार्मिक शिक्षाओं का पर्याप्त मात्रा में प्रभाव है। तथा के मोनो-थीयन में बौद्ध धर्म जनी प्रकार विरोधा दृष्ट है जैसे कि भारत में मूत्र।

(३) ब्रिटिश साम्राज्यवाद के गिहार—दक्षिण एशिया के सभी राष्ट्र स्वतंत्रता में पूर्ण ब्रिटिश साम्राज्यवाद के तब में जकड़े हुए थे। इन सभी राष्ट्रों की

दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय एकीकरण

समान रूप से विदेशी आतंक एवं शोषण का शिकार रहना पडा था। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक सभी दृष्टियों में समान रूप में इनको कुचला गया था। ब्रिटिश सरकार की नीतियाँ एवं रूप में इन राज्यों के शासन का मचालन कर रही थी। शिक्षा, धर्म, राजनीति, अधिवार आदि क्षेत्रों में प्रयोजनों जो एक भारत में अपनाया वही अन्य देशों में भी अपनाया गया। पाठ्याय शिक्षा में रगी हुई एवं नवीन मन्त्रि सभी देशों में समान रूप में विकसित होने लगी। 'भूट डालो और राज्य बरों' की नीति का सभी देशों को बडु फल चलना पडा। इन सभी समानताओं व आधार पर यह मानना प्रयोगिक न होगा कि दक्षिण एशिया क्षेत्र के इन सभी देशों की प्रकृति, स्तर एवं समस्याओं में एक-रूपता होनी चाहिए। ये सभी एक ही धरती के चट्टे-चट्टे तथा एक ही सखि में डाली गई मूर्तियों के समान हैं। इन सभी देशों में शासन की वागडोर उन लोगों के हाथ में रही जिन पर पारम्परिक सम्भ्यता एवं सस्कृति का जल्लंतनीय प्रभाव है। 'जातीय' भाषा-गत एवं सास्कृतिक अनेकता रहने हुए भी दृष्टिकोण की समानता इनमें पाई जाती है जिसके कारण सभी अनेकताओं महत्वहीन बन जाती हैं।¹ बाण्डुग सम्मेलन में भाग लेने वाले अधिकाय सदस्या का यह भाव था कि "हम एशियावासी एक ही प्रकार के भत्याचार से पीडित रहे हैं और हमारा लक्ष्य भी एक है। एशिया और अफ्रीका के हम लोग उपनिवेशवाद को लूट और भत्याचार के शिकार हुए हैं और इस प्रकार गरीबी व पिछड़ेपन की स्थिति में रहने को मजबूर किये गये हैं। हमारी भाषा जबरन दबाई गई है, हमारी महत्वावाक्षाओं को कुचला गया है और हमारा भाग्य दूसरों की दया पर निर्भर रहा है।"

(४) आर्थिक अर्धविकसितता—इन सभी देशों के शासने आर्थिक समस्याओं में समान रूप में उपस्थित हैं। पराधीनता के समय साम्राज्यवादी देशों द्वारा इन सभी देशों को समान रूप से शोषण का शिकार बनना पडा था। आर्थिक क्षेत्र में परम्पर महयोग की नीति अपनाकर ये देश अपने विकास की गति को तीव्रतर बना सकने हैं। इन क्षेत्र का योजनामय विकास किया जाय ता जल्दी ही आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। उत्पादन के बुद्ध क्षेत्रों में विंगणनता तथा तकनीकी योग्यता का परस्पर प्रादान प्रदान किया जाय। इन क्षेत्रों के देशों के आर्थिक विकास का स्तर समान नहीं है। प्रत्येक देश अपने सौनों का अधिा सं अधिा प्रयोग इन क्षेत्रों में करना चाहता है जो उमगी स्थिति एवं आवश्यकता के अनुस्य हैं तथा आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि में लाभदायक हैं। इन क्षेत्रों के विकास का कार्यक्रम इन प्रकार बनाया जाना चाहिए जिनमें उत्पादन एवं तकनीकी योग्यता का परस्पर प्रादान प्रदान होना रहे। वॉरम्बो योजना के पीछे यही भावना कार्य कर रही है। भारत में द्वितीय पंच-वर्षीय योजना का निरवय करने समय पूरे क्षेत्र की दृष्टि में गोपने का प्रयाय किया

1. W. Hundersen, "The Development of Regionalism in South-East", Vol IX, P. 464.

गया था। सोचा गया था कि गरीबों, जीवन-निर्वाह का निम्न स्तर तथा प्राथमिक शिक्षण आदि गरीब प्रवृत्ति को समझाये हैं। इन समस्याओं में छुटकारा पाने में एक देश के कार्यों एवं अनुभवों का दूसरे देश के लिए बड़ा उपयोग रहेगा।¹ भारत प्राथमिक दृष्टि से दक्षिण एशिया क्षेत्र का सर्वोत्तम समर्थक रहेगा। यह इस दृष्टि से भारत के लिए लाभकारी रहेगा।²

(५) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एवं शान्ति का समर्थन—दक्षिण एशिया क्षेत्र में स्थित सभी राष्ट्रों का स्वार्थ यह भाग करता है कि विश्व में संपर्क एवं वनवन्धन न रहे। शान्ति एवं परस्पर सहयोग का बनावरण ही वह उपयुक्त जनबाध है जिसकी उपस्थिति में इन देशों का स्वतन्त्रता का नव विकसित षोषा बढ़कर प्राथमिक, सामाजिक, राजनैतिक आदि क्षेत्रों में विकास के फल शीघ्र पुष्प प्रभृति बन सकना है। इस क्षेत्र के अधिकांश देश दोनों गुटों के बीच के संपर्क की भावना को कम करके दोनों में ही प्रच्छेद सम्बन्ध बनाने रखने के पक्षपाती हैं। भारत जैसे देश अस्वतन्त्रता के मिदानों पर अपनी विदेश नीति को प्रारंभ करते हैं जिसका प्रमुख मध्य विश्व से युद्ध के सफल को टारना तथा अपने विकास कार्यों में सभी राष्ट्रों का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करना है। पाकिस्तान यद्यपि पश्चिमी संविधान सन्धिया का सदस्य हो चुका है किन्तु साम्यवादी गुट के सहयोग की वह व्यवहारात्मक एवं तिरस्कार नहीं कर सकता।

संगठन के मार्ग की ओर किए गए प्रयास—इस क्षेत्र के देशों को एक दूसरे के अधिकाधिक समीप लाने की दिशा में पहले से ही अनेक प्रयास किये गये हैं। क्षेत्रीय संगठन का अर्थ 'भौतिक' दृष्टि से निकट स्थित राष्ट्रों का एक ऐसे समूह से है जो इकाइयों की मुद्रा एवं विकास की दृष्टि से बनाया जाता है। इस समूह की शर्तें किसी सन्धि या अन्य दूसरे साधन द्वारा निर्धारित की जाती हैं। इसी प्रकार के एक समूह की जन्म देने के लिये इस क्षेत्र के देशों ने कई क्षण प्रयास किये हैं, अनेक सम्मेलन बुलाये गये तथा मितवर इस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान ढूँढने का प्रयास किया गया। मई १९४७ में देहली में २२ मार्च में २ अगस्त तक एशियाई सम्मेलनों पर एक सम्मेलन बुलाया गया। इनमें एशिया के २४ देशों ने भाग लिया तथा एशिया की समस्याओं पर विचार विमर्श किया जैसे एशिया में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन, जातीय

1. "It has to be kept in mind that poverty, low standard of living and economic backwardness are problems of common interest, and the efforts and experiences in each country are bound to be of value to the others in the area faced with similar problems."

—India the Second Five Year Plan, New Delhi, 1956. P. 19-20.

2. "In any event, India's aversion to regional co-operation or integration in Asia is likely to be the least in the economic sphere."—Shri Gupta: India and Regional Integration in Asia. P. 105-6.

समस्याएँ, सामूहिक कार्य, वृद्धि एवं उद्योग आदि ।¹ इस सम्मेलन में उद्घाटन भागण देने समय पण्डित नेहरू ने क्षेत्रीय सहयोग की महत्ता पर बड़ा ध्यान दिया था। इस सम्मेलन का सबसे बड़ा महत्त्व इस बात में था कि एशियाई देशों के बीच सम्बन्धों के विकास का हमने श्रीमण्डल किया। १९४७ में इण्डोनेशिया पर डचों द्वारा जो आक्रमण किया उसे एशिया बानों ने बड़ी गम्भीरता से लिया तथा इसे एशिया पर आक्रमण के रूप में माना। नई दिल्ली में इस समस्या पर विचार करने को सम्मेलन बुलाया गया। इसमें करीब १३ देशों ने भाग लिया। सम्मेलन २० जनवरी १९४८ को बुलाया गया। इसके बाद बैंगलोर सम्मेलन (Bangalore Conference) बुलाया गया। भारत ने इस सम्मेलन में भाग लेने को जो धर्म रखी वह यह थी कि सम्मेलन केवल धार्मिक क्षेत्रों से ही अपना सम्बन्ध रखे। भारत को जब यह आश्वासन मिल गया कि सम्मेलन राजनैतिक मामलों पर विचार-विमर्श न करके केवल सांस्कृतिक कार्यों से संबंध रखेगा तो भारत ने इसमें भाग लिया। १९५० में होने वाले इस सम्मेलन में करीब ६ देशों ने भाग लिया। इसमें सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग के प्रस्ताव पास किए गए। अगस्त, १९५४ में बोनम्बो में सत्ता, भारत, इण्डोनेशिया, धर्मा और पाकिस्तान जैसी कौलम्बो शक्तिपों ने एक सम्मेलन का आयोजन किया। यह सम्मेलन मुख्यतः उपनिवेशवाद का विरोधी था। इस सम्मेलन में भारत-चीन स्थिति, हाइड्रोजन-बम का प्रश्न, अणुनिशानाई की मोरचों के प्रश्न और सामान्यतः साम्यवाद के प्रश्न पर विचार किया गया। इस सम्मेलन के सदस्यों ने अन्तः प्रश्नों पर जोर दिया था। सत्ता ने साम्यवाद के सतरे में बचने के लिए अग्रिम सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया, सभी ने अग्रिम सहयोग बढ़ाने की भाष की, पाकिस्तान के अनुहार सम्मेलन को मूलतः काश्मीर समस्या पर ही विचार करना चाहिए था, पण्डित नेहरू ने इण्डो-नेपाल तथा हाइड्रोजन के प्रश्नों को महत्वपूर्ण माना जबकि इण्डोनेशिया एक धर्मोन्नी-एशियाई सम्मेलन बुलाने की मांग पर जोर डाल रहा था।²

अगस्त १८ से २४, १९५५ तक एशिया तथा अफ्रीका के देशों का एक सम्मेलन वाशिंगटन (इण्डोनेशिया) में बुलाया गया। भारत महिग २९ एशियाई व अफ्रीकी देशों ने इसमें भाग लिया। इस सम्मेलन के परिणाम केवल धर्मनिरपेक्षता ही न थे बल्कि आशा के विपरीत भी थे। हमने एशिया के देशों को विदेश नीति के बीच भारी धनरों की स्थापना की। पश्चिम समर्थक व विरोधी देशों के बीच का अन्तर बड़ा। अग्रिमता की नीति पर अन्तः प्रश्नों को भी कई समस्याओं को धोरण दिये गए। इस सम्मेलन ने चीन के मोरचों को भारत की नीति पर बड़ाया। २४ अगस्त, १९५५ के लुयार्ड टारम्प में टिणली की कि पण्डित नेहरू इस सम्मेलन की कार्यवाही की अपनी इच्छा के अनुसार संचालित करने में समर्थ रहे। इस सम्मेलन में मुख्यतः अग्रिम सहयोग, सांस्कृतिक

1. Keesing's Contemporary Archives, 1947, P. 8862.

2. Keesing's Contemporary Archives, 1954, P. 13576.

महयोग, मानवीय अधिकार व आत्म-निर्णय, परावन्धी व्यक्तियों की ममत्ता तथा विरव-गान्धिव महयोग की ममत्ता पर विचार किया गया।

मई, १९५५ में १३ एग्निवाई देगो का एक सम्मेलन गिन्ता (नाम्न) में हुआ गया। इस सम्मेलन के विचार का प्रमुख विषय समरसकन म्हादना का उद्देश्य, उद्देश्य में आने वाली कृत्रिमता एवं अन्य उच्च प्रकार के आर्थिक प्रश्न थे। म्हा ज्ञाता है कि इस समय समरसका की आर्थिक दृष्टि थी कि एग्निवाई में क्षेत्रीय समरस के नाव जागृत हों। Harold Stassen इस सम्मेलन के प्रमुख प्रेरक थे। विन्तु समरसका की आशाओं के अनुसार इस सम्मेलन के परिणाम प्राप्त न हो सके जैसा कि १३ मई के न्यूयार्क टाइम्स के सम्पादक का कथन है कि समरसका का आशा थी कि विरवस का कोई ऐसी योजना तैयार करेंगे जिसमें आइसनहावर फंड का नाभूहिक आधार पर उपयोग किया जा सके विन्तु गिन्ता सम्मेलन ने यह बताया कि एग्निवाई का कोई ऐसा क्षेत्रीय योजना को स्वीकार नहीं करता, उल्टे करता है।

सितम्बर, १९६१ में पून. एग्निवाई आर्थिक आयोगों का नए दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें क्षेत्रीय महयोगों की ममत्ताओं पर पुनर्विचार किया गया। इस सम्मेलन के जो सीधे उद्देश्य थे वे काफी सीमित थे। इनकी प्राप्ति में यह सम्मेलन सफल रहा विन्तु क्षेत्रीय महयोग के मूल मरस की प्राप्ति में यह कामयाब न हो सका। क्षेत्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधाएँ—दक्षिण एग्निवाई का क्षेत्रीय एकीकरण करने के मार्ग में आनेवाली बाधाएँ हैं जिनका निराकरण किये बिना आगे बढ़ना सम्भव नहीं है। इस क्षेत्र के देगो में आनेवाली निम्नताओं विद्यमान हैं। क्षेत्र में एक मूल का अभाव है, इस क्षेत्र के अनेक देग बाध्य शक्तियों द्वारा निम्न एग्निवाई देगो की शक्तियों में बंधे हुए हैं। उनकी अन्तही ममत्ताएँ हैं। इस क्षेत्र के देग राजनीतिक दृष्टि में स्थिर व समरस नहीं है। महा के देगो ने एग्निवाई के बाहर बायो में आने ममत्तय बना र्ण्य है तथा आत्म में आर्थिक प्रतिद्वन्द्विता में अक्षरतार करने है। इन सब परिस्थितियों के हानि हुए क्षेत्रीय एकीकरण को अन्तही कुछ निराशा ही प्रकृत होती है। इस कामना की जिदों के मार्ग में कुछ अन्य कृत्रिमता इस प्रकार है—

(१) इकाइयों की सममानता—इस क्षेत्र के देग नैतिक, मानसिक, पारिस्थितिक, राजनीतिक एवं अन्य दृष्टियों में समान नहीं है। नेता व दलों जैसे छंटे व वन शक्ति बाते देग समान हैं, साथ ही भारत जैसे विमान व शक्ति-सम्पन्न राष्ट्र भी हैं। जैसा कि हम व्यक्तिगत जीवन में भी देखते हैं, मित्रता मरस दरार बायो न ही होती है नहीं तो ऊँचतम का नाव आगे बिना नहीं रह सकता। छंटे देगो को यह सचता है कि बस देग क्षेत्रीय एकीकरण के मार्ग पर उन पर हाकों न ही साथ ही कभी पुनः उनकी स्वायत्तता कोई छंटे न में। इनके अतिरिक्त भारत एक विमान देग प्रकृत है विन्तु

1. "There is no friendship when nations are not equal, when one has to obey the other and one dominates the other."
—Jawahar Lal Nehru's Speeches, 1953-57, P. 290-1.

अमरीका की भांति वह आर्थिक व सैनिक क्षेत्र में अभी इतना मजबूत नहीं हो पाया है कि अपना प्रभाव प्रयोग करके क्षेत्रीय सहयोग की स्थापना कर सके।

(२) आर्थिक प्रतिद्वन्द्विता—आर्थिक दृष्टि में ये देश एक दूसरे के सहयोगी होने के स्थान पर प्रतिद्वन्द्वी हैं। इस क्षेत्र के अधिकांश देशों को बहुत कुछ आयात के सहारे ही जीवन निर्वाह करना होता है। इस दृष्टि में इन देशों के हितों में बड़े बड़े विरोध पैदा हो जाता है। यह भी कहा जाता है कि यदि इस क्षेत्र का एकीकरण कर भी दिया जाय तो भी इन देशों के बीच इनके विचारों के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते। निश्चय ही एशिया में क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के मार्ग की यह मूलभूत सीमा रेखा है।^१ गृहयुद्धों में जब यह पुछा गया कि आप ब्रिटेन या अमरीका जैसी बड़ी शक्ति न बचने की अपेक्षा आपस में मिल क्यों नहीं जाते तो उनका उत्तर था कि शून्य और शून्य और शून्य मिल कर अधिक शून्य के बराबर ही तो होते हैं।^२ यह कथन इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि इस क्षेत्र के देशों के पास पर्याप्त संपत्तियों का अभाव है। यदि एकीकरण भी हो जाय तो भी इनको बड़ी शक्तियों की सहायता की ओर तारना होगा।

(३) घरेलू झगड़े—इस क्षेत्र के अधिकांश देशों के बीच किसी न किसी विषय पर मतभेद होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच काश्मीर का झगड़ा एवं घोरणा-हीन युद्ध का पारंगत बन गया तथा दोनों देश पुम्बक के दो निरों की स्थिति में आ गए जो कभी मिल सकेंगे यह कल्पना नहीं की जा सकती। 'पाकिस्तान का भगदा अफगानिस्तान के साथ भी है, पानूनों की समस्या की लेकर। सजा और भारत के बीच नरत स्थित भारतीयों को लेकर युद्ध भन मृदाव है।' इस मन-मुटाव व मतभेद की स्थिति में इन देशों के एकीकरण की सम्भावना आसान बुझुम एवं कल्पानुत् की सम्भावना की भांति आधारहीन है।

(४) राजनैतिक बाधाएँ—दक्षिण एशिया क्षेत्र में स्थित देशों के राजनैतिक रूपों में पर्याप्त भिन्नताएँ वर्तमान हैं। एक ओर बर्मा, पाकिस्तान आदि देश हैं जो प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के विरुद्ध तानाशाही शासन में विद्यमान रहते हैं तथा इसी व्यवस्था में देश के आर्थिक (एवं अन्य क्षेत्रों में) विकास को परिलक्षित करते हैं। समानता, स्वतंत्रता आदि आदर्शों का इन देशों में कोई विशेष स्थान नहीं है। दूसरे ओर भारत जैसे देश हैं जो प्रजातन्त्र में विद्यमान रहते हैं और स्वतंत्रता और समानता आदि आदर्शों की रक्षा के लिए धीमे-धीमे मार्ग को अपनाते में मजबूत नहीं रहते।

1. "This indeed is a basic limitation on regional economic co-operation in Asia."

—P. S. Lokanathan. "Regional Co-operation in Asia." India quarterly, January-March, 1951.

2. "Zero plus Zero plus Zero is after all equal to Zero."

—Prime Minister's Statement on Foreign Policy, 9 Dec., 1956.

इन देशों के राजनैतिक आदर्श भी भिन्न हैं। पाकिस्तान के बेनिश प्रजातन्त्र, भाग्य का सुखदायक प्रजातन्त्र, नेपाल की पचास-सहस्रवर्षीय मेवाँई आदिभक्त सम्बन्ध नरकर नहीं आता। वर्तमान भारत-पाक संघर्ष में यह स्पष्ट हो गया कि कानाकाशी और प्रजातन्त्रवादी आदर्श साथ मिलकर नहीं रह सकते। एक दूसरे में घाग व फुस का सा बंध है। इस युद्ध में भारतीय जनता ने प्रजातन्त्र व धर्म-निर्लेखतावादी अपने आदर्शों की रक्षा के लिए कुर्बानियाँ की। युद्ध के दौरान डा० राजाहन्स ने कहा था कि हमारा युद्ध प्रजातन्त्र व धर्म-निर्लेखता के सिद्धान्तों के लिये है। हमारा विजय पर ही 'एशिया में प्रजातन्त्र का अविष्य' निर्धार कइया है। नेपाल में लोकतन्त्र की स्थापना के लिये भारत की ओर से आर्षा प्रदान किया गया किन्तु कुछ वर्षों के अनुसार इसका यह अर्थ लगाया गया कि नाग्य नेपाल पर अपना प्रभाव जमाना चाहता है।

(५) विदेशनीति में भिन्नता—इन क्षेत्र के नती देखाओ एक प्रकार की विदेश नीति का अनुसरण नहीं करते हैं। बड़े स्थानों पर इनकी विदेश-नीतियाँ आमतौर में टकराओ की नरकर आओ हैं। पाकिस्तान ने प्रारम्भ में ही तटस्थता की नीति का परिष्कार कर दिया था। पाकिस्तान की विदेश नीति के दो प्रमुख तत्त्व प्रारम्भ में ही रहे हैं। (१) कश्मीर प्रश्न पर भाग्य को सुलने के लिये वाप्य करना और कश्मीर को भाग्य से विनय कर पाकिस्तान में मिलाना। (२) समस्त इस्लामी शक्त का नेतृत्व करना। ये दोनों तत्त्व सीधे भाग्य की विदेश नीति को प्रभावित करने हैं तथा दोनों देशों की बीच संघर्ष, मतभेद और यहां तक कि युद्ध का भी कारण बन गए हैं। नेपाल की विदेश नीति जैसा कि १९६२ में उन पर प्रकाश डालते हुए एककाज्ञताद आचार्य ने कहा था, साम्यवादी चीन कम की नीति को अपना आदर्श मान कर चली। बहने को तो भारत को यह विश्वास दिखाया गया कि नेपाल सिद्ध-शान्ति और-नागरिकवाद विरोधी भारत की नीति पर उनके चरण चिन्नों का अनुसरण करने को तैयार है किन्तु अन्तर्गत में ऐसा नहीं किया गया। नेपाल और बर्मा ने साम्यवादी चीन के साथ सीमा-सम्बन्धी सम्बन्धों की। इन सम्बन्धों में चीन का लक्ष्य कुछ और अधिक अर्थ प्राप्त करना नरकर भाग्य को सीमा सुवीती देना था क्योंकि एशिया के अन्तर्गत पर लोकतन्त्रवादी भारत की सम्बन्धी चीन के एशिया का नेतृत्व करने के स्वयं की सुरा करने में बाधक थी। उदा में साम्यवादी जाड़ी मर्या में भीरु है और समय समय पर नरकर को नई समस्याओं में उतरने का प्रदान करते रहते हैं। तमिल सिद्धान्त संघर्ष और नाग्य प्रजातन्त्रों की समस्या के बावजूद आर्य व मर्या के बीच बहने के भाव हैं। अन्तर्गत और भाग्य (की विदेश नीति अन्तर्गत की नीति है। वे देश जिन्हीं गुट या देश विरोध के साथ अपने आदर्शों वाचना नहीं चाहते। साम्यवादी कम ना करने लिखतवर्षों परलोक सम्बन्ध होने हुए भी अन्तर्गत-निम्नान के बावजूद साम्यवाद विरोधी अन्तर्गतवाक सम्बन्धों में अन्तर्गत होने में मना कर दिया। भाग्य की इन अन्तर्गतों का आरम्भ में ही विरोध कइया गया है। इन देशों

की यह नीति परिवर्तन में जो बि सीएटो तथा सेन्टो का सशिय सदस्य है, मिश्र है। बर्मा भी तटस्थ नीति का अनुकरण करता हुआ साम्यवादी व गैर-साम्यवादी दोनों ही गुटों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने का प्रयास कर रहा है। इस मिश्रता के रहने हुये यह सम्भव प्रतीत नहीं होता कि कोई क्षेत्रीय मण्डल की स्थापना हो जायेगी।

अन्य समस्याएँ—क्षेत्रीय और लेटिन अमेरिका की भांति दक्षिणी एशिया का क्षेत्र निर्धारित नहीं है। क्षेत्रीय एकीकरण की दिशा में चीन में प्रयास किए जाने चाहिए। क्षेत्रीय जनता के मास्वृष्टिक, धार्मिक, जातीय जीवन में कोई समानता नहीं है। इन देशों में परम्परागत मूल्य तथा अन्य स्वामि भक्तियों के अनुसार भी परम्पर निवृत्तता की अभिवृद्धि नहीं होती। इस क्षेत्र के वर्तमान बौद्धिक वर्ग की श्रद्धा भी एकीकरण की ओर नहीं है। योरोप की भांति एशिया के देशों का आकार एक सा नहीं है। इस क्षेत्र में कोई देश इतना सक्तिशाली व गरमय नहीं है कि जो अपनी धार्मिक सक्ति व सैनिक सामर्थ्य को क्षेत्रीय मण्ड के निर्माण में प्रयुक्त कर सके। यदि इस क्षेत्र के सभी देश मिल जायें तो भी किसी बड़ी शक्ति के आक्रमण से अपनी रक्षा करने में असमर्थ रहेंगे। इस क्षेत्र के देशों में मज्जार के माधन अधिष्ठ सन्धिय नहीं है। राजनैतिक रूप से प्रभावशाली समुदायों के बीच अधिष्ठ सम्बन्ध नहीं है। विभिन्न राष्ट्रों के बुद्धिगोल वर्ग में व्यावहारिक दृष्टि में समस्याओं पर विचार विनिमय नहीं होता। राजनैतिक व्यवस्था, मूल्य और विचारों की दृष्टि में इस क्षेत्र के देशों में पर्याप्त भिन्नता वर्तमान है। धार्मिक व सामाजिक आदर्शों में भी उनका ही अन्तर है। विदेशनीति के क्षेत्र में अमान्यता, असम्मान और साम्यवादी-तीनों ही नीतियों में विद्वान्ग करने वाले देश इस क्षेत्र में स्थित हैं। अमान्यता में विद्वान्ग करने वाले देशों के विचारों में भी एकता नहीं है। राष्ट्रों के बीच परस्पर काफ़ी मण्ड के नत्व वर्तमान है। क्षेत्रीय एकीकरण के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा यह है कि इस क्षेत्र के अधिष्ठात राज्य हाल ही में राष्ट्र राज्य के रूप में उदित हुए हैं। इस स्थिति में यह सम्भव नहीं है कि राष्ट्र भक्ति के स्थान पर ये देश क्षेत्र तत्र विस्तृत कर सकें। धार्मिक क्षेत्र में क्षेत्रीय एकीकरण में होने वाले लाभों के प्रति छोटे देश समान रूप में जागरूक नहीं हैं। छोटे देशों को डर है कि बड़ी बड़े देशों की प्रयुता स्थापित न हो जाये। इन देशों की धार्मिक स्थिति सन्धयोगी न होकर प्रतिद्वन्द्वितापूर्ण है। नाथमिन पेकिर का यह मत है कि विश्व राजनीति में एक प्रभावशाली दरार्द के रूप में दक्षिण-पूर्वी एशिया नाम की कोई चीज नहीं है। यह तो स्वाँव के उम स्थान पर स्थित है जहाँ कुछ समुदाय थोड़ी बहुत समानतायें रखते हुए पाल-पाल रह रहे हैं।¹

1. "In short South East Asia is not a region that can be conceived as an effective entity in world politics. It is a place in the globe where certain groups of people, holding little in common, live contiguous to one another."

—Nathaniel Peffer, "Regional Security in South East Asia",
International Organisation, Aug 1954,

क्षेत्रीय संगठन पर प्रभाव डालने वाले तत्व—अन्तर्राष्ट्रीय पटन पर अनेक ऐसी घटनाएँ घटी व परिवर्तन हुए जिन्होंने क्षेत्रीय एकीकरण को दिशा में किये जाने वाले प्रयासों को प्रभावित किया। साम्यवादी चीन का एशिया की एक बड़ी शक्ति के रूप में उदय ऐसा ही एक तत्व है। कोर्टे भी क्षेत्रीय संगठन बनाने समय, मुख्य प्रश्न यह आने लगा कि क्या चीन को उनमें सम्मिलित किया जाय ? यदि नहीं, तो एक बड़ी शक्ति के विरोध का भय था और यदि हाँ तो उसके प्रभाव बढ़ने का भय था। चीन के उदय ने इन क्षेत्रीय संगठनों के रूप को आधिपत्य व मान्यता के स्थापन पर सैनिक बना दिया। यह रूप भाग्य की रचि के अनुकूल न था। चीन ने एशिया में अपना प्रभुत्व जमाना प्रारम्भ कर दिया। एशियन गैरमन्स वायर्सन्स में ही चीन ने भाग्य के साथ शक्ति को प्रतिद्वन्द्विता प्रारम्भ कर दी।¹ एशिया एक अक्षीय के अन्तर्गत प्रभुत्व जमाने की दृष्टि में ही चीन ने भाग्य पर १९६० में आक्रमण किया। चीन ने पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध लड़ना कर इसकी शक्ति का स्थिति करना चाहा। दक्षिण एशिया के देशों के दिनों में चीन का एक इतर ही बिना उभरना नया वे साम्यवाद के निकट आये। चीन ने नाट्य शक्ति कर दक्षिण को हस्तगत करने का पाकिस्तान को अच्छा प्रभाव दिया। उनमें सुनारिष्ठि मेंड कर बांग्लादेश में विद्रोह करने का प्रयत्न प्रभाव दिया और बाद में साम्य आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान के आक्रमण के समय दक्षिण एशिया के देशों का जो रूप रहा उसमें क्षेत्रीय संगठन की रहीं-ही सम्भावनाओं पर भी तुषारागत कर दिया। पाकिस्तान ने मुनि-समन्तोता करके भारत की विमान मुनि-गति को चीन को सौंप दी है। भाग्य-याक समय में ही चीन ने भारत का आक्रान्ता पत्तर कर पाठ के प्रति जा महातुम्निपूर्ण रचना अनायास अपने भारत के दिन में पाकिस्तान के प्रति र्छ-मह गन्देह को भी नाक कर दिया।

दक्षिण-एशिया क्षेत्रीय संगठन के विरुद्ध—दक्षिण एशिया क्षेत्रीय एकीकरण के मार्ग की बाधाओं की देखकर अनेक लेखकों द्वारा यह मुन्सव दिया जाता है कि भारत-पाठ का एक मन्ड बना दिया जाय। इस उमहादीन की उकाटया निरकर र्था और विमान की दिशा में अग्रसर होंगी। यदपि इन मध के निर्माण के मार्ग में भी अनेकों बाधाएँ हैं तन्तु इसमें होने वाले नाम भी महत्वपूर्ण हैं। पाकिस्तान इन मध में बहूत लानान्तिर हो सकेगा। पूर्वी एक पानिमी पाकिस्तान के बीच अनुचित सम्बन्ध स्थापित करने के लिए भारत के सहयोग की सारी आकांक्षा है। भाग्य-याक मध के सुनसंरो का मन्ड है कि लानि, सम्भूति, भादा, उन्निशन, पम्पन निरंरता, मवाग-भाधन, आरिध व सैनिक म्हादती पर निर्भरता आदि बातों को सम्भावना र्थिनी भाग्य व पाकिस्तान में पार्द

1. "The Chinese had no wish to be tied to an organisation in which India was predominant. The r tactics at the Conference was to keep India's status within bounds. No more did the Indians wish to surrender any power to the Chinese."

जाती है उसको इस क्षेत्र के विन्ही दो देशों में नहीं पाई जाती। सदियों तक दोनों ही देशों का इतिहास एक दूसरे के रूप में समान स्तरों पर प्रवाहित हुआ है। देश के विभाजन द्वारा साम्प्रदायिक समस्या को न गुप्तभाषा जा गया और न ही इस क्षेत्र में स्थिरता की प्रतिष्ठापना की जा सकी।

भारत-पाक संधि के महत्व पर ये दोनों ही देश सहमत थे किन्तु इस संधि के हानि, व्यवहार, प्राथम्य आदि के बारे में मतभेद नहीं रह गया। पारिष्कार की वर्तमान विदेश एक स्वदेश नीतियों के रहने हुए इस संधि के जन्म के कोई आधार नजर नहीं आता। यद्यपि भारत-पाक युद्ध के अनन्त बकवर्षों को रोकने के लिए संधि निर्माण कर बाढ़ लगातार का शुभान देने वाली थी अन्य भी नहीं है किन्तु इसको लागू करने का मार्ग किसी के पास नहीं है। एक माध्यम पारिष्कार न माना जा सकता है। काश्मीर में विद्रोह बगैरे सर्वप्रथम उस अधिष्ठित किया जाय। बाद में जम्मू एवं के बाद एक भारतीय दलालों को अपने हाथ में ले लने के बाद दिल्ली के ताकतियों के विरुद्धों को बाद विचारों की छान दे दी जाय। इस मार्ग में पारिष्कार भारत को मिटा कर पूरे उपमहाद्वीप पर मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना चाहता था जहां कि अंतर्गत में उनके पुरखे भी कर चुके थे। पाक की यह चाल सफल न हो सकी। अंतर्गतों के विरुद्धों या बर्बाद करने, भारत युक्तियों आन्दोलन मताने, अन्तर्राष्ट्रीय माध्यमों के मातृगीतों करने के अतिरिक्त वह कुछ भी न कर पाया। समस्यता और ताताताती ये पारिष्कारों की बातें के दो पत्रवार हैं जो अतिरिक्त समय तक विन्ध-नागर में उच्च स्थित रखने में सममर्थ हैं, विन्धने पर पत्रों में या तो प्रसन्न ही नहीं उठता।

वास्तविकता तो यह है कि भारत-पाक संधि भी सम्भव नहीं है। इसके मार्ग में ये सभी बाधाएँ हैं जिनका दक्षिण-एशिया एकीकरण के प्रसंग में हम जान चुके हैं। इसके अतिरिक्त भारत देश विभाजन को १८ वर्षों का समया समय बीत चुका है। इस बीच दोनों देशों की राजनीति, अर्थिक, सामाजिक एवं अन्य स्थितियों में बहुत अन्तर आया है। अनेक कारणों से यह समझा जाता है कि भारत-पाक को मिटाने का यदि कोई प्रयास किया गया तो इसका परिणाम होगा समस्यता का पुनरावृत्ति।¹

पारिष्कार के अतिरिक्त एक दूसरा छोटा क्षेत्र दक्षिण एशिया में है जिसके बारे में डॉ. जे. ए. ए. के अनुसार दक्षिण एशिया के संभाव्य दिशे जाय है। कहा जाता है कि इस क्षेत्र के निरन्तरों भाग में पाक युद्ध और विन्धित एक परिणाम के रूप में भारत-पाक संधि करके।

1. Any attempt to reintegrate India and Pakistan might regenerate the kind of politics in the subcontinent which had led to man violence and a collapse of sophisticated politics."—Sisir Gupta, *India and Regional Integration in Asia, 1964*, P. 109.

उन परिणाम को हिमायेमिया को गला प्रदान की जाती है। इन देशों के बीच यद्यपि अनेक प्रकार के अन्तः वर्तमान हैं तो भी इनको समान रूप में एक ही समन्यायो का मानना करना है, विकास मार्ग की बहिष्कारना उसके सम्मुख एक ही प्रकार की है। सभी देशों को अभी एक सुसंगठित राज्य-यन्त्रणा की स्थापना करनी है। चीन ने भारत पर जब १९६० में आक्रमण किया तो इन प्रकार के एकीकरण को मानने वाली और पकड़ा था। अनेक दिशाओं में ये विचार भी व्यक्त किये गये कि इन क्षेत्र के देशों को अपने आपकी स्वतंत्रता के अन्तः स्थापना के लिए समर्थि इन देशों को देना भी बातें स्वतंत्रता के माध्यमता समर्थी हैं। किन्तु फिर भी अनेक तरह ऐसे भी हैं जो कि इन क्षेत्र के देशों की स्वतंत्रता को अस्वीकार करना देते हैं। जब भारत और चीन का हिमा-यन को सीमाओं पर सम्बन्ध बढ़ हो रहा हो तो वैसे ये देश अपने आपकी स्वतंत्रता बनाये रखेंगे चीन उनकी स्वतंत्रता को पकड़ा होगा।

दक्षिण एशिया क्षेत्रीय-एकीकरण के अध्ययन के कुछ निष्कर्ष—दक्षिण एशिया के देशों का अर्थोप एकीकरण करने का जो विचार है तथा इन दिशाओं की उप-निर्णय के हेतु जो प्रयास किये गये हैं वे हमने देखा। नाथ ही इन प्रकार के एकीकरण के मार्ग की बाधाओं को भी हमने परिलक्षित किया। क्षेत्रीय एकीकरण के इन विचार को सबसे बड़ी विरोधता यह है कि इनको कोई भी इच्छा इन मसल को स्थापना के लिए करने पूरे उदाहरण न मानने जो उदाहरण नहीं है। भारत, पाकिस्तान, बर्मा, नेपाल, अफगानिस्तान व तथा किसी भी देश का इनका अन्तः स्थापना एक एकीकरण को समर्थित महत्व प्रदान नहीं करती। प्रत्येक देश के ऐसा करने के करने-करने कारण तथा अपनी-अपनी सम्न्यायों हैं। इन दिशा पर करने विचारों की धारा को बाधित करने में पूर्व यह उदाहरण होगा कि इन अध्ययन में जो सामान्य निष्कर्ष अवगत हैं होते हैं उनको भी संक्षेप में चिन्तित कर दिया जाय। वे निम्न प्रकार हैं :—

(१) क्षेत्रीय-एकीकरण अस्वाभाविक है—दक्षिण एशिया क्षेत्र के देशों में गिद्य अन्तःस्वायत्ता, वैभक्त्य, सधर्म, संस्कृति एवं राजनीतिक अन्तः के रहते हुए यह अन्तः प्रवृत्त नहीं होता कि इन प्रकार का कोई मसल बन सकता है। यदि ऐसा मसल बन भी गया तो स्वाभाविक कारण के अन्तः अन्तः पकड़ा वह स्थिर नहीं रह सकता। देना कि संश्लेषण का विचार है कि इन मसल के विरोधों किन्तु ही शैक्षिक एवं आर्थिक सब हैं किन्तु सबसे सम्पूर्ण है इच्छाओं के बीच का अन्तः। छोटे देशों को आसता है कि क्षेत्रीय एकीकरण में वे सम्मिलित में स्वयं मोटा करने को शक्ति को भी देने तथा एक ही-ही इच्छा उनके बीच में आसता। उदाहरण के राष्ट्रीय हित क्षेत्रीय हित के अन्तः हो आसता। वे सब बातें सामर्थ्य राष्ट्रों के लिए एक ही बनने हैं जहाँ विभिन्न अर्थ-यन्त्रणा बाधन हैं किन्तु आर्थिक दृष्टि में पिछड़े देशों के लिए यह सम्भवताव निष्ठ है। क्षेत्रीयता एक प्रकार का लोभ (Luxury) है जिसे ये देश नहीं निभार सकते। निम्नता बाधन के पर बात स्पष्ट कर दो कि एशियावासी

चाहते हैं कि वस्तुस्थिति ज्यों की त्यों बनी रहे ।¹

क्षेत्रीयता की पूर्ण प्रावश्यकताएँ होती हैं जैसा कि इराक़ का एक सा राष्ट्रीय दृष्टिकोण, साधना की कमी तथा बाजार का अभाव आदि से पूरा प्रावश्यकताएँ दक्षिण एशिया क्षेत्र पर पूर्ण रूप से लागू नहीं होतीं और इसलिए क्षेत्रीय एकीकरण एक अव्यावहारिक रचना है जो कुछ मध्यमिणामों की प्राप्ति के लिए की गई है किन्तु निराधार है ।

(२) सरकार का विरोधी—किमी भी प्रकार का क्षेत्रीय संगठन है, वह निम्नय ही विश्व सरकार के मांग में एक बाधा का कार्य करेगा। क्षेत्रीय संगठन की उदात्तों के सामने विश्व की प्रेरणा उनके अग्रत क्षत्र का हित प्रदान रहता और इस प्रकार राष्ट्रीयता की भावना के जो दुष्परिणाम गिनाये जाते हैं वे सभी इस क्षेत्रीय एकीकरण की योजना पर भी उनसे ही बरत उमसे गम्भीर रूप में लागू होते हैं। जी० डी० एच० बोव तथा वाल्टर रिपमेन ने इस प्रकार के क्षेत्रीय संगठन को विश्व सरकार की दिशा में ही एक अग्रत कदम माना है किन्तु नेहरू ने इस प्रकार के विचारों को भ्रमों का प्रत्याय स्वोत्तर दिया उनका विचार था कि जब तक कि अतिशयनी विश्व मध्य द्वारा ये क्षेत्रीय संगठन एकीकृत न हों वे इस विचार का समर्थन नहीं कर सकते। उनके मतानुसार स्वतन्त्रीय स्वायत्तता से पूर्ण इस प्रकार के बड़े राज्यों का निर्माण करने विश्व की एवता व विश्व संगठन की सम्भावना का मिटाना एक भ्रमता पूर्ण कार्य है।²

(३) मानवता के विरुद्ध—दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय एकीकरण कुछ विचारकों के मतानुसार मानवता के सिद्धान्तों के विरुद्ध होगा। आज के अग्रत-युग में मनुष्य को शान्ति की आवश्यकता है। यह युद्ध की विभीषिताओं से बचकर सम्पत्ता व मनुष्यता का नाम निगात मिटा देने वाली प्रवृत्तियाँ से बच कर भाइयारे, सह-प्रतिक्रम, सहयोग और शान्ति में जीवन यापन करने की टाह म है। इतिनिभे समय की आवश्यकता के अनुसार मानवता विश्व सरकार की आकांक्षा करती है। किमी भी प्रकार का क्षेत्रीय

1. "The Asia Conference showed that Asia would rather have things go on as they are then try any of those new fangled regional ideas"

—New York Times, 13 and 14 May, 1955

2. "For my part, I have no liking for a division of the world into a few huge supranational areas unless those are tied together by some strong world bond. But if the people are foolish enough to avoid world unity and some world organisation, each functioning as one huge state but with local autonomy, are very likely to take shape."

—J. S. Bright (ed.), Before and After Independence, New Delhi, 1950, P. 279.

भारत में राजकीय राजनीति (STATE POLITICS IN INDIA)

रमेश प्ररोटा

भारतीय संविधान को साधारणतया एक अर्धसंघीय (Quasi federal) संविधान की गना दी जाती है। परिस्थितियों की विभिन्नता के कारण यद्यपि भारत का स्वतन्त्रता प्राप्त किये मात्र १८ वर्ष तथा भारतीय संविधान को स्वीकृत किये मात्र १५ वर्ष पूरे हो चुके हैं किन्तु उसकी संघीय प्रकृति के विषय में कई निर्दिष्ट मत दिया जाता चला है। साम्प्रदायिक क्षत्रिय म विद्याय भारत में राज्य संगठना की भाति नाना विविधताओं में परिपूर्ण एक राष्ट्र है। महान् भौगोलिक, ऐतिहासिक, साम्प्रदायिक, एक सामाजिक विभिन्नताओं के हस्त हुए भी स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् म ही भारत में एक राजनीति एतना एक स्थिरता का एक नूतन अभ्युदय हुआ है जिनकी गणना एशिया और अफ्रीका के अन्य अनेक नवजात राष्ट्रों में करना म उपयुक्त नहीं होनी, जबकि विविधता में एकता (Unity in Diversity) का समन्वयवादी सिद्धांत भारतीय साम्प्रदायिक ढांचे की एक विशेषता है। उसकी धर्म ही एक स्पष्ट प्रतिज्ञाया भारत की राजनीति प्रमुख करती है, विशेषकर वह राजनीति जिस आधुनिक राजनीतिशास्त्री 'राजकीय राजनीति' (State Politics) कहते हैं।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के तुरन्त पश्चात् ही केन्द्रीय सरकार के राज्य मन्त्रालय (Ministry of States) ने सी.ए. सुभाष चन्द्र बोस के सुझाव के तहत में भारत की ५८५ देशी प्रशासकों के एकीकरण का प्रयत्न हाथ में लिया और संविधान के अनुसार ६ अ राज्य (A States), ८ ब राज्य (B States) और १० ग राज्य (C States) बने। तुरन्त ही इन सुझावों का मसौदा किया गया। 'यूनाइटेड प्रोविन्स' (United Provinces) का नाम बदल कर 'उत्तर प्रदेश' रख दिया गया। 'पूब विहार' के स्थान पर 'विन्ध्य प्रदेश' को 'म' श्रेणी में रखा गया और 'अधुना निजोबाग' श्रेणी को 'द' श्रेणी (D States) में स्थान दिया गया। इन राज्यों की कुल संख्या उस समय बढ़ कर २८ पर पहुँच गई जबकि तत्कालीन मद्रास राज्य के उत्तरी भाग को काटकर सन् १९५३ में प्रथम आंध्र राज्य का निर्माण किया गया।

राज्य पुनर्गठन आयोग (States Reorganisation Commission) की सिफारिशों के अनुसार १९५६ में भारतीय संविधान में गणना संशोधन प्राप्ति हुआ

श्रीर नदकुमार १ नवम्बर १९५६ में भारत का मानविय मौखिक रूप में नया बनकर सामने आया। राज्यों को 'अ' 'ब' 'न' श्रेणियों को समायोजित कर समान स्तर के १४ नये राज्यों की स्थापना की गई। यह पुनर्गठन मुख्यतः भाषाई राज्यों की स्थापना के लिए भारत के विभिन्न भागों में कर रहे आन्दोलनों के फलस्वरूप प्रभाव में आया गया। इसका अर्थवाद केवल दम्बर्ट तथा पत्राव ही थे। परन्तु १ मई, १९६० को गुजराती भाषी एवं मराठी भाषी जनता के आसनी विद्रोहों और हिमच आन्दोलनों के दबाव में अन्तर दम्बर्ट राज्य के दो भाग (महाराष्ट्र व गुजरात) कर दिए गये। बाद में १ दिसम्बर, १९६३ को नागालैण्ड के पृथक् राज्य के रूप में दल जाने में भारत में राज्यों की संख्या १६ हो गई है। वर्तमान भारत में उन राज्यों के प्रतिनिधि जिनकी, हिमाचल प्रदेश, मणिपुरी, त्रिपुरा, पश्चिमी, गोवा, दमन व दीव, अरुमान निगोवार द्वीप, मेकेदीव, मिदिक्पाय तथा अरुनिदिवा द्वीप तथा दादरा व नगर हवेली (कुल ६) केन्द्र प्रशासन प्रदेश हैं।

भारतीय सभ में राज्यों का अरुना स्थाप है, किन्तु केन्द्र की सत्ता और महत्व निर्विवाद है। संवैधानिक दृष्टि में भारत एक सभ है यद्यपि संघ राज्य की परम्परागत सभ्य प्रकृति को परिचालित एवं समोचित करने वाली अनेक 'व्यवस्थाओं' को अपने स्वीकृति है।¹ प्रोफेसर व्हीयर (Wheare) ने भारत को एक ऐसे एकात्मक राज्यों की श्रेणी में रखा है जिनमें सभामय राज्य के गौरव एवं भी विद्यमान है।²

जिनकी भी सभ में अधिकतर संवैधानिक प्रश्न केन्द्र व उनकी इकाइयों के आदेश, वर्णन एवं अधिकारों में परिष्कृत रूप में सुदृढ़ होते हैं। आधुनिक सभियानों के अन्तर्गत प्रायः सभी सभों में केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति विद्यमान होती है। भारत में भी केन्द्रीय सरकार को सुनिश्चित रूप में जितने ही अधिकार दिए गए हैं, और स्वतन्त्र प्रांतिक के बाद के १५ वर्षों में उन अधिकारों का उपयोग भी किया गया है।

सुप्रसिद्ध अमेरिकी राजनीति शास्त्री नार्मन डी० पालर के अनुसार, "भारत एक संवैधानिक सभ की अरुना एक प्रशासनिक सभ का उदाहरण है जिसे ऊपर से थोड़ा रखा है न कि नीचे से।"³ वास्तव में भारत का नया संविधान सन् १९५५ के भारतीय

1. "The Republic of India is a federation, although it has many distinctive features which seem to modify the essentially federal nature of the State."—Palmer, Norman D. : The Indian Political System P. 94.
2. Prof Kenneth Wheare classified India as "a unitary state with subsidiary federal principles rather than a federal state with subsidiary unitary principles." Quoted in Alan Geddes, "The Republic of India," P. 92.
3. "India is an example of administrative rather than contractual federation. It was imposed from above, not from below." Palmer—Indian Political System, P. 95.

प्रधिनियम (Government of India Act, 1935) पर ही कानी सीमा तक प्रागरित है। इस कानून के निम्नान्त हमारे पूर्वनामक अध्याय के तर्क भारतीय। शक्तिशास्त्र केन्द्र की स्थापना की परम्परा इसी अधिनियम के अन्तर्गत डाली गई। १९५० का भारतीय मातृभूमि केन्द्र को अध्यायित शक्ति देना है परन्तु केवल इसी एक कारण से दिल्ली सरकार की शक्ति बढ़ी हो एसी बात नहीं। १८ वर्षों की स्वतन्त्रता के अनुभवों ने इस प्रवृत्ति का पयात रूप में स्पष्ट किया है। प्रधान मन्त्री नेहरू के विशाल व्यक्तित्व मानव प्रभाव एवं कायम दान का उगम मभी राज्यों में मुद्रा हानि का पतम्बरूप केन्द्र की शक्ति में विद्यत दृष्टि में आभासी वृद्धि हुई है। एक नया तथा एक दल की छत्रछाया में भारतीय मध्य सहज रूप में ही केन्द्र का पर्याप्त शक्ति प्रदान करने में समर्थ हो सका है। इनमें साथ ही अध्यायित नियोजन, समाज सुधार, विनाय प्रदान तथा विद्वान्नीति, मद्रावाहन तथा अन्य अन्य स्पष्ट प्रभाव का पतम्बरूप केन्द्र की बढ़ती हुई शक्ति और भी बढ़ी है। इन मभी महत्वपूर्ण कारणों में से एक अर्थात् महत्वपूर्ण कारण यह रहा है कि राज्यों को अपने अध्यायित मापना की प्राप्ति का बहुत बड़ भाग के लिए केन्द्र पर निर्भर रहना पड़ता है।

केन्द्रोत्तरण के इन सब तत्वों के मजबूत रहने के परचा भी भारत में विदेशी कारणों की शक्तियाँ भी कम शक्तिशाली नहीं रही हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी विद्वान परत एनबी भारतीय प्रशासन का अध्ययन करने समय इस बात पर अध्यायित आश्चर्यचकित हुए थे कि भारत में एक केन्द्र को राष्ट्रीय योजनाप्रा की प्रियावर्ति के लिये राज्यों पर कितना अधिक निर्भर रहना पड़ता है तथा नीति एवं प्रशासन के मरुत्वपूर्ण ^१अंश में केन्द्र राज्यों की तुलना में कितनी कम वास्तविक शक्ति रखता है।^२ अपने मन की पुष्टि करते हुये डा० एनबी ने किया है कि भारतीय राज्यों में कायम दान की रोगी शक्तियों के गढ़ बढत जा रहे हैं और प्रान्तीयता, प्रादेशिकता तथा भाषावाद आदि शक्तियाँ जड़ पकड़ रही हैं जिनके आन्दोलन में राष्ट्र की एकता का अस्तित्व को संकट है। वास्तव में भारतीय मध्य की महत्वपूर्ण समस्याएँ जैसा कि बेजायिन डॉनफैल्ड ने कहा है कि एक और ता वह मुद्रा केन्द्र है जो कि दान की राजनीति एवं अध्यायित समस्याओं को सुनना सबे कित्नु दूररी और प्रादेशिकता में उत्पन्न व सघर्ष हैं जिनमें सारा राष्ट्र सम्भोर रूप से अस्त है।^३

1 Paul H Appelby, 'Public Administration in India Report of a Survey' (1953) pp 16-17.

2. "The problems which Indian federation faces stem from the needs of her people to have a central Government armed with sufficient powers needed to solve modern economic and political problems on one hand and the strong sentiments of regionalism found throughout the land" Benjamin N Schoenteld—Federalism in India (1960) p. 21.

श्री नेहरू ने कहा था—“कांग्रेस दल निर्बल है और अधिका निर्बल बनता जा रहा है। हमारी शक्ति अब केवल चुनाव है। यदि हम उन शक्ति को नहीं निकालते तो कांग्रेस दल समाप्त हो जाएगा।”¹ उन प्रत्यक्ष श्रवण पर उन्होंने उन शब्द कहे हुए कहा था कि कांग्रेस दल के आंदर न कभी का प्रमुख कारण यह रहा है कि नगर, विधायक व प्रादेशिक स्तर पर कांग्रेस प्रतिनिधियों की अक्षमता से कार्य कर रही है।²

कांग्रेस ने यह कुछ वर्षों में प्रादेशिक व स्थानीय स्तर पर कांग्रेस का आंदर कम हुआ है। इनके प्रमुख कारण हैं—कांग्रेस सदस्यों का अलग-अलग तरीके से निर्वाचन, उन जातों व समाज के वर्गों में विभक्त रहना, आन्ध्र व प्रवाद के क्षेत्र में फँस जाना, जन-सम्पर्क का निराकरण, आत्मीय छूट, शक्ति के लिए शोष-धुर तथा अर्थ-विक्रय व अन्तर्-झगड़न कायम। वाम-विकास ने कुछ मात्र पर कांग्रेसी नेताओं न अपनी ईमान्ता को चुनावों के लिये आन्दर का सहारा दिया परन्तु यह आन्दर किसी भी प्रकार से हम उनका जो मूल्य नहीं कर रहा है या कि अपने अधिकारों के लिये दिलो-दिमाग लगायी जाती है। पारम्परिक शोष व ईर्ष्या के कारण कांग्रेस के नेताओं का ध्यान अपने वाम-विकास कार्य में हट कर मजदूर व गरीब समाजियों की ओर केन्द्रित हो गया है व हमारे परिणाम-सम्बन्धित कार्य की शक्ति व समर्थन का शोष-धुर विरुद्ध हुआ है। राष्ट्र के सर्वोत्थान में उत्पन्न बाधा-विघ्न के माध्यम-माध्यम यद्यपि कृत्रिम केन्द्रीय कांग्रेसी नेता आगे बढ़े भी हैं परन्तु उनकी मजदगी स्थानीय व प्रादेशिक स्तरों तक नहीं उतर सकी है। मन् १९५७ के आम चुनावों में १९५१-५२ की अज्ञानता यद्यपि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस दल की स्थिति सुधरी, परन्तु राज्य विधान सभाओं में हम दल को २०० न भी अधिका संख्या में हाथ धोना पड़ा। १९५७ में आम विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व चुनावों में भी कांग्रेस की प्रतिष्ठा को धक्का लगा। मुख्य रूप से मध्यवर्ग व अर्थिक वर्ग इन दल के शुभचिन्तक नहीं रहे और नगरों में भी शिक्षित वर्ग ने उन दल को अपना समर्थन कम दिया। यह बात निश्चित है कि राज्यों में कांग्रेस की शक्ति का आधार राष्ट्र के शक्तिशाली कांग्रेसी नेता ही रहे। राज्यों की जनता ने अपने अन्तर्-कांग्रेसी नेताओं की कृत्रिम-जो चुनावों के समय नेहरू के नाम पर चुनाव दिया, परन्तु ऐसा हर समय नहीं हुआ। १९६३ में मसानी, गोंडिया एवं काशी कांग्रेस के प्रति-शासी नेताओं को हरा कर योग्यता के लिये निर्वाचित हुए थे। परन्तु वह भी सत्य है कि १९६२ के आम चुनावों में कांग्रेस के प्रमुख उम्मीदवारों ने जमान समी बड़े दलों

1. "The Congress Party is weak and getting weaker...Our strong point is the past. Unless we get out of our present mood, the Congress Party is doomed".
2. "If the Congress was losing respect and regard in the eyes of the people and getting a bad name, it was because of the inefficient functioning of the Congress Committees at the city, district and provincial levels".

के उच्चकोटि के नेताओं को हटा दिया था। यह दृष्ट मित्र करना है कि इन एवं व्यक्तिगत मन्त्र पक्षों के दल का महत्त्व अथवा अथ व्यक्तिगत का महत्त्व और भी अग्रिम हो गया है।

कार्य में इन की शक्ति मर्म गत्या में समान नहीं रही। केवल, मध्य प्रदेश, उत्तीमा अन्तपूर्व सम्बन्ध प्रान्त राजस्थान में इनके अनेक उदाहरण वृद्धा भी देखे हैं। इन उदाहरण वृद्धा में स्पष्ट हो जाता है कि कार्य में की शक्ति अथ उनमें ऐतिहासिक महत्त्व में नहीं चुनी हुई है वरन् उमरी मन्त्रियता एवं मन्त्रालय में सम्पन्न होने जा रही है। यह भी निश्चित है कि अनेक मन्त्रालय का प्रभाव भी कार्य में की शक्ति पर पला है। मन्त्रालय व मन्त्रालय में कार्य में की शक्ति का कारण इन राज्यों में अनेक नेतृत्व व मन्त्रालय ही है। परन्तु जिन जिन राज्यों में कार्य में की शक्ति मन्त्रालय रही है, वही इन की शक्ति में हुई है व उमरी मन्त्रालय को भी पक्ष में लगा है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान, पञ्जाब, उत्तीमा गुजरात, मंसूर, केरल आदि राज्यों में इन दल को अन्तर्गत फूट के अन्त में अग्रिम मन्त्रालय पक्ष है। इन मन्त्रालय के अनेक के अनेक अनेक पर इन के प्रति अनेक की अनेक निश्चित रूप में वन हुई है। अन्तर्गत मन्त्रालय के कारण प्रादेशिक नेता अपने मन्त्रालय वृद्धा की ओर उचित ध्यान व अग्रिम मन्त्रालय नहीं दे पाते। शक्ति निश्चित के इन दूजिन पक्ष में पूरा इन पक्षों द्वारा है और विरोधी के अग्रिम के साथ-साथ इनके मन्त्रालय अनेक दल का अग्रिम भी कर बैठने हैं। ऐसे उदाहरण कई बार आये हैं जबकि चुनाव में अपने ही दल के एक उम्मीदवार के विरुद्ध एक प्रमुख कार्य में ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी है। अग्रिम कार्य में की एक नई जमानत मारे देना में अग्रिम ही गई है। इनकी शक्ति पूर्ण रूप में जबकि विन्फोर्ट कार्य में की ही सम्पन्न हो जाती है तो दूसरी ओर 'मन्त्रालय' कार्य में की शक्ति इनके अनेक में व इनके मन्त्रालय करने में नष्ट हो जाती है। दुर्भाग्य का विषय तो यह है कि राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित कार्य में की पक्षों के पक्षों इन छोटे मन्त्रालयों को उदाहरण रखते हैं और इनके कारण में कार्य में की केन्द्रीय उच्च वमान भी इन विरोधी का उम्मीदवार करने में अग्रिम तर अग्रिम मन्त्रालय है। दोनों गुटा के पक्षों मन्त्रालय की शक्ति रखती है व इनको भी अग्रिम करने का अर्थ इन की शक्ति को पक्षों वन जाना है। इन के अन्दर ही 'विद्रोह' की स्थिति पक्षों व केवल में महा तर पक्षों चुनी है कि इन दो राज्यों में 'साया' (Shadow) कार्य में इन वन गये हैं और केवल राज्य में नवीनतम कार्य में हार का कारण भी कार्य में की इनके अन्तर्गत फूट में देखा जा सकता है।

उक्त उदाहरणों के अनेक कार्य में इन अनेकी प्रतिष्ठित को इन कारण भी मन्त्रालय वृद्धा है कि वह मन्त्रालय मन्त्रालय व अनेक मन्त्रालय कार्य में की मन्त्रालय के द्वारा दिये दूजे नैतिकता के उच्च आदर्शों का पालन नहीं कर सकता है। चुनाव में अनेक, भाषा आदि मन्त्रालय के वन पर अनेक कार्य में की मन्त्रालय प्रादेशिक व मन्त्रालय मन्त्रालय पर चुनाव जीतते हैं। मन्त्रालय

यह है कि इनको चुनाव का प्रत्याशी (Candidate) बनाने समय इन बातों का भी ध्यान रखा जाना है। शक्ति के लिये धन का प्रयोग किया जाना तो कांग्रेस के माथ इन स्तरों पर छुट ही चुका है। इन्हीं कारणों से सामान्य जनता के हृदय को जीत सकने में यह दल आज पर्याप्त रूप में असफल रहा है। बेरत में मुस्लिम लीग के माथ गठबन्धन ने मिद्ध कर दिया था कि कांग्रेस दल अबसरवादी है और अब कांग्रेस आदमवाद का खेबन नारा ही नहीं लगानी, बरन् व्यवहार में भी शक्ति की पुजारि बत चुकी है। आज शक्तिशाली व मगठित विरोधी दला के अभाव में इस दल का सत्ता में च्युत नहीं किया जा सकता। मत्व तो यह है कि कांग्रेस की अपनी मौनिक शक्ति कम है, विरोधी दलों की मौनिक दुर्वलता अधिक होना ही इसकी शक्ति का स्रोत है।

कांग्रेस दल 'समाजवादी समाज की स्थापना' अथवा 'जनतन्त्रवादी समाजवाद' के प्रति निष्ठा का दावा करता है। दो माध्यवादी दला के बीच प्रजा समाजवादी व समुक्त समाजवादी दल ऐस हैं जो कि समाज में विध्वंस लेकर चलने हैं। वास्तव में कांग्रेस, समुक्त समाजवादी व प्रजा समाजवादी दलों के बीच मैदातिय सतभेद वगण्य है। तीनों दलों के सभी प्रमुख सदस्य मूल रूप में कांग्रेसी ही थे। व्यक्तित्व के सधयों ने ही मुख्यतः स्वतन्त्रता प्राप्ति के पदचाल इन दलों को जन्म दिया। प्रजा समाजवादी व समुक्त समाजवादी यद्यपि लगभग एक ही दृष्टिकोण रखन हैं, परन्तु ये दलों दल सगठनों में पृथक् हैं। राज्यों में इन दलों की शक्ति मृदुह नहीं है। कुछ मोटों खोना या पाना ही इनके विकास की घटती बटती बहामी है। अपनी शक्तियों को पारम्परिक ढलह में समाप्त करने के फलस्वरूप यह दल कांग्रेस के लिए चुनौती नहीं बत सके। प्रजा-समाजवादी दल जो कि किसी समय कांग्रेस का खाल लेने के लिए प्रमुख दल गमना जाता था, देश के बुद्धिजीवी निशित समुदाय की महानुभूति और गम्यन के बावजूद भी अगने न बढ़ सका। राष्ट्रीय नेत्रत्व की बमी, आदर्शों, सगठन व व्यावहारिक नीति के सम्बन्ध में विचारों के ज्ञान की बमी, भारतीय राजनीति में अपने कार्य पत्र महत्व की सही प्रचार व समझना तथा आपत्ति व दल के आन्तरिक विद्रोहों के समक्ष हार मान बैठना ही प्रजा समाजवादी दल के हामोन्स्य रहने के कारण रह हैं।¹ इस दल की प्रमुख शक्ति विहार, मध्यप्रदेश, मंनूर व उत्तर प्रदेश, बेरल तथा उड़ीसा में है।

1. "The party's crisis have been those of the national leadership the party's inability to communicate effectively with the secondary echelons and the membership concerning the changes desired in ideology, organisation, and strategy, its failure to assess correctly, and adhere consistently to a given role in Indian politics, and its failure to maintain its own cohesion in the face of public adversity and party rebellion."—Thomas A. Rusch. "Dynamics of Socialist Leadership in India," in Park and Tinker, eds., *Leadership and Political Institutions in India*, pp. 204, 208.

समूह समाजवादी दल का प्रमुख शक्ति केन्द्र बिहार मध्यप्रदेश, व उत्तर प्रदेश में देख जा सकते हैं। दाना दाना में निम्नलिखित रूप में प्रजा समाजवादी दल की शक्ति अधिका है। तृतीय घाम चुनावों में प्रजा समाजवादी दल ने राज्य विधानसभाओं की १५६ सीटों जीती जबकि समाजवादी दल ने केवल ७१ सीटों पर बच्चा किया।

भारतीय राजनीति में एक नये अनुदार दल का जन्म मई १९५६ में हुआ। इस वय जनवरी में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में पारित स्वरकारी कृषि से सम्बन्धित प्रस्ताव की प्रतिप्रिया स्वरूप यह दल जन्मा। कांग्रेस दल की समाजवादी नीतियों के विरोध के लिए हमने नया छोटे छोटे। व्यक्ति की स्वतन्त्रता, निर्यात व्यवसाय, व उद्योग प्रतिभागिता के सिद्धांतों पर आधारित इस दल का जन्म वास्तव में स्वतन्त्रता के १२ वर्षों के बाद व भारत में एक विशिष्ट सो घटना थी। वैसे तो जनमत भी प्रारम्भ में ही एक सिद्धांतों का पक्षपाती घोर प्रतिपादक रहा है, परन्तु एक धारापंथ व अनुभवी नात्व के कारण यह दल कुछ राज्यों में एक धूमनेनु की भांति राजनीतिगत शक्ति पर प्रकट हुए हैं। स्वतन्त्र दल का शक्ति उड़ी प्रान्तों में मिली जहाँ स्वतन्त्रता में पूर्व राजाधो व सामन्तों का शासन था और जहाँ यह वय छोटे भी शक्तिशाली है। इस दल के समस्त वित्तीय साधनों के अभाव की समस्या उभराने ही नहीं हुई तथा पूजा पत्रियों के सहयोग के कारण यह काफी शक्तिशाली बनता चला गया। आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्यप्रदेश, मद्रास, मंगूर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र में हमने विधानसभाओं के लिए १०१२ प्रत्यागी मंडे किये, जिनमें से १६६ की विजय हुई। मुख्य रूप से आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान व उत्तर प्रदेश में हमारा उत्साह जनव सफलता मिली। यह दल अपने परम्परावाद के आधारों के बावजूद भी जनता का उत्तम समर्थन प्राप्त नहीं कर सका है जितना कि हमारा भय था। उनके पास एक निम्नतम कार्यक्रम का अभाव तो है ही, बल्कि हमारी दुर्बलता का एक कारण गत १५ वर्षों में जाग्रत होने वाली जन चेतना भी है। तृतीय घाम चुनावों के बाद यह दल अब कुछ-कुछ निष्क्रिय सा होने लगा है व यह आशा नहीं की जा सकती कि १९६७ के घाम चुनावों में यह पूर्व प्राप्त उम सफलता तक भी पायद पहुँच सकेगा।

भारतीय समाज व्यवस्था एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, परन्तु साम्प्रदायिकता की समस्या यहाँ इस तत्वाब्दी के धारणात्मक वर्षों से ही देखी जा सकती है। हिन्दू मुस्लिम एकता के अन्वय प्रवृत्तों के बावजूद भी यहाँ कई धार्मिक एका जैसे धीरे धीरे अस्पष्ट नहीं हो सके हैं। धर्म के भारत में साम्प्रदायिक दल की समस्या काफी है। ये दल मुख्य रूप से, अन्धी, सांस्कृतिक दूरदर्श के सांस्कृतिक दिनों के लिए की प्रवृत्तियों रहे हैं।^१ इनमें से प्रमुख जनसमूह, हिन्दू महासभा व रामराज्य परिषद हैं। जनमत का

1. These (communal) represent homogeneous political units only in the sense that each is concerned with the prerogatives of a single segment of Indian society — they are pressure groups seeking

सन् १९५१ में डा० आनामनाद मुन्शी द्वारा दृष्टा था। उनका मत था कि जनता एक साम्प्रदायिक दल नहीं है। उनकी शक्ति प्रमुख रूप से शरणागतियों, कुलपूर्व राजनीति, मानव के व्यक्तियों, पाकिस्तान के विरुद्ध शक्तिशाली नीति के समर्थकों एवं प्रवृत्त आदि आदर्शों के समर्थकों पर आधारित है। तथापि, व्यवहार में यह विद्व बत दिया है कि जनता हिन्दू साम्प्रदाय की शक्ति का ही समर्थक है और भाग्य में 'हिन्दू राज्य' की स्थापना का स्वप्न देख रहा है। प्रथम व द्वितीय आन-चुनावों में जनमत, हिन्दू महासभा एवं राजगण्य परिषद को नगण्य महत्ता मिली है। प्रथम आन चुनावों में जनमत न राज्य विधानसभाओं की बैठक ३८ सीटें जीती थी जो १९५७ में बढ़ कर ४६ हो गईं। १९५७ के चुनावों में जनमत की शक्ति में अचानक काटें वृद्धि हुई और जनप्रदेश जैसे वारंशिक कट में नारायणियों के चुनावों में अपने आनामनाद स्थापना प्राप्त की। सन् १९६० के आन चुनावों में राजनी में ११६ सीटें प्राप्त की थी तथा प्रमुख रूप से यह राजस्थान, जनप्रदेश एवं मध्यप्रदेश में अधिक विरधों दृष्टा। अन्य राज्यों में अथवा व विहार को छोड़ कर इसकी शक्ति नहीं के बराबर है। अन्य दो दलों की शक्ति का आधार भी साम्प्रदायिकता है, परन्तु कृष्ण राज ने जनमत को चुनावान्वक रूप में अति महत्ता प्रदान की है। शनिद्व राजनीतिशास्त्री डा० पामर के मत में धर्म-निर्णय भाग्य में इस प्रकार के साम्प्रदायिक दलों का अस्तित्व एवं विकास निश्चित रूप से नारायण राज्या के हिन्दू कष्ट का कारण बन सकता है।^१

नारायण राजनीति दलों में एक अन्य प्रमुख दल साम्प्रदायिक दल है, जिसका हाथ ही में धर्म-बोध आदर्शों के समर्थकों कारण विपन्न हो गया है। साम्प्रदायिक दल प्रमुख रूप से अधिक वर्ष पूर्व वृद्धिवादी वर्ग का समर्थन प्राप्त एक महत्वपूर्ण दल है। भाग्य जैसे नृदेवादी समाज में भी साम्प्रदायिकता का जन्म एवं विकास वास्तव में उस दल के शक्तिशाली काल का परिणामक है। जनस्थानक तथा आन्दोलनार्थी भागों के बीच चलना दृष्टा यह दल आगम्य में ही अतिरिक्त स्थिति में नृता बना आया है। इसी दल के 'धर्म' व 'नग्य' क्षेत्रों के होने के चलती नीतियों में समर्थन पर परिवर्तन भी होता रहा है। सन् १९६० में हैदराबाद के देवताता विधि में हिमानक आन्दोलन इस दल की प्राग्निष्ठ नीतियों को स्पष्ट कर गया। जनस्थान

to secure for the cultural unit they represent a larger measure of prestige, power, wealth, and predominance of cultural patterns."
Richard D. Lambert, "Hindu Communal Groups in Indian Politics, in Park and Tinker, as, Leadership and Political Institutions in India, P. 211.

1. "They (Hindu Communal Organisations) are major threats to the unity of India, for they operate largely beneath the surface and they have roots deep in traditional Indian society." Norman D. Palmer : Indian Political System, P. 203.

इस दल ने भारतीय अवस्था के अनुसार अपने प्रायः परिवर्तित किया। १९५१-५० में भारतीय साम्यवादी दल ने प्रथम ग्राम चुनावों में एक राष्ट्रीय दल के रूप में भाग लिया एवं एक राष्ट्रीय दल का स्वर पाया। तबसे ही यह मुख्य विंगों के दल के रूप में उभरा व कुछ प्रदेशों में इस अल्पसंख्यक मिनी विधानसभा मद्रास, हैदराबाद व द्रावणकोर, कोचीन में। पृथक् तेलगू भाषी राज्य व त्रिपुरे तक राष्ट्रियता के समर्थन के उदाहरण प्रदान किया व जब १९५३ में आन्ध्र राज्य की स्थापना की गई तो विधान सभा में इसकी काफी प्रतिनिधित्व मिला। मार्च १९५५ के चुनावों में इस दल को बड़ा धक्का लगा जिसका प्रमुख कारण साम्यवादी दल में आन्तरिक मतभेद व सोवियत रूस द्वारा भारतीय तटस्थता की नीति को स्वीकार करना था। अप्रैल १९५६ की चौथी कांग्रेस के पालघाट अधिवेशन में भारतीय साम्यवादी दल ने दा प्रस्ताव पास किये—पहला भारत सरकार की आन्तरिक व विदेशी नीतियों का समर्थन प्रदान करने से सम्बन्धित व दूसरा अन्य विरोधी दलों से सहयोग करने की नीति से सम्बन्धित। इस नीति को बुद्धिमानी से प्रयोग में लाया गया व १९५७ के दूसरे ग्राम चुनावों में चुनाव संधियों व अन्य साधनों से इस दल ने अपनी शक्ति को दुगुनी कर ली। केरल, पश्चिमी बंगाल व बम्बई में इसे काफी सफलता मिली। भारत के प्रत्येक राज्य की विधानसभा में इसे प्रतिनिधित्व मिला। अप्रैल १९५७ में केरल में पांच स्वतन्त्र सदस्यों की सहायता से साम्यवादी दल द्वारा सरकार बनाई गई जो कि ३१ जुलाई १९५६ तक चली।

१९५८ से साम्यवादी दल का समर्थन व प्रतिष्ठा गिरने लगी। इसके मुख्य कारण थे—दल में आन्तरिक मतभेदों की तीव्रता, केरल का अनुभव, चीन का तिव्वत में दमन तथा भारतीय सीमा का अपमान करना आदि। उपर्युक्त सदस्य अब चीन-समर्थक होने जा रहे थे। चीन की शक्ति की वृद्धि के साथ व रूस में उगने मतभेद के साथ २ भारतीय साम्यवादी दल भी आन्तरिक रूप से विखण्डित होने लगे। १९६० में जब केरल में चुनाव हुए तो दल को केवल २७ सीटें मिलीं। यह दल की प्रतिष्ठा पर बहुत बड़ा आघात था। परन्तु १९६२ के ग्राम चुनावों में साम्यवादी दल फिर से सत्तियाली दल के रूप में आया। दल ने आन्ध्रप्रदेश में ५१ व पश्चिमी बंगाल में ५० स्थान प्राप्त किये। अन्य सभी राज्यों में इसके प्रतिनिधित्व मिला, परन्तु उत्तर-प्रदेश के अतिरिक्त जहाँ इसने १४ स्थान ही प्राप्त किये, इसके अतिरिक्त गौरी ही रही। १९६२ में हुये चीनी आक्रमण के उपरान्त साम्यवादी दल के प्रति भारतीय जनता में निष्ठा कम हो गई व साथ ही चीन-समर्थक व रूस-समर्थक साम्यवादी गुटों का पारस्परिक विरोध समझा जा गया। भारतीय साम्यवादी दल दक्षिण-पश्चिमी व वाम-पश्चिमी दलों में विभाजित हो गया तथा केरल में १९६४ के चुनाव भी इन दो दलों द्वारा पृथक्-पृथक् लड़े गये। केरल में दोनों दलों ने जनता से समर्थन प्राप्त किया, परन्तु आसानी से सफलता वामपक्षियों को मिली। वामपक्षी साम्यवादी दल ही अन्तिम शक्ति प्रकट करने

में मग्न रहा है। केरल व पश्चिमी बंगाल में इसी दल की शक्ति अधिक है। चीन समर्थन तथा राष्ट्र विरोधी होने के मद्दय में इन दलों का मध्यिया को भाग्य रहा बालूत के अन्तर्गत नजरबन्द किया गया। इन पश्चिमीयों में इस प्रवृत्ति की आशा की जा सकती है कि आगामी वर्षों में भारत में साम्यवादी दल अतनी फूट व नीतियों के कारण शोचनीय में शक्ति अर्जित करने में असमर्थ होगा। आंध्र, केरल व पश्चिमी बंगाल के अनिर्दिष्ट अन्य राज्यों में इन दलों की स्थिति सुन्दरता में बहुत दूर है। यह दल एक अस्विकृत भविष्य की आश चढ़ रहा है।

मुख्य मुख्य राजनैतिक दलों के अनिर्दिष्ट भारत में कुछ ऐसे प्रादेशिक व स्थानीय दल भी हैं जो कुछ प्रमुख व्यक्तियों, साम्प्रदायिकता, जाति अथवा किसी विनिष्ट हित के आधार पर जीवित हैं।

भारतीय अछूतों का प्रमुख राजनैतिक दल-अनुसूचित जाति मध (Scheduled Caste Federation) है जो महाराष्ट्र के महार अछूतों की शक्ति पर प्रमुखता आधारित है। दक्षिण के तामिल भाषी प्रदेश में, विद्रोहवादी मद्रास में, द्रविड आन्दोलन ने काफी मोक्ष-समर्थन प्राप्त किया है। यह आन्दोलन मुख्यतः तामिल जनता का आन्दोलन व अन्य उच्च जातियों के विरुद्ध समर्थ है। यह एक प्रकार से तत्कालीन उत्तरी भारत के आर्थिक साम्राज्यवाद के विरुद्ध विरोध है। तामिल-जातियों का राजनैतिक संगठन, 'द्रविड मुनेत्र कडगम' है। इस दल ने समय-समय पर साम्यवादियों के साथ गठबन्धन भी किया परन्तु १९५७ में जब DMK की अपनी शक्ति बढ़ी तो इसने साम्यवादियों का समर्थन नहीं किया फलतः साम्यवादियों को मद्रास राज्य में आघात लगा। आन्दोलन-विरोधी, हिन्दू विरोधी, उत्तर विरोधी व आर्य विरोधी अन्धकारियों के संचालक DMK की पृथक द्रविडमन की मांग का समर्थन तामिलनाडु के गैर-आन्दोलन करने हैं। लोकप्रियता के कारण कांग्रेस विरोधी अन्य दलों को मद्रास में अपने काफी पीछे छोड़ दिया है। १९६० के तृतीय आम-चुनावों में इन दल ने मद्रास राज्य विधान सभा में ५० स्थान प्राप्त किये। स्थानीय लोकप्रियता मुद्दे होने के कारण व ऐतिहासिक कारणों में इस दल का भविष्य अमूर्त नही कहा जा सकता।

पंजाब में सिक्खों का राजनैतिक व सामाजिक संगठन शिरोमणी अकादी दल के रूप में स्थित है। यह दल पृथक सिक्ख राज्य व अथ 'पंजाबी सूबे' की मांग करता है। सिक्खों में यह दल अत्यधिक लोकप्रिय है। पंजाब में १९६० के आम चुनावों में इसने १९ स्थान जीते। मद्रास व केरल के कुछ भागों में मुस्लिम लीग सक्रिय है। १९६० के केरल के चुनावों में इसने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा व विधान सभा में तीसरा स्थान प्राप्त किया। अन्तिम सामर्थ्य दलों में विमान मजदूर मता प्रमुख है। पश्चिमी व दक्षिणी भारत के कुछ भागों में इसे कुछ शक्ति प्राप्त है (विद्रोहवादी महाराष्ट्र में)। बिहार के आदिवासियों के समर्थन पर आधारित जार-सदर दल है। १९६० में नागालैंड के पृथक राज्य की स्थापना के पश्चात् भी नागा

विरोही अपने छोटे-से दल के द्वारा प्रतिनिधि अधिकारों की मांग कर रहे हैं।

ग्राम चुनावों में भारत के राजनीतिक दलों ने चुनावों व सरकार बनाने के लिये समय-समय पर काफी प्राणमयी गठबन्धन किये हैं। यह सधिया गठबन्धन पर धारणा रखने के कारण प्राणमयी समय तक नहीं टिक सक्ती थी। कांग्रेस को हराने के लिये कांग्रेस विरोधी वाम व दक्षिणपथी दल वा गठबन्धन कई बार हुआ। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी १९५५ में आंध्र व १९६० में बंगाल में साम्यवादियों के विरुद्ध स्वयं में विभिन्न दलों से गठबन्धन किया। साम्प्रदायिकता-विरोधी कांग्रेस दल वा साम्प्रदायिक मुस्लिम लोग से गठबन्धन बुद्धिवादियों की निन्दा वा विषय बना। दो प्रभूत्वपूर्ण रूप में महत्वपूर्ण गठबन्धन १९५७ में देखने में आये जबकि पृथक महाराष्ट्र व गुजरात राज्यों की स्थापना की समर्थन देने वाले सभी विरोधी दलों ने कर्नाट प्रान्त में कांग्रेस का बड़ा विरोध किया। संयुक्त महाराष्ट्र समिति व महा गुजरात जनता परिषद् ने प्रादेशीय सफलता प्राप्त की। इन आन्दोलनों व फलस्वरूप मई १९६० में पृथक राज्य-गुजरात व महाराष्ट्र भी बने। इसमें सिद्ध होता है कि एक राज्य की जनता अपनी इच्छा को राजनीतिक प्रतिनिधित्व द्वारा व्यक्त कर सकती है। राज्य बनने के बाद यह विरोधी दल लगभग विघटित हो गये। १९६२ के ग्राम चुनावों में फिर से कांग्रेस ने अपनी खाई हुई शक्ति प्राप्त कर ली।

विधान देस में विविधता होना स्वाभाविक है। राजनीतिक दलों का बाहुल्य भारतीय राजनीतिक जीवन की एक विशेषता है। एक स्वस्थ दल पद्धति (Party System) भी जन्म नहीं ले सकी है और प्राणमयी वि विविध भावों में जन्मा हो सके। भारत में कांग्रेस दल की शक्ति इतनी अधिक रही है कि भारत को कई व्यक्ति 'एक-दलीय राज्य' (One Party State) कहते हुये भी नहीं हिनकाने।¹ संसदीय सभा में तो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त है। परन्तु कई राज्यों में कांग्रेस को बाकी अधिक विरोध का सामना भी करना पड़ता है। आंध्र, बिहार, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र व बंगाल में इन दलों की स्थिति निर्बल है। राजस्थान में अन्य दलों व निर्दलीय सदस्यों को प्रावणित करने ही कांग्रेस की शक्तिशाली बनाया गया है। जिन राज्यों में कांग्रेस की कम शक्ति प्राप्त है वहाँ भी विरोधी दलों के प्राणमयी रहने के कारण जने सरकार बनाने में कोई भय नहीं रहता। महाराष्ट्र में कांग्रेस को १९६२ के ग्राम चुनावों में २६४ में से २१५ स्थान मिले, राजस्थान में १७६ में से ८८, मध्य प्रदेश में २८८ में से १४२ स्थान मिले थे। कांग्रेस की शक्ति सभी राज्यों में गमन नहीं है और न ही किसी भी दल की स्थिति किसी भी राज्य में नियमित रूप से बढ़ रही है। बंगाल जैसे जननमय प्रेमी राज्य को प्राणमयी राजनीतिक दलों व बाहुल्य का मूल्य चुकाना पड़ रहा है। कांग्रेस की स्थिति राज्यों में प्रभुत्व है परन्तु बंगाल में गुणवत्ता होने के बारे में मैरिज हरिसन (Selie Harrison) का विचार है कि 'बंगाल राज्य

1. George Bailey - Pandit Nehru's One Party Democracy.

सम्बन्धों के पहलू पर दृष्टि रखते हुये भारतीय सर्वोपान में परिवर्तन करना क्या उचित नहीं रहेगा ?¹ १९५७ से १९५९ तक के केंद्र प्रशासन से उत्पन्न सम्बन्धाग्रा के सुदर्न में हैगिमत का प्रश्न महत्वपूर्ण प्रतीत होता है ।

वर्तमान पार्लियामेन्ती संकट के समय समस्त जनता का भी मानवहादुर शास्त्री के पीछे एकत्र हो जाना हमारे नेहरू-युग की सृष्टियां तानी कर देना है । नेहरू राष्ट्रीय-एकता के प्रतीक थे । उनकी सृष्टीकरण, भारत का जैसा नयातक वास्तविक विश्व सींचा जाता था, वैसी दया विचित्रताय भी न हुई । परन्तु नहृन्त्री के अभाव में राज्यों की अस्ती शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता को पूरा करने का अवसर अवसर मिला है । संकटकारीन स्थिति में शास्त्री द्वारा संघता का परिचय देने में राष्ट्र-निवासियों के हृदय में सींचे नेतृत्व को फिर से पालना सम्भोषण हुआ है । कुछ समय में दल स्वः में उठे उठ गये हैं व राष्ट्र हित का ध्यान सर्वोपरि हो चुका है । नामराज के कुशल निर्देशन में कांग्रेस की शक्ति के दर्शन की आशा है व ऐसा अनुमान किया जाता है कि सम्भवतः १९६७ के आम-चुनावा के बाद भारतीय राजनीतिक दलों की स्थिति में परिवर्तन आवे । कांग्रेस की शक्ति बटना व उतका मुबार होना राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिरता के लिये शुन है । एक संकट जनतन्त्र को आवश्यक्ता होती है-मुझमें हुये विरोधी दलों की, जिसका भारत में अभाव है । ऐसे प्रयत्न होने चाहिये कि राजनीतिक दलों की सन्धा के बाह्य पर रोव लगे व जनताविक शक्तियां भारतीय प्रादशों व परिस्थितियों के अनुसार मुधरे हुये मगल बनाये जायें जो जनताको विकल्प दे सकें । सार्वभौमता, प्रशाचार, सकीर्णता, प्रादेशिकता, सृष्टियता की अनुभ दलदल राजनीति में भारतीय राजनीतिक दलों की दिक्कत कर घनाभक, टोल दरभराओं की बन्ध देने का प्रयत्न करना चाहिये त्रिन पर जनतन्त्र का नविय्य निर्भर रहना है दर्ना भारतीय राजनीतिक दल जनतन्त्र के लिये एक अनियाय बन कर रह जायेंगे ।

1. "Thus the great issue before Indian leaders is whether the present constitution, drafted at a time when a national party system seemed to be in the making, will be adequate to a new time in which the interplay of national parties makes way for the new contest between the central power and regionally based political forces." Selig Harrison : *India the Most Dangerous Decades*, p. 246.